Thursday, 24 August, 1961

लोक-सभा

वाद-विवाद

द्वितीय माला

खण्ड ५७, १९६१/१८८३ (शक)

[२१ अगस्त से १ सितम्बर १९६१/२० श्रावण से १० भाद्र १८८३ (शक)]

2nd Lok Sabha

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
14-5-92
Fumigated
On 3.12.83
Parliament Library

चौदहवां खण्ड, १९६१/१८८३ (शक)

(खण्ड ५७ में अंक ११ से २० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

अंक ११--सोमवार, २१ अगस्त, १९६१/३० श्रावण १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ७२८, ७३० से ७४२, ७४४ से ७४६, ७४९ और ७५१ . १७९९--१८२२

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ७२७, ७२९, ७४३, ७४७, ७४८, ७५० और ७५२ से ७८२ . . . . . १८२३--३९

अतारांकित प्रश्न संख्या १७२५ से १७३२, १७३४ से १७३७ १८३९--१९२९

स्थगन प्रस्ताव--

(१) स्वामी रामेश्वरानन्द जी पर बम फकने की कथित घटना १९२९-३०

(२) भारतीय गांव पर पाकिस्तानियों द्वारा कथित धावा . १९३०-३१

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . १९३१-३२

राज्य सभा से सन्देश १९३२-३३

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर पूर्व सूचना के बारे में १९३३

समिति के लिये निर्वाचन--

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् १९३३-३४

तृतीय पंचवर्षीय योजना के बारे में प्रस्ताव . १९३४---५६

ब्लिट्स के सम्पादक के नाम समन जारी करने के बारे में . १९५३

दैनिक संक्षेपिका १९५७---६८

अंक १२--मंगलवार, २२ अगस्त १९६१/३१ श्रावण, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ७८३ से ७८६, ७९८, ७८७, ७९०, ७९२ से ७९४, ७९६, ७९७, ७९९ और ८०० १९६९--९४

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ७९१, ७९५, ८०१ से ८५५ . १९९४--२०१६

अतारांकित प्रश्न संख्या १९३८ से २०८८ २०१६--७८

स्थगन प्रस्ताव के बारे में--

यमुना के बांध का टूटना . . . २०७८-७९

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--

खम्भात और अंकलेश्वर तेल क्षेत्रों में तेल का उत्पादन २०७९-८०

सभा पटल पर रखे गये पत्र २०८०-८१

प्राक्कलन समिति--

एक सौ उन्तालीसवां प्रतिवेदन . . २०८१

विषय	पृष्ठ
मार्टिन एस० लाइट रेलवे यात्री संघ की शिकायतों के बारे में याचिका .	२०८१
तृतीय पंचवर्षीय योजना के बारे में प्रस्ताव . . .	२०८१—२११३
दैनिक संक्षेपिका	२११४—२३
अंक १३—बुधवार, २३ अगस्त, १९६१/१ भाद्र, १८८३ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ८५६ से ८५८, ८६० से ८६५, ८६७, ८६८, ८७३, ८७५ और ८७६	२१२५—४८
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ८५९, ८६६, ८६९, ८७०, ८७१, ८७२, ८७४ और ८७७ से ८९३ . . .	२१४८—५९
अतारांकित प्रश्न संख्या २०८९ से २२०० .	२१५९—२२०८
स्थगन प्रस्ताव—	
१. यमुना के बांध का टूटना . . .	२२०८–०९
२. नागालैंड में दुर्घटना	२२०९–१०
३. जम्मू में नन्दपुर पर पाकिस्तानियों का कथित आक्रमण . .	२२१०–११
सभा पटल पर रखे गये पत्र	२२११–१२
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
पुनर्वास मंत्रालय को जारी रखना . . .	२२१२—१५
प्राक्कलन समिति के कार्यवाही सारांश . . .	२२१५
प्राक्कलन समिति—	
एक सौ चालीसवां प्रतिवेदन . .	२२१५
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
सत्तास्सीवां प्रतिवेदन . . .	२२१६
तारांकित प्रश्न संख्या ५२६ के उत्तर में शुद्धि . . .	२२१६–१७
दिल्ली नगर निगम (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित	२२१७
तृतीय पंचवर्षीय योजना के बारे में प्रस्ताव . . .	२२१७—५०
दैनिक संक्षेपिका	२२५१—५८
अंक १४—गुरुवार, २४ अगस्त, १९६१/२ भाद्र, १८८३ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ८९४, ८९७, ८९८, ८९९, ९०१, ९०४, ९०५, ९०७, ९१०, ९१२, ९१४, ९१६, ९१८, ९२१, ९२३ और ९०० .	२२५९—८१

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या ८९५, ८९६, ९०१, ९०३, ९०६, ९०८, ९०९, ९११, ९१३, ९१५, ९१७, ९१९, ९२० और ९२२	२२८१—८६
अतारांकित प्रश्न संख्या २२०१ से २३१४, २३१६ से २३५६	२२८७—२३४९
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--	
भारी वर्षा के कारण दिल्ली की कुछ बस्तियों में पानी भर जाना	२३५०–५१
सभा का कार्य	२३५१
सभा पटल पर रखे गये पत्र	२३५१–५२
इन्डियन एयर लाइन्स कोरपोरेशन द्वारा वायुयान में राष्ट्रपति के डाक्टरों को स्थान न देने के बारे में वक्तव्य	२३५२–५३
तृतीय पंचवर्षीय योजना के बारे में प्रस्ताव	२३५३—६३
आय कर विधेयक--	
प्रवर समिति द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	२३६३—८०
श्री करांजिया द्वारा भेजा गया तार	२३८०–८१
कार्य मंत्रणा समिति--	
छियासठवां प्रतिवेदन	२३८१
कच्चे पटसन की कमी के बारे में चर्चा	२३८१—८६
दैनिक संक्षेपिका	२३८७—९५
अंक १५—शुक्रवार, २५ अगस्त, १९६१/३ भाद्र, १८८३ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या ९२४ से ९३५	२३९७—२४२०
प्रश्नों के लिखित उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या ९३६ से ९७९	२४२०—३९
अतारांकित प्रश्न संख्या २३५७ से २५०२, और २५०४ से २५१२	२४३९—२५०२
निधन संबंधी उल्लेख	२५०३–०४
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	२५०४–०५
उत्तर प्रदेश में बाढ़	२५०५
सभा पटल पर रखे गये पत्र	२५०५
सभा का कार्य	२५०६
श्री करांजिया को जारी किये गये समन के बारे में	२५०६,४०—४३
कार्य मंत्रणा समिति--	
छियासठवां प्रतिवेदन	२५०६–०७

विषय	पृष्ठ
आय कर विधेयक—	
प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	२५०७—१५
खंड २ से १२ .	२५१५—२१
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
सत्तासीवां प्रतिवेदन	२५२१
सेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारियों के पुनः सेवा में लगाये जाने पर प्रतिबन्ध के बारे में संकल्प . .	२५२१—२५
पटसन का मूल्य निर्धारण करने के बारे में संकल्प तथा कच्चे पटसन की कमी के बारे में चर्चा .	२५२५—४०
अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना के बारे में संकल्प .	२५४०
दैनिक संक्षेपिका	२५४४—५३
अंक १६—सोमवार, २८ अगस्त, १९६१/६ भाद्र, १८८३ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ९८० से ९८२, ९८४, ९८६, ९८७, ९८९, ९९१, ९९३, ९९५ से ९९९ और १००४ से १००८ .	२५५५—८३
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ९८३, ९८५, ९८८, ९९०, ९९२, ९९४, १००० से १००३ और १००९ से १०१६ .	२५८४—९१
अतारांकित प्रश्न संख्या २५१३ से २६२३ .	२५९१—२६४०
संत फतह सिंह के साथ बातचीत के बारे में वक्तव्य .	२६४०—४३
स्थगन प्रस्ताव के बारे में . . .	२६४३
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना .	२६४४
दिल्ली में मकानों के गिरने से कथित मृत्यु	२६४४
सभा पटल पर रखे गये पत्र	२६४४
राज्य सभा से संदेश .	२६४४
विशेषाधिकार	२६४५, ७२–७३
धार्मिक न्यास विधेयक .	२६४५
संयुक्त समिति के प्रतिवेदन उपस्थापित करने का समय बढ़ाया जाना .	२६४५
विधेयक पुरस्थापित—	
१. समाचार पत्र (मूल्य और पृष्ठ) जारी रखना विधेयक	२६४५
२. उद्योग (विकास तथा विनियमन) संशोधन विधेयक . .	२६४६

आय कर विधेयक . . . २६४६--६९

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में

खंड १३ से २९८ और अनुसूची १ से ५

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), १९६१-६२ . . २६६९--७२

बाढ़ की स्थिति के बारे में प्रस्ताव . २६७३--८४

दैनिक संक्षेपिका . . . २६८५--९१

अंक १७--मंगलवार, २९ अगस्त, १९६१/७ भाद्र, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १०१६क, १०१७ से १०२४, १०२६, १०२७, १०२९, १०३१ और १०३५ से १०३७ . . २६९३--२७१४

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १०२५, १०२८, १०३०, १०३२ से १०३४ और १०३८ से १०४४ . . . . २७१४--२१

अतारांकित प्रश्न संख्या २६२४ से २६५० और २६५२ से २७५१ . २७२१--७५

स्थगन प्रस्ताव--

प्रसाद नगर के निवासियों की झोंपड़ियों के गिराने के बारे में नोटिसों का दियाजाना २७७६--७७

सभा पटल पर रखे गये पत्र २७७७

तेल परियोजनाओं के बारे में ई० एन० आई० से बातचीत के बारे में वक्तव्य २७७७--७८

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर पूर्व सूचना के बारे में २७७८

श्री करांजिया की भर्त्सना २७७८--७९

धार्मिक न्यास विधेयक . . . २७७९

संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को उपस्थापित करने का समय बढ़ाया जाना

उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक, १९६१--

पुरःस्थापित . . . २७७९

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), १९६१-६२ . २७८०--९४

पंजाबी सूबे के सम्बन्ध में प्रधान मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य के बारे में चर्चा २७९४--२७२९

दैनिक संक्षेपिका . २८३०--३६

अंक १८--बुधवार, ३० अगस्त, १९६१/८ भाद्र, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १०४५, १०४६, १०४८ से १०५२, १०५५, १०५६, १०६२, १०६३ और १०६८ २८३७--६१

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या १०४७, १०५३, १०५४, १०५७ से १०६०, १०६४ से १०६७ और १०६९ से १०९७ . .	२८६१--७८
अतारांकित प्रश्न संख्या २७५२ से २७६५ और २७६७ से २९११ .	२८७८--२९४१
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--	
मास्टर तारासिंह और योगिराज सूर्य देव की गिरफ्तारी के वारंटों का जारी किया जाना	२९४१-४२
सभा पटल पर रखे गये पत्र . .	२९४२-४३
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--	
अठास्सीवां प्रतिवेदन	२९४३
सदस्य द्वारा त्यागपत्र . . .	२९४३
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), १९६१-६२ .	२९४३--४८
भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक--	
विचार करने का प्रस्ताव .	२९४८--७३
बाढ़ की स्थिति के बारे में प्रस्ताव .	२९७३--९३
दैनिक संक्षेपिका	२९९४--३००३
अंक १९--गुरुवार, ३१ अगस्त, १९६१/९ भाद्र, १८८३ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या १०९८, ११०१, ११०६, ११०८, ११०९, १११२ और १११५ से १११७	३००५--२६
प्रश्नों के लिखित उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या १०९९, ११००, ११०२ से ११०५, ११०७, १११०, १११९, १११३, १११४ और १११८ से ११२७	३०२६--३६
अतारांकित प्रश्न संख्या २९१२ से ३००० और ३००३ से ३००८ .	३०३६--७६
अविश्वास का प्रस्ताव	३०७६--७८
पटल पर रखे गये पत्र . .	३०७८-७९
कुछ अंशों का निकाल दिया जाना	३०७९
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति--	
पच्चीसवां प्रतिवेदन	३०८०
विधेयक पुरस्थापित--	
(१) जमा धन बीमा निगम विधेयक .	३०८०
(२) विनियोग (संख्या ४) विधेयक	३०८०

विषय	पृष्ठ
भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	३०८०—९३
खंड २ से ४ और १	३०९८
पारित करने का प्रस्ताव	३०९८—३१०६
समाचार पत्र (मूल्य और पृष्ठ) जारी रखना विधेयक—	
विचार करने के प्रस्ताव . . .	३०९४—९७
खंड १ और २	३०९७
पारित करने का प्रस्ताव	३०९८
लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक . . .	३१०६–०७
प्रवर समिति द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . .	३१०६–०७
भारत के खेतिहर मजदूरों के बारेमें दूसरी जांच के प्रतिवेदन संबंधी प्रस्ताव	३१०७—१९
मदुरै में बस और रेलगाड़ी की टक्कर के बारे में आधे घंटे की चर्चा	३११९—२२
दैनिक संक्षेपिका	३१२३—२९
अंक २०—शुक्रवार, १ सितम्बर, १९६१/१० भाद्र, १८८३ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ११२८ से ११३०, ११३४ से ११३८, ११४१ से ११४४, ११४६, ११४८, ११४७	३१३१—५४
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ११३१ से ११३३, ११३९, ११४०, ११४५ और ११४९ से ११५७	३१५४—६०
अतारांकित प्रश्न संख्या ३००९ से ३१३४, ३१३६ से ३१४४ और ३१४६ से ३१४९	३१६०—३२१७
सदस्य द्वारा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण	३२१७
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
आसाम से कुछ मुसलमानों का कथित निकाला जाना . .	३२१७
सभा पटल पर रखे गये पत्र	३२१८
सभा का कार्य	३२१९–२०
गन्ना उपकर (वैधकरण) विधेयक—पुरस्थापित . . .	३२२०
विनियोग (संख्या ४) विधेयक, १९६१—पारित . . .	३२२१
लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक—	
प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव .	३२२१—३४
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
अठ्ठासीवा प्रतिवेदन	३२३४

विषय	पृष्ठ
सरकारी नौकरी (निवास की आवश्यकता) संशोधन विधेयक (धारा ५ का संशोधन)--(श्री ले० अचौ० सिंह का)--पुरःस्थापित	३२३४
खाद्यान्नों का मूल्य निर्धारण विधेयक (श्री झूलन सिंह का)--वापस लिया गया--	
विचार करने का प्रस्ताव	३२३४--३९
संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद २२६ का संशोधन) (श्री नरसिंहन् का)-- परिचालित करने का प्रस्ताव	३२३९--४१
धार्मिक पूजा स्थानों का प्रत्यावर्तन विधेयक (श्री प्रकाशवीर शास्त्री का)-- विचार करने का प्रस्ताव . .	३२४१--६२
दैनिक संक्षेपिका	३२६३--७०

नोट : मौखिक उत्तर वाले प्रश्न मे किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था ।

GMGIPND--LS III--1210 (Ai) LS--10-10-61--125.

लोक-सभा

गुरुवार, २४ अगस्त, १९६१
२ भाद्र, १८८३ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ढिलवां के रेलवे डिपो में अग्निकांड

+

*८९४. श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री चुनी लाल :
श्री त० ब० विट्ठल राव :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री सुबोध हंसद :
श्री नेक राम नेगी
श्री स० चं० सामन्त :
श्री वारियर :
श्री कोडियान :

क्या रेलवे मंत्री २५ अप्रैल, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १७२३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जालन्धर के समीप ढिलवां में लकड़ी के डिपो में जो आग लगी थी उसके कारणों की जांच का कार्य क्या पूरा हो गया है;

(ख) जांच समिति ने अपने प्रतिवेदन में किन्हें दोषी ठहराया है; और

(ग) इस अग्निकांड से कुल मिला कर कितनी हानि सरकार को हुई ?

1185 (Ai) L.S.D.—1.

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी हां ।

(ख) जांच समिति को आशंका है कि रेलवे सम्पत्ति को नुक्सान पहुंचाने के लिए तथा रेलवे निर्माण कार्य की प्रगति में बाधा पहुंचाने के लिए किसी शरारती ने आग लगा दी थी । आग, जो १६-२५ बजे शुरू हुई, सब से पहले १७-०५ बजे देखी गयी । उस समय तक वह ७०० वर्ग फुट क्षेत्र में फैल चुकी थी और इतनी देर हो चुकी थी कि उसे बुझाया नहीं जा सकता था । जिस चौकीदार के क्षेत्र में आग लगी थी वह उस क्षेत्र से अनुपस्थित था जिसका परिणाम यह हुआ कि आग का पता तुरन्त नहीं लगा और वह बुझायी न जा सकी । जांच समिति ने उसे अपने कर्त्तव्य की गंभीर उपेक्षा का दोषी ठहराया है ।

(ग) इस आग में करीब कुल १३७ लाख रुपये का नुकसान हुआ ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या मैं जान सकता हूं कि ढिलवां के अग्निकांड में जो इतनी भयंकर हानि हुई है, उस के लिये कुछ व्यक्ति-विशेषों अथवा कुछ संगठन-विशेषों को दोषी पाया गया है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : अनुपस्थित चौकीदार को छोड़ कर और किसी व्यक्ति को नहीं । जो व्यक्ति इसके लिये जिम्मेदार था उसे हम नहीं पकड़ पाये और इसलिये कोई व्यक्ति जिम्मेदार नहीं ठराया गया ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या जांच समिति की रिपोर्ट सभा पटल पर रखी गयी थी जैसा कि माननीय मंत्री ने वचन दिया था ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : वह २२ तारीख को पटल पर रख दी गई है ।

†**श्री नरसिंहन्** : क्या रेलवे मंत्रालय की सदा यही प्रथा होती है कि जब कुल सम्पत्ति का मूल्य १ करोड़ रुपये से भी अधिक हो तब भी केवल एक ही चौकीदार रखा जाये ।

†**श्री से० वें० रामस्वामी** : जी नहीं । कई व्यक्ति होते हैं और भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अलग अलग पाली में होते हैं ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : इस निष्कर्ष के अलावा कि चौकीदार ने अपना कर्त्तव्य पूरा नहीं किया, यह क्या बात है कि लकड़ी का इतना बड़ा स्टाक जिसमें आग लग सकती है, एक ही जगह रखा गया था ? क्या समिति ने इस लकड़ी के रखे जाने के बाबत कोई सिफारिशें की हैं ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : समिति ने कई सिफारिशें की हैं । उनमें से कुछ हमने मंजूर कर ली हैं । कुछ कारणों से हमने कुछ सिफारिशें मंजूर नहीं की हैं । हमने उनको स्थगित कर दिया है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या यह सच है कि यह आग उस समय लगी जब कि स्टाक की जांच हुई थी और गोदाम में भारी कमी पायी गयी थी ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : जी नहीं । स्टाक की जांच ठीक एक महिने पहिले हुई थी । दो स्लीपर ज्यादा पाये गये थे । उसका कारण यह था कि कमी किसी और जगह थी ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या यह सच है कि जिस यार्ड में लकड़ी रखी हुई थी उसका बीमा नहीं कराया गया था ? यदि हां, तो १३७ लाख रुपयें के नुकसान की भरपाई किस प्रकार करने का सरकार का विचार है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** रेलवे सम्पत्ति इतनी अधिक होती है कि हम उसका बीमा नहीं कराते ।

†**श्री गोरे :** क्या रेलवे साधारणतया इस बात की सावधानी बरतती है कि इतनी मूल्यवान लकड़ी एक विशिष्ट प्रकार से रखी जाये ? अथवा इस लकड़ी के स्टाक में आग लगने और समिति द्वारा सिफारिशें किये जाने के बाद ही वह यह सावधानी बरतेगी ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** इस बारे में कई निदेश हैं कि वह किस प्रकार रखी जाये । इस मामले में यह हुआ कि आग लग जाने और तेजी से उसके फैल जाने के करीब ३० मिनट बाद उसका पता लगा । यदि उसका पता कुछ और जल्दी लग जाता, तो शायद आग बुझाने के साधनों से हम उसे बुझा देते ।

†**डा० म० श्री० अणे :** यह बात कैसे मालूम हुई कि ३० मिनट बाद आग का पता लगा ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** क्योंकि किसी ने धूआं देखा और शोर मचाया । तब उन्होंने दमकल को बुला भेजा ।

†**श्री गोरे :** जब सरकार को यह मालूम नहीं कि आग कब शुरू हुई तो यह किस तरह कहा जा सकता है कि ३० मिनट बाद आग का पता लगा ?

†**अध्यक्ष महोदय :** वह कोई घास या रुई नहीं है, वह लकड़ी है । अपने घरों में भी जब हम लकड़ी में दियासलाई लगाते हैं, तो आग पकड़ने में कुछ समय लगता है । यहां एकाएक एक करोड़ रुपये की लकड़ी जल गयी और आधे घंटे में उसका पता लगा । यह बड़ी अजीब बात है ।

†**श्री सें० वें० रामस्वामी:** एक साथ छै या सात जगह आग लगी थी ।

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या किसी ने आग लगा दी थी ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** यही निर्णय है कि वह किसी शरारती ने किया था ।

†**श्री नरसिंहन्** : क्या सभी भिन्न भिन्न स्थानों पर ठीक आधे घंटे पहले आग शुरू हुई थी या अलग अलग समय पर शुरू हुई थी ?

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या रिपोर्ट सभा पटल पर रख दी गयी है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** जी हां, वह २२ तारीख को रख दी गयी है ।

†**श्री त्यागी** : मैं यह जानना चाहता हूं कि यह किस तरह कहा गया कि आग लगने के आधे घंटे बाद उसका पता लगा ।

†**अध्यक्ष महोदय :** यह बात मंत्रियों से पूछने से कोई लाभ नहीं । उन्होंने समिति नियुक्त की और उसकी रिपोर्ट पटल पर रखी गयी है । माननीय सदस्य सरकार को यह सलाह दे सकते हैं कि आगे और क्या किया जाये । माननीय मंत्रियों से इस बारे में बहस करने का क्या मतलब है ?

†**श्री त्यागी :** सरकार यह पता लगाने में असफल हुई है कि किसने यह दांडिक कार्य किया । इसलिये यह स्वाभाविक ही है कि सभा यह जानने के लिए उत्सुक है कि इस बात के लिए सरकार के पास क्या प्रमाण है कि आग लगने के ठीक आध घंटे बाद उसका पता लगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय :** रिपोर्ट सभा पटल पर रखी जा चुकी है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए मैं इस पर चर्चा के लिए अनुमति देने के लिये तैयार हूं।

†**रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम) :** पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। अभी तक वह किसी व्यक्ति को नहीं पकड़ पायी है। लेकिन कोशिश जारी है।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं इस रिपोर्ट पर चर्चा के लिए अनुमति दूंगा। माननीय मंत्री भी सभा की राय जान लें। यदि सभा कोई पता या निदेश दे सकती है तो वे अवश्य स्वीकार करेंगे।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** मैं कुछ और जानकारी चाहता हूं ताकि चर्चा में उसका उपयोग किया जा सके। क्या रेलवे में और कोई डीपो हैं जहां इतनी अधिक मात्रा में लकड़ी रखी जाती है।

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** चार डीपो हैं। प्रत्येक का आकार अलग अलग होता है।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** क्या उस खास डीपो में जहां वह लकड़ी रखी गई थी, आग बुझाने का कोई सामान था ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** जी हां।

†**श्री यादव नारायण जाधव :** क्या संरक्षण के लिये चौकीदार के अलावा वहां कोई पुलिस भी रखी गई थी ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** वहां कोई पुलिस नहीं थी।

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या उन का आशय नियमित सुरक्षिगण से है ?

†**श्री जगजीवन राम :** एक क्षेत्र में एक चौकीदार होता है। एक क्षेत्र में कई वर्गमील का एक बड़ा इलाका होता है। वहां लकड़ी इस तरह रखने की प्रथा है कि बीच में तीन फुट का अन्तर होता है, और बालू की बोरियां, पानी की बालटियां, नल और हौज पाइप रखे जाते हैं। यह सब सावधानी बरती जाती है। यह बात नहीं कि वहां एक ही चौकीदार था, एक चौकीदार एक क्षेत्र के लिये होता है।

†**श्री त्यागी :** दूसरे पड़ोसी चौकीदारों ने क्या किया ? एक मील की दूरी से भी आग का पता लग सकता है।

†**श्री जगजीवन राम :** यही बताया गया है कि आग का पता उस समय लगा जब आग की लपटें और काफी अधिक धुआं देखा गया। यदि उस क्षेत्र का चौकीदार वहां होता तो शायद प्रारंभिक दशा में ही उस का पता लग जाता।

†**अध्यक्ष महोदय :** मेरे सुझाव के बावजूद प्रश्न पूछे जा रहे हैं। मुझे जो कुछ कहना था, कई बार कह चुका हूं। वास्तव में यह मंत्रियों के जिरह की जगह हो गई है, न कि रचनात्मक सुझावों के लिये। मंत्री या उस के विभाग पर यह आरोप लगाया जा सकता है कि वह लापरवाह रहे लेकिन माननीय सदस्य रिपोर्ट के ब्यौरे के बारे में जिरह कर रहे हैं कि एक ही चौकीदार क्यों रहा और ज्यादा क्यों नहीं रहे। मैं ने कहा है कि आप रिपोर्ट पढ़ें और यदि आप समझते हैं कि उस में चर्चा के योग्य कोई बातें हों, तो चर्चा की मांग करें। लेकिन इस के बजाय वे मंत्री से जिरह कर रहे हैं। इस में मंत्री क्या कर सकता है . . . . .

†**श्री त्यागी :** यह एक करोड़ रुपये का नुकसान है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय :** मुझे इस पर ताज्जुब है । सचाई यह है कि कोई माननीय सदस्य रिपोर्ट पढ़ना नहीं चाहते ; और बिना पढ़े उस पर चर्चा नहीं की जा सकती । इसलिये हम यह धारणा न उत्पन्न करें कि बिना अध्ययन किये ही संसदीय प्रश्न पूछे जाते हैं ।

†**श्री त० ब० विट्ठलराव** : उत्तरों का चर्चा में उपयोग किया जायेगा ।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैंने इन माननीय सदस्य को कुछ छूट दी है । आप यह नहीं कह सकते कि उन्होंने जो कुछ पूछा वह चर्चा में नहीं उठाया जा सकता था । ऐसा मालूम होता था कि वह चर्चा के लिये आवश्यक बात थी जिसके बगैर आप चर्चा शुरू ही नहीं कर सकते । मैं इस बात को यहीं छोड़ देता हूं । अगर माननीय सदस्य कहें तो मैं इस बारे में चर्चा के लिये अनुमति दूंगा । १ करोड़ रुपया मामूली बात नहीं है । आगे कल फिर उसी जगह लकड़ी रखनी होगी ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** जितनी रिपोर्टों पर चर्चा के लिये नोटिस दिये गये हैं क्या उन के दसवें हिस्से को भी ले सकेंगे? सदस्यों ने वह रिपोर्टें पढ़ी हैं और कई अनियत दिन वाले प्रस्ताव हैं । हम उन की चौथाई पर भी चर्चा न कर सकेंगे । आपने सदस्यों पर यह आरोप लगाया है कि वे रिपोर्टें नहीं पढ़ते । उन्होंने कई रिपोर्टें पढ़ी हैं और नोटिस दिये हैं । लेकिन उस के दसवें हिस्से पर भी चर्चा नहीं हो सकती ।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं प्राथमिकता दूंगा । यह बात नहीं है कि सभा पटल पर रिपोर्ट रखे जाने के बाद तुरन्त उस पर चर्चा होती है । मैं जानता हूं कि माननीय सदस्यों ने प्रस्ताव रखे हैं । चूंकि वह अब तक नहीं लिये गये हैं, उस का यह मतलब नहीं कि मैं इस के लिये प्राथमिकता नहीं दे रहा हूं

†**श्री त० ब० विट्ठलराव :** कुरासिया कोयला खानों में इसी प्रकार की दुर्घटना हुई थी जिस में ३० लाख रुपये का नुकसान हुआ था । हम उस पर चर्चा करना चाहते थे लेकिन वह न हो सकी ।

†**अध्यक्ष महोदय :** यदि हमारे पास समय न हो तो मैं प्रश्नकाल को चर्चा के समय में परिवर्तित नहीं कर सकता । मैं और कुछ घंटे बैठने के लिये तैयार हूं । उसी तरह माननीय उपाध्यक्ष या तालिका के सदस्य भी तैयार हैं । लेकिन ५ बजते ही सदन खाली हो जाता है । जिस तरह से बातें कही जाती हैं मुझे उस पर ताज्जुब होता है ।

†**श्री रंगा :** यह अच्छा होता कि अपने दोषों का इस प्रकार यहां उल्लेख करने के बजाय हम इन सब बातों की चर्चा के लिये गुप्त अधिवेशन करें ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य ने इस ओर के दोष बताने में कमी नहीं की है । उन्होंने सरकार पर आक्रमण किया है । मैंने अगले सप्ताह के लिये दो प्रस्तावों की अनुमति दी है आज भी एक प्रस्ताव है । इस के बाद प्रत्येक सप्ताह में दो प्रस्ताव होंगे जब तक वे समाप्त न हो जायें । यदि माननीय सदस्य एक दिन और बैठने के लिये तैयार हों तो मैं चाहे जितने प्रस्तावों के लिये अनुमति दूंगा । मुझे कोई आपत्ति नहीं है । अगला प्रश्न ।

कलकत्ता बन्दरगाह

†***८९७. श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता बन्दरगाह में कोल-बर्थ से काफी मात्रा में कोयला गोदियों में गिर जाता है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या इस कोयले की बरबादी रोकने की कोई योजना है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)**: (क) कोल-बर्थ में जहां ढुलाई हाथ से होती है, मजदूर टोकरियों में कोयला भर कर अपने सिर पर रख कर ले जाते हैं । ऐसा करते समय कोयले के ढेले पानी में गिर जाते हैं । जो मात्रा इस प्रकार गिरती है वह बिलकुल नगण्य होती है ।

(ख) जी नहीं ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : जब से ये कोल-बर्थ चालू हैं तब से भीतरी गोदियों में इन टोकरियों से कोयले के ढेले गिरते रहे हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या भीतरी गोदियों से मिट्टी निकालते समय कीचड़ के साथ कोयले के ये ढेले ऊपर आ जाते हैं ? यदि उन का परिमाण बहुत अधिक है तो उन्हें क्यों नहीं निकाला जा सकता ?

†**डा० प० सुब्बरायन** : जैसाकि माननीय सदस्य ने स्वयं उल्लेख किया, कीचड़ करीब करीब तुरन्त ही निकाला जाता है क्योंकि हमें कलकत्ता बन्दरगाह को किसी हद तक सूखा रखना पड़ता है । इस सफाई से जो कोयला निकलता है वह बहुत ही थोड़ा होता है और इसीलिये मैंने बताया कि हानि नगण्य है ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या भीतरी गोदियों में पनडुब्बों की मदद से उसे निकालने की कोई कोशिश की जा रही है ? गोदियों के तल में वास्तव में कितना कोयला पड़ा है ?

†**डा० प० सुब्बरायन** : वह नहीं किया गया है । वह कार्यवाही के लिये सुझाव है ।

संबलपुर – टिटलागढ़ लाइन

†*८९८. **श्री प्र० गं० देव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण पूर्व रेलवे में सम्बलपुर और टिटलागढ़ के बीच एक नई रेलवे लाइन बनाने के विषय में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) वर्ष १९६१-६२ के लिये कितनी रकम मंजूर की गई है ; और

(ग) इस लाइन पर कितने स्टेशन खोले जाने वाले हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जून, १९६१ तक काम की मुख्य मदों में प्रगति इस प्रकार है :--

मिट्टी का काम--५० प्रतिशत
पुल का काम--३० प्रतिशत और
मेन लाइन लिंकिंग--२ प्रतिशत ।

(ख) ९.३१ करोड़ रुपया ।

(ग) १२ ।

†**श्री प्र० गं० देव** : क्या सरकार को मालूम है कि इस निर्माण कार्य के छोटे बड़े ठेकेदारों को समय पर अपना उचित भुगतान नहीं मिल रहा है ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री शाहनवाज खां :** वास्तव में बहुत कड़ी हिदायत दी गई है कि काम हो जाने के बाद तुरन्त अदायगी की जाये ।

†**श्री प्र० गं० देव :** प्रत्याशित लक्ष्य तिथि क्या है जबकि गाड़ियां चलने लगेगी ?

†**श्री शाहनवाज खां :** आशा है कि दिसम्बर, १९६२ तक यह लाइन पूरी हो जायेगी बशर्तेकि सभी सामान मिलता रहे ।

†**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :** इस संपूर्ण योजना का अनुमानित खर्च कितना है ?

†**श्री शाहनवाज खां :** १४.५९ करोड़ रुपये की रकम मंजूर की गई है ।

†**श्री त० ब० विट्ठलराव :** इस लाइन में महानदी पर एक बहुत बड़ा पुल बनाना होगा । यह पुल बनाने का काम कब शुरू किया जायेगा या शुरू किया जा चुका है ?

†**श्री शाहनवाज खां :** इस लाइन पर ७ महत्वपूर्ण, २४ बड़े बड़े और ३८८ छोटे पुल हैं और प्रायः सभी पुलों पर काम जारी है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** अपने पहले के सुझाव के बारे में, मैं रिपोर्ट की चर्चा के संबंध में यह कहता हूं । माननीय मंत्रियों से मेरी प्रार्थना है कि वे सभी बड़ी और महत्वपूर्ण रिपोर्टों पर विचार करने के लिये सभा से कहें । ये रिपोर्टें सभा की राय मालूम करने के लिये ही भेजी जाती हैं । मैं यह उन्हीं पर छोड़ देता हूं कि वे इस बात का निर्णय करें कि वे कौन सी रिपोर्टें पेश कर सकते हैं । यदि दूसरी रिपोर्टों के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों का यह विचार हो कि उन पर भी विचार किया जाये, तो मैं समय दूंगा । इस तरह यदि सरकारी और गैर-सरकारी काम के लिये समय बांट दिया जाये तो मैं समझता हूं कि कई रिपोर्टें हम निबटा सकते हैं । जहां तक इस रिपोर्ट का संबंध है, मैं माननीय मंत्री महोदय पर छोड़ देता हूं कि वह प्रस्ताव रखें कि इस रिपोर्ट पर विचार किया जाये और भविष्य के लिये सभा की राय मालूम की जाय ।

†**श्री जगजीवन राम :** इस में कोई छिपाने की बात नहीं है । रिपोर्ट सभा पटल पर रखी जा चुकी है । यदि सभा उस पर चर्चा करना चाहती है तो हमें देखना होगा कि क्या प्रक्रिया है ।

प्रिन्टोग्राम तार सेवा

†*८९९. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
श्री प्र० गं० देव :
डा० राम सुभग सिंह ।
महाराजकुमार विजय आनन्द :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन किन डाक तथा तार सर्किलों में प्रिन्टोग्राम तार सेवा चालू की गई है ; और

(ख) इस सेवा के कारण कितने सन्देशवाहक कम हो जायेंगे और तार पहुंचाने में विलम्ब कितना कम हो जायेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : (क) बम्बई और पश्चिम बंगाल सर्किलों में और दिल्ली टेलीफोन डिस्ट्रिक्ट में ।

(ख) हर २० तार के लिए एक सन्देशवाहक की दर से सन्देशवाहक सेवा कम हो जायेगी और हाथ से तार पहुंचाने का समय बच जायगा ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : इस साल की रिपोर्ट से यह पता चलता है कि बंबई में यह सेवा १९५६ में चालू की गयी थी और औसतन यातायात ८०० से ९०० प्रतिदिन था । क्या मैं जान सकता हूं कि इतने सालों के बाद भी भारत के मुख्य मुख्य शहर क्यों छोड़ दिये गये हैं और वहां यह व्यवस्था क्यों नहीं लागू की गयी है ?

†**डा० प० सुब्बरायन** : हम अभी भी यह देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल और बम्बई सर्किलों में इस प्रयोग का क्या परिणाम रहा । हम अब मद्रास में इसे चालू करना चाहते हैं । लेकिन बात यह है कि न तो हमारे तार घर, क्योंकि उनके पास पर्याप्त संख्या में टेलीप्रिंटर नहीं हैं, और न लोग ही, जो टेलीप्रिन्टरों के जरिये तार भेजना चाहत हैं, वैसा कर पाते हैं क्योंकि हमारे पास जितने टेलीप्रिन्टर हैं वे अखबारों के पास और दूसरे महत्वपूर्ण कार्य के लिए भेज दिये जाते हैं ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या निकट भविष्य में दिल्ली में यह सेवा चालू करने की कोई योजना है ?

†**डा० प० सुब्बरायन** : जहां तक मुझे मालूम है, अभी नहीं ।

स्वामी दयानन्द सरस्वती के डाक टिकट

†*९०१. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ संसद-सदस्यों ने स्वामी दयानन्द सरस्वती की स्मृति में उनके चित्र वाले डाक टिकट जारी करने के लिए प्रार्थना की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** (क) जी हां ।

(ख) समाज सुधारकों के जो विशेष टिकट निकाले जान वाले हैं, उसमें स्वामी दयानन्द का चित्र निकालने का विचार है ।

†**श्री विभूति मिश्र** : इनके चित्र वाल टिकट कब तक जारी हो जायेंगे ?

†**डा० प० सुब्बरायन** : हम इस बात की छानबीन कर रहे हैं कि इस मामले में हम समाज सुधारकों में किस किस को शामिल करें और इस संबंध में शीघ्र ही निश्चय किया जायेगा । मैंने श्री प्रकाशवीर शास्त्री को जो कल मुझसे मिले थे, बता दिया है कि वह मार्च में होगा ।

†**श्री विभूति मिश्र** : क्या चित्र वाले ऐसे डाक टिकट छापते रहने के लिए सरकार ने कोई निश्चित अवधि निर्धारित की है ?

†**डा० प० सुब्बरायन** : जब जब आवश्यक होगा वे निकलते रहेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री अजित सिंह सरहदी : इस संबंध में जिन नामों पर विचार किया जा रहा है, वे कौन कौन से हैं और क्या उनकी सूची हमें मिल सकती है ?

†डा० प० सुब्बरायन : कुछ नामों पर विचार किया जा रहा है लेकिन मैं अभी नाम नहीं बता सकता ।

†श्री स० मो० बनर्जी : क्या कई संगठनों से, जिनमें कानपुर की कांग्रेस समिति शामिल है, इसी तरह की कोई प्रार्थना प्राप्त हुई है कि स्वर्गीय गणेश शंकर विद्यार्थी के चित्र वाले टिकट छापे जायें और क्या उस पर भी विचार हो रहा है ?

†डा० प० सुब्बरायन : मुझे भी मालूम है जैसा कि माननीय सदस्य को । उस पर भी विचार हो रहा है ।

कुछ माननीय सदस्य उठे ——

†अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य जिन नामों का उल्लेख करना चाहें क्या उनके बारे में भी मैं और प्रश्नों के लिए अनुमति दूं ? यह प्रश्न केवल दयानन्द सरस्वती के बारे में है । अगला प्रश्न ।

इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन द्वारा विमान चालकों की भरती

+

†*६०४ { **श्री बहादुर सिंह :**
श्री नक राम नेगी : }

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन ने मई और जून, १९६१ के महीनोंमें विमान चालकों की कोई भर्ती की थी ;

(ख) कितने विमान चालक चुने गये; और

(ग) उम्मीदवारों से कुल कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे ?

†असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन): (क) जी हां ।

(ख) १० ।

(ग) ८३ ।

†श्री बहादुर सिंह : क्या मई-जून में किया गया यह चुनाव काफी है या कुछ और विमान चालक बहुत शीघ्र भर्ती किये जा रहे हैं ?

†श्री मुहीउद्दीन : जब कभी और विमान चालकों की जरूरत पड़ेगी चुनाव किया जायगा ।

†श्री ब्रजराज सिंह : असैनिक उड्डयन प्रशिक्षण केन्द्र इलाहाबाद में प्रशिक्षित बेरोजगार चालकों के संबंध में हाल की स्थिति क्या है ?

†श्री मुहीउद्दीन : अभी हाल की स्थिति यह मालूम होती है कि ४४ विमान-चालकों में से जिन्होंने अपने लाइसेंस नये कराये हैं, करीब १२ से १४ विमान चालकों को अब रोजगार मिलने की संभावना है । आशा है कि उड्डयन क्लबों और गैर-सरकारी कम्पनियों के पास खाली

---

†मूल अंग्रेजी में

पडे हुए कुछ पदों के लिए विज्ञापन दिया जायेगा । मुझे आशा है कि बेरोजगार विमान चालकों को वहां रोजगार मिल जायगा ।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : क्य इन विमान चालकों को कुछ अफ्रीकी देशों जैसे विदेशों में जहां उनकी जरूरत हो, भेजने की कोई संभावना है, क्या भारत सरकार ने इस सवाल की छानबीन की है और क्या सरकार ने लाइसेंस नये कराने के संबंध में इन विमान चालकों की कठिनाई पर विचार किया है ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : जहां तक लाइसेंस नया करने की बात है, हमने आदेश जारी किये हैं कि उसके लिए आवश्यक न्यूनतम घंटों की अनुमति बिना किसी शुल्क के उन्हें दी जाये । विदेशों में रोजगार के संबंध में, जहां कहीं आवश्यकता होती है, वे खुद ही आवेदन करते हैं । अफ्रीकी देशों के बारे में, मेरे पास कोई जानकारी नहीं है कि कोई अर्जी वहां भेजी गयी थी या नहीं या वहां कोई जरूरत है या नहीं ।

†**श्री अमजद अली** : क्या यह सच है कि काफी विमान चालक इस कारण बेरोजगार हैं कि उनकी योग्यता कुछ विमानों के अनुरूप नहीं है ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : जी नहीं । यह ठीक नहीं है ।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड** : क्या विमान चालकों की भर्ती के मामले में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों और दूसरे पिछड़े वर्गों के लिए कोई आरक्षण है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ? क्या सरकार ने इस ओर भी ध्यान दिया है कि यदि कोई आरक्षण न हों तो इन वर्गों से उम्मीदवार चुने जायें ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : सरकार ने उड्डयन क्लबों में छात्रवृत्तियां दी हैं । हम इस ओर विशेष ध्यान देते हैं कि जिन योग्य और समर्थ लड़कों में उड्डयन की रुचि होती है उन्हें उड्डयन क्लबों में मौका मिले । जहां तक इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन द्वारा विमान चालकों के चुनाव का संबंध है, कोई आरंक्षण नहीं है ।

†**श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या भर्ती इन्हीं लोगों तक सीमित है या उन उम्मीदवारों पर भी विचार किया जायेगा जिन्होंने उड्डयन क्लबों तथा अन्य संस्थाओं में प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद विभिन्न प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षण प्राप्त किया है और जिनके पास बराबर की योजना है ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : विमान चालकों का चुनाव उन विमान चालकों में से होता है जिनके पास विमान चालक के 'बी' लाइसेंस होते हैं । उड्डयन क्लब विमान चालकों को 'बी' लाइसेन्स नहीं देते ।

†**श्री यादव नारायण जाधव** : राष्ट्रीय विपत्ति के लिए जिस समय हमें ऐसे प्रशिक्षित विमान चालकों की आवश्यकता पड़ सकती है, उनका एक दल बनाने के लिए क्या प्रयत्न किये गये हैं ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : वे उपलब्ध हो जाते हैं और हम उन्हें मौका देने की कोशिश कर रहे हैं कि वे अपने लाइसेंस बिना किसी फीस के नया करवा सकें । आशा है कि वह लाभदायक होगा ।

कुछ माननीय सदस्य उठे ——

†**अध्यक्ष महोदय** : मैंने प्रत्यक प्रश्न पर बहुत से अनुपुरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)**: मेरे साथी ने श्री भा० कृ० गायकवाड़ के प्रश्न के उत्तर में जो कुछ बताया है, मैं उसका और स्पष्टीकरण करता हूं । मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य जानते हैं कि यह विशेषज्ञ सेवा है । हमें विमान चालकों का चुनाव करने में बड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है । हम देश की जनता के प्राणों से खिलावाड़ नहीं कर सकते हैं । इसलिए उनकी भर्ती करने में हमें बड़ा सावधान रहना पड़ता है । यह विशषज्ञ सेवा है । इसलिए किसी भी वर्ग के लिए रिजवेशन नहीं हो सकता है ।

†**श्री भा० कृ० गयाकवाड़** : माननीय मंत्री ने अपने स्पष्टीकरण में बताया कि यदि इन वर्गों में से विमान चालक नियुक्त किए जायेंगे तो जनता का जीवन खतरे में पड़ जायगा । क्या इससे उनका यह तात्पर्य था कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित आदिम जाति, तथा अन्य पिछड़ वर्गों में से विमान चालक नियुक्त किए जायेंग तो वह सेवा तथा समाज को नुवसान पहुंचायेंगे ? कृपया इसको स्पष्ट करें ।

†**डा० प० सुब्बरायन** : मेरा यह तात्पर्य नहीं था ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य प्रशिक्षण के लिए कुछ युवकों को भजने का प्रयत्न करें । इन वर्गों के व्यक्तियों ने दक्षता से काम करके दिखाया है । उदाहरण के लिए, माननीय रेलवे मंत्री को ही ले लीजिये । कोई किसी पर आरोप नहीं लगा सकता है । इस वर्ग का भारत में एक मुख्य मंत्री भी है । इस समुदाय के सदस्य प्रगति कर रहे हैं तथा अन्य उच्च वर्ग अधोगति को जा रहे हैं । कोई कठिनाई नहीं है ।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड** : अभी नहीं, श्रीमान् ।

†**अध्यक्ष महोदय** : हम चाहेंगे कि एसा दिन आये ।

श्री के० रामाराव की मृत्यु के बारे में जांच

\+

*९०५ **श्री बाजपेयी :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री राम गरीब :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उस रेल दुर्घटना के कारणों की जांच समाप्त हो गई है जिसमें श्री के० रामाराव की मृत्यु हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो जांच का क्या निष्कर्ष निकला है ;

(ग) क्या श्री के० रामाराव के परिवार को क्षतिपूर्ति देने के सम्बन्ध में कोई निर्णय किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी हां ।

(ख) रेलवे जांच समिति तथा पुलिस का यही निर्णय है कि श्री रामाराव की मृत्यु दुर्घटना मात्र थी । इन रिपोर्टों में रेलवे की कोई गलती नहीं बताई गई है ।

(ग) जी नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री बाजपेयी :** क्या यह सच नहीं है कि यह जांच रेलवे कर्मचारियों की विभागीय जांच थी और दूसने प्रस्तुत सभी गवाही पर ध्यान नहीं दिया था ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** यह जांच रेलवे कर्मचारियों द्वारा अवश्य की गयी थी परन्तु इसने सभी प्रकार की गवाही पर विचार किया था और पुलिस ने भी एक जांच की थी ।

†**श्री बाजपेयी :** क्या यह सच है कि गाड़ी में स्वर्गीय श्री के० रामाराव के साथ यात्रा करने वाली उनकी पुत्री के वक्तव्य पर जांच समिति ने विचार नहीं किया था और उसको जांच समिति के प्रतिवेदन में भी नहीं रखा गया है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** मैं विशिष्ट गवाही के बारे में नहीं जानता हूं, परन्तु मेरी जानकारी के अनुसार सभी प्रकार की गवाही रिकार्ड में रखी गई थी ।

†**श्री बाजपेयी :** क्या जांच समिति की रिपोर्ट की प्रति सभा पटल पर रख दी जायेगी ?

†**रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम) :** उनकी पुत्री की गवाही भी उसमें है और उस पर भी विचार किया गया है ।

†**श्री बाजपेयी :** क्या जांच समिति के प्रतिवेदन की प्रति सभा पटल पर रख दी जायेगी ?

†**श्री जगजीवन राम :** हम इस पर विचार करेंगे परन्तु इन बातों का मतलब क्या है ?

†**श्री बाजपेयी :** क्योंकि जनता यह समझती है कि जांच समिति ने ठीक प्रकार से जांच नहीं की है । ईमानदारी से नहीं की गई है और इसके तथ्यों को दबाने का प्रयत्न किया गया है ।

†**श्री जगजीवन राम :** मैं नहीं जानता कि किन तथ्यों को दबाया जा रहा है । तथ्य दबाये जाने की कोई संभावना नहीं है । मैंने सभी तथ्य बता दिये हैं । उनको दबाने का उदेश्य क्या है ?

†**श्री रंगा :** उद्देश्य यह है कि वह हमारे देश के एक प्रसिद्ध नेता थे । वह राज्य-सभा के सदस्य थे । वह कई दैनिक समाचार पत्रों के सम्पादक थे । उनकी मृत्यु सरकार के अनुसार दुर्घटना के कारण हुई परन्तु हम कई सदस्य यह समझते हैं कि उनकी मृत्यु रेलवे द्वारा खतरे की जंजीर को ठीक न रखने के कारण हुई है । उनकी पुत्री का कहना है कि जब वह मिले थे तब उनमें प्राण थे । परन्तु सरकार का कहना है कि उनकी मत्यु हो चुकी थी । बाद में सरकार ने कोई मुआवजा देने से भी इन्कार कर दिया ।

†**श्री जगजीवन राम :** मैं अन्तिम बात का उत्तर देता हूं ।

†**श्री रंगा :** वही तो सब से महत्वपूर्ण बात है । वह हमारे साथी थे ।

†**श्री जगजीवनराम :** मैं इस घटना के महत्व को कम करना नहीं चाहता । वह हमारे साथी ही नहीं, अपितु हमारे देश के महत्वपूर्ण नागरिक थे । इस दुर्घटना का सभी को खेद है । श्री रंगा द्वारा बताई गई सभी बातें मानी जा ती हैं जैसे खतरे की जंजीर ने काम नहीं दिया, वह गिर पड़े थे तथा तुरन्त ही उनका उपचार नहीं किया जा सका । सरकार ने सभी बातों को स्वीकार कर लिया है । किसी भी तथ्य को दबाने का प्रयत्न नहीं किया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रतिकार के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि रेलवे अधिनियम के अनुसार ऐसे मामलों में मुआवज़ा नहीं दिया जाता है। दावा सामान्य विधि के अधीन नहीं किया गया। मैं सभा में तथ्य बताना चाहता हूं। कुछ समय पहले मैंने रेलवे बोर्ड से कहा था कि श्रीमती रामाराव से मिलने के लिये तथा मामले के बारे में बातचीत करने के लिये किसी अधिकारी को भेजा जाये। मैं सोच रहा था कि उनके बच्चों की किसी प्रकार कोई सहायता की जा सकती है यदि श्री रामाराव के कुछ बच्चे आर्दता प्राप्त तथा बेकार हैं तो क्या उनकी मदद की जा सकती है। पहले सरकार ने जो रिपोर्ट दी उस से मुझको संतोष नहीं हुआ। मैंने रेलवे बोर्ड के अतिरिक्त सदस्य को श्रीमती रामाराव से मिलने के लिये भेजा। वह आज ही लौट कर आय हैं। आकर वह मुझ से मिले और मैंने उनसे कहा है कि जो कुछ करना संभव हो उसकी जांच करें।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** क्या रेलवे मंत्रालय का विचार मुआवजे के मामले में रेलवे अधिनियम में संशोधन करने का है क्योंकि जब यात्री गाड़ी पर सवार होता है तो वह यही समझता है कि खतर की जंजीर ठीक होगी। परन्तु उनको बाद में मालूम होता है कि जंजीर इस लिये नहीं खींची जा सकी कि रेलवे ने उसे "ब्लैक आफ" कर दिया था और यात्रियों को इसकी कोई सूचना नहीं दी गई थी।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह कानूनी मामला है।

†**श्री जगजीवन राम :** मैं कानून की बात नहीं कर रहा हूं। जैसा कि मैंने बताया कानून के अधीन यदि दावा किया जाता तो वह तो अब भी किया जा सकता है। मैं नहीं जानता कि न्यायालय का क्या रुख रहे। परन्तु दावा नहीं किया गया। मैं उसकी प्रतीक्षा नहीं कर रहा हूं। जैसा मैंने बताया मने स्वयं इस मामले में पहल की और रेलवे बोर्ड के एक अधिकारी श्रीमती रामाराव से मिल भी चुके हैं। मैं जो भी संभव है सभी कुछ करन को तैयार हूं।

†**श्री रंगा :** क्या यह सच है कि खतरे की जंजीर का अनुचित प्रयोग करने के लिये दण्ड है। क्या रेलवे की यह जिम्मेदारी नहीं है कि जब वह खतरे की जंजीर को ठीक नहीं रखते तो उनको मुआवजे का भुगतान करना चाहिये ?

†**अध्यक्ष महोदय :** यह मामला एटोरनी जनरल को सौंपा जाना चाहिये।

†**श्री जगजीवन राम :** मैं मामले को भेजूंगा परन्तु प्रक्रिया यह है कि खतरे की जंजीर को 'ब्लैक आफ' (बन्द) कर दिया जाता है और उसकी सूचना दे दी जाती है।

†**अध्यक्ष महोदय :** हमें उच्चतम कानूनी राय लेनी चाहिये। मैं समझता हूं कि कानूनी मामलों को यहां तय करने के बजाय उन्हें वहां भेजा जाये।

†**श्री जगजीवन राम** : मैं इस प्रश्न के बारे में बताने नहीं जा रहा हूं कि उनको कानूनी तौर पर प्रतिकर मिलना चाहिये अथवा नहीं। क्योंकि यह प्रश्न तब उठता है जब प्रतिकर का दावा किया जाये। अभी ऐसा नहीं किया गया है। यदि प्रतिकर का दावा न्यायालय में किया गया तो उसका निर्णय होगा। परन्तु मैं उसकी प्रतीक्षा नहीं कर रहा हूं।

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या प्रतिकर के सभी मामलों को न्यायालय में ले जाया जाता है।

†**श्री जगजीवन राम** : प्रक्रिया यही है। कानून अथवा रेवने अधिनियम के अधीन सभी दावे सक्षम अधिकारी के सामने किये जाते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री तंगामणि :** प्रतिकर के दावे के अतिरिक्त, जांचसमिति द्वारा खतरे की जंजीर को खराब पाये जाने के आधार पर तथा अन्दर से 'लाक' करने तथा सिटकनी लगाने की व्यवस्था ठीक न पाये जाने के आधार पर क्या सोने के डिब्बों में खतरे की जंजीर ठीक रखी जाया करेगी और अन्दर से 'लाक' करने की व्यवस्था ठीक रखी जाया करेगी ?

†**श्री जगजीवन राम :** यह तो सच है कि खतरे की जंजीर हटा ली गयी थी । परन्तु अन्दर से 'ब्लाक' आदि लगाने की व्यवस्था ठीक थी । इनमें कोई गड़बड़ी नहीं थी ।

†**श्री बाजपेयी :** क्या जांच समिति ने बताया है कि दुर्घटना के ५५ मिनट बाद तक श्री रामाराव जीवित थे अथवा तुरन्त ही मर गये ?

†**श्री जगजीवन राम :** यह बताना कठिन है क्योंकि वहां पर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो यह बता सके कि मृत्यु तुरंत हो गई थी । वह गिर गये और उनको गैंगमैंनों ने मरा हुआ पाया । हम नहीं बता सकते कि मृत्यु तुरंत हुई थी क्यों कि जब वह गिरे उस समय वहां कोई नहीं था ।

खाद्य उत्पादन

†*९०७. { +**श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री पंडित द्वा० ना० तिवारी :
श्री सूपकार : }

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ६ जुलाई, १९६१ को उन्होंने लन्दन में यह वक्तव्य दिया कि आवश्यकता से अधिक खाद्य उत्पादन वांछनीय नहीं है और भारत अनाज निर्यात करने की स्थिति में है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या अनाज के आयात की नीति में कोई परिवर्तन किया जाने वाला है ?

†**खाद्य तथा कृषि उप-मंत्री (श्री अ० म० थामस) :** (क) खाद्य तथा कृषि मंत्री द्वारा लन्दन में कही गयी बात समाचारपत्रों में उपयुक्त प्रसंग के साथ नहीं छापी गयी । भारत लौटने पर मंत्री महोदय ने १२–७–१९६१ को संवाददाता सम्मेलन में स्थिति स्पष्ट की और बताया कि खाद्य उत्पादन अथवा खाद्यान्नों के निर्यात में कमी करने का विचार नहीं है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त :** उप-मंत्री ने बताया कि माननीय मंत्री के रिमार्कों को उपयुक्त प्रसंग के साथ नहीं छापा गया । मैं जानना चाहता हूं कि यह बात किस रिमार्क किस प्रसंग में कही गयी थी ।

†**श्री अ० म० थामस :** यह खाद्य उत्पादन ८०० लाख टन अथवा ८०० लाख टन से भी ज्यादा हुआ है इसीलिए खाद्य उत्पादन के बारे में हुई प्रगति के बारे में उन्होंने संतोष जाहिर किया था । उन्होंने यह भी कहा था कि व्यापारिक फसलों तथा खाद्यान्नों के बीच संतुलन रहना चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या मैं यह समझूं कि श्री पाटिल ने यह कहा था कि खाद्य उत्पादन बढ़ने की हमारी चिन्ता दूर हो गयी थी क्योंकि हमारी आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त है और हम अब निर्यात भी कर सकते हैं ? यह वक्तव्य एक दम निराधार है ।

†**श्री अ० म० थामस :** खाद्य मंत्रालय के प्रस्तावों के अनुसार तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त के तक हमारे उत्पादन लक्ष्य १००० से १०५०लाख टन खाद्यान्नों का उत्पादन करने के हैं इसलिये उत्पादन में ढीला ढाली करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। 'पब्लिक लॉ' ४८० कार्यक्रम के आधीन अमरीका से बड़े पैमाने पर चार वर्षों में लग भग १७० लाख टन खाद्यान्नों का आयात करने का प्रश्न है। हम 'बफर स्टाक' भी बनाना चाहते हैं। इसलिये उत्पादन में ढीला ढाली करने का प्रश्न ही नहीं था ।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड :** विदेशों को खाद्यान्नों का निर्यात करने के अतिरिक्त क्या भारत पांच वर्ष की अवधि में आत्मनिर्भर हो जायेगा ।

†**श्री अ० म० थामस :** हमारा ऐसा ही करने का उद्देश्य है ।

†**श्री प्रभात कार :** माननीय उपमंत्री यह बताने का प्रयत्न कर रहे हैं कि, ऐसा नहीं कहा गया था ।

†**श्री अ० म० थामस** : मंत्री महोदय का स्वयं यही कहना है कि ऐसा नहीं कहा गया था ।

†**श्री प्रभातकार :** यदि ऐसा है तो जिस समाचार पत्र में ऐसी गलत खबर छापी उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** शान्ति शांति। सभी मामलों के बारे में लड़ा नहीं जाता है। अगला प्रश्न ।

वंशधारा परियोजना

†***९१०. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वंशधारा परियोजना के गोट्टा जलाशय के संबंध में प्राक्कलन तथा संशोधित परियोजना रि**पोर्ट** सरकार को प्राप्त हो गयी है ;

(ख) यदि हां, तो संशोधित परियोजना रिपोर्ट और प्राक्कलनों का ब्योरा क्या है ; और

(ग) इस संबंध में उड़ीसा सरकार की क्या राय है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उप-मंत्री (श्री हाथी) :** (क) जी, हां ।

(ख) वंशधारा परियोजना में इन का निर्माण शामिल है । नेराडी में एक नीचा सिंचाई बांध (एर्नाकट) , और एक दाहिनी तरफ की नहर, नेराडी एर्नाकट से २८½ मील नीचे की तरफ वंशधारा नदी पर गोट्टा में ११४ फुट की औसत ऊंचाई वाला एक पक्का बांध और दोनों किनारों पर दो नहरें। परियोजना की कुल अनुमानित लागत १३५९.५० लाख रुपये है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) गोट्टा में वंशधारा परियोजना की क्रियान्वित में उड़ीसा सरकार को कोई आपत्ति नहीं है ।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या उड़ीसा सरकार ने पहले पहल नेराड़ी में इस निर्माण पर आपत्ति की थी तथा उड़ीसा की पहली सरकार ने निर्माण कार्य भी बन्द कर दिया था ?

† **श्री हाथी :** उन्होंने निर्माण आरम्भ नहीं किया था केवल 'एनिकट' (सिंचाई बांध) का उदघाटन किया गया था। उसमें भी योजना आयोग की पूर्व स्वीकृति नहीं ली गई थी। बाद में आंध्र तथा उड़ीसा के मुख्य मंत्रियों के बीच बैठक हुई थी और यह बताया गया था कि उड़ीसा सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु वह चाहते थे कि उस क्षेत्र में पानी भरने को रोकने के लिये कार्यवाही की जानी चाहिये। इसीलिये उन्होंने कुछ ब्यौरे मंगाये थे। ज्यूंहीं वह ब्यौरे मिल जायेंगे उड़ीसा सरकार अपनी स्वीकृति जाहिर कर देगी ।

† **श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :** अब क्या स्थिति है। क्या बातचीत के बाद काम हो रहा है अथवा रिपोर्ट मिलने तक काम रोक दिया गया है ?

†**श्री हाथी :** जी नहीं। बातचीत १७ तथा १८ जुलाई को हुई थी। मैं नहीं समझता कि काम हो रहा है क्योंकि परियोजना अभी स्पष्ट नहीं है ।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** निरोड़ी में 'एनिट' (सिंचाई बांध) बनाने के लिये उड़ीसा सरकार की क्या आपत्ति थी तथा मैं जानना चाहता हूं कि इस आपत्ति को वर्तमान सरकार ने किस प्रकार पूरा किया ?

† **श्री हाथी :** जी, नहीं। योजना आयोग ने इस आपत्ति को अभी दूर नहीं किया है। दोनों मुख्य मंत्रियों में चर्चा हुई थी। उड़ीसा सरकार ने बताया था कि इस परियोजना के कारण उनके क्षेत्र में पानी भर जायेगा तथा उन्होंने कुछ ब्यौरे मांगे थे। यह ब्यौरे अभी दिये नहीं गये हैं ।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** जब ब्यौरों पर योजना आयोग ने अभी विचार नहीं किया है तो नेराडी में निर्माण कार्य कैसे आरंभ हो गया ?

†**श्री हाथी :** अभी काम आरम्भ नहीं हुआ है। केवल परियोजना का उदघाटन हुआ है ।

जल संभरण योजना के लिये पाइप

†*६१२. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू जल संभरण योजनाओं तथा तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में चालू की जाने वाली उन योजनाओं के लिये जी० आई० पाइप और विशेष नलों की आवश्यकता का क्या अनुमान है; और

(ख) वर्तमान उत्पादन क्षमता कितनी है और संपूर्ण मांग पूरी करने के लिये क्या व्यवस्था की गयी है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) :** (क) और (ख). इस प्रश्न का उत्तर बाद में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री द्वारा दिया जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

यह प्रश्न वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय को ट्रांसफर कर दिया गया है, श्रीमान। ऐसे प्रश्नों का उत्तर हम इसी प्रकार देते हैं। यह वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री द्वारा उत्तर दिये जाने के लिये रख दिया गया है और वह यथाशीघ्र इसका उत्तर देंगे।

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या यह बात सचिवालय को बताई गई है कि वह इसको वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय को हस्तांतरित कर देंगे।

†**श्री करमरकर :** श्रीमान दोनों मंत्रालय कुछ समय लेंगे। जब दूसरे मंत्रालय को बहुत कम समय मिलता है तो पहला अवसर मिलते ही वह उत्तर दे देते हैं। संसद सचिवालय ने हमको ऐसा ही बताया था तथा हमको यह बताया गया था कि यही ठीक उत्तर होगा।

†**श्री ब्रजराज सिंह :** श्रीमान मालूम होता है कि आपके आदेशानुसार काम नहीं होता है। एक बार पहले आपने बताया था कि जब एक प्रश्न किसी मंत्रालय के संबंध में न हो तो मंत्रालय को लोक सभा सचिवालय को बताना चाहिये जिससे वह प्रश्न न पूछा जाये।

†**श्री अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य ने यह देखा होगा कि जब प्रश्न गलत मंत्रालय को भेज दिया जाता है तो वह मंत्रालय इस सचिवालय को लिखकर इसकी सूचना दे देता है। हम मार्जिन में यह लिख लेते हैं कि, "इस मंत्रालय को हस्तांतरित'। संभवतः माननीय मंत्री को समय न मिला हो।

†**श्री करमरकर :** जी हां।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** अध्यक्ष महोदय भाग (क) के बारे में मुझे स्वास्थ्य मंत्री से प्रश्न पूछने हैं। वह जानते हैं कि जल संभरण की योजनायें क्या हैं तथा क्या वह योजनायें आरंभ कर दी गई हैं अथवा नहीं। वह इन योजनाओं को आरंभ कर रहे हैं। वह जानते हैं कि कच्चे माल की आवश्यकतायें क्या हैं। उनको इस बारे में कई प्रतिवेदन मिले हैं। इन प्रतिवेदनों में इस प्रश्न पर प्रकाश डाला गया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उन रिपोर्टों के बारे में स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोई कार्यवाही की है। कई प्रश्न हैं जिनको मैं पूछना चाहता हूं।

†**श्री करमरकर :** स्थिति स्पष्ट करने के लिए हम ने एक उच्चाधिकार समिति नियुक्त की है जिसके माननीय सदस्य भी सदस्य हैं। इन बातों में कुछ समय लगता है। कभी कभी गड़बड़ी भी होती है। जी आइ पाइप उचित समय पर नहीं उपलब्ध है। यही तथ्य है जिसको हम जल संभरण योजनाओं के बारे में उठा रहे हैं। इस समय मैं यह नहीं बता सकता कि क्या कमी है। यदि पूर्व सूचना दी गई तो मैं राज्य सरकारों से जानकारी इकट्ठा करूंगा और सभा पटल पर रख दूंगा।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** इस प्रश्न पर उच्चाधिकार समिति बनाने के अतिरिक्त माननीय मंत्री यह कहते हैं कि उनको स्वास्थ्य जल संभरण योजनाओं के बारे में राज्य सरकारों से जानकारी इकट्ठा करनी है। यह दूसरा मामला है। वह बता सकते हैं कि उनके पास जानकारी नहीं है अथवा वह जानकारी नहीं बता सकते हैं। परन्तु वह यह नहीं कह सकते कि प्रश्न के भाग (क) के बारे में भी जानकारी वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री को देनी है।

†**श्री करमरकर :** मैं उत्तर देता हूं। जब भी कभी हम जल संभरण योजना स्वीकार करते हैं तो हम प्रशासनिक, वित्तीय स्वीकृति देते हैं। राज्य सरकार को पाइपों का इंडेंट करना है।

---

†मूल अंग्रेजी में

हमारे पास वह धन मांगने आते हैं। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री के पास पाइप मांगने जाते हैं। यदि आप कहेंगे तो मैं वह जानकारी भी इकट्ठा करूंगा और उत्तर दे दूंगा। इस समय मेरे पास वह जानकारी नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं प्रश्न को वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय को हस्तांतरित करता हूं।

†**श्री करमरकर :** धन्यवाद।

रेलवे मालभाड़ा दरों में कमी

†***९१४. श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फेडरेशन आफ इंडियन चेम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इन्डस्ट्री ने निर्यात संवर्धन के उपाय के तौर पर रेलवे मालभाड़ा दरों में कमी की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो किस हद तक; और

(ग) उस पर सरकार का क्या निर्णय है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) :** (क) जी, हां।

(ख) जितनी वस्तुओं के लिए संभव हों उतनी वस्तुओं को रियायत देना।

(ग) सरकार ने कर्मचारियों की स्थायी अन्तर्मंत्रालय समिति नियुक्त कर दी है जो निर्यात यातायात सम्बन्धी भाड़ा दरों में कमी करने के बारे में प्रत्येक प्रार्थना की जांच करेगी और सिफारिश देगी। इन सिफारिशों पर कार्यवाही की जायेगी। फेडरेशन द्वारा दिये गये सुझावों पर कोई विशेष कार्यवाही नहीं की गई है।

†**श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या मूल्य अधिक होने के कारण भारतीय वस्तुयें विदेशों में नहीं बिक पाती हैं तथा उनके ऊंचे भाव होने का कारण अधिक भाड़ा दरें हैं।

†**श्री शाहनवाज़ खां :** हम कुछ वस्तुओं में अधिकतम ५० प्रतिशत तक भाड़ा दरों में रियायत देते हैं। मैं समझता हूं कि यह पर्याप्त रियायत है।

†**श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या हमारे निर्यातों के न बढ़ने का कारण भाड़ा दरें नहीं हैं ?

†**रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम) :** मैं समझता हूं, नहीं। सभी निर्यात होने वाली वस्तुओं पर हमारा मंत्रालय तथा वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय विचार करता है और यदि उनको ऐसा मालूम होता है कि किसी वस्तु पर भाड़ा दरें कम करने से निर्यात बढ़ जायेगा तो उसको रियायत दी जाती है।

†**श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या निर्यात संवर्धन परिषद् का परामर्श लिया गया था, यदि हां, तो उनकी क्या राय थी ?

†**श्री शाहनवाज़ खां :** रेलवे तथा वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय को राज्य व्यापार निगम की एक समिति काम कर रही है और उसके सामने रखे गये सभी प्रश्नों पर वह विचार करती है।

†**श्री कासलीवाल :** किन वस्तुओं पर यह भाड़ा दरें कम करने का प्रस्ताव है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जगजीवन राम :** हमने वस्तुओं की तथा कुछ इंजीनियरिंग वस्तुओं की रेलवे का आय-व्ययक प्रस्तुत करते समय सूची दे दी थी। ४० अथवा ५० वस्तुओं की वह लम्बी सूची है ।

केरल के लिए डाक सर्किल

+

†*११६. { **श्री जीनचन्द्रन :**
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री अ० क० गोपालन : }

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री ६ मार्च, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १३२७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि केरल के लिए एक अलग डाक सर्किल बनाने का प्रस्ताव किस दशा में है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन) :** १-७-१९६१ से केरल के लिए एक अलग डाक व तार सर्किल बनाया गया था और उसका मुख्यालय त्रिवेन्द्रम में है।

†**श्री जीनचन्द्रन :** निदेशालय के अधीन डाक व तार के कितने बड़े सर्किल हैं और कितने छोटे सर्किल हैं ?

†**डा० प० सुब्बरायन :** केरल सर्किल औरों की अपेक्षा छोटा है जिसमें ७ डाक डिविजन, एक आर एम एस डिविजन, ३ इंजीनियरिंग डिविजन, एक गजेटेड हेड आफिस और गजेटेड टेलीग्राफ़ आफिस । डाक-घरों की संख्या जनरल पोस्ट मास्टर के अधीन अन्य सर्किलों के डाक घरों की संख्या से कम है । अतः यह निश्चय किया गया है कि मंडल का इंचार्ज डी० पी० टी० हो । फिर भी, डाक व तार बोर्ड असम, केरल, उड़ीसा और राजस्थान में सर्किलों का स्तर बढ़ाने पर विचार कर रहा है।

†**श्री तंगामणि :** पहिले, केरल सर्किल मद्रास सर्किल का एक अंग था । केरल सर्किल बनने की दृष्टि से क्या कार्यकर्ताओं को, विशेषकर टेलीफोन का काम करने वालों को, जो तमिल जानते हैं और जो अब केरल सर्किल में हैं, मद्रास और जो केवल मलयालम जानते हैं उनको केरल में बदला जायेगा ?

†**डा० प० सुब्बरायन :** हमने इस में यथासंभव समायोजन किया है । फिर भी, कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो तमिल जानते हैं और दूसरे मलयालम जानते हैं परन्तु दूसरे क्षेत्रों में काम कर रहे हैं।

†**श्री तंगामणि :** क्या सरकार इच्छा व्यक्त किये जाने पर पारस्परिक बदली करने पर विचार कर रही है क्योंकि नया मंडल बन गया है ?

†**डा० प० सुब्बरायन :** यदि सेवा की आवश्यकता से ऐसा किया जा सकता है तो हम ऐसा करेंगे ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

रेलवे में वर्ग १ के पदाधिकारियों की नियुक्ति

†*९१८. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे में वर्ग १ के नये प्रवेशार्थियों को अपने निवास के प्रदेशों में नहीं रखा जाता;

(ख) यह प्रथा कब से अपनायी गयी है और उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या यह प्रथा गृह-मंत्रालय द्वारा अपनायी गयी अखिल भारतीय प्रथा के अनुसार है या यह केवल रेलवे के लिए ही है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) :** (क) यही ठीक है वे इस प्रकार रखे जाते हैं ।

(ख) यह नीति १९५६ से, विशेष कर यह बात ध्यान में रख कर अपनाई गई है कि रेलवे अधिकारियों का दृष्टिकोण विस्तृत हो और रेलों के प्रशासन के एकात्मक रूप को, जो देशवासियों को संगठित करने में बहुत बड़ा सहायक है, बनाया रखा जाये ।

(ग) गृह-कार्य मंत्रालय ने यह नीति अपनाई है कि प्रत्येक राज्य पदालि में भारतीय प्रशासन सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के यथासंभव ५० प्रतिशत उम्मीदवार राज्य के बाहर के रखे जायें ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** क्या माननीय मंत्री ने इस मामले पर, बहुत से मामलों में अधिकारियों की बड़ी कठिनाई को ध्यान में रख कर विचार किया है ? यहां तक कि गृह-कार्य मंत्रालय ने भी, यद्यपि वे राष्ट्रीय एकता के बारे में बहुत इच्छुक हैं, कम से कम ५० प्रतिशत अधिकारियों को अपने ही प्रदेशों में नियुक्त किये जाने की अनुमति दे दी है । अतः इसका क्या कारण है कि रेलों ने भिन्न मार्ग अपनाया है ?

†**रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम) :** उन्हें उनके ही प्रदेश में क्यों नियुक्त किया जाये ? रेलों की प्रक्रिया में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** इसमें क्या औचित्य है कि रेलवेज़ ने केन्द्रीय सरकार के सभी अन्य मंत्रालयों से, चाहे वह डाक विभाग हो या गृह मंत्रालय, भिन्न नीति अपनाई है ?

†**श्री जगजीवन राम :** शायद श्री माथुर यह बात पसंद करेंगे कि गृह-मंत्रालय की बात ज्यों की त्यों रेलवे पर लागू नहीं हो सकती । जब कोई भारतीय प्रशासन सेवा या भारतीय पुलिस सेवा का अधिकारी किसी विशेष राज्य में विशेष पदाली में रख लिया जाता है तो वह सदैव उस राज्य में रहता है , जब कि हमारे उसकी बदली देश में कहीं भी हो सकती है । यह नियम गृह मंत्रालय में लागू नहीं होता ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** क्या माननीय मन्त्री इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि रेलों के यह डिवीजन अन्य विभागों के डिविज़नों की अपेक्षा बहुत बड़े हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय :** ये सब तर्क हैं । वह नीति में विशेष परिवर्तन चाहते हैं और उसे प्रश्न के रूप में रख रहे हैं । मैं एसे प्रश्न की अनुमति नहीं दूंगा ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** मैं उन विशेष कारणों को जानना चाहता था जिनसे इस विभाग ने यह नीति अपनाई ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय मन्त्री राष्ट्रीय एकता का उल्लेख पहिले ही कर चुके हैं। उनके मतानुसार सदृश्य एक दम उचित नहीं है। यदि कोई भारतीय प्रशासन सेवा का अधिकारी किसी राज्य में नियुक्त कर दिया जाता है तो उसे अन्य राज्य में नहीं जाने दिया जाता। रेलों में, कुछ वर्षों बाद उसकी बदली दूसरे क्षेत्र में हो जाती है।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** क्या इस योजना को लागू करने में आप व्यक्ति विशेष के जन्म-राज्य का ही ध्यान रखते हैं या समूचे रेलवे क्षेत्र के बड़े प्रदेश का ध्यान रखते हैं ?

†**श्री जगजीवन राम :** उसे उस रेलवे में नियुक्त नहीं किया जाता—जो उसके अपने राज्य के अधिकतर भाग में फैली हो।

सिलिमेनाइट अयस्क के लिए पत्तन प्रभार

†*९२१. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **परिवहन तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय परिवहन तथा संचार मन्त्रालय ने अभी हाल में कलकत्ता बन्दरगाह आयुक्तों से यह प्रार्थना की है कि सिलिमेनाइट अयस्क के लिये पत्तन प्रभार कम कर दिये जायें;

(ख) यदि हां, तो कितना;

(ग) क्या वह प्रार्थना इस बीच नामंजूर कर दी गयी है; और

(घ) यदि हां, तो किन आधारों पर ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन):** (क) से (घ). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) भारत चेम्बर आफ कामर्स ने मार्च, १९५९ में निर्यात संवर्धन निदेशक, वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय से यह अभ्यावेदन किया था कि कलकत्ता बन्दरगाह से निर्यात होने वाले सिलिमेनाइट अयस्क पर पत्तन प्रभार घटी दर पर लगाया जाये। इस अभ्यावेदन की एक कापी भारत सरकार ने टिप्पण के लिये अप्रैल, १९५९ में पत्तन आयुवतों को भेज दी थी।

(ख) भारत चेम्बर ने अभ्यावेदन किया था कि सिलिमेनाइट अयस्क का पत्तन प्रभार काफी कम कर दिया जायें परन्तु कोई निश्चित राशि का उल्लेख नहीं किया था।

(ग) और (घ). सब प्रकार के अयस्कों पर, जैसे लोहा, मैंगनीज, क्यानाइट, सिलिमेनाइट आदि पर, जो इकट्ठी मात्रा में निर्यात किये जाते हैं, विशेष दर से प्रभार लगाया जाता है जो प्रभारों की संविहित अनुसूची में दिये हैं। जब कभी ये अयस्क ढोरों, आदि में निर्यात किये जाते हैं तो उन्हें ले जाने का दूसरा ढंग है और उन पर पत्तन प्रभार सामान्य सामान पर लागू दर से लिये जाते हैं। यह दर विशेष दर से अधिक है। कलकत्ता पत्तन आयुक्तों के परामर्श पर निर्यात संवर्धन निदेशक से भारत चेम्बर आफ कामर्स को यह बताने के लिये प्रार्थना की गई थी वह अपनी संगठक सदस्य फर्मों को सूचना दे दे कि वे सिलिमेनाइट अयस्क का निर्यात इकट्ठी राशि में करें।

†**श्री प्र० चं० बरुआ :** विवरण से विदित होता है सिलिमेनाइट अयस्क पर पत्तन प्रभार काफी कम हो गये हैं। परन्तु इसमें किसी निश्चित राशि का उल्लेख नहीं है। यदि राशि उन्हें विदित हो तो क्या पत्तन प्रभार में कमी होगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० प० सुब्बरायन :** भारत चेम्बर आफ कामर्स ने एक अभ्यावेदन किया था कि सिलिमेनाइट अयस्क पर पत्तन प्रभार कम किये जाने चाहियें। अतः निर्यात संवर्धन निदेशक ने भारत चेम्बर आफ कामर्स से अपने सदस्यों से सिलिमेनाइट अयस्क इकट्ठी राशि में निर्यात करने का परामर्श देने के लिये कहा था ।

†**श्री यादव नारायण जाधव :** कलकत्ता पत्तन से आजकल कितनी मात्रा में आयात होता है ? क्या इस मात्रा में वृद्धि होने की आशा है ?

†**डा० प० सुब्बरायन :** मैं इस प्रश्न की पूर्व सूचना चाहता हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** हम एसी छोटी छोटी बातों को नहीं ले सकते । माननीय सदस्य पत्तन पर जाकर जानकारी ले सकते हैं ।

दिल्ली में बिजली की सप्लाई

†*९२३. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या अगले वर्ष के आरम्भ में भाखड़ा नंगल के बिजली पैदा करने वाले कुछ एकक अनिवार्य रूप से बन्द किये जाने के कारण दिल्ली में बिजली की सप्लाई पर गहरा प्रभाव पड़ेगा ;

(ख) यदि हां, तो कितना;

(ग) राजधानी को अतिरिक्त बिजली सप्लाई करने के लिये पंजाब सरकार के अभी हाल के वायदे में जो बताया गया है उस स्तर तक बिजली सप्लाई की स्थिति लाने में कितना समय लगेगा ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी):** (क) से (ग). एक विवरण, जिसमें जानकारी दी है, सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) नहीं, श्रीमान्। अगले वर्ष के आरम्भ में कोई विद्युत् जनन एकक (जनरेटिंग यूनिट) बन्द करने का विचार नहीं है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) मूलतः, मई १९६१ तक दिल्ली को बायें किनारे के बिजली घर से ४०,००० अधिक किलोवाट बिजली देने की योजना थी। बाद में यह मात्रा २०,००० किलोवाट १९६१ में और शेष २०,००० १९६२ में देने के लिये निश्चित कर दी गई। इस प्रोग्राम की पूर्ति होने की सम्भावना है। १९६१ के २०,००० किलोवाट में से १५,००० किलोवाट दी जा चुकी है ।

रेलों को कोयले की सप्लाई

†*९००. **श्री पांगरकर :** क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १ अप्रैल, १९६१ से रेलों को अच्छी किस्म का और अधिक मात्रा में कोयला दिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो किस हद तक; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) ठीक प्रकार के कोयले की पूरी पूरी सप्लाई होती रहे इसके लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)**: (क) उल्लिखित अवधि में मध्य, उत्तर, उत्तर पूर्व और उत्तर-पूर्व सीमान्त रेलों के स्टाकों में कुछ सुधार हुआ था जबकि कुछ रेलों पर विशेष कर दक्षिण और पश्चिम रेलों पर स्थिति कुछ और बिगड़ गई थी, दिये गये कोयले की किस्म में भी कुछ सुधार हुआ है ।

(ख) मध्य, उत्तर, उत्तर-पूर्व और उत्तर-पूर्व सीमान्त रेलों का स्टाक एक दिन की उपभोग मात्रा के समान बढ़ गया था जबकि दक्षिण और पश्चिम रेलों का स्टाक इतना ही कम हो गया था ।

(ग) सुधार करने और यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से कि ठीक किस्म का कोयला मिलता है, बंगाल और बिहार के कोयला क्षेत्रों में कोयले का लदान बढ़ा दिया गया है । रेलवे निरीक्षण संघ भी, जो करनपुरा और बोकारो क्षेत्र के सरकारी कोयला खानों में कार्य करने लगा है, इंजिन का कोयला ठेका प्रणाली द्वारा प्राप्त करने की प्रणाली के समाप्त होते ही, अन्य क्षेत्रों में सरकारी वगैर-सरकारी कोयला खानों में लागू होगा । रेलों के लिये अपेक्षित उत्तम श्रेणी के 'नान-कोकिंग' कोयला के अभाव की पूर्ति के लिये 'नान कोकिंग' कोयला के परिष्करण हेतु कोयला धोने के कारखाने स्थापित करने का भी विचार है ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : दक्षिण रेलवे कोयले सामानय कितना स्टाक रखती है । क्या यह सच है कि अगस्त के प्रथम सप्ताह में दक्षिण रेलवे पर कोयले की बहुत कमी थी और कुछ मालगाड़ियों को नहीं चलाया गया ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : दक्षिण रेलव अधिकतम ३० दिन का स्टाक और न्यूनतम १४ दिन का स्टाक रख सकती है । परन्तु, अगस्त में यह स्टाक घट कर पांच दिन का ही स्टाक रह गया था । इसका अधिकतर कारण यह था कि पोत द्वारा आने वाला कोयला ४७ पोत आने के बजाये ३७ पोत आया । दोनों दक्षिण और पश्चिम रेलों पर कोयले की कमी थी ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

मद्रास हवाई अड्डा

†***८९५. श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री २७ मार्च, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ११२० के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मद्रास हवाई अड्डे के सुधार की प्रस्तावित योजना इस बीच अंतिम रूप से तैयार कर ली है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)**: (क) और (ख). विस्तृत आक्कलन तैयार किये जा रहे हैं और आशा है मामला शीघ्र ही निश्चित हो जायगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

भारतीयों द्वारा कैलोरीज का उपभोग

†*८९६. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय दुनिया भर में सबसे कम कैलोरीज का उपभोग करते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनके भोजन का स्तर ऊंचा करके लोगों का सामान्य स्वास्थ्य अच्छा करने के लिए इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

नमक का लाना-लेजाना

†*९०२. **श्री अरविन्द घोषाल** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नमक के यातायात और कोयले की ढुलाई में सम्पर्क स्थापित करने के लिए कोई योजना मंजूर की गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो वह योजना क्या है और वह किस प्रकार कार्यान्वित की जाती है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : (क) और (ख). हमारी केवल यह योजना है कि टूटीकोरिन और सौराष्ट्र के बन्दरगाहों को कोयला ले जाने वाले जहाज़ लौटते में जब कभी नमक उपलब्ध हो, नमक भर सकते हैं । इसका कारण यह है कि रेल द्वारा नमक के लाने ले जाने को बहुत कम महत्त्व दिया गया है और इस प्रकार जहाज़ों के लिए माल मिल जाता है ।

बड़ौदा हाउस में आग

†*९०३. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में उत्तर रेलवे के मुख्य कार्यालय, बड़ौदा हाउस में आग लगने के कारण दफ्तर के काफी कागज़ात और फर्नीचर आदि नष्ट हो गया ;

(ख) यदि हां, तो आग लगने के क्या कारण थे; और

(ग) नष्ट हुए कागज़ात आदि का ब्यौरा क्या है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) और (ख). हां, श्रीमान् । इस घटना की जांच करने के लिए नियुक्त की गई समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि आग वहां से गुजरने वाले किसी लापरवाह व्यक्ति या शरारती आदमी के सिगरेट या बीड़ी का जला सिरा फेंकने से लगी थी ।

(ग) इस आग में कुछ रजिस्टर, फाइल, 'मेजरमेंट रोल्स' के रिकार्ड, पुस्तकें, स्टाक रजिस्टर, आदि बिजली के तार वगैरा, वर्दियां, खिड़कियों के चौखटे, टूल्स और प्लान्ट एवं दरवान का स्टाक (जनीटर्स स्टाक) जल गये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली के विकास क्षेत्र

†९०६. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकार ने दिल्ली में विकास के लिये कुछ क्षेत्र घोषित किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो वे क्षेत्र कहां-कहां हैं ; और

(ग) उनका कब तक विकास किया जायेगा ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

[पुस्तकालय में रखा है । देखिये संख्या एल० टी०--३१५७/६१]

दक्षिणी भारत में बाढ़

†*९०८. **श्री न० रा० मुनिस्वामी** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अभी हाल दक्षिणी भारत में बाढ़ के कारण डाक-तार विभाग की सम्पत्ति को क्या नुक्सान पहुंचा ; और

(ख) क्या दूर संचार व्यवस्था को समय पर ही ठीक कर दिया गया था ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)**: (क) मद्रास, आन्ध्र, मैसूर, केरल और महाराष्ट्र मंडलों में भारी बाढ़ आई थी । आन्ध्र और मद्रास मंडलों में बहुत थोड़ी क्षति पहुंची थी जिससे ट्रंक और स्थानीय सेवा में बहुत कम रुकावट आई । वे ठीक भी शीघ्र कर दी गई । मैसूर और केरल मंडलों में कुछ क्षति पहुंची थी परन्तु लाइनें नियमानुसार कुछ घन्टों में ठीक कर दी गई थीं । महाराष्ट्र मंडल में पूना में अत्यधिक क्षति पहुंची । महाराष्ट्र मंडल में अनुमानित कुल हानि २,१२,९०० रु० की हुई । और अन्य चार मंडलों में ३८,६०० रु० की ।

(ख) साधारणतया टूटी लाइनें कुछ घन्टों में ठीक कर दी गई थीं । हां, वे लाइनें शीघ्र ठीक न की जा सकीं जहां कर्मचारी सड़कों के टूट जाने या क्षति के स्थान पर बाढ़ का पानी भरे होने के कारण न पहुंच सकें : फिर भी, पूना क्षेत्र में संचार की पुनः व्यवस्था करने में कुछ अधिक समय लगा क्योंकि क्षति बहुत अधिक स्थानों पर पहुंची थी । पूना में केवल ३५ स्थानों पर टेलीफोन की लाइनें नहीं जोड़ी जा सकी हैं क्योंकि या तो टेलीफोन वाले मकान गिर गये हैं या टेलीफोन वाले अब वहां नहीं रहते हैं ।

कोयले की ढुलाई के लिये जहाजों की कमी

†९०९. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जहाजों की कमी के कारण तटीय बन्दरगाहों पर कोयला पहुंचाने तथा कोयल की खानों से कोयला उठाने का काम रुक गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : (क) समुद्र से कोयला ढोना रोकने के कई कारण हैं जैसे मानसून की स्थिति, कलकत्ता पर नमक उतारने वाले नाविकों की हड़ताल,

---

†मूल अंग्रेजी में

तटीय टनभार और हुगली नदी में गहराई का अचानक कम होना, जहाज़ों का देर से वापस आना। समुद्र से कोयला की कम ढुलाई होने के कारण खानों में कोयला जमा नहीं हुआ।

(ख) अधिग्रहण करके या विशेषरूप से इसी कार्य के लिए और अधिक जहाज़ किराये पर लेने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है। उपलब्ध जहाज़ों की वापसी बढ़ाने की बात निरन्तर सरकार और कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में तीनों समन्वय समितियों के विचाराधीन है।

विदेशी जहाज मालिकों को भाड़े का भुगतान

†*९११. **श्री राजेन्द्र सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशी जहाज मालिकों को भाड़े की अदायगी से भारत की विदेशी मुद्रा की एक बड़ी रकम खर्च हो रही है ;

(ख) क्या सरकार ने जहाज मालिकों के इस प्रस्ताव पर कि जहाजी कंपनियों के लिए उनकी आमदनी में से एक अलग विदेशी मुद्रा संग्रह कायम किया जायें, विचार किया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो ऐसा संग्रह न बनाने के क्या कारण हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : (क) हां, श्रीमान्। क्योंकि हमारे जहाज़ों से हमारा लगभग ९ प्रतिशत विदेशी व्यापार हो सकता है।

(ख) और (ग). सरकार ने प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार किया है परन्तु स्वीकार नहीं किया है क्योंकि विदेशी मुद्रा प्राप्त करने वाले प्रत्येक उद्योग के लिए अलग बेड़ा बनाना राष्ट्रीय हित में नहीं होगा।

शरबती जल विद्युत् परियोजना

†*९१३. **श्री आचार** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शरबती घाटी जल विद्युत परियोजना के लिए वित्तीय व्यवस्था में कटौती करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) क्या उस परियोजना का पहला चरण पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पूर्ण हो जायेगा ; और

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) नहीं, श्रीमान्।

(ख) विदेशों से मशीन, आदि के आने में विलम्ब होने के कारण प्रथम चरण की पूर्त्ति में लगभग आठ मास का विलम्ब होने की संभावना है।

सिंचाई के लिये दामोदर घाटी निगम का पानी

†*९१५. **श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** :
श्री सुबिमन घोष :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल के छै जिलों अर्थात् बर्दवान, बीरभूम, मिदनापुर, बानपुडा, हुगली और हावड़ा में दामोदर घाटी निगम के सिंचाई क्षेत्र में अमन धान फिर से लगाने के लिए

†मूल अंग्रेजी में

सिंचाई का पानी निगम द्वारा न दिये जाने या बिल्कुल ही अपर्याप्त मात्रा में दिये जाने तथा निगम द्वारा अपनी वितरण नहरों, तट बंधों और नालियों की ठीक ठीक मरम्मत न कराये जाने के बारे में कलकत्ता के समाचार पत्रों तथा पश्चिम बंगाल सरकार के प्रवक्ताओं द्वारा लगाये गये निरन्तर आरोपों की ओर क्या सरकार का ध्यान दिलाया गया है ;

(ख) अब इस सम्बन्ध में ठीक ठीक स्थिति क्या है ;

(ग) सिंचाई क्षेत्र कुल कितने एकड़ है और पश्चिम बंगाल सरकार की कुल मांग के मुकाबले में कुल कितने क्षत्र के लिए इस वर्ष जुलाई में पानी दिया जा सकेगा ;

(घ) बांये किनारे और दाहिने किनारे की नहरों पर तट बंधों में कितनी दरारों की सूचना दी गयी और कितनी दोषपूर्ण नालियां हैं और उनकी मरम्मत न कराने के क्या कारण हैं ; और

(ङ) पश्चिम बंगाल सरकार ने नहरों का प्रशासन अपने हाथ में लेने की अनिच्छा के क्या कारण बताये हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)**: (क) से (ङ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ३०]**

दिल्ली में सड़क दुर्घटनायें

†*९१७. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री प्र० गं० देव :
पंडित द्वा० ना० तिवारी :
डा० राम सुभग सिंह :
महाराजकुमार विजय आनन्द :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यात यात विनियमित करने के लिये की गयी अनेक कार्यवाहियों के बावजूद पिछले कुछ वर्षों में दिल्ली में सड़क दुघटनाओं की संख्या बढ़ गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो दुर्घटनाओं की संख्या रोकने के लिये और क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।**[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ३१]**

इंजन की कीमत

†*९१९. **श्री पांगरकर** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चितरंजन में तैयार किये गये इंजन की कीमत अधिक उत्पादन के कारण और कम हो गयी है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी; और

(ग) १९६० में तैयार किये गये इंजन की कीमत की तुलना में वह कम है या ज्यादा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) से (ग). १९६०–६१ में चितरंजन लोको-मोटिव वर्क्स में बने डब्लू० जी० इंजन की कीमत पिछले वर्ष के मूल्य से कुछ कम थी जैसा कि निम्न उल्लेख है :—

१९५९–६०—४.१० लाख रु० प्रोफार्मा लाभांश के अतिरिक्त

१९६०–६१—लगभग ४.०५ लाख रु० तदेव

नदी में चलने वाली बड़ी नावों को लाइसेंस देना

†*९२०. **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्रीमती मफीदा अहमद :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नदी में चलने वाली बड़ी नावों को लाइसेंस देने का सरकार का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो उस योजना का क्या ब्योरा है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : (क) अन्तर्देशीय जल मार्ग और उनसे होने वाला यातायात राज्य का विषय है दोनों के कारण नदियों में चलने वाली बड़ी नावों को लाइ-सेन्स देने का विधान बनाने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति केवल मशीनों से चलने वाले जहाजों तक ही सीमित है। ऐसे जहाजों पर अन्तर्देशीय भापपोत अधिनियम, १९१७ पहिले से ही लागू है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

कलकत्ता पत्तन आयुक्तों द्वारा भंडार की अनियमित खरीद

†*९२२. **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री नेक राम नेगी :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री ६ मार्च, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १०१७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता पत्तन आयुक्तों ने भंडार की अनियमितता खरीद के बारे में जांच रिपोर्ट पर केन्द्रीय सरकार के परामर्श से विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन) : (क) और (ख) कलकत्ता के पत्तन आयुक्तों ने जांच अधिकारी की उपपत्तियां स्वीकार कर ली हैं और अपराधी अधिकारियों के विरुद्ध प्रस्तावित कार्यवाही करने का निश्चय कर लिया है। दूसरी कार्यवाही अपराधी अधिकारियों को 'कारण बताओ' नोटिस देने की है। उन्हें दिये जाने वाले दण्ड के बारे में अन्तिम निश्चय, इन नोटिस के उत्तर में उनके द्वारा किये जाने वाले किसी भी अभ्यावदेन पर उचित विचार करने के बाद किया जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

कालेज ग्राफ केटरिंग

†२२०१. { **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री चुनी लाल :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री ३ मई, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४३८४ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कालेज ग्राफ केटरिंग (योजना व्यवस्था कालेज) खोलने की योजना, जिसमें विशेषकर उनके स्थानों, प्रशिक्षण कार्यक्रम ग्रौर उनमें कितने व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा, इन बातों का उल्लेख हो, ग्रन्तिम रूप से निश्चित हो गई है ; ग्रौर

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री ग्र० म० थामस)**: (क) ग्रौर (ख). योजना के ब्योरे को ग्रभी ग्रंतिम रूप नहीं दिया गया है ।

उत्तर प्रदेश में सहकारी चीनी मिलें

†२२०२. { **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री चुनी लाल :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री ३ मई, १९६१ के ग्रतारांकित प्रश्न संख्या ४४०० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश में चीनी की बाकी सहकारी मिलें स्थापित करने के प्रस्तावों पर विचार कर लिया है ; ग्रौर

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री ग्र० म० थामस)** : (क) ग्रौर (ख). देश में चीनी का ग्रतिरेक उत्पादन होने की दृष्टि से यह निश्चित किया गया है कि ग्रभी चीनी की ग्रौर मिल स्थापित करने के लाइसेंस न दिये जायें। जब भी ग्रधिक क्षमता के लिये लाइसेंस देने का निश्चय किया जायेगा, तब बाकी प्रस्तावों पर विचार किया जायेगा ।

राष्ट्रीय उष्णदेशीय ऋतुविज्ञान संस्था[1]

†२२०३. { **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री चुनी लाल :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री ३ मई, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १८८६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एक राष्ट्रीय उष्णदेशीय ऋतुविज्ञान संस्था स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार किया है ; ग्रौर

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

†**ग्रसैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** (क) ग्रौर (ख). प्रस्ताव ग्रभी विचाराधीन है ।

---

†मूल ग्रंग्रेजी में

[1]National Institute of Tropical Meteorology

'फिश प्लेटों' का हटाया जाना

†२२०४. **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री चुनी लाल :

क्या **रेलवे** मंत्री २५ अप्रैल, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १७२७ के उत्तर में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुलिस ने इस बीच देहरादून स्टेशन के पास "फिश प्लेटों' के हटाये जाने की जांच पड़ताल कर ली है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) और (ख). हां, श्रीमान ।

इस मामले में कुछ व्यक्ति पकड़े गये हैं जो शीघ्र ही राज्य पुलिस द्वारा न्यायालय में पेश किये जायेंगे ।

दामोदर घाटी निगम अधिनियम

†२२०५. **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री चुनी लाल :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री २५ अप्रैल, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३८०१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दामोदर घाटी निगम अधिनियम के प्रारूप संशोधनों पर इस बीच विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) प्रस्तावित संशोधनों पर दामोदर घाटी निगम और सम्बन्धित राज्यों के परामर्श से विचार किया जा रहा है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

चतुर्थ श्रेणी के रेलवे कर्मचारियों के प्रमाप पदनाम और कर्तव्य सूचियां

†२२०६. **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री चुनी लाल :

क्या **रेलवे** मंत्री ४ अप्रैल, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १२९६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने चतुर्थ श्रेणी पदोन्नति समिति की सिफारिश के अनुसार चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के प्रमाप पदनाम और कार्य सूचियां जारी कर दी हैं ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या उनके जारी किये जाने की आशा है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) नहीं, श्रीमान् ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) आशा है कि रेलवे के ट्रांसपोर्टेशन, सविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल जैसे बड़े विभागों के प्रताप पद नाम और कर्तव्य सूचियां तारांकित प्रश्न संख्या १२९६ के उत्तर में उल्लिखित अवधि में जारी कर दी जायेंगी। दूसरों के बारे में कुछ अधिक समय लग सकता है।

अन्तर्देशीय जलपरिवहन के लिए केन्द्रीय प्रविधिक सहायता बोर्ड

†२२०७. **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री चुनी लाल :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री ४ अप्रैल, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या २७२६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि अन्तर्देशीय जलपरिवहन समिति की सिफारिश के अनुसार केन्द्रीय प्रविधिक सहायता बोर्ड की स्थापना में अभी तक किस प्रकार की प्रगति हुई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : सरकार को पत्तनों और अन्तर्देशीय जलपरिवहन की प्रविधिक समस्याओं के सम्बन्ध में सलाह देने के लिये एक केन्द्रीय प्रविधिक सहायता बोर्ड की स्थापना अभी तक विचाराधीन है। सरकार द्वारा नये पदों के निर्माण पर लगाये गये सामान्य प्रतिबन्ध और व्यय में बचत की आवश्यकता की दृष्टि से यह आवश्यक है कि कर्मचारियों की न्यूनतम मंजूरी दी जाये। यह ब्योरा तैयार किया जा रहा है।

आयुर्वेदिक औषधि संहिता

†२२०८. **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री चुनी लाल :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री ४ अप्रैल, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या २७४२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि देश के लिए आयुर्वेदिक औषधि संहिता बनाने में क्या अग्रेतर प्रगति हुई है?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : आयुर्वेदिक औषधि संहिता उप-समिति की सिफारिशों की अभी जांच की जा रही है।

हस्तिनापुर में चीनी का कारखाना

†२२०९. **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री चुनी लाल :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री ४ अप्रैल, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या २७५५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि हस्तिनापुर में चीनी के कारखाने की स्थापना के सम्बन्ध में क्या प्रगति, यदि कोई हो, हुई है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई है।

---

†मूल अंग्रजी में

उत्तर प्रदेश में सहकारी समितियां

†२२१०. **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री चुनी लाल :

क्या **सामुदायिगक विकास तथा सहकार** मंत्री १२ अप्रैल, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३२१३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश की सहकारी समितियों के कार्य का अध्ययन करने के लिए नियुक्त किये गये दल का प्रतिवेदन सरकार को प्राप्त हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्त्ति) : (क) हां, श्रीमान ।

(ख) अध्ययन दल के निष्कर्षों और सिफारिशों के संक्षेप की एक प्रति संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३२]**

पंजाब में सिंचाई के नलकूप

†२२११. **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री चुनी लाल :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने पंजाब सरकार को वर्ष १९६०–६१ में सिंचाई के नलकूपों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता दी है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) और (ख). केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्तीय सहायता समस्त कृषि क्षेत्र की योजनाओं के लिए एक साथ दी जाती है । पंजाब सरकार द्वारा १९६०–६१ में नलकूप परियोजना के लिए निर्धारित राशि ४ लाख रुपये है ।

बगमार और डोंगर गांव के बीच रेल दुर्घटना

†२२१२. **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री चुनी लाल :

क्या **रेलवे** मंत्री १७ अप्रैल, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १५६३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने डोंगर गांव और बागमर के बीच यात्री गाड़ी की दुर्घटना के कारणों के सम्बन्ध में जांच पूरी कर ली है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंगेजी में

देश के वन संसाधन

†२२१३. **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री चुन्नी लाल :
श्री भक्त दर्शन :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री दलजीत सिंह :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री २८ अप्रैल, १९६१ के अताराकित प्रश्न संख्या ४०४९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि देश के वन संसाधनों का विस्तृत सर्वेक्षण कराने के सम्बन्ध म क्या अग्रेतर प्रगति हुई है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : योजना आयोग और वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित १·२७ करोड़ रुपये के उपबन्ध के अन्तर्गत एक विस्तृत योजना तैयार की गई है। अब राष्ट्रसंघीय विशेष कोष से लगभग ३० लाख रुपये की सहायता के लिए प्रार्थनापत्र भेजा जा रहा है। सर्वेक्षण-कार्य के १९६२–६३ से प्रारम्भ किये जाने की आशा है।

पश्चिम यमुना नहर की शाखाओं के लिये भाखड़ा बांध से पानी

†२२१४. **श्री रामकृष्ण गुप्त :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम यमुना नहर की उन शाखाओं के नाम और ब्यौरा क्या हैं जिन्हें भाखड़ा बांध से पानी मिलेगा;

(ख) उन्हें भाखड़ा बांध से कब तक पानी मिलेगा;

(ग) पश्चिम यमुना नहर की बाड़ को बारहमासी नहरों में परिवर्तित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार किया जा रहा है;

(घ) कौन कौन सी नहरों को बाहरमासी नहरों में परिवर्तित किया जायेगा; और

(ङ) यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) सिरसा शाखा।

(ख) उसे भाखड़ा जलाशय से पानी का संभरण तो है परन्तु वह संभरण निरन्तर नहीं है। निरन्तर संभरण १९६३–६४ से प्रारम्भ होने की आशा है।

(ग) ऐसा समझा जाता है कि माननीय सदस्य का तात्पर्य पश्चिम यमुना नहर की अनिरन्तर धाराओं को निरन्तर धाराओं में परिवर्तित करने से है। यदि ऐसा है तो वे निम्नलिखित हैं :

(१) भाखड़ा बांध का निर्माण।

(२) नवकूपों की स्थापना जो अनिरन्तर धाराओं को नदी से ऋण संभरण के दिनों में पानी देंगे।

(३) वर्तमान धाराओं के तल को पक्का करना।

(घ) अन्तिम निर्णय अभी तक नहीं हुआ है।

(ङ) वर्तमान नहरों के पक्का किये जाने के बाद अनिरन्तर नहरों को निरन्तर नहरों में परिवर्तित करने का कार्य चौथी योजना में पूर्ण होने की आशा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

महाराष्ट्र में स्वचालित टेलीफोन

†२२१५. **श्री पांगरकर** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि महाराष्ट्र में १९६०–६१ में किन किन स्थानों में स्वचालित टेलीफोन लाइनें बिछाई गई हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : महाराष्ट्र में वर्ष १९६०–६१ में निम्नलिखित स्थानों में स्वचालित एक्सचेंज स्थापित किये गये हैं :

१. अक्कलकोट .	५० लाइनें
२. खेड (रत्नागिरी)	५० लाइनें
३. किरलोस्करवाड़ी .	१० लाइनें
४. कोरगांव .	५० लाइनें
५. मालीनगर	२५ लाइनें
६. मलवान .	५० लाइनें
७. पिम्परी . .	५० लाइनें
८. सामन्तवाड़ी	५० लाइनें

२. १९६०–६१ में निम्नलिखित स्वचालित एक्सचेंजों में विस्तार भी किया गया था :

१. बम्बई टेलीफोन सिस्टम .	११०० लाइनें
२. मिराज	५० लाइनें
३. नीरा	२५ लाइनें

महाराष्ट्र को आवंटित उर्वरक

†२२१६. **श्री पांगरकर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र को १९६१–६२ के लिए अप्रैल से जून, १९६१ तक कितने एमोनियम सल्फेट तथा अन्य उर्वरकों का आवण्टन किया गया है; और

(ख) उपरोक्त अवधि में महाराष्ट्र को कुल कितने उर्वरक प्रेषित किये गये ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)**: (क) और (ख). वर्ष १९६१–६२ के लिए राज्यों को पहला आवण्टन अप्रैल-सितम्बर, १९६१ की अवधि के लिए किया गया था, अप्रैल-जून के लिए नहीं। आवण्टन और प्रेषण नीचे दिये गये हैं :—

(समस्त आंकड़े मीट्रिक टनों में)

उर्वरक की किस्म	अप्रैल-सितम्बर, १९६१ की अवधि के लिए आवण्टित मात्रा	१५-८-१९६१ तक प्रेषित मात्रा
सल्फेट आफ एमोनिया .	६०,०००	३१,२००
कैल्शियम एमोनियम नाइट्रेट	२१,०००*	९,५८०
एमोनियम सल्फेट नाइट्रेट	६,५००	५,०७०
यूरिया .	१५,०००	१२,२३०

*इसमें १०,००० टन का अतिरिक्त आवण्टन भी सम्मिलित है। राज्य सरकार ने अतिरिक्त आवण्टन स्वीकार नहीं किया।

†मूल अंग्रेजी में

खाद्य उत्पादन

†२२१७. **श्री पांगरकर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने तीसरी पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत महाराष्ट्र के लिए खाद्यान्न उत्पादन के लक्ष्य और आवश्यक आवण्टन निश्चित कर दिये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)**: (क) और (ख). जी हां, महाराष्ट्र के लिए तीसरी योजना अवधि में कल्पित खाद्यान्नों के अतिरिक्त उत्पादन का लक्ष्य १७.३२ लाख टन है और १९६५–६६ में खाद्यान्नों का कुल उत्पादन ७९.९८ लाख टन है । यह अतिरिक्त उत्पादन का लक्ष्य निम्नलिखित योजनाओं से प्राप्त किया जायेगा :

बड़ी और छोटी सिंचाई,

उर्वरक और खाद,

अच्छा बीज,

भूमि विकास और भूसंरक्षण,

खेती के उन्नत तरीके ।

राज्य योजना के अन्तर्गत विकास की विभिन्न मदों के अन्तर्गत किये गये वित्तीय आवंटन जिनका उत्पादन पर असर होगा, निम्न प्रकार हैं :—

	करोड़ रुपये
(१) कृषि उत्पादन	१४.८९
(२) छोटी सिंचाई	१५.७९
(३) भूसंरक्षण	२०.८४
योग	५१.५२

महाराष्ट्र को सिंचाई के नलकूपों के लिये सहायता

†२२१८. **श्री पांगरकर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने महाराष्ट्र सरकार को वर्ष १९६१-६२ में अभी तक सिंचाई के नलकूपों के निर्माण के लिये कोई वित्तीय सहायता आवंटित की है ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) जी नहीं, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने १९६१-६२ में राज्य-नलकूपों के निर्माण के लिये अभी तक कोई कार्यक्रम नहीं बनाया है । राज्य सरकार ऐसा तब करेगी जबकि भारत सरकार अनुसंधानात्मक नलकूप संगठन द्वारा उन क्षेत्रों में भूमिगत जल की उपलब्धता का निर्धारण करू लिया जायगा जिनकी राज्य सरकार ने सिफारिश की है ।

(ख) उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

माईथान बांध

†२२१९. **श्री न० म० देव** : क्या **सिंचाई और विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि माईथान बांध में मिट्टी जमा होने से जल का स्तर नीचा हो गया है ; और

(ख) इस को रोकने के लिये सरकार क्या कदम उठाने का विचार कर रही है ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) (१) बांध के निर्माण से बने जलाशय में मिट्टी जमा हो जाना प्राकृतिक बात है परन्तु माईथान बांध में कितनी मिट्टी जमा हुई है इस का निश्चय सेडीमेन्टेशन सर्वे द्वारा करना होगा । माईथान जलाशय में यह सर्वेक्षण अभी तक नहीं किया गया है और यह कार्य पंचेट पहाड़ी के जलाशय का कार्य खत्म करने के बाद प्रारंभ किया जायगा ।

(२) माईथान जलाशय में पानी का स्तर जलविद्युत की मांग पूरी करने के लिये जून, १९६१ में डेड स्टोरेज लेवल से ५ फीट नीचे कर दिया गया था ।

(ख) भूसंरक्षण और वनरोपण कार्य मिट्टी के जलाशयों में बहने को यथासंभव कम करने की दृष्टि से किये जाते हैं ।

आसाम का नहारकटिया तापीय विद्युत केंद्र

†२२२०. **श्री न० म० देव** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम राज्य के नाहरकटिया तापीय विद्युत केन्द्र में बिजली का कुल उत्पादन किलोवाटों में कितना है ; और

(ख) उस विद्युत केन्द्र की लागत क्या है ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) आसाम के नाहरकटिया तापीय विद्युत केन्द्र, जो तीसरी योजना अवधि में बनाया जायगा, की क्षमता पूर्ण हो जाने पर ६७.२ मेगावाट (एम० डब्लू०) होगी ।

(ख) समस्त योजना, ट्रांसमिशन एवं वितरण कार्यों को सम्मिलित कर के, की लागत का अनुमान १०.७२ करोड़ रुपये लगाया गया है ।

पिछली खरीफ़ की फसल में पैदा किये गये खाद्यान्न

२२२१. **श्री खुशवक्त राय** : क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कि पिछली खरीफ की फसल में उत्तर प्रदेश में कुल कितना अन्न पैदा हुआ ; और

(ख) इस से पूर्व की दो खरीफ की फसलों में कितना अन्न पैदा हुआ था ?

कृषि उपमंत्री (श्री मी० वें० कृष्णप्पा) : (क) और (ख). एक विवरण नत्थी है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

विवरण

उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल के खाद्यान्नों का उत्पादन (१९५८–५९ से १९६०–६१ तक)

खाद्यान्न	(संख्या हज़ार टनों में)		
	१९५८–५९	१९५९–६०	१९६०–६१
चावल	२,९८४	२,४२५	३,०२६
ज्वार	६२४	५८२	४८९
बाजरा	५५४	६०९	४१४
मक्का	६११	१,०१३	६१९
रागी	९६	८८	८८
छोटी ज्वार .	३२४	२६३	२५७
तूर .	६५०	७४४	८७८
अन्य खरीफ दालें	६७	६४	७०
कुल .	५,९१०	५,७८८	५,८४१

नोट :––१९५८-५९ और १९५९-६० के आंकड़े आंशिक रूप में संशोधित अनुमान हैं–– जबकि १९६०-६१ के अन्तिम अनुमान हैं और उन में संशोधन हो सकता है ।

कांगड़ा के लिये जल संभरण योजनायें

†२२२२. **श्री हेम राज :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कांगड़ा जिला (पंजाब) में दूसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में मंजूर एवं पूर्ण की गई ग्रामीण जलसंभरण योजनाओं की संख्या और नाम क्या हैं ; और

(ख) कागड़ा जिला (पंजाब) में दूसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में मंजूर एवं पूर्ण की गई नागरिक जलसंभरण योजनाओं की संख्या और नाम क्या हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) :** (क) आवश्यक सूचना देने वाला विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ठ ३ अनुबन्ध संख्या ३३]**

(ख) उस अवधि में उस जिले के लिये कोई भी नागरिक जलसंभरण योजना मंजूर नहीं की गई ।

लुधियाना जिले में पैकेज प्रोग्राम

†२२२३. **श्री दी० चं० शर्मा :**
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिये पंजाब के लुधियाना जिले में शुरू किये गये पैकेज प्रोग्राम की रूपरेखा क्या है ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इस प्रयोजन के लिये प्रतिवर्ष कितनी राशि व्यय की जानी है ;

(ग) इस प्रयोजन के लिये कितने अतिरिक्त कर्मचारी विनियोजित किये जाने है और उन पर कितना वार्षिक व्यय होगा ; और

(घ) लुधियाना जिले का पिछले तीन वर्षों का वार्षिक उत्पादन कितना है और इस प्रोग्राम के पूरा हो जाने पर उस में कितनी वृद्धि हो जाने का अनुमान है ।

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) से (घ). एक विवरण, जिसमें आवश्यक सूचना दी गई है, संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ठ ३, अनुबंध संख्या ३४]**

खाद्य तथा कृषि संगठन में भारतीय राष्ट्रजन

†२२२४. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाद्य तथा कृषि संगठन के सचिवालय एवं अन्य प्रमुख अभिकरणों में इस समय कितने भारतीय राष्ट्रजन कार्य कर रहे हैं ; और

(ख) उन की नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) ६६ ।

(ख) प्रार्थनापत्र विश्वव्यापी आधार पर आमंत्रित किये जाते हैं और नियुक्तियां महा-निदेशक द्वारा नियुक्ति समिति की सिफारिश पर की जाती हैं । प्रवरण के लिये विनिहित कसौटी निम्न प्रकार है :

> "कर्मचारी नियुक्त करने में महानिदेशक योग्यता एवं प्रविधिक क्षमता के उच्चतम प्रतिमान की प्राप्ति के महत्व के अधीनस्थ, यथासंभव व्यापक भौगोलिक आधार पर भर्ती किये गये कर्मचारियों के वरण के महत्व का समुचित ध्यान रखेगा। "

करनाल में राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्था

†२२२५. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) करनाल में राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्था की इमारतों और अन्य चीजों के निर्माण में आद्यतन क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) उस के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

करनाल में राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्था की इमारतों और अन्य चीजों के निर्माण में हुई प्रगति नीचे दी गई है :

इमारतों का निर्माण

(क) **छात्रावास** : निर्माण कार्य समाप्ति के निकट है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) **डेरी टेक्नोलौजी विभाग एवं डेरी विज्ञान कालेज** : केन्द्रीय लोक कर्म विभाग द्वारा चार बार टेंडर मांगे गये परन्तु कोई टेंडर नहीं प्राप्त हुआ। टेंडर पुनः आमंत्रित किये गये हैं ।

(ग) **प्रशासकीय खंड** : केन्द्रीय लोक कर्म विभाग से इमारत के पुष्ट प्राक्कलन एवं योजना प्रतीक्षित हैं ।

(घ) **पशुशाला भवन** : निर्माण कार्य अभी तक प्रारम्भ नहीं हुआ है, उस के १९६१-६२ में प्रारम्भ किये जाने की आशा है ।

(ङ) **कर्मचारियों के लिये अतिरिक्त क्वार्टर** : २६ अतिरिक्त क्वार्टरों का निर्माण १९६१-६२ में प्रारंभ किये जाने की आशा है । आवश्यक प्रशासकीय मंजूरी जारी की जा चुकी है ।

२. अन्य चीजें :

करनाल की राष्ट्रीय डेरी अनुसन्धान संस्था में पोस्ट-ग्रैजुएट एम० एस-सी० (डेयरिंग) और बी० एस-सी० (डेरी हसबैन्डरी) कोर्स क्रमशः फरवरी और जुलाई, १९६१ में प्रारम्भ किये गये थे । नई प्रयोगात्मक डेरी चालू हो गई है ।

उत्तर रेलवे में रिजर्वेशन क्लर्क

†२२२६. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे में रिजर्वेशन क्लर्कों की संख्या वेतन-क्रम-वार और स्टेशन-वार संख्या कितनी है ; और

(ख) उत्तर रेलवे में कितने पैसिंजर गाइड कार्य कर रहे हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)**: (क) एक विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबंध संख्या ३५]**

(ख) ४१ ।

उत्तर रेलवे में नैमित्तिक श्रमिक[1]

†२२२७. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे में इस समय नैमित्तिक श्रमिकों की संख्या कितनी है ;

(ख) उनमें से कितने श्रमिक एक से अधिक वर्ष से लगातार कार्य कर रहे हैं ; और

(ग) इसी अवधि में कितने श्रमिकों को नियमित सेवा में खपाया गया है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) ४०२८१ ।

(ख) १६५५ ।

(ग) ३४६ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Casual Workers.

जम्मू तथा काश्मीर में होमियोपैथिक एवं आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणालियां

†२२२८. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार द्वारा दूसरी पंच वर्षीय योजना अवधि में जम्मू तथा काश्मीर राज्य को होमियोपैथिक एवं आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणालियों के विकास के लिए कितनी वित्तीय सहायता दी गई है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : राज्य सरकार को १९५९–६० और १९६०–६१ में "अन्य योजनायें––चिकित्सा" समूह के अन्तर्गत, जिसमें होमियोपैथी और आयुर्वेद के विकास सम्बन्धी योजनायें सम्मिलित थीं, ११,००० रुपये की राशि मंजूर की गई थी । चूंकि राज्य सरकार एक समूह में सम्मिलित विभिन्न योजनाओं पर व्यय विनियमित कर सकती है इसलिये यह निश्चित रूप से बताना संभव नहीं है कि भारत सरकार द्वारा मंजूर की गई राशि किन योजनाओं में काम में लाई गई थी ।

जम्मू तथा काश्मीर में दूसरी योजना अवधि में किसी भी गैर-सरकारी संस्था को कोई वित्तीय सहायता नहीं दी गई थी ।

दिल्ली में मध्यम सिंचाई परियोजनाएं

†२२२९. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली की मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण के लिए १९६०–६१ में कितनी वित्तीय सहायता मांगी गई थी और कितनी दी गई ; और

(ख) मंजूर की गई परियोजनाओं के नाम क्या हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) और (ख). दिल्ली में दूसरी योजना अवधि में कोई भी मध्यम सिंचाई परियोजना क्रियान्वित नहीं की गई अतः १९६०–६१ में वित्तीय सहायता का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

रेलवे क्वार्टर

†२२३०. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९–६० और १९६०–६१ में उत्तर रेलवे पर रेलवे कर्मचारियों के लिए कितने क्वार्टर बनाये गये हैं और किन स्थानों पर ;

(ख) उक्त अवधि में कितने क्वार्टर आवंटित किये गये हैं ; और

(ग) १ जुलाई, १९६१ को प्रतीक्षा-सूची में कितने कर्मचारी थे ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) १९५९–६० में १३४२ ।

१९६०–६१ में १०३६ ।

जिन स्थानों पर क्वार्टर बनाये गये हैं उनको बताने वाला डिवीजनवार विवरण संलग्न है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० ३१५८/६१]**

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) १९५९–६० में १५३० ।

१९६०–६१ में ८६७ ।

१९५९–६० में आंकड़ों में १९५८–५९ के अन्त में पूरे होने वाले क्वार्टर शामिल हैं ।

(ग) ३९७८४ ।

घी का भाव

२२३१. **श्री क० भे० मालवीय** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि आजकल घी के दाम बहुत बढ़ ग ये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसकी रोक-थाम के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा): (क) जी हां ।

(ख) घी कोई नियंत्रित पदार्थ नहीं है । उसके दामों में गिरावट लाने के लिये फिर भी पशु पालन और डेरी विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत यह प्रयत्न किये जा रहे हैं कि दूध का उत्पादन बढ़े, घी की मात्रा बढ़े और उसके निर्माण कार्य का विकास हो और उसका पणन हो ।

दिल्ली दुग्ध वितरण योजना

२२३२. **श्री क० भे० मालवीय** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने के कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार के सामने ऐसी कोई योजना विचाराधीन है कि दिल्ली दुग्ध वितरण योजना का पीने योग्य ठंडा या गर्म दूध जनता को भी मिल सके जिस के लिये और डिपो खोले जायेंगे ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

कृषि **उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)**: (क) और (ख). दिल्ली दुग्ध योजना पहिले से ही गर्म और ठंडा दोनों प्रकार का दूध पार्लियामेंट हाउस, नई दिल्ली में सारा दिन दुकान पर दे रही है। निम्नलिखित स्थानों की दूकानों पर केवल ठंडा दूध बेचा जा रहा है :—

(१) सेन्ट्रल डेरी, दिल्ली दुग्ध योजना, पश्चिम पटेल नगर, नई दिल्ली ।

(२) कृषि भवन, डा० राजेन्द्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली ।

(३) योजना भवन, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली ।

दिल्ली दुग्ध योजना यथा समय ५० ऐसी दुकानों के खोलने के लिये विचार कर रही है ।

कृषि योजनायें

२२३३. **श्री क० भे० मालवीय**: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने कई कृषि योजनायें स्वीकार की हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त योजनाओं का राज्यानुसार ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्री (डा० पं० शा० देशमुख): (क) और (ख). कृषि, पशुपालन और सम्बन्धित विषयों पर वर्तमान में पहले से ही चल रही कुछ योजनाओं के विस्तार की सिफारिश के अतिरिक्त, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के सलाहकार बोर्ड ने अपनी जुलाई, १९६१ की बैठक में कुछ नयी अनुसन्धान योजनाओं को स्वीकार किया। ये अब स्थायी वित्त समिति को और परिषद् की कार्यकारिणी समिति को, जो कि अगस्त, १९६१ के अन्तिम सप्ताह में होगी, मंजूरी के लिये भेजी जायेंगी।

दिल्ली में परिवार नियोजन केन्द्र

२२३४. **श्री क० भे० मालवीय :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में स्टेरीलाइज़ेशन सेन्टर (बन्ध्यीकरण केन्द्र) खोला जायगा ;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे ही केन्द्र भारत के अन्य बड़े-बड़े शहरों में भी खोले जायेंगे ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर): (क) बन्ध्यकरण आपरेशनों की सुविधायें दिल्ली के निम्नलिखित अस्पतालों में उपलब्ध हैं :—

१. विलिंगडन अस्पताल

२. सफदरजंग अस्पताल

३. हिन्दू राव अस्पताल

४. विक्टोरिया जनाना अस्पताल

५. गिरधारीलाल अस्पताल

६. लेडी हार्डिग अस्पताल

७. इरविन अस्पताल

(ख) और (ग). बन्ध्यकरण आपरेशनों की सुविधायें साधारणतया अन्य बड़े-बड़े शहरों के अस्पतालों में पहले ही उपलब्ध हैं। भारत सरकार ने निम्नलिखित कार्यों के लिये राज्य सरकारों को शत प्रतिशत आर्थिक सहायता प्रदान की है :—

१. बन्ध्यकरण आपरेशनों के लिये जिला स्तर तक के अस्पतालों में कर्मचारियों की वृद्धि ;

२. चिकित्सा शिक्षण संस्थाओं में बन्ध्यकरण आपरेशनों के तकनीक में मेडिकल अफसरों और सहायक कर्मचारियों का प्रशिक्षण ; और

३. बन्ध्यकरण आपरेशनों के लिये सचल शल्य-क्रिया एककों की व्यवस्था।

सान्ता-क्रुज हवाई अड्डा

†२२३५. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सान्ता-क्रुज हवाई अड्डे पर राडार लगाने और अन्य प्रकार से उसे आधुनिक बनाने में कहां तक प्रगति हुई है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या यह सच है कि उसे आधुनिक बनाने का काम रोक दिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)**: (क) बम्बई में सान्ता-क्रुज हवाई अड्डे पर सभी अत्यावश्यक आधुनिक सुविधायें जिनमें अन्तर्राष्ट्रीय जेट विमान के काम आने वाला राडार भी सम्मिलित है, उपलब्ध है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

कोयमबटूर में फाइलेरिया

†२२३६. **श्री नंजप्प** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयम्बटूर (मद्रास राज्य) में १९६०–६१ और १९६१–६२ में अब तक फाइलेरिया के कितने केस हुए ; और

(ख) क्या इसकी रोकथाम के लिये किये गये उपायों का कोई सर्वेक्षण किया गया है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी उपलब्ध करने के लिये मद्रास सरकार को कहा गया है और प्राप्त होते ही उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

पंजाब में अनाज का स्टाक

†२२३७. **श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब के डिपोओं में अक्तूबर, १९५४ से जून, १९५८ तक गेहूं का जो ८५१५ मन का स्टाक जमा किया गया था वह अब तक नहीं बेचा गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इससे कितनी हानि हुई ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

कृषि मंत्री की विदेश यात्रा

†२२३८. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि मंत्री ने मीन क्षेत्र, डेयरी फार्मिंग , पशु पालन और कुकट पालन के अद्यतन विकास का अध्ययन करने के लिये अमरीका, आस्ट्रेलिया और न्यूजीलेंड का दौरा किया ; और

(ख) यदि हां, तो उन्होंने क्या-क्या बातें देखीं ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) जी हां ।

(ख) पर्यवेक्षण दौरे का प्रयोजन कृषि संबंधी वैज्ञानिक ढंग और डेयरी संयंत्रों और चारे, वाणिज्यिक स्तर पर कुकट पालन और तालाबों आदि में मछलियां पालने के तरीकों का अध्ययन करना था क्यों कि यह अनुभव किया गया था कि भारत में इन उद्योगों के विस्तार की काफी संभावना

†मूल अंग्रेजी में

है। उपमंत्री ने उपरोक्त क्षेत्रों से सम्बद्ध काम करने वाले कई कारखानों और संस्थाओं का दौरा किया। उन्होंने जो अनुभव प्राप्त किया उसे भारत में कुकट और पशुओं के लिये चारा तैयार करने के काम में प्रयोग किया जायेगा।

मथुरा स्टेशन पर एक घायल युवती

†२२३९. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अप्रैल, १९६१ के आखिरी सप्ताह में मथुरा की रेलवे साइडिंग पर एक युवती की लाश मिली जिसपर चाकू के घाव थे ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई गिरफ्तारियां की गई हैं ; और

(ग) इस विषय में क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी हां। २७-४-६१ को सुबह को मथुरा स्टेशन के प्लेटफार्म पर खड़ी एक गाड़ी में तीसरे दर्जे के शौचालय में एक युवती की लाश मिली जिसपर चाकू के बहुत से घाव थे।

(ख) और (ग). अभी कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

पटना में गंगा नदी पर पुल

†२२४०. **पं० द्वा० ना० तिवारी** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि बिहार सरकार पटना स्थान पर गंगा पर पुल बनाने की संभावना की जांच कर रही है और विमान द्वारा सर्वेक्षण पूरा हो चुका है।

(ख) क्या सरकार का ध्यान इस विषय में २९ अप्रैल, १९६० के सर्चलाइट के सम्पादकीय की ओर दिलाया गया है, और

(ग) यदि हां, तो बिहार सरकार ने कितनी सहायता मांगी है और अब तक कितनी सहायता दी गई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० सुब्बारायन)** : (क) सूचना मिली है कि गंगा नदी पर पटना के स्थान पर पुल बनाने की संभावना की जांच बिहार सरकार कर रही है। इस संबंध में हुई प्रगति के बारे में भारत सरकार को कोई जानकारी नहीं है। यदि यह पुल बनाया गया तो यह राज्य की सड़क पर बनाया जायेगा इसलिये इस परियोजना की मूल जिम्मेदारी बिहार सरकार पर ही होगी।

(ख) और (ग). शायद माननीय सदस्य का अभिप्राय दिनांक २९ अप्रैल, १९६१ न कि २९ अप्रैल, १९६० के "सर्चलाइट" में प्रकाशित सम्पादकीय से है जिसमें यह कहा गया कि सर्वेक्षण पूरा होने के पश्चात राज्य सरकार इस परियोजना को भारत सरकार से आर्थिक सहायता लेकर आरम्भ करेगी। केन्द्रीय आर्थिक सहायता के लिये राज्य सरकार से कोई प्रस्थापना नहीं मिली है।

---

†मूल अंग्रेजी में

मधु मक्खी पालन

†२२४१. **पंडित द्वा० नाथ० तिवारी :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को विदित है कि टोकियो के एक जापानी मधु मक्खी पालक श्री निजी टाडा ने मधु मक्खी पालन के बारे में कुछ प्रयोग और अनुसंधान किया जिसके अनुसार प्लास्टिक के छत्ते इस्तेमाल करके शहद का उत्पादन जल्दी और अधिक मात्रा में किया गया ; और

(ख) यदि हां, तो क्या देश में इस प्रकार का अनुसंधान करने का विचार है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) :** (क) और (ख). जापान में किये गये कुछ प्रयोगों की सूचनाएं मिली हैं। इस तरीके के व्यावहारिक प्रयोग के बारे में कोई निश्चित परिणाम प्राप्त नहीं हुआ है। उसी प्रकार के प्लास्टिक के छत्ते इस्तेमाल करने की संभावना का परीक्षण किया जायेगा।

दिल्ली में स्वास्थ्य संग्रहालय

†२२४२. **श्री रामकृष्ण गुप्त :** क्या स्वास्थ्य मंत्री ९ मार्च, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या १३२५ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में स्वास्थ्य संग्रहालय योजना के ब्यौरे को अन्तिम रूप दे दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) :** (क) अभी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

रेलवे कर्मशालाओं के प्रबंध में श्रमिकों द्वारा भाग लिया जाना

†२२४३. **श्री रामकृष्ण गुप्त :** क्या रेलवे मंत्री ९ मार्च, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या १३३० के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच इस विषय में विचार किया है कि भारतीय रेलवे की कर्मशालाओं के प्रबंध में श्रमिकों का सहयोग किस प्रकार प्राप्त किया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) :** (क) और (ख). यह निश्चय किया गया है कि रेलवे की सभी कर्मशालाओं में धीरे-धीरे जो प्रोत्साहन योजनायें लागू की जा रही हैं उनके लागू होने तक इस मामले को स्थगित कर दिया जाये।

बीमाशुदा पार्सल का गुम होना

†२२४४. **श्री रामकृष्ण गुप्त :** क्या परिवहन तथा संचार मंत्री ९ मार्च, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या १३२८ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुम हुए बीमाशुदा पार्सल के बारे में पुलिस की छानबीन पूरी हो चुकी है ; और

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) यदि हां, तो उस का क्या परिणाम निकला ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : (क) जी हां।

(ख) पुलिस ने इस मामले को अलभ्य मान लिया है।

मत्स्य ग्रहण समवाय

†२२४५. **श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री ९ मार्च, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या १३२९ के उत्तर में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मत्स्य ग्रहण समवायों से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मों० वें० कृष्णप्पा)** : (क) और (ख). इंडियन फिशिंग कम्पनी जिसके साथ श्रिम्पट्रालिंग की योजना में जापान की तेयो फिशिंग कम्पनी काम करेगी, ने सरकार के अनुमोदन से अपनी योजना को अन्तिम रूप दे दिया है। श्रिम्प (प्रान), लाबस्टर आदि कोचीन तट पर काफी तादाद में हैं। आस्थगित भुगतान ऋण योजना के अधीन जापान से दो नये ट्रालर और एक बर्फ संयंत्र का आयात किया जा रहा है और मछली की इन किस्मों के अमरीका तथा अन्य देशों में निर्यात करने के लिये उन्हें कोचीन तट पर श्रिम्प ट्रालिंग के लिये लगाया जायेगा। इन निर्यातों से ५ लाख रुपये प्रति वर्ष विदेशी मुद्रा के रूप में प्राप्त होने की आशा है।

जहां तक एची प्रिफेक्चुरल सरकार के प्रस्ताव का संबंध है, उसके जहाज "केको मेरू" द्वारा मैसूर तट पर किये गये सर्वेक्षण की रिपोर्ट शीघ्र ही प्राप्त होने की आशा है। उस के प्राप्त होने के बाद एची प्रिफेक्चुरल सरकार के सहयोग से मैसूर में वाणिज्यिक दृष्टि से मत्स्यन के लिये एक कम्पनी खोलने की संभावना पर विचार किया जायगा।

मध्य प्रदेश के लिये डाक-तार सर्कल

†२२४६. **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री नेक राम नेगी :
श्री जांगड़े :
श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंहजी :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री २४ फरवरी, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या २९६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समस्त मध्य प्रदेश को एक डाक और तार मंडल के अधीन करने के प्रश्न पर विचार किया है : और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** :(क) और (ख)· १-४-१९६१ से समस्त मध्य प्रदेश राज्य क्षेत्र को केन्द्रीय मंडल, नागपुर के पोस्ट मास्टर जनरल के अधीन लाया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

फसल बीमा योजना

†२२४७. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री नेक राम नेगी :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री ६ मार्च, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या १०१६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फसल बीमा के बारे में पंजाब सरकार से प्राप्त योजना के ब्यौरों को अन्तिम रूप दिया जा चुका है ; और

(ख) यदि हां, तो वे क्या हैं ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) जी नहीं ; फसल बीमा की योजना के ब्यौरे अभी पजाब सरकार तैयार कर रही है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

केन्द्रीय जल संभरण तथा सफाई योजना

†२२४८. **श्री रामकृष्ण गुप्त :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६१–६२ में ग्राम तथा नगर क्षेत्रों के लिये राष्ट्रीय जल संभरण और सफाई योजना के कार्यक्रम को अन्तिम रूप दे दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस का क्या ब्यौरा (राज्वार) है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) हां ।

(ख) ब्यौरा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ३६]**

कोढ़

†२२४९. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजधानी में कोढ़ के लिये किसी अस्पताल में मरीज़ के वहां दाखिल कर के इलाज करने की सुविधा नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या प्रयत्न किये गये या किये जायेंगे ।

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) हां ।

(ख) दिल्ली नगर निगम के अधीन शाहदरा के पास ताहिरपुर गांव में १३०–१५० मरीज़ों को रखने की हैसियत का एक कुष्ट रोगी गृह काम कर रहा है । ऐसा प्रस्ताव है कि तीसरी योजना काल में उसे ऐसे रोगियों के रहने के केम्प का रूप दे दिया जाये जिस में उन को ठहराकर इलाज करने का प्रबन्ध हो । आरम्भ में ४ प्रक्षणशय्या रखने का विचार है जो १० शय्या तक बढ़ाया जा सकता है ।

दिल्ली ग्लाइडिंग क्लब

†२२५०. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली ग्लाइडिंग क्लब के पास ग्लाइडरों की कमी है और उसने

---

†मूल अंग्रेजी में

भारत सरकार से अनुरोध किया है कि सरकार के पास जो ग्लाइडर रखें हैं, वे उसे दे दें ; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में क्या कार्यवाही की गई ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) जी हां ।

(ख) यह निश्चय किया गया है कि असैनिक उड्डयन विभाग के प्राविधिक केन्द्र में निर्मित एक प्रोटो टाइप "अश्विनी" ग्लाइडर क्लब को एलाट कर दिया जाय । क्लब को एक और ग्लाइडर एलाट करने का प्रश्न विचाराधीन है ।

पंचायती राज चुनाव

†२२५१. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकारिता** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने पंचायती राज चुनावों में एकरूपता लाने के लिये क्या कदम उठाये हैं और उनके क्या परिणाम निकले;

(ख) क्या आर्थिक प्रोत्साहन भी दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो वे किस प्रकार के थे और उनमें कितना खर्च किया गया ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति)**: (क) से (ग). पंचायती राज के चुनावों में एकरूपता तभी आ सकती है जब देश में जनता की राय द्वारा समेकित प्रयत्न किया जाय और राजनीतिक दलों से यह अपील की जाय कि इनके चुनावों में दलीय आधार पर चुनाव न लड़ें । सामुदायिक विकास के वार्षिक सम्मेलन में और जुलाई, १९६१ में हुए पंचायती राज के राज्य मन्त्रियों के सम्मेलन में यह बताया गया कि पंचायती राज के चुनावों में एकरूपता की आवश्यकता है और राजनीतिक दलों से यह अपेक्षित है कि वे इन चुनावों से अपने को दूर रखें । एकरूपता और समन्वय रखने वाली ऐसी संस्थाओं को अतिरिक्त आर्थिक सहायता के रूप में प्रोत्साहन देने का एक सुझाव भी दिया गया था ।

२. कुछ राज्य सरकारों द्वारा की गई कार्यवाही के विवरण का एक नोट पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ३७]**

रेलवे के नये निर्माण कार्यों की ज्यादा लागत

†२२५२. **श्री कुन्हन :**
श्री त० ब० विट्ठल राव :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :

क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड द्वारा रेलवे के नये निर्माण कार्यों की ज्यादा लागत आने के बारे में कोई जाच की गई है;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ; और

(ग) नई रेलवे लाइनें बनाने की लागत कम करने के क्या कार्यवाही किये जाने की आशा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) से (ग). नई लाइन की लागत इन चीजों पर निर्भर करती है :—

(१) भू-भाग की बनावट

(२) निर्माण का स्तर

(३) श्रम और सामान की लागत

जब भू-भाग की बनावट निश्चित हो जाती है तो शेष दो बातों पर लागत निर्भर रहती है। निर्माण का स्तर यातायात की आवश्यकता पर निर्भर करता है। आरम्भ में लाइन खुलते ही और निकट भविष्य में जरूरतें होती हैं वे पूरी की जाती हैं। सामान वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय के डी० जी० एस० डी० विभाग के लोहा औ इस्पात नियन्त्रक के द्वारा प्राप्त किया जाता है और जिन ठेकेदारों की न्यूनतम दरें होती हैं उन्हें स्वीकार किया जाता है। टेंडर देकर 'श्रम' अथवा 'दरों के जरिये' काम ठेकेदारों को सौंप दिया जाता है। जब विभाग द्वारा मजदूर सीधे काम पर लगाये जाते हैं तब न्यूनतम मजूरी एक्ट अथवा असैनिक पदाधिकारियों द्वारा निश्चित दरों पर उन्हें मजूरी दी जाती है। काम पर लगाये गये ऐसे श्रमिकों पर सदैव कड़ी निगरानी रहती है।

निर्माण कार्यों के प्राक्कलन तैयार किये जाते हैं और खर्च का पूरा हिसाब रखा जाता है। प्रत्येक स्तर पर अधिकारियों, लेखों और लेखा परीक्षाओं द्वारा जांच पड़ताल की जाती है। अतः अनावश्यक, फिजूल या अधिक खर्च की कहीं गुंजाइश नहीं रहती। अतः आगे और कोई कार्यवाही करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

इंजन डिब्बे आदि

†२२५३. **श्री हेम राज** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्रमशः १९६० और १९६१ के वर्षों में छोटी लाइन के लिये कितने इंजन डिब्बों आदि का निर्माण भारत में किया गया ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :

	१९६०	१९६१ (जुलाई तक)
इंजन	..	..
सरकारी डिब्बे (इकाइयों में) . . .	३७	१७
माल डिब्बे (चार पहियों वाले)	१०३६	१८८

कलकत्ता में हैजा अनुसंधान केन्द्र

†२२५४. **श्री कोडियान** : क्या **स्वास्थ्य** मन्त्री २८ नवम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ८८० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता में हैजे के अनुसन्धान के लिये एक केन्द्र स्थापित करने में इस बीच क्या प्रगति हुई है; और

(ख) केन्द्र ने इस सम्बन्ध में अब तक कुल कितना व्यय किया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) हैजा अनुसन्धान केन्द्र के लिये एक प्रयोगशाला स्थापित करने के हेतु बेलियाघाट आई डी हस्पताल कलकत्ता के आंगन में एक जगह अस्थायी रूप से चुनी गई है। केन्द्र को हस्पताल में मरीजों के उपचार की सुविधायें देने का भी प्रस्ताव किया गया है। आवश्यक कर्मचारी शीघ्र ही भर्ती किये जायेंगे।

(ख) अभी तक कोई व्यय नहीं किया गया।

खाद्यान्न के मूल्य

†२२५५. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई से जुलाई १९६१ तक की अवधि में देश में खाद्यान्न के मूल्य स्थिर रहे हैं ;

(ख) यदि नहीं तो क्या मूल्य और गिर गये थे; और

(ग) यदि हां, तो किस सीमा तक।

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) तथा (ख). नहीं श्रीमान्। खाद्यान्न के मूल्यों में कुछ मौसमी वृद्धि हुई है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

बमरा और गारपोस स्टेशनों पर ऊपरी पुल

†२२५६. **श्री प्र० गं० देव** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बमरा और गारपोस रेलवे स्टेशनों (दक्षिण पूर्व रेलवे) पर ऊपरी पुलों का निर्माण किया जायेगा;

(ख) यदि हां, तो कब तक; और

(ग) उसके लिये कितनी कितनी धनराशियां मंजूर की गई हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) नहीं श्रीमान।

(ख) तथा (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

स्टेशनों पर बिजली लगाना

†२२५७. **श्री प्र० गं० देव** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सम्बलपुर और रूरकेला के बीच उन स्टेशनों को छोड़ कर जहां पहले ही बिजली लगी हुई है अन्य रेलवे स्टेशनों को कब हीराकुड से बिजली मिल जायेगी जोकि इन स्टेशनों के आन्तरिक प्रदेश में स्थित है; और

(ख) इस मामले का निर्णय करने में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) इस काम को पूरा करने के लिये क्या कार्यक्रम बनाया गया है ;

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क), (ख) तथा (ग). सम्बलपुर और रूरकेला के बीच १२ स्टेशन हैं जिन पर अभी तक बिजली नहीं लगी हुई। इनमें से इस समय १ स्टेशन पर बिजली उपलब्ध है और यहां १९६१-६२ में बिजली लगाने का कार्यक्रम बनाया गया है। शेष ११ स्टेशनों पर बिजली लगाने का काम तभी आरम्भ किया जा सकता है जब कम शक्ति की बिजली उपलब्ध होगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

खोह-खड्ड वाली भूमि को कृषि योग्य बनाना

२२५८. { श्री भक्त दर्शन :
श्री चिंतामणि पाणिग्रही :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री ६ दिसम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ७३९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि विभिन्न राज्यों में खोह-खड्ड वाली भूमि को कृषि योग्य बनाने के प्रस्ताव के बारे में अब तक और क्या प्रगति हुई है ?

कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) : एक विवरण नत्थी है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ३८]**

लोदी कालोनी और सेवानगर के बीच पुल

२२५९. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **परिवहन तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान इस ओर दिलाया गया है कि लोदी कालोनी (नई दिल्ली) को सेवा नगर (कस्तूरबा नगर) से मिलाने वाले पुल की अनेक वर्षों से मरम्मत नहीं की गई है ;

(ख) क्या यह सच है कि उस पुल के निर्माण के बाद से अब तक उसके पार वाले इलाके में अनेक नई बस्तियां बसाई जा चुकी हैं व अब भी बसाई जा रही हैं, जिससे कि उक्त पुल पर यातायात अत्यधिक बढ़ गया है; और

(ग) यदि हां, तो उस पुल को सुदृढ़ व चौड़ा बनाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है।

परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन): (क) जी नहीं, यह पुल दिल्ली नगरपालिका निगम की कार्यसीमा के अन्तर्गत आता है और सूचना मिली है कि इसकी मरम्मत सन्तोषपूर्ण रीति से हो रही है।

(ख) जी हां।

(ग) पुल को चौड़ा करने के विषय पर दिल्ली नगरपालिका निगम द्वारा विचार किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश में चीनी की मिलें

२२६०. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री २३ अगस्त, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १२८६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) उत्तर प्रदेश में चीनी की नई मिलें खोलने का जो प्रश्न विचाराधीन था उसके बारे में क्या निश्चय किया गया है ; और

(ख) उस निश्चय के अनुसार क्या प्रगति हुई है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) और (ख). एक नई सहकारी फैक्ट्री की स्थापना के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करने का अनुमोदन कर दिया गया है।

देश में चीनी के अत्यधिक उत्पादन को दृष्टि में रखते हुए अब यह निश्चय किया गया है कि अभी चीनी उद्योग में कोई और अनुज्ञप्ति न दी जाए। जब कभी नई अनुज्ञप्तियां पुनः प्रदान करने के लिए निर्धारित किया जाएगा, तब लम्बित आवेदन पत्रों पर पुनः विचार किया जाएगा।

गेहूं के भावों में कमी

†२२६१. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब में गेहूं के भावों में बहुत कमी हुई है जिससे किसानों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ; और

(ख) यदि हां, तो भारत सरकार गेहूं के भावों को स्थिर करने के लिये क्या कार्रवाई कर रही है ताकि ये उचित दामों से कम न हो जाएं ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) और (ख). पिछली फसल के पश्चात् पंजाब में गहूं के दामों में कुछ कमी हुई थी । तथापि सरकार ने गेहूं के लाने ले जाने पर प्रादेशिक प्रतिबंध हटा कर आटा मिलों को खुले बाजार से गेहूं खरीदने की अनुमति दे दी और गेहूं के स्टाकों पर बैंकों द्वारा ऋण पर प्रतिबंध हटा दिये । इन उपायों से उचित स्तर पर दाम स्थिर करने तथा किसानों के हितों की रक्षा करने में सहायता मिली ।

दक्षिण पूर्व रेलवे पर गाड़ियों का लेट चलना

†२२६२. { **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण पूर्व रेलवे पर लंबी यात्रा वाली डाक और यात्री सभी गाड़ियां १३ मई से १८ मई १९६१ तक की अवधि में लेट चलती रही हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी नहीं । १३ से १८ मई १९६१ तक की अवधि में दक्षिण पूर्व रेलवे पर डाक/एक्सप्रैस और लंबी यात्रा यात्री गाड़ियों द्वारा समय पालन को दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ३९]**

(ख) सवाल पैदा नहीं होता ।

राष्ट्रीय चेचक उन्मूलन कार्यक्रम

†२२६३. **श्री कोडियान** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय चेचक उन्मूलन कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक प्रारंभिक उपायों के भाग के तौर पर आरंभ की गई अग्रिम परियोजनाएं अनुसूची के अनुसार पूरी हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो इन अग्रिम परियोजनाओं से क्या अनुभव प्राप्त हुए हैं ;

(ग) क्या वास्तविक उन्मूलन कार्यक्रम आरंभ कर दिया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी हां, दिल्ली को छोड़कर ।

(ख) असम सरकारों से प्राप्त अग्रिम परियोजनाओं के प्रतिवेदनों का अध्ययन किया जा रहा है ।

(ग) अभी नहीं ।

(घ) सवाल पैदा नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

बाल पक्षाघात निरोधक रूसी वैक्सीन का प्रभाव

†२२६४. **श्री नंजप्पा** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में तथा देश के दूसरे स्थानों पर रूसी सक्षम बाल पक्षाघात निरोधक वैक्सीन (गोलियों) के प्रयोग का पर्यवेक्षण और प्रभाव क्या है ;

(ख) किन संस्थाओं ने परिणामों का अध्ययन किया है और उनकी सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) यदि प्रयोग सफल हैं, तो देश में बाल पक्षाघात वैक्सीन तैयार करने के लिये क्या कार्रवाई की गई है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) रूसी सक्षय बाल पक्षाघात निवारक वैक्सीन का आंध्र प्रदेश में चुने क्षत्रों में १,०१,२६८ बच्चों को प्रतिरक्षित करने के लिये प्रयोग किया गया है। जिन को टीका किया जाता है उन की प्रतिरक्षा में क्योंकि पर्याप्त समय लगता है, इस लिये तुरन्त परिणामों का पता नहीं चलता ।

(ख) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् के बाल पक्षाघात अनुसंधान एकक, बम्बई और पैस्चर संस्था कुनूर इस प्रयोग के परिणामों का अध्ययन कर रही हैं । उन की सिफारिशें अभी प्राप्त नहीं हैं ।

(ग) भारत में हैफ़किन संस्था, बंबई और पैस्चर संस्था कुनूर इन दो केन्द्रों में सक्षम मुख से खाने वाली बाल पक्षाघात वैक्सीन बनाने का विचार है ।

मृदा विज्ञान सम्बन्धी अखिल भारतीय संस्था[1]

†२२६५. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक अखिल भारतीय भूमि मृदा विज्ञान संस्था नागपुर में स्थापित की जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो उसके बारे में कितनी प्रगति की गई है; और

(ग) उस पर किये गये व्यय का ब्यौरा क्या है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) से (ग). नागपुर में मृदा विज्ञान और भूमि यंत्र विज्ञान की एक संस्था की स्थापना की एक योजना तीसरी पंचवर्षीय योजना में शामिल की गई है जिस पर ६० लाख रुपये का व्यय होगा। योजना को कार्यान्वित करने के लिये प्रारंभिक कार्रवाई आरंभ कर दी गई है ।

लखनऊ और कानपुर के बीच विद्युत् चालित गाड़ियां

†२२६६. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लखनऊ और कानपुर के बीच बिजली से चलने वाली गाड़ियां चलाने का प्रस्ताव विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इसके कब कार्यान्वित किये जाने की संभावना है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]All India Institute of Soil Pedology.

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). सवाल पैदा नहीं होता ।

दिल्ली का आयोजित विकास

†२२६७. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली का आयोजित विकास करने के लिये हाल ही में स्थापित किये गये उच्च शक्ति सम्पन्न बोर्ड के काम में कुछ प्रगति हुई है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : ऐसे बोर्ड की स्थापना के आदेश ३१ जुलाई, १९६१ को जारी किये गये थे । बोर्ड ने अपना काम अभी आरंभ नहीं किया है ।

कुमाऊं प्रदेश के लिये विमान सेवा

†२२६८. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश के कुमाऊं प्रदेश को विमान यातायात के लिये खोलने (नैनीताल को विमान सेवा द्वारा लखनऊ से मिलाने) का प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो इस के सम्बन्ध में क्या प्रगति की गई है ; और

(ग) व्यय और राजस्व दोनों की दृष्टि से प्रस्ताव के वित्तीय पहलू हैं ।

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) और (ख). इंडियन एयरलाइन्स कार्पोरेशन ने १ अक्तूबर, १९६१ से पहाड़ के मौसमों अर्थात् मई से जुलाई और सितबंर से नवम्बर तक, इस आधार पर कि उत्तर प्रदेश सरकार सेवा के संचालन से निगम को होने वाले घाटे को पूरा करने में सहायता होगी, दिल्ली-हल्द्वानी-लखनऊ सप्ताह में दो बार डकोटा सेवा चालू करने का फैसला किया है ।

(ग) इंडियन एयरलाइन्स कार्पोरेशन ने सूचित किया है कि एक ओर की १०६ उड़ानों के आधार पर एक वर्ष के लिये सेवा संचालन की लागत २.२५ लाख रुपये के लगभग होगी । इस स्तर पर निगम के लिये आय का संकेत देना संभव नहीं है ।

निफाड स्टेशन

†२२६९. **श्री यादव नारायण जाधव** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य रेलवे पर निफाड के स्टेशन को फिर बनाने के बारे में निर्णय किया जा चुका है ;

(ख) यदि हां, तो काम कब आरंभ होगा ; और

(ग) इस काम की विशेष रूपरेखा क्या है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) जी नहीं । अस्थायी प्रस्तावों पर छान बीन की जा रही है ।

(ख) और (ग). सवाल पैदा नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

आन्ध्र प्रदेश में चावल

†२२७०. **श्री रामी रेड्डी :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या यह सच है कि माल गाड़ियों के संभरण की अत्यधिक कमी के कारण आंध्र प्रदेश से कई करोड़ रुपये का चावल दक्षिण मंडल के अन्य क्षेत्रों को नहीं भेजा जा सका;

(ख) क्या इस के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** (क) से (ग). जी, हां। आंध्र प्रदेश से दक्षिण मंडल के अभावग्रस्त क्षेत्रों को चावल भेजने के लिये माल डिब्बों के अपर्याप्त संभरण के बारे में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। यह देखा गया कि कई बार आंध्र प्रदेश के मुख्य चावल उत्पादक क्षेत्रों में स्टेशनों पर माल डिब्बों के बहुत बड़े इंडेंट बकाया थे किन्तु बाद में इन में से अधिकांश इंडेंट रद्द कर दिये गये थे। इस मामले की ओर समय-समय पर रेलवे मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) का ध्यान आकर्षित किया जाता है और रेलवे मंत्रालय ने दक्षिण रेलवे को हिदायतें जारी कीं कि जहां मांग भारी थी उन कुछ स्टेशनों की बहुत माल डिब्बों के संभरण की व्यवस्था के द्वारा तथा माल गाड़ियों में माल लादने में सुभीता करने के लिये माल शैडों के काम घंटों को बढ़ा कर चावल और धान को ढोने के काम में बढ़ाया जाए। इन उपायों के कारण स्थिति में कुछ सुधार हो गया है।

गाड़ी का पटरी से उतर जाना

†२२७१. **श्रीमती मकीदा अहमद :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ अप्रैल १९६० से ३० जून १९६० तक की अवधि में उत्तर पूर्व सीमान्त रेलवे के बरौनी-अमीनगांव सैक्शन पर माल गाड़ियों के डिब्बों के पटरी से उतर जाने और उलट जाने की दुर्घटनाएं हुई हैं ;

(ख) क्या उन के कारणों का पता लगाया गया ;

(ग) इन दुर्घटनाओं में कितने दावे सिद्ध हुए ; और

(घ) कुल कितनी राशि का प्रतिकर देना पड़ा ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी):** (क) मालगाड़ियों की दो दुर्घटनाएं हुई हैं ; अर्थात्

(१) २-६-६० को ७०३ अप पटरी से उतरी ; और

(२) १४-६-६० को ७५३ अप पटरी से उतरी।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ). अब तक कुल १० दावे प्राप्त हुए हैं जिनमें १२.९ हजार रुपये का दावा किया गया है।

संयुक्त सिन्धु आयोग

†२२७२. **श्री अजित सिंह सरहदी :** क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त सिन्धु आयोग ने, नहरी नल समझौता से पहले की अवधि के लिये भारत के लिये "विवाद ग्रस्त" शीर्ष के अन्तर्गत पाकिस्तानी दातव्य का विचार किया है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो अभी तक कितनी राशि बकाया है और उसके भुगतान के लिये किस तरीके की सिफारिश की है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)**: (क) जी, नहीं। जैसा कि १४ नवम्बर १९६० को सभा पटल पर रखे गये विवरण में पहले बताया जा चुका है, समझौता के अन्तर्गत पाकिस्तान द्वारा दी जाने वाली "विवाद ग्रस्त" राशि के बारे में ४ मई १९४८ को समझौता कर लिया गया था।

इस बकाया राशि के अन्तिम रूप से भुगतान के लिये पाकिस्तान द्वारा कुल ६२.० लाख रुपये दिये जाने की बात स्वीकार की गई थी। तदनुसार इस राशि का एक अंश, जो पहले से भारत के रक्षित बैंक में प्रतिवन्धावलम्बित लेख में जमा किया गया था, भारत के नाम में स्थानांतरित कर दिया गया है। यह बकाया राशि प्रतिस्थापन कामों की लागत में भारत के वित्तीय अंशदानों से पहले ही काट लिया गया था। अतः इस कारण पाकिस्तान से कुछ बकाया नहीं है।

(ख) सवाल पैदा नहीं होता।

बीज परिष्करण और सफाई

†२२७३. **श्री अजित सिंह सरहदी : क्या खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीज परिष्करण तथा सफाई के बारे में कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिये कोई योजना बनाई गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या किसी विदेशी शिष्टमंडल की सेवाएं प्राप्त की जा रही हैं ; और

(ग) कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिये ये संस्थाएं कहां स्थापित की जा रही हैं ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था, नई दिल्ली।

कटिहार और बरौनी जंकशनों पर भारिक

†२२७४. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कटिहार और बरौनी जंक्शनों पर भारिक (पोर्टर) ड्यूटी के समय अपना नंबर प्रदर्शित नहीं करते ;

(ख) क्या यह भी सच है कि कुली प्रायः यात्रियों का सामान उड़ा ले जाते हैं ; और यात्री लाचार होते हैं क्योंकि उन को कुलियों के नम्बर पता नहीं होते।

(ग) क्या यह भी सच है कि इन दोनों ही स्टेशनों के भारिक यात्रियों से अधिक लेते हैं और वे प्रायः यात्रियों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं ;

(घ) यदि हां, तो जनवरी १९६१ से ३१ जुलाई १९६१ तक कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं ; और

(ङ) इस के बारे में सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी, नहीं । इस के बारे में यात्रियों से कोई शिकायत नहीं आई हैं ।

(ख) और (ग). जी, हां । यात्रियों के सामान की आरोपित चोरी, अधिक दाम लिये जाने और असभ्य व्यवहार संबंधी कुछ शिकायतें रेलवे प्रशासन के पास आई हैं ।

(घ) १२ ।

(ङ) विवरण संलग्न है ।

विवरण

निम्न बातों के सम्बन्ध में वर्तमान आदेशों की ठोस कार्यान्विति के लिये पर्यवेक्षण को सख्त करना—

(१) स्टेशन से अनधिकृत कुलियों का बहिष्कार ।

(२) कुलियों को लाइसेंस देने से पहले उन के चरित्र और पूर्व विवरण का सत्यापन ।

(३) उपयुक्त स्थानों पर माल उठाने का अधिकृत दरों का प्रदर्शन ;

(४) अपराध के सिद्ध मामलों के बारे में लाइसेंस प्राप्त कुलियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई ; और

(५) रेलवे बस्तियों से दुष्चरित्र लोगों का पता लगाने और उन को निकालने के बारे में राज्य सरकारों के साथ सम्पर्क ।

त्रिपुरा में ट्रैक्टर

†२२७५. **श्री दशरथ देव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि विभाग के अन्तर्गत त्रिपुरा में कितने ट्रैक्टर चल रहें हैं ;

(ख) क्या इन ट्रैक्टरों का पूर्ण रूपेण उपयोग किया जा रहा है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इन ट्रैक्टरों का पूर्ण उपयोग करने के लिये क्या कार्रवाई की गई है ?

†**कृषि मंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) ६ ।

(ख) और (ग). परिवहन की कठिनाई, पुर्जों की गैर उपलब्धि, और सेवा सुविधाओं की अपर्याप्तता के कारण ट्रैक्टरों का पूर्ण उपयोग नहीं किया गया । अब स्थानीय लोक निर्माण विभाग के साथ प्रबन्ध किया गया है कि ट्रैक्टरों की मरम्मत उन के वर्कशापों में की जाय । क्षेत्रीय मरम्मत आदि के लिये एक छोटी इकाई वाली एक कृषि वर्कशाप की भी योजना बनाई गई है ।

दूसरी पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक अधिकतर ट्रैक्टरों का उपयोग कुछ आदिम-जातीय बस्तियों तक सीमित था । तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्दर उन का भूमि संरक्षण योजनाओं के लिये और पिछड़ी श्रेणियों के कल्याण के लिये कार्यान्वित किये जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के लिये प्रयोग करने का विचार है ।

---

†मूल अंग्रेजी में]

त्रिपुरा में खाद्यान्नों का उत्पादन

†२२७६. **श्री दशरथ देव :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों में त्रिपुरा में खाद्यान्नों का कुल कितना उत्पादन हुआ है ;

(ख) गत पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष खाद्यान्नों की कुल कितनी कमी रही ;

(ग) खाद्यान्नों की इस कमी को पूरा करने के लिये इन की खरीद तथा परिवहन पर कुल कितना न व्यय किया गया ; और

(घ) खाद्यान्नों की कमी को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) :** (क) इस प्रदेश की महत्वपूर्ण खाद्य फसल चावल का गत पांच वर्षों का प्राक्कलित उत्पादन नीचे दिखाया जाता है ।

वर्ष	उत्पादन (मीट्रिक टनों में)
१९५६–५७	१,५२,८००
१९५७–५८	१,२१,४००
१९५८–५९	१,३२,८५०
१९५९–६०	१,५५,४६०
१९६०–६१	१,५८,५००

(ख) गत पंचवर्षीय योजना में खाद्यान्नों की कमी के आंकड़े नीचे दिये जाते हैं :—

वर्ष	चावल	गेहुं	(जोड़ मीट्रिक टनों में)
१९५६–५७ . .	२०,४५८	..	२०,४५८
१९५७–५८ . . .	१८,५८६	१,२९४	१९,८८०
१९५८–५९ . . .	१७,१६६	२,१८७	१९,३५३
१९५९–६० . . .	१७,५५९	१,१४९	१८,७०८
१९६०–६१ . . .	१०,६८७	७०८	११,३९५

(ग) गत पांच वर्षों में खाद्यान्नों की कमी की खरीद तथा परिवहन पर ५,४८,९०,३२० रुपये व्यय हुए हैं ।

(घ) १. बेकार पड़ी भूमि का कृष्यकरण

२. अच्छे बीज का प्रयोग

३. हरी खाद समेत आर्गनिक खण्ड का प्रयोग

४. रासायनिक उर्वरक का प्रयोग

५. कृषि की उत्तम प्रक्रियाओं तथा खेती के जापानी तरीकों को स्वीकार करना

६. सिंचाई की सुविधाओं को बढ़ाना

७. पौदा संरक्षण कार्यवाही करना

---

†मूल अंग्रेजी में

त्रिपुरा में बंजर भूमि

†२२७७. **श्री दशरथ देव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में कितनी कृषि योग्य बंजर भूमि है ;

(ख) इस में से कितनी रिज़र्व बन क्षेत्र में है ; और

(ग) इस बंजर भूमि पर खेती करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)**: (क) १९५९-६० के स्थूल प्राक्कलन नीचे लिखे अनुसार थे :

१.	हाल में ही ऊसर हुई भूमि के अतिरिक्त ऊसर भूमि .	३८,९०० एकड़
२.	हाल में ही हुई ऊसर भूमि . . .	१५,००० एकड़

(ख) जानकारी प्राप्य नहीं है क्योंकि प्रदेश का अभी सर्वेक्षण करना बाकी है।

(ग) १. उचित भूमिहीन व्यक्तियों को भूमि दी जा रही है ।

२. अतिरिक्त भूमि में खेती के इच्छुक व्यक्तियों को कृषि ऋण देने की व्यवस्था की जा रही है ।

३. क्षेत्रीय कर्मचारियों द्वारा किसानों को बाध्य किया जा रहा है कि ऊसर भमि में खेती करें। और

४. जब वर्तमान मालिक अपनी भूमि को ऊसर छोड़ देते हैं तो उस भूमि को उन से भूमि उपयोगीकरण नियमों के अधीन वह भूमि ले ली जाती है और किसी अन्य व्यक्ति को बरगा पद्धति के अधीन खेती करने के लिये दे दी जाती है ।

त्रिपुरा में धान का उत्पादन

†२२७८. **श्री दशरथ देव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८-५९, १९५९-६० तथा १९६०-६१ में त्रिपुरा में प्रति एकड़ कितने धान का उत्पादन हुआ ;

(ख) भारत के अन्य राज्यों के उत्पादन से यह कम है अथवा ज्यादा ; और

(ग) प्रति एकड़ उत्पादन बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)**: (क) से (ग) . जानकारी इकट्ठी की जा रही है और मिलने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

मनीपुर कृषि विपणन सहकारी समिति

†२२७९. **श्री लै० अचौ सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या मनीपुर कृषि विपणन सहकारी समिति, जो अब निश्चेष्ट है, ने अपने परिसमापन के समय मनीपुर प्रशासन को कृषि के सुधार के लिये निश्चित कुछ धनराशि दी थी ;

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) यदि हां, तो समिति ने कुल कितना धन मनीपुर प्रशासन को दिया था ; और

(ग) किन संगठनों अथवा संस्थाओं को धन दिया गया था तथा इस समय कितना शेष है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) से (ग). परिसमापन कार्यवाही की समाप्ति तक लम्बित प्रशासन को अस्थाई तौर पर ५०,००० रुपया दिया गया था। इस में से १६,००० रुपया प्राथमिक सहकारी विपणन समिति, चूड़ाचंद्रपुर को दिया गया है। शेष का प्रयोग करने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

लोकटाक झील के पानी में से पौदे[1] हटाना

†२२८०. **श्री लै० अचौ० सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लोकटाक झील के पानी में से पौदे (वाटर हायसिन्थ) हटाने के लिए दस लाख रुपये स्वीकार किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो इस धनराशि का उपयोग किस प्रकार किया जा रहा है; और

(ग) घाटी के अन्य क्षेत्रों से वाटर हायसिन्थ हटाने के लिए कितनी धनराशि का आबंटन किया जा रहा है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) से (ग). योजना आयोग ने काई साफ करना और नियंत्रण कार्यक्रम के लिए १३.७६ लाख रुपये आवंटित करना स्वीकार किया है। लोकटाक झील से वाटर हायसिन्थ के हटाने की प्रारम्भिक योजना को कार्यक्रम में शामिल करने का विचार है। ब्यौरे बनाये जा रहे हैं।

खाद्य उत्पादन

†२२८१. **श्री बहादुर सिंह :**
श्री नेकराम नेगी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के भूमि वैज्ञानिक डा० हैन्स जैनी, जिन्होंने भारतीय भूमि की उर्वरता का विस्तार से अध्ययन किया था, बताया है कि देश के बहुत से भागों में दुगना तथा तिगना, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करके किया जा सकता है;

(ख) खाद्य उत्पादन बढ़ाने के बारे में उन्होंने और क्या मुख्य सिफारिशें की थीं; और

(ग) डा० हैन्स जैनी की सिफारिश के अनुसार पौदे के पोषक तत्वों की स्थापना के बारे में क्या कोई कार्यवाही की गई है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) डा० हैन्स जैनी की सिफारिशों से पता लगता है कि रासायनिक उर्वरकों विशेषतया सिन्थैटिक नाइट्रोजन, फासफेट, तथा अन्य पोषक तत्वों के मिश्रण से देश का कृषि उत्पादन पर्याप्त मात्रा में बढ़ाया जा सकता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Water Hyacinth

(ख) कोई नहीं। डा० हैन्स ज़ेनी ने मुख्यतः कार्बन-नाइट्रोजन का वातावरण अनुसार भारतीय भूमि पर उसके प्रभाव का अध्ययन किया था।

(ग) भारत की राष्ट्रीय विकास योजना में उर्वरक कारखानों की स्थापना को प्राथमिकता तथा महत्व दिया गया है जिससे सिंथैटिक प्लांट पोषक तत्वों को उत्पादित किया जा सके। तीसरी पंचवर्षीय योजना में उर्वरकों के पर्याप्त उत्पादन की व्यवस्था है।

अन्डल स्टेशन पर रेल की टक्कर

†२२८२. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या २७ अप्रैल, १९६१ को अन्डल स्टेशन के निकट लैवल क्रासिंग पर सिगनल की प्रतीक्षा करने वाली कोयले की गाड़ी के पिछले हिस्से से एक हापर स्पेशल गाड़ी टकरा गई;

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना का क्या कारण था; और

(ग) दुर्घटना में कितने व्यक्ति हताहत हुए ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) और (ख). २६-४-६१ को (२७-४-६१ को नहीं) लगभग २०-१० बजे जब डाउन पांडेश्वर पापलट, पूर्व रेलवे के अन्डल-सैथनिया विभाग पर उखरा और अन्डल स्टेशन के बीच हरीशपुर लैवल क्रासिंग के सिग्नल पर खड़ा था तब डाउन हापर स्पेशल पीछे से ब्लाक सैक्शन में घुसा और पापलट गाड़ी से जा टकराया।

(ग) हत ३

अहत ७

कलकत्ता बन्दरगाह कर्मचारी

†२२८३. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता पोर्ट कमिश्नर के कर्मचारियों ने १ मई, १९६१ से मांग सप्ताह मनाया था;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या थीं; और

(ग) उन मांगों पर सरकार का क्या रवैया है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : (क) पोर्ट के लेखा विभाग के कर्मचारियों ने बताया है कि उन्होंने लेखा कर्मचारी विभाग समिति बना ली है। इस समिति के सदस्यों ने बैज पहन कर १ मई, १९६१ से "मांग सप्ताह" मनाया था।

(ख) समिति ने मांग की है कि १ मई, १९६१ से पहले यह घोषणा कर दी जाये कि समिति द्वारा बड़े बन्दरगाहों में तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के श्रेणीकरण तथा वर्गीकरण के निर्णय कब प्रकाशित किये जायेंगे। समिति यह भी चाहती थी कि द्वितीय वेतन आयोग की उचित सिफारिशों को लागू करने के समय श्रेणीकरण तथा वर्गीकरण समिति के प्रति-वेदन की क्रियान्विति के समय उपयुक्त कार्यवाही की जाये।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) श्रेणीकरण तथा वर्गीकरण समिति के प्रतिवेदन को प्रकाशित कर दिया गया है तथा कलकत्ता पोर्ट कमिश्नर इसको लागू करने की कार्यवाही कर रहे हैं। कलकत्ता पोर्ट कमिश्नर ने यह भी निर्णय किया है कि सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए स्वीकृत दूसरे वेतन आयोग की सिफारिशों को सिद्धान्ततः स्वीकार कर लिया जाये। पोर्ट कमिश्नर अपने कर्मचारियों पर इन सिफारिशों को लागू करने के लिए कार्यवाही कर रहे हैं।

ग्राम्य ऋण स्थिति

†२२८४. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजनावधि के अन्त तक की ग्राम्य ऋण स्थिति का सर्वेक्षण कर लिया गया है;

(ख) क्या तृतीय पंचवर्षीय योजना के अधीन सहकारी ग्राम्य ऋण की व्यवस्था करने की कोई योजना है; और

(ग) योजना की रूपरेखा क्या है ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उप मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) :** (क) जी नहीं।

(ख) जी, हां।

(ग) योजना की रूपरेखा नीचे दी जाती है :—

क्रम संख्या	विषय	तृतीय योजना के लक्ष्य
१.	(क) नई सेवा सहकारी समितियों का संगठन . .	३०,०००
	(ख) वर्तमान समितियों को सेवा सहकारी समितियों में रूपान्तर .	५५,०००
२.	सेवा सहकारी समितियों समेत कृषि ऋण समितियों की रूपान्तर (लाखों में)	३७२.००
३.	प्राथमिक कृषिकरण सहकारी समितियों तथा सेवा सहकारी समितियों के अल्प तथा मध्यम कालीन ऋण (करोड़ रुपयों में) .	५३०,००
४.	भूमि बंधन बैंक द्वारा जारी किये गये मिर्धाविधि ऋण (करोड़ों रुपयों में)	१५०.००
५.	कृषि परिवार	६२ प्रतिशत

(नोट :—(क) से (ख) की मदों के आंकड़े तीसरी योजना के अन्तिम वर्ष के हैं)

दिल्ली में बिजली की सप्लाई में कटौती

†२२८५. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
सरदार इकबाल सिंह :
श्री अ० मु० तारिक :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजघाट के केन्द्रीय बिजली घर के बिजली उत्पन्न करने वाले एक संयंत्र में

†मूल अंग्रेजी में

मई १९६१ में कुछ टैक्नीकल गड़बड़ी आ गई थी जिसके कारण राजधानी में बिजली की खपत को बहुत कम कर दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली के उद्योगों, अस्पतालों तथा कम्पनियों पर इसका क्या असर पड़ा था; और

(ग) इसको ठीक करने के लिए क्या कार्यवाही की गई थी ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) और (ख). ६ मई, १९६१ को २३-१५ बजे दिल्ली इलैक्ट्रिक सप्लाई अंडरटेकिंग का 'बी' स्टेशन का ९,६०० किलोवाट टर्बो-आलटरनेटर बन्द कर दिया गया था। कोई भी गंभीर टूट फूट अथवा टैक्नीकल गड़बड़ी का पता नहीं लगा था। १०-५-६१ को १०-३० बजे सैट पुनः चलाया गया था। उसी दिन ११ बजे दिन में 'ए' स्टेशन के एक बायलर का ऐशकनवेयर बन्द हो गया जिसके परिणामस्वरूप शाहदरा, जामा मस्जिद, फव्वरा, तथा दरयागंज के उद्योगों को बिजली नहीं पहुंची। क्रमवार ३० मिनट बाद १०-५-६१ को ११-०७ बजे से १३-२७ बजे बिजली इन क्षेत्रों को दी गई।

इसके परिणामस्वरूप नई-दिल्ली के सफरदरजंग अस्पताल तथा कुछ कार्यालयों में बिजली का संभरण नहीं हो पाया।

(ग) दिल्ली इलैक्ट्रिक सप्लाई अंडर टेकिंग ने अनधिकृत विस्तार को हटाने के लिये कार्यवाही की है। अंडर टेकिंग ने तृतीय पंचवर्षीय योजना में उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिये पर्याप्त प्रबन्ध किये गये हैं।

नई दिल्ली नगरपालिका को बिजली का संभरण करने वाले फीडर्स का आरम्भ दिल्ली इलैक्ट्रिक सप्लाई अन्डरटेकिंग द्वारा किया जा रहा है और आशा है कि शीघ्र ही पूरा हो जायेगा। पूरा होने पर यह काम नई दिल्ली में बिजली के कट जाने की घटनायें कम हो जायेंगी।

बिजली की सप्लाई स्थिति का पुनरीक्षण करने के लिये तथा दिल्ली के नागरिकों को पर्याप्त बिजली का संभरण करने के लिये कार्यवाही की सिफारिशें करने के लिये एक समिति नियुक्त की जा रही है।

कानपुर को वैगनों का आवंटन

†२२८६. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अप्रैल १९६१, से ३० जून, १९६१ तक मद्रास राज्य को खाद्यान्नों तथा दालों का लदान करने के लिये कानपुर को किसी भी वैगन का आवंटन नहीं किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या पहले कानपुर के लिये कोई कोटा निर्धारित किया गया था;

(ग) क्या इसके कारण दक्षिण में इन वस्तुओं के भाव बढ़ गये हैं ;

(घ) यदि हां, तो वैगनों के आवंटन के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ङ) आवंटन न करने के क्या कारण है तथा मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

तीसरी योजना में मेडिकल कालिज

†२२८७. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तृतीय योजनावधि में १५ मैडिकल कालिज चालू करने की अनुसूची का निर्णय कर लिया गया है ;

(ख) इन १५ कालिजों को कहां स्थापित किया जायेगा, क्या इसका भी निर्णय कर लिया गये है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके ब्योरे क्या हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) और (ख). जी नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

विदेशी तथा तटीय पोत

†२२८८. **श्री कालिका सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९–६० में भारत के विभिन्न बन्दरगाहों में आनेवाले विदेश जाने वाले कितने पोत आये थे तथा पहले दो वर्षों, के, बन्दरगाह वार, आंकड़े अधिक थे अथवा कम ;

(ख) बन्दरगाह वार उपरिलिखित पोतों के कुल टनभार क्या हैं ;

(ग) इन बन्दरगाहों में कितने तटीय-पोत आये तथा बन्दरगाह वार उनका रनभार क्या था ;

(घ) बन्दरगाह वार आयात का कुल कितना टनभार था ; और

(ङ) १९५९–६० में उपरिलिखित बन्दरगाहों में जो पोत आये उनमें से टनभार के तथा लम्बाई चौड़ाई में कितने बड़े बड़े पोत थे तथा उनमें से प्रत्येक पोत की लम्बई, गहराई तथा टनभार क्या थे ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** (क) से (ङ). अपेक्षित जानकारी का एक विवरण सभापटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबंध संख्या ४०]**

हिन्दी जानने वाले रेलवे कर्मचारी

२२८९. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री**: क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय तथा उससे संलग्न कार्यालयों में इस समय कितने अनुभाग हैं और उनमें से कित अनुभाग ऐसे हैं जिनमें हिन्दी जानने वालों की बहुतायत है : और

(ख) इनमें से कितने अनुभागों को हिन्दी में नोटिंग और ड्राफ्टिंग करने की अनुमति दी गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वमी) : (क) (१) १५२।

(२) २६ ।

(ख) २ ।

*नोट:—कुल २६ अनुभागों में से २२ अनुभाग अनुसंधान, खाका और मानक संगठन के हैं। इस संगठन का काम बहुत ही तकनीकी ढंग का है और जब तक वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली हिन्दी में उपलब्ध न हो जाय और कर्मचारी उससे पूर्णतया परिचित न हो जायें, तब तक अंग्रेजी माध्यम की जगह हिन्दी माध्यम अपनाना न सम्भव है और न उचित

परौना स्टेशन पर डाका

२२९०. श्री म० ला० द्विवेदी : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि झांसी-कानपुर सेक्शन पर स्थित परौना रेलवे स्टेशन पर पहली जनवरी, १९६१ को हुई डाकजनी के मामले की छानबीन में पुलिस अब तक किसी खास नतीजे पर नहीं पहुंची है ; और

(ख) यदि हां, तो इस देरी के क्या कारण हैं ?

रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी): (क) मामले का पता लग गया है और जिला पुलिस ने कुछ गिरफ्तारियां भी की हैं ;

(ख) सवाल नहीं उठता ।

दक्षिण रेलवे पर समाचार-पत्र के पार्सल भेजा जाना

†**२२९१. श्री अ० क० गोपालन** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोझीकोड, केरल के दैनिक "देशाभिमान" पर दक्षिण रेलवे अधिकारियों द्वारा समाचार-पत्रों के पार्सलों को मासिक लेखा पद्धति के अनुसार भेजने की सुविधा पुनः देने के बारे में कोई शर्तें लगाई गई हैं ;

(ख) क्या समाचार-पत्र के प्रबन्ध द्वारा यह शर्तें पूरी कर दी गई थीं ;

(ग) क्या यह सुविधायें निश्चित शर्तें पूरी करने के बाद भी बहुत समय बीत जाने पर पुनः दी गई हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इस अत्यधिक विलम्ब के क्या कारण हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) शर्तें यह थीं :—

(१) दिसम्बर, १९६० में भेजे गये पार्सलों के लिये देय धनराशि जिसके लिये देशाभिमान ने एक चैक दिया था और जिसका बैंक ने रुपया देना अस्वीकार कर दिया था, क्या रुपया मिलना चाहिये ।

(२) फर्म को जनवरी, फरवरी, और मार्च '६१' में भेजे गये पार्सलों का धन देना चाहिये ।

(३) फर्म को अतिरिक्त प्रतिभूति निक्षेप के रूप में १००० रुपया देना चाहिये ।

(ख) जी हां ।

(ग) सभी देय भुगतान और अतिरिक्त प्रतिभूति अप्रैल, १९६१ में मिल जाने पर १-५-१९६१ से सुविधा पुनः दे दी गई है ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली में वन विकास

२२९२. श्री नवल प्रभाकर : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जंगल विकास एवं भूमि संरक्षण के निमित्त १९६०–६१ के वर्ष में दिल्ली में क्या क्या कदम उठाये गये ; और

(ख) उनका क्या परिणाम रहा ?

कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख): (क) सन् १९६०–६१ में १,८४,४८१ रुपये की लागत से वनों के विकास और भूमि के संरक्षण के लिये निम्न कदम उठाये गये :—

१. वन रोपण ।

२. ग्रामीण वनों का विकास ।

३. मेढ़ों का विकास और वृक्षों का लगाना ।

४. रेल ट्रेक और सड़कों के साथ वृक्षों का लगाना ।

५. रासायनिक और यान्त्रिक तरीकों से भूमि को कृषि योग्य बनाना ।

६. खुश्क खेती और कंटूर बंधन ।

(ख) ग्रामीण वनों और मेढ़ों में वन रोपण के अन्तर्गत ७९६ एकड़ भूमि में कार्य किया गया । रेल ट्रेकों, सड़कों की दोनों ओर, ग्राम भूमियों, स्कूलों और अन्य संस्थाओं में विभिन्न किस्मों के १३,२०६ वृक्ष लगाये गये । ५०२ एकड़ भूमि कृषि योग्य बनाई गई और और उसका नमक दूर किया गया । कन्टूर बन्धन और खुश्क खेती योजना आरम्भ की गई और सर्वे का कार्य पूरा किया गया । वन रोपण के अन्तर्गत का क्षेत्र पानी और वायु के कटाव से बचाया गया ।

रूरकेला में डाक तथा तार कर्मचारियों के क्वार्टर

†**२२९३. श्री प्र० गं० देव** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात नगर में १९५९ में कर्मचारियों के लिये पर्याप्त क्वार्टर न होने के कारण डाक तथा तार कर्मचारियों ने सामान्य हड़ताल की थी; और

(ख) यदि हां, तो इस मांग को पूरा करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : (क) जी नहीं । परन्तु रूरकेला के डाकखाने के अधिकांश कर्मचारी निवास स्थान की व्यवस्था न होने के विरोध में ३ से ६ नवम्बर, १९५९ की अवधि में मैडिकल सर्टिफिकेटों पर गैर हाजिर रहे थे ।

(ख) रूरकेला के डाक तथा तार कर्मचारियों के लिये निवास स्थान की व्यवस्था करने के लिए न्डिुस्तान इस्पात अधिकारियों से किराये पर ३५ क्वार्टर ले लिये गये हैं जिनको डाक तथा तार कर्मचारियों को आवंटित कर दिया गया है । कर्मचारियों के लिये विभागीय क्वार्टरों के निर्माण के लिये अपेक्षित भूमि लेने के लिये इस्पात परियोजना अधिकारियों से बातचीत हो रही है ।

रेलवे टैक्नीकल प्रशिक्षण स्कूल

†**२२९४. श्री हेमराज** : क्या **रेलवे** मंत्री ७ अप्रैल, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १३८६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे टैक्नीकल प्रशिक्षण स्कूल में पाठ्यक्रम के प्रमापीकरण के लिये स्थापित

---

†मूल अंग्रेजी में

समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी; और

(ख) इसकी कौनसी सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं तथा लागू कर दी गई हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी हां ।

(ख) समिति की ३३७ सिफारिशों की जांच करने में, उन पर निर्णय लेने में तथा रेलवे द्वारा लागू करने में कुछ समय लगेगा ।

कटिहार में रेल दुर्घटना

†२२९५. **श्री आसर** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ३० जून, १९६१ को प्रातःकाल कटिहार स्टेशन पर उस समय जबकि दो गाड़ियां आमने सामने एक ही लाइन पर आ गई थीं, एक भयंकर दुर्घटना होने से बच गई;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इसकी कोई जांच की है कि दो रेलगाड़ियां एक लाइन पर आमने सामने कैसे आ गईं; और

(घ) यदि हां, तो क्या इस के लिये कोई व्यक्ति उत्तरदायी ठहराया गया है और यदि हां तो उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) और (ख). ३०–६–१९६१ को लगभग ०४.१५ बजे उत्तर पूर्व सीमान्त रेलवे के कटिहार स्टेशन पर उस लाइन पर ३४ अप यात्री गाड़ी ली गई जबकि उस लाइन पर ३३डाउन यात्री गाड़ी पहिले से ही खड़ी थी । ३४ अप यात्री गाड़ी के ड्राइवर ने अपनी गाड़ी को ३३ डाउन यात्री से लगभग १०० गज पहिले रोक लिया और इस प्रकार दुर्घटना बच गई ।

(ग) और (घ). जांच पड़ताल समिति की उपपत्तियों के अनुसार इन्सानी भूल के कारण होने वाली टक्कर टल गई । जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है ।

अमरीका से चावल और गेहूं

†२२९६. **श्री प्र० गं० देव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९–६० और १९६०–६१ में भारत ने अमरीका और बर्मा से चावल और गेहूं का आयात किया था उनके क्रमानुसार मूल्य क्या थे;

(ख) क्या आयात किये गये उपरोक्त खाद्यान्न जनता को आयात-मूल्य से भी कम मूल्य पर दिये जा रहे हैं; और

(ग) सरकार ने कितना मूल्य निर्धारित किया है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)**: (क) अमरीका और बर्मा से १९५९–६० और १९६०–६२ में आयात किये गये चावल और गेहूं का कुल लगभग मूल्य, भाड़ा,

†मूल अंग्रेजी में

लदान आदि व्यय सहित, निम्न है :

देश तथा खाद्यान्न	वर्ष १९५९–६० (रु० प्रति मन)	१९६०–६१ (रु० प्रति मन)
अमरीका गेहूं .	१४.०४	१४.०१
अमरीका चावल (लम्बा नाज)	२३.८६	२४.०१
बर्मा चावल (मोटा) . . .	१९.१४	१८.८७

(ख) हां ।

(ग) रेल पर्यन्त निश्शुल्क बिक्री मूल्य निम्न है :

गेहूं . .	१४ रु० प्रति मन
बर्मा चावल (मोटा) .	१६ रु० प्रति मन
अमरीकी चावल (लम्बा चावल)	२२ रु० प्रति मन

अमरीका के किसान

†२२९७. **श्री राधा रमण :**
श्री श्रीनारायण दास :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका के नौजवान किसानों की कुछ टोलियां भारत आ गई हैं या आयेंगी और कुछ महीने भारतीय गांवों में ठहरेंगी; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक टोली में कितने किसान होंगे, कितने दिन ठहरेंगे और उन्हें करने को क्या कार्य दिया जायेगा और राज्य तथा गांवों में उनके लिये व्यवस्था कौन करेगा ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)**: (क) और (ख). आशा है कि चार नौजवान किसानों (३ लड़के और १ लड़की) की एक टोली अक्टूबर, १९६१ में आ जायेगी । नवयुवक कृषक सन्था के अनुसार जिन्होंने यात्रा की व्यवस्था की है, वे चार महीने विभिन्न किसान परिवारों के साथ रहेंगे, उनके दैनिक जीवन में भाग लेंगे और उनके कार्य में भी भाग लेंगे । वे सन्था के स्थानीय एककों को कृषि के अधिक सरल और उत्तम ढंग भी बतायेंगे ।

यात्री सुविधायें

†२२९८. **सरदार इकबाल सिंह :**
श्री अ० मु० तारिक :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार १९६१–६२ में भटिण्डा हिन्दू मालकोट सेक्शन पर यात्रियों तथा रेलवे कर्मचारियों को कोई सुविधायें देने का है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो इसके क्या कारण हैं ?

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) **यात्री सुविधायें**

(१) गिदडवाहा पर यात्री प्लेटफार्म पर शेलमक का फर्श बनाना ।

(२) अबोहर पर फ्लश की टट्टियां बनाना ।

(३) किलांवाली पर स्टेशन की नई इमारत बनाना ।

कर्मचारी सुविधा

अबोहर में गार्डों तथा ड्राइवरों के रनिंग रूम में फ्लश की टट्टी बनाना ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

केरल के फालतू खेतिहार परिवार

†२२९९. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केरल के फालतू खेतिहर परिवारों को देश के अन्य भागों में बसाने के लिये केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की है;

(ख) यदि हां, तो इसकी क्या सम्भावनायें हैं; और

(ग) क्या भारत सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई विशेष कार्यवाही की है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) से (ग). दूसरी पंचवर्षीय योजना में एक राज्य के भूमिहीन मजदूरों को दूसरे राज्य में बसाने के लिये ४९ लाख रु० की व्यवस्था की गयी थी । तदनुसार, सारी राज्य सरकारों से आवश्यक वित्तीय सहायता के लिए उपयुक्त योजनायें भेजने को कहा गया था । इसके उत्तर में भूतपूर्व त्रावनकोर-कोचीन राज्य से १००० परिवारों को बसाने की योजना प्राप्त हुई थी जिसमें ३९ लाख रु० की व्यय की आवश्यकता थी । मैसूर और असम में बसाये जाने के लिए प्राथमिकता दी गई थी परन्तु इस कार्य के लिए इन राज्यों में भमि प्राप्त न हो सकी । केरल और मध्य प्रदेश की सरकारों से विचार विमर्श के बाद मध्य प्रदेश के भोपाल क्षेत्र में २५० परिवारों को बसाने की योजना भारत सरकार ने स्वीकार की थी और १९५७–५८ में ५० परिवारों को बसाने के लिए ११–७–१९५७ को १,८३,३५० रु० दिये गये थे । मध्य प्रदेश सरकार भोपाल क्षेत्र में उपयुक्त स्थान न चुन सकी और इस कारण योजना लागू नहीं हुई । अक्तूबर, १९५८ में राज्य सरकार ने गुना और शिवपुरी जिलों में कुछ भूमि दी । केरल सरकार ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया । परन्तु जनवरी, १९६१ में मध्य प्रदेश सरकार ने सूचित किया कि केरल के परिवारों को बसाने के लिए जो भूमि चुनी गई थी वह वन-भूमि थी और वन-विभाग उसे न दे सका । जून, १९६१ में मध्य प्रदेश सरकार ने केरल सरकार से कहा कि १८०० एकड़ कृषि भूमि गांव खडगुवां, तहसील और जिला पन्ना में उपलब्ध है जिस पर ५० भूमि-हीन परिवारों को बसाया जा सकता है, परन्तु यदि वे भूमिहीन मजदूरों को इस भूमि पर बसाना चाहें, तो वे किसी उत्तरदायी अधिकारी को भेज दें जो आकर उसे देख ले । केरल सरकार की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा है ।

डाक के लिफाफे

†२३००. **श्री न० रा० मुनिस्वामी** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मदुरा नगर (मद्रास राज्य) के डाकखानों में जन, १९६१ में तीन

†मूल अंग्रेजी में

सप्ताह तक १५ नये पैसे के लिफाफे उपलब्ध न थे ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : (क) नहीं, श्रीमान । हां, १० नये पैसे के अन्तर्देशीय पत्र की कमी थी परन्तु वे पास के डाकखानों से भेज दिये गये थे ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

उत्तर रेलवे पर सेवानिवृत्ति व्यक्तियों के दावे

†२३०१. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि उत्तर रेलवे (फीरोजपुर डिवीज़न) के सेवा निवृत्त व्यक्तियों के बहुत बड़ी संख्या में दावे कई सालों से अनिश्चित पड़े हैं ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे मामलों की संख्या क्या है और उन्हें शीघ्र निपटाने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) और (ख). फीरोजपुर डिवीज़न में २७ मामले एक वर्ष से अधिक से अनिश्चित पड़े हैं। इन मामलों को यथाशीघ्र निपटाने का प्रयास किया जा रहा है ।

भ्रष्टाचार के मामले

†२३०२. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर रेलवे के फीरोज़पुर डिवीज़न में १९६०–६१ में रेलवे कर्मचारियों ने कितने मामलों में भ्रष्टाचार किया और वे मामले क्या क्या थे ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) मामलों की संख्या २४ ।

(ख) मामलों का विवरण निम्न है :—

(१) विदित आय साधनों के अनुसार सम्पत्ति असन्तुलित रूप में एकत्रित होना,
(२) रिश्वत लेना,
(३) धोखा देना,
(४) सरकारी धन का गबन,
(५) रिकार्डों को झूठा बनाना,
(६) रेलवे सामान दुरुपयोग,
(७) विवरण के विरुद्ध सामान स्वीकार करना,
(८) पास और पी० टी० ओ० का दुरुपयोग करना, और
(९) सामान का कम तोलना ।

पंजाब में राष्ट्रीय जल संभरण तथा सफाई योजना

†२३०३. { **सरदार इकबाल सिंह** :
श्री वी० चं० शर्मा :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में प्रति वर्ष

†मूल अंग्रेजी में

पंजाब में राष्ट्रीय ग्रामीण जल संभरण और सफाई योजना लागू करने के लिए कुल कितने वित्त की व्यवस्था की गई थी ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** :

वर्ष	कुल वित्तीय व्यवस्था (लाखों में रु०)
१९५६–५७	शून्य
१९५७–५८	१०.००
१९५८–५९	४४.००
१९५९–६०	४०.००
१९६०–६१	६०.००
दूसरी योजना के कुल योग	१५४.००

फीरोजपुर के लिए जल निस्सारण योजना

†२३०४. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने पंजाब राज्य में फीरोजपुर के लिए जल निस्सारण योजना के निर्माण की कोई योजना और प्राक्कलन पेश किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस कार्य के लिए कोई धन राशि स्वीकार की है ; और

(ग) यदि हां, तो वह धन राशि कितनी है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) हां ।

(ख) और (ग). भारत सरकार ने योजना की पहली किस्त ३० जनवरी, १९६१ को स्वीकार की थी जिसकी प्राक्कलित लागत २ ५० लाख रु० थी । भारत सरकार समस्त स्वीकृत नगरीय जल संभरण तथा जल निस्सारण योजनाओं के लिये राज्य सरकारों को ऋण रूप में सहायता देती है । अलग अलग योजनाओं के लिए सहायता देना राज्य सरकार का काम है ।

चलते फिरते पुस्तकालय

†२३०५. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अब तक उत्तर रेलवे पर चलते पुस्तकालय बनाने का निश्चय कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो योजना कब लागू होगी ; और

(ग) योजना पर कितना व्यय होगा ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) हां ।

(ख) शीघ्र ही ।

(ग) लगभग ९,३०० रु० ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दामोदर घाटी निगम के मुख्यालय का अन्य स्थान पर ले जाया जाना

†२३०६. **श्री मुहम्मद इलियास :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह बात अन्तिम रूप से निश्चित हो गई है कि दामोदर घाटी निगम का मुख्यालय कलकत्ता से बिहार में माईथान को ले जाया जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो ऐसा करने के क्या कारण हैं और इसके वास्तविक लाभ क्या क्या हैं ;

(ग) दामोदर घाटी निगम के मुख्यालय को हटाने पर पूंजीगत लगभग व्यय कितना होगा, उस प्राक्कलन का आधार क्या है और वह कब तैयार किया गया था ;

(घ) माईथान में मुख्यालय का वार्षिक आवर्तक व्यय क्या होगा और यह कलकत्ता में व्यय की अपेक्षा कम है या अधिक ;

(ङ) क्या यह सच है कि दामोदर घाटी निगम के अनेक कर्मचारी पहले से ही माईथान में हैं और उनके पुराने क्वार्टरों की स्थिति सन्तोषजनक नहीं है और उन्हें तत्काल बदलने की आवश्यकता है, यदि हां, तो क्या उपरोक्त प्राक्कलन में इस पर होने वाले व्यय का भी ध्यान रखा गया है ;

(च) आगामी पांच वर्षों में दामोदर घाटी निगम के निर्माण प्रोग्राम क्या क्या हैं और उन पर अनुमानतः कितना व्यय होगा और यह भूत की अपेक्षा कम है या अधिक ;

(छ) क्या यह सच है कि पश्चिमी बंगाल सरकार ने अनोत्पादक योजनाओं के कारण विशेषकर उत्पादक योजनाओं के लिए धन के अभाव के कारण मुख्यालय के हटाये जाने के लिए धन देने से मना कर दिया है ; और

(ज) इस बारे में भारत सरकार का अन्तिम निश्चय क्या है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) :** (क) इस मामले में अन्तिम निश्चय सम्बन्धित सरकारों के परामर्श से किया जायेगा ।

(ख) बचत, प्रशासकीय सुविधा और अधिक कार्यकुशलता के आधार पर ऐसा करने का प्रस्ताव दिया गया था ।

(ग) लगभग १६७.५ लाख रु० । यह प्राक्कलन १९६० में तैयार किया गया था । इसमें रहने और कार्यालय के लिए अधिक स्थान की व्यवस्था है और कार्यालय हटाने के लिए अन्य सुविधायें भी सम्मिलित हैं ।

(घ) माईथान में आवर्तक वार्षिक व्यय का ब्यौरा अभी तैयार नहीं किया गया है ।

(ङ) यह सच है कि दामोदर घाटी निगम के अनेक कर्मचारी पहिले से ही माईथान में हैं और वे जिन क्वार्टरों में रहते हैं वे कुछ वर्ष पहले बनाये गये थे । इन क्वार्टरों का रख रखाव होता है और जब कभी आवश्यकता होती है मरम्मत हाती है । उपरोक्त भाग (ग) में उल्लिखित प्राक्कलन में इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(च) चालू योजनाओं के अतिरिक्त, निगम १२५/१४० मेगावाट (एम० डब्ल्यू०) के अलग अलग दो तापीय एकक, जल बहाव का निर्माण, आदि लगायेगा। तीसरी पंचवर्षीय योजना में निगम के लिए अनिश्चित रूप में ८२९८ रु० की व्यवस्था की गई है जब कि दूसरी योजना में ५२७६ लाख की व्यवस्था की गई थी।

(छ) हां।

(ज) उपरोक्त भाग (क) के उल्लेखानुसार अन्तिम निश्चय अभी नहीं हुआ है।

दिल्ली में खंड विकास समितियां

२३०७. **श्री नवल प्रभाकर :** क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकार ने खंड विकास समितियों को परिपत्र भेजा है जिसमें सुधरे हुए कृषि के औजार तथा हलों के मूल्य में पचास प्रतिशत का अनुदान देने के लिये कहा गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस शीर्ष के अन्तर्गत कितनी राशि नियत की गई है ; और

(ग) कितने गावों के निवासियों ने इस अनुदान के लिये आवेदन-पत्र भेजे हैं ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकार ने एसे कोई अनुदेश जारी नही किए हैं। शायद माननीय सदस्य का अभिप्राय दिल्ली विकास आयुक्त द्वारा जारी किए गये उन अनुदेशों से है जिनके द्वारा कृषकों को सुधरे कृषि औजारों के लिए ५० प्रतिशत उपदान अधिकृत किया गया है।

(ख) ५०००.०० रुपए प्रति खण्ड।

(ग) १५ गांवों ने आवेदन-पत्र दिए थे और अभी तक ३ गांवों के लिए १३२४.०० रुपयों की राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है।

दिल्ली में खंड विकास पदाधिकारी

२३०८. **श्री नवल प्रभाकर :** क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के खंड विकास पदाधिकारियों का पद अन्य राज्यों में इन्हीं पदाधिकारियों के समान नहीं है ; और

(ख) यदि **हां**, तो इसके क्या कारण हैं ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति): (क) खंड विकास पदाधिकारियों का पद अन्य राज्यों में इन्हीं पदाधिकारियों के समान है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

निरगुण्डी से खुर्दा रोड तक दोहरी लाइन

†२३०९. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निरगुण्डी को मुन्डाली होकर खुर्दा रोड तक दोहरी लाइन बनाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस सेक्शन में यह दोहरी लाइन कब तक बन जायेगी ;

(ग) यह सर्वेक्षण कब किया गया था ; और

(घ) इस दोहरे मार्ग के बनाने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) निरगुन्डी और खुर्दा रोड के बीच नरज होकर दोहरी लाइन बनाने के लिए स्थान सर्वेक्षण पूरा हो गया है ।

(ख) १९६४ तक ।

(ग) मार्च, १९६१ तक ।

(घ) इसमें कोई विलम्ब नहीं हुआ है ।

आदिवासी झूमिया

†२३१०. **श्री बांगशी ठाकुर :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा के आदिवासी झूमिया लोगों से गायों व सुअरों पर "घासुरी" कर लिया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार लिया जाता है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या धर्मनगर के कमलपुर और कंचनपुर के 'कुलाई' आदिवासी झूमिया लोगों की कोई याचिका या ज्ञापन इस बारे में प्राप्त हुआ है कि गायों व सुअरों पर "घासुरी" नहीं लिया जाये ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) :** (क) हां ।

(ख) हां ।

(ग) प्रशासन को एक अभ्यावेदन मिला था । याचिकों को उपयुक्त उत्तर दे दिया गया है ।

सामुदायिक विकास आन्दोलन

†२३११. **श्री हेम बरुआ :** क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय सहकार संघ ने योजना आयोग को एक अभ्यावेदन दिया है जिसमें देश में सामुदायिक विकास आन्दोलन का संचालन सुधारने के कुछ सुझाव दिये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस रिपोर्ट की मोटी मोटी बातें क्या हैं ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) :** (क) हां, श्रीमान् ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) रिपोर्ट की मोटी बातें निम्न हैं :—

(१) छोटे किसानों को ग्राम विकास प्रोग्राम के लाभ देने के लिए नियम संबंधी उपाय अपनाना ।

(२) टेक्निकल परामर्श के लिए संबंधित ऋण और इसके विभिन्न विस्तार एजेंसियों अर्थात् सामुदायिक विकास प्रोग्राम और सहकारी एजेंसियों के कार्य में सुनिश्चयकारी समन्वय ।

(३) किसानों की सहायता के लिए सरकार और सहकारी एजेंसियों की सुधार करने वाली ऋण नीतियां ।

(४) अधिक ऋण देने के लिए विभिन्न एजेंसियों के साथ उपलब्ध सब संसाधनों का संचय कराना और बढ़ाना ।

(५) सम्पूर्ण भावी विकास विद्यमान सहकारी समितियों द्वारा करने का कड़ा दृष्टि-कोण कमजोर लोगों के लिए लाभप्रद न होगा ।

रूपनारायण नदी पर पुल

†२३१२. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामंत

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजपथ संख्या ६ पर रूपनारायण नदी पर सड़क का पुल बनाने के लिये नये टेन्डर मांगे गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो कब मांगे गये थे ;

(ग) क्या टेन्डर खोल लिये गये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो क्या यह स्वीकार हो गया है ?

†**परिवहन तथा संचार मन्त्री (डा० प० सुब्बरायन)**: (क) नहीं, श्रीमान् । मैसर्स गैमन इंडिया लि० का टेन्डर स्वीकार कर लिया गया है ।

(ख) से (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

परिवहन प्रभार के लिये आर्थिक सहायता

†२३१३. **श्री हेम राज :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार हिमाचल प्रदेश राज्य क्षेत्र में परिवहन प्रभार के लिये आर्थिक सहायता देती है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि पंजाब सरकार ने पंजाब के सीमान्त जिलों, लाहौल और स्पीति में परिवहन प्रभार के लिये आर्थिक सहायता देने की केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की थी ;

(ग) क्या यह भी सच है कि पंजाब और हिमाचल प्रदेश की एक दूसरे से मिली हुई पहाड़ियों में समान परिस्थितियां हैं ; और

(घ) यदि हां, तो पंजाब सरकार की प्रार्थना अस्वीकार करने के क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रजी में

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) से (घ). भारत सरकार संघ राज्य क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, में वितरित होने वाले अनाज के परिवहन प्रभार में आर्थिक सहायता देती है। संघ राज्य क्षेत्रों में सारा व्यय केन्द्रीय बजट से किया जाता है। राज्य सरकारों की स्थिति, जैसे पंजाब सरकार की स्थिति भिन्न है क्योंकि उन के अपने संसाधन और बजट हैं। इसी कारण भारत सरकार पंजाब में लाहौल और स्पीति को जाने वाले अनाज के परिवहन प्रभार के लिये अपने बजट से सहायता नहीं दे सकी।

भेड़ पालना

†**२३१४. श्री हेम राज** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भेड़ पालने के लिये केन्द्रीय अनुसन्धान संस्था का कोई उपकेन्द्र कुलू घाटी (पंजाब) में खोलने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो वह कहां स्थित होगा और उस पर संभवतः कितना खर्च होगा ?

†**कृषि मन्त्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) जी हां।

(ख) स्थान के बारे में अन्तिम निश्चय अभी तक नहीं किया गया है। तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में इस उपकेन्द्र पर संभवतः २ लाख रुपये खर्च होंगे।

टेलीफोन कनैक्शन

२३१६. श्री जांगड़े : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सेंट्रल सर्कल के अधीन रायपुर, बिलासपुर और रायगढ़ के टेलीफोन एक्सचेंजों में टेलीफोनों की संख्या बढ़ाने की मांग गत पांच वर्ष से की जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो कितने नये टेलीफोन लगाये जायेंगे जो गत पांच वर्ष से विचाराधीन हैं ?

परिवहन तथा संचार मन्त्री (डा० सुब्बरायन) : (क) जी हां।

(ख) पिछले पांच वर्षों से इन टेलीफोन एक्सचेंजों में टेलीफोन की कोई भी मांग शेष नहीं है। इन एक्सचेंजों में से प्रत्येक की प्रतीक्षा-सूची में सब से पुराने आवेदन-पत्र की तारीख इस प्रकार है—

(१) रायपुर—१५ जनवरी, १९६०।

(२) बिलासपुर—५ दिसम्बर, १९५९।

(३) रायगढ़—२ फरवरी, १९६१।

उड़ीसा में सहकारी विकास

†**२३१७. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने १९६१-६२ के लिये सहकारी विकास के संबंध में कोई योजनायें पेश की हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो वह योजनायें क्या हैं ; और

(ग) १९६१-६२ में इस प्रयोजन के लिये अब तक क्या वित्तीय सहायता दी गई है ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमन्त्री (श्री ब० सू० मूर्त्ति)** : (क) और (ख). जी हां । उड़ीसा सरकार ने वर्ष १९६१-६२ के लिये ३६ लाख रुपये के खर्च की सहकारी विकास योजनायें पेश की हैं । प्रत्येक योजना का खर्च और उस के लक्ष्य बताने वाला विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ४१]**

(ग) राष्ट्रीय सहकारी विकास तथा माल गोदाम बोर्ड ने अपने अधीन सहकारी विकास योजनाओं के लिये केन्द्रीय सहायता की पहली तिमाही किस्त के रूप में ३·०६ लाख रुपये (२·०३ लाख रुपये ऋण के तौर पर और १·०३ लाख राजसहायता के तौर पर) की रकम अभी तक दी है ।

उर्वरक प्रौद्योगिकी संस्था

†२३१८. **श्री कोडियान** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में एक उर्वरक प्रौद्योगिकी संस्था खोलने की कोई योजना सरकार के पास है ;

(ख) यदि हां, तो उस योजना की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) यह संस्था कहां खोली जायगी ?

†**कृषि उपमन्त्री (श्री मों० वें० कृष्णप्पा)**: (क) से (ग). सिन्दरी में एक अखिल भारतीय उर्वरक प्रौद्योगिकी एकक स्थापित करने की योजना तीसरी पंचवर्षीय योजना में शामिल कर ली गई है । निम्नलिखित काम उसे सौंपा जायगा :—

(१) हाई एनालिसिस फर्टिलाइजर्स तैयार करने से संबंधित समस्याओं का अध्ययन ।

(२) सब से किफायत मिलने वाली वस्तुओं और बिजली के साधनों से निर्माण प्रक्रियाओं में सुधार ।

(३) उर्वरकों के विकास के तरीकों में सुधार ।

(४) किसानों द्वारा सब से अधिक लाभप्रद उपयोग के लिये उर्वरक तैयार करने और उन के मिश्रण के सर्वोत्कृष्ट तरीकों का विकास ।

(५) भंडार तथा परिवहन में उर्वरकों को नुकसान से बचाने के लिये उपयुक्त तरीकों का विकास ।

गहरे समुद्र में मछली पकड़ने का केन्द्र

†२३१९. **श्री कोडियान** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के केन्द्र स्थापित करने की कोई योजना सरकार के पास है ;

(ख) यदि हां, तो कितने केन्द्र स्थापित किये जाने वाले हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) योजना की अनुमानित लागत कितनी है ; और

(घ) इन केन्द्रों के लिये कौन-कौन से स्थान चुने गये हैं ?

†**कृषि उपमन्त्री (श्री मों० वें० कृष्णप्पा)** : (क) जी हां ।

(ख) चार ।

(ग) और (घ). बम्बई, कोचीन, तूतीकोरिन और विशाखापतनम में वर्तमान केन्द्रों के विस्तार के लिये और वेरावल, मंगलौर, पराद्वीप और पोर्ट ब्लेयर में चार नये स्टेशन स्थापित करने के लिये तीसरी पंचवर्षीय योजना में २०० लाख रुपये की व्यवस्था की गई है ।

देश में बाढ़

†२३२०. **श्री वारियर :**
श्री कोडियान :
श्री मो० ब० ठाकुर :
श्री बालकृष्णन् :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री आचार :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में अभी हाल की बाढ़ के कारण जो अनाज की तथा दूसरी फसलें खराब हुईं उन का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या विभिन्न राज्यों ने सरकार से कोई मदद मांगी है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या मदद दी गई है ?

†**कृषि उपमन्त्री (श्री मों० वें० कृष्णप्पा)**:(क) राज्यों से जानकारी मांगी गई है और प्राप्त होने पर वह सभा पटल पर रख दी जायगी ।

(ख) और (ग). निम्नलिखित राज्यों ने भारत सरकार से वित्तीय सहायता मांगी है:—

(१) **महाराष्ट्र सरकार** : ३ करोड़ रुपये का मार्गोपाय अग्रिम मांगा गया था और वह मंजूर किया गया था ।

(२) **केरल सरकार** : १४०·२९ लाख रुपये के तदर्थ अनुदान के अतिरिक्त १९,५०,००० रुपये का ऋण और उतनी ही रकम का अनुदान मांगा गया था । इस प्रार्थना पर विचार किया जा रहा है ।

चावल का सालाना कोटा २ लाख टन से २ लाख २० हजार टन बढ़ान की प्रार्थना मंजूर की जा चुकी है ।

(३) **मैसूर सरकार** : १० करोड़ रुपये की तदर्थ सहायता की प्रार्थना प्राप्त हुई है । इस विषय पर विचार किया जा रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

उड़ीसा में क्षय रोग

†२३२१. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना में क्षयरोग-विरोधी कार्य के लिये उड़ीसा को कोई रकम नियत की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिये उड़ीसा को कितनी रकम नियत की गई है ?

†**स्वास्थ्य मन्त्री (श्री करमरकर) :** (क) और (ख). उड़ीसा राज्य की तीसरी पंचवर्षीय योजना में क्षयरोग-विरोधी कार्य के लिये २५ लाख रुपये की व्यवस्था की गई है ।

महाराष्ट्र राज्य और तीसरी योजना

†२३२२. **श्री नागी रेड्डी :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस बात को देखते हुए कि अभी हाल की बाढ़ के बाद खड़कवासला बांध फिर नये सिरे से बनाना होगा, क्या सरकार को तीसरी पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में महाराष्ट्र राज्य सरकार से कोई पत्र प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमन्त्री (श्री हाथी) :** (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

बास्करा चेरा क्षेत्र, त्रिपुरा

†२३२३. **श्री दशरथ देब :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बास्करा चेरा क्षेत्र, त्रिपुरा (३९ मील चौकी से ४७ मील तक) बगीचे लगाने के लिए आरक्षित रखा गया है;

(ख) क्या बागान काम शुरू हो गये हैं;

(ग) यदि हां, तो इन बागानों से कितने आदिम जाति झूमिया परिवारों पर संभवतः असर पड़ेगा; और

(घ) उन झूमिया परिवारों को दूसरी जगह देने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**कृषि उपमन्त्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) :** (क) जी हां

(ख) जी हां ।

(ग) आरक्षण की अधिसूचना से पहले उस क्षेत्र में रहने वाले किसी भी आदिम जाति झूमिया परिवार पर उसका असर संभवतः नहीं पड़ेगा ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

बास्करा चेरा क्षेत्र, त्रिपुरा

†२३२४. **श्री दशरथ देब :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बास्करा चेरा क्षेत्र, त्रिपुरा, के भूखे परिवारों की कोई सूची सरकार को अभी हाल पेश की गई है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इस मामले में अभी तक क्या उपाय किया गया है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) जी हां ।

(ख) जांच पड़ताल करने पर जो परिवार पीड़ित पाये गये, उन्हें प्रति परिवार २५ रुपये का ऋण दिया गया है । झूम फसल का काम शुरू हो गया है और उचित मूल्य वाली कई दूकानें चालू हैं ।

पश्चिम रेलवे में आम हड़ताल

†२३२५. **श्री मो० ब० ठाकुर** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम रेलवे के प्रत्येक डिविजन में ऐसे कितने हड़ताली हैं जो पिछले साल जुलाई में आम हड़ताल में बर्खास्त कर दिये गये थे और जो भी तक अपने पुराने काम पर नहीं आये हैं; और

(ख) क्या यह सच है कि कुछ हड़तालियों को केवल सहायक स्टेशन मास्टर की रिपोर्ट पर ही सताया गया ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाह नवाज खां)**: (क) (१) पश्चिम रेलवे के प्रत्येक डिविजन में उन हड़तालियों की संख्या जिन्हें अपने मूल पद पर नहीं लिया गया (बल्कि अनुशासनात्मक कार्यवाही के तौर पर कम वेतन वाले पदों पर लिया गया)

मुख्य कार्यालय दफ्तर.	१
बम्बई डिविजन	४५
बड़ोदा डिविजन	५
रतलाम डिविजन	४
राजकोट डिविजन	९
भावनगर डिविजन	७
अजमेर वर्कशाप	७
दोहद वर्कशाप	६
कुल	८६

(२) पश्चिम रेलवे के प्रत्येक डिविजन में आम हड़ताल में बर्खास्त किये गये व्यक्तियों की संख्या :

बड़ौदा डिविजन	४

(ख) यह आरोप गलत है ।

प्रोत्साहन लाभांश योजना

†२३२६. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता कोदी कर्मचारी प्रोत्साहन लाभांश योजना जारी किये जाने के विरुद्ध हैं;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो कर्मचारियों ने इस योजना को कार्यान्वित किये जाने के विरोध में क्या कारण दिये हैं;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में भारत सरकार और कलकत्ता गोदी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के बीच अभी हाल में कोई बातचीत हुई है; और

(घ) यदि हां, तो क्या परिणाम निकला ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० सुब्बरायन्)** : (क) से (घ). यह मान लिया जाता है कि निर्देश प्रोत्साहन टनभार योजना से है जिसे कलकत्ता बन्दरगाह आयुक्तों ने माल उठाने धरने वाले अपने मजदूरों के लिए तैयार किया था। इस वर्ष जून में नयी दिल्ली में श्रम मंत्री की अध्यक्षता में बातचीत हुई थी जिसमें संबंधित संघों और कलकत्ता बन्दरगाह आयुक्तों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। इस बैठक में योजना के ब्यौरों के विषय पर कुछ मतभेद था। मुख्य श्रम आयुक्त तथा सम्बन्धित संघों और कलकत्ता बन्दरगाह आयुक्तों के प्रतिनिधियों ने मुख्य मुख्य बातों पर इस बीच चर्चा की है जिसके परिणामस्वरूप मतभेद कम हो गया है। जिन बातों पर अभी तक समझौता नहीं हुआ है, वे बातें फैसले के लिए भारत सरकार के पास भेज दी गयी हैं।

उड़ीसा में राष्ट्रीय राजपथ और पुल

†२३२७. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में राष्ट्रीय राजपथ और पुल बनाने के लिए तीसरी पंचवर्षीय योजना में नियत की जाने वाली रकम अब तय की जा चुकी है;

(ख) यदि हां, तो कितनी; और

(ग) किन किन परियोजनाओं के लिए रकम नियत की गयी है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० सुब्बरायन्)** : (क) जी हां।

(ख) ९०४ लाख रुपये (जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ द्वारा दिया गया विकास ऋण भी शामिल है)।

(ग) जिन परियोजनाओं के लिए रकम नियत की गयी है उनका विवरण संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० ३१५९/६१]**

कटक में टेलीफोन की मीटर प्रणाली

†२३२८. **श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कटक शहर में टेलीफोन की मीटर प्रणाली चालू करने की कोई योजना है;

(ख) क्या इस विषय में कोई निश्चय किया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या आवश्यक उपकरण स्थापित करने के लिए चीजें दी गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो यह योजना संभवतः कब कार्यान्वित होगी ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० सुब्बरायन्)** : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) कुछ चीजें कटक में मिल चुकी हैं।

(घ) मीटर लगाने का काम बाकी चीजें मिलते ही शुरू कर दिया जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

डाक तार विभाग के विभिन्न केन्द्रों का उड़ीसा सर्किल में रखा जाना

†२३२९. **श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक तार विभाग के रूरकेला, झरसुगुरा और कोरापुट केन्द्रों को उड़ीसा सर्किल में हस्तान्तरित करने का कोई निश्चय किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो वह संभवतः कब कार्यान्वित किया जायगा ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० सुब्बरायन्) :** (क) और (ख). डाक तार एकक पहले ही उड़ीसा मंडल में हैं। इस क्षेत्र के दूर संचार साधनों के उड़ीसा क्षेत्र में हस्तान्तरण के सम्बन्ध में उस पर विचार हो रहा है।

राज्य सरकारों के साथ हिन्दी में पत्र व्यवहार

२३३०. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :** क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री ६ मार्च, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या १०८० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसा क्या कारण है कि गृह-कार्य मंत्रालय के इन आदेशों का पालन नहीं हो पाया है कि हिन्दी राजभाषा वाले राज्यों की सरकारों को जाने वाले पत्रों के साथ हिन्दी अनुवाद भी भेजा जाया करे; और

(ख) उपरोक्त आदेशों के अनुसार अब तक कितने अनुभागों में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार और मध्य प्रदेश की सरकारों को जाने वाले पत्रों के साथ हिन्दी अनुवाद भेजा जाना प्रारम्भ हो गया है ?

सामुदायिक विकास और सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति): (क) विभिन्न प्रारम्भिक उपाय जो अपनाये गये हैं वे अभी तक प्रभावी नहीं बने हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

गुवार का निर्यात

२३३१. **श्री वाजपेयी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान से गुवार के निर्यात पर प्रतिबन्ध है;

(ख) यदि हां, तो सन् १९५८–५९, १९५९–६० तथा १९६०–६१ में राजस्थान से गुवार का निर्यात करने के लिये राजस्थान सरकार तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा किन-किन व्यापारिक संस्थाओं को परमिट दिये गये; और

(ग) कितने मन गुवार के निर्यात के परमिट दिये गये ?

कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा): (क) जी हां। राज्य सरकार ने आवश्यक पदार्थ अधिनियम, १९५५ के अन्तर्गत, प्रत्यायोजित शक्तियों के अधीन राजस्थान से ग्वार के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाया हुआ है।

(ख) और (ग). १६ दिसम्बर, १९६० तक ग्वार के निर्यात पर कोई प्रतिबन्ध नहीं था और इस तारीख से पहले परमिट देने का प्रश्न नहीं होता था। राजस्थान सरकार ने १६ दिसम्बर, १९६० से ३१ मार्च १९६१ तक कोई परमिट नहीं दिया। ग्वार के गोंद के निर्यात से मूल्यवान

---

†मूल अंग्रेजी में

विदेशी मुद्रा मिलती है, इसलिए राज्य सरकार ने अप्रैल १९६१ से ग्वार गोंद के वास्तविक निर्माताओं को १,४५,५६२ मन के निर्यात के परमिट दिये हैं।

अनाज की बरबादी

†२३३२. **श्री भा० कृ० गायकवाड :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूना में जुलाई, १९६१ के दूसरे हफ्ते में भारी बाढ़ के कारण सरकारी गोदामों में कितना अनाज नष्ट हो गया; और

(ख) उसका मूल्य कितना था ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) पूना में एकाएक भारी बाढ़ आने के कारण केन्द्रीय सरकारी गोदामों में कुल ७०९१ टन अनाज (७०१९ टन चावल और ७२ टन गेहूं) स्टाक में से १० टन गेहूं बह गया और ६२६८ टन दूसरा अनाज (६१९६ टन चावल और ७२ टन गेहूं) खराब हो गया जो मानवी उपभोग के अयोग्य हो गया।

(ख) खराब हुए स्टाक की लागत लगभग ३६·७४ लाख रुपये थी।

उत्तर प्रदेश में परियोजनाएं

†२३३३. **श्री कालिका सिंह :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय पानी-बिजली आयोग (पानी शाखा) ने उत्तर प्रदेश राज्य की किन-किन परियोजनाओं का १९५९–६० और १९६०–६१ में परीक्षण किया और किन परियोजनाओं का परीक्षण अभी हो रहा है ;

(ख) केन्द्रीय पानी-बिजली आयोग (बिजली शाखा) ने उत्तर प्रदेश राज्य सम्बन्धी किन-किन परियोजनाओं का १९५९–६० और १९६०–६१ में परीक्षण किया और किन परियोजनाओं का परीक्षण अभी हो रहा है; और

(ग) उन्हें तीसरी पंचवर्षीय योजना में शामिल करने के बारे में क्या निश्चय किया गया या अभी किया जाने वाला है ?

सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी): (क) से (ग). विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० ३१६०/६१]**

सरकारी कर्मचारियों की बस्तियों के पास श्मशान भूमि

†२३३४. **श्री बलराज मधोक :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी कर्मचारियों की विभिन्न बस्तियों के पास श्मशान भूमि के लिये क्या व्यवस्था की गयी है; और

(ख) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**स्वास्थ्य मन्त्री (श्री करमरकर)** : (क) नौरोजी नगर (दक्षिण विनय नगर) में श्मशान भूमि है। दिल्ली की बृहत् योजना के प्रारूप में भी व्यवस्था की गयी है और कई उपयुक्त जगहों पर भूमि उपयोग योजना में इस प्रयोजन के लिये स्थान दिखाये गये हैं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

ग्रामीण नेता शिविरों में प्रशिक्षण

†२३३५. **श्री बालकृष्णन्** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण नेता शिविरों में प्रशिक्षण के बारे में राज्यों से आंकड़े इकट्ठे किये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों में ग्रामीण नेता शिविरों के मल्यांकन और स्थिति ज्ञान का क्या परिणाम निकला ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमन्त्री (श्री ब० सू० मूर्त्ति)**: (क) और (ख). जी हां। ग्रामीण नेता शिविरों का मूल्यांकन योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन द्वारा किया गया था। इस रिपोर्ट की प्रतियां संसद् पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

ग्रेन एलिवेटर का निर्माण

†२३३६. **श्री आचार** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ५०,००० टन क्षमता का एक 'साइलो' (ग्रेन एलिवेटर) तैयार करने की योजना है और यदि हां तो क्या सरकार इस मामले में कोई विदेशी तकनीकी और दूसरी सहायता ले रही है; और

(ख) यह किस जगह तैयार किया जा रहा है और उसमें कितनी पूंजी लगायी जायेगी ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमन्त्री (श्री अ० म० थामस)**: (क) और (ख). बन्दरगाहों पर साइलो तैयार करने के प्रश्न पर विचार हो रहा है। पोलैण्ड के साथ ऋण करार से उपलब्ध निधि से बम्बई या मद्रास में सिलो बनाने के लिये प्रारम्भिक परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिये सेकोप (पोलिश सरकारी व्यापार संगठन) के साथ अभी तक केवल एक समझौता किया गया है। परियोजना कार्यान्वित करने के लिये सम्भवत: जितनी पूंजी लगायी जायगी उसकी रकम प्रारम्भिक परियोजना रिपोर्ट के मिलने क बाद ही मालूम होगी।

तेलवाहक जहाज का डब जाना

†२३३७. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या २२ जुलाई, १९६१ की सुबह बर्मा सैफायर नामक तेलवाहक जहाज बम्बई के पास बंकर द्वीप समूह के समुद्री तेल चौकी के पास डूब गया; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण थे ?

†**परिवहन तथा संचार मन्त्री (डा० सुब्बरायन्)** : (क) जी हां, वह बूशर रीफ पर डब गया।

(ख) वह जहाज नौचालन सम्बन्धी गलती के कारण डूबा। बम्बई पोर्ट ट्रस्ट के डेप्युटी कंजर्वेटर विभागीय जांच कर रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

वाराणसी में डीजल इंजन कारखाना स्थापित करना

†२३३८. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाराणसी में डीजल रेलवे इंजन का एक कारखाना खोलने का सरकार का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो उस प्रयोजन के लिये कौनसा स्थान चुना गया है ?

†**रेलवे उपमन्त्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) और (ख). सरकारी क्षेत्र में डीजल रेलवे ईंजन तैयार करने वाला एक कारखाना खोलने का निश्चय किया गया है । उसके स्थान के बारे में औपचारिक निश्चय अभी नहीं किया गया है ?

चीनी के नये कारखाने

†२३३९. **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री गु० के० जेधे :
श्री पांगरकर :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारत सरकार ने यह निर्णय कर लिया है कि चीनी के नये कारखाने बनाने के लिये और अधिक लाइसेंस नहीं दिये जायेंगे ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमन्त्री (श्री अ० म० थामस):** जी हां । देश में चीनी का उत्पादन अधिक होने के आधार पर यह निर्णय कर लिया गया है कि अभी चीनी उद्योग में और क्षमता के लिये और लाइसेंस न दिये जायें ।

ग्रामीण सहकारी संस्थायें तथा विपणन सहकारी संस्थायें

†२३४०. **श्री तंगामणि :** क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री १७ मार्च, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १८९४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिये आयोजित ग्रामीण सहकारी संस्थायें तथा विपणन सरकारी संस्थाय बना ली गई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या अनुभव हुआ है;

(ग) क्या सहकारी बैंकों तथा सहकारी सेंट्रल बैंकों के बारे में जानकारी उपलब्ध है;

(घ) यह केन्द्रीय बैंक किस प्रकार काम कर रहे हैं; और

(ङ) क्या मद्रास राज्य के समान प्रत्येक राज्य में एक बैंक होगा ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमन्त्री (श्री ब० सू० मूर्त्ति) :** (क) जी हां ।

(ख) इन सहकारी समितियों का विकास विभिन्न प्रक्रमों पर है तथा इनमें से अधिकांश एक अथवा दो वर्ष से चालू हैं । इसलिये अभी उनके अनुभव बताना सम्भव नहीं है ।

(ग) और (घ). जी हां । इन बैंकों के कार्यवहन तथा प्रगति के बारे में जानकारी रिजर्व बैंक द्वारा प्रकाशित 'भारत में सहकारी आन्दोलन का पुनरीक्षण' तथा 'भारत में सहकारी आन्दोलन के बारे में सांख्यिकीय विवरण' पुस्तिकाओं में प्राप्त है । अन्तिम प्रकाशित समीक्षा १९५६–५८ (जून १९५८ तक) की है तथा 'सांख्यिकीय विवरण' १९५९–६० (जून १९६० तक) की है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ङ) सामान्यतः इसको मान्यता दे दी गई है कि एक केन्द्रीय सरकारी बैंक एक जिले के लिये हो। परन्तु कुछ विकल्प हैं। इस समय देश में ४०० केन्द्रीय सहकारी बैंक हैं।

दूध की खपत

†२३४१. **श्री तंगामणि :** क्या **स्वास्थ्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूध की प्रति व्यक्ति खपत के प्राक्कलन बनाये गये हैं; और

(ख) एशिया के तथा योरोप के देशों से इनकी किस प्रकार तुलना की जा सकती है ?

†**स्वास्थ्य मन्त्री (श्री करमरकर) :** (क) १९५५ से १९५८ तक किये गये सर्वेक्षण से पता लगा कि भारत में दूध तथा उसके उत्पादों की औसत खपत २·८१ औंस प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है।

(ख) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और समय पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

ग्राम्य विद्युतीकरण

†२३४२. **श्री तंगामणि :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ग्राम्य विद्युतीकरण सम्बन्धी अध्ययन दल की सिफारिशों के आधार पर गांवों में बिजली लगाने के लिये ऋण देना स्वीकार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो १९५९–६० तथा १९६०–६१ में मद्रास राज्य को कितनी धनराशि दी गई; और

(ग) १९६१–६२ में सभी राज्यों के लिये कितना आवंटन किया गया है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमन्त्री (श्री हाथी) :** (क) ग्राम्य विद्युतीकरण सम्बन्धी अध्ययन दल की सिफारिशों के परिणाम-स्वरूप ग्राम्य विद्युतीकरण योजनाओं को धन देने की एक योजना लागू की गई थी जिसके अनुसार द्वितीय पंच वर्षीय योजना के अन्तिम दो वर्षों के लिये राज्य सरकारों को रोजगार बढ़ाने के लिये विद्युत सुविधाओं बढ़ाने के कार्यक्रम के अधीन ग्राह्य शर्तों के अनुसार ही ऋण दिये गये हैं। इस योजना के अधीन ऋण की धन राशि पर पहले पांच वर्षों में सूद लिया जाता है। इसके बाद मूल तथा सूद दोनों २५ बराबर की वार्षिक किस्तों में देय होंगे।

(ख) रोजगार कार्यक्रम के अधीन १९५९–६० में राज्य सरकार को १.९७ लाख रुपये का ऋण स्वीकार किया गया था जो मुख्यतः ग्राम्य विद्युतीकरण योजनाओं के लिये था। १९६०–१९६१ वर्ष के लिये राज्य सरकार से मंत्रालय को केन्द्रीय सहायता के कोई प्रस्ताव नहीं मिले हैं।

(ग) १९६१–६२ के बजट में ग्राम्य विद्युती करण के लिये राज्य सरकारों को १० करोड़ रुपये ऋण देने के लिये दिये गये हैं।

दक्षिण रेलवे पर स्वास्थ्य एकक

†२३४३. **श्री तंगामणि :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६१–६२ में दक्षिण रेलवे पर स्वास्थ्य एकक खोले जायेंगे ; और

(ख) इस समय दक्षिण रेलवे में कितने स्वास्थ्य एकक हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे उपमन्त्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) ३ स्वास्थ्य एकक खोले जा चुके हैं तथा १९६१–६२ में ४ और खोले जायेंगे ।

(ख) ७६ ।

उत्तर रेलवे के स्टेशनों पर बिजली लगाना

†२३४४. { **श्री दलजीत सिंह :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६०–६१ तथा १९६१–६२ में अब तक उत्तर रेलवे के कितने स्टेशनों पर बिजली लगाई गई है ; और

(ख) १९६१–६२ में कितने रेलवे स्टेशनों पर बिजली लगाई जायेगी ?

†**रेलवे उपमन्त्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) १९६०–६१ में ४५ स्टेशनों पर बिजली लगाई गई थी तथा १–४–६१ से १५–८–६१ तक ५ स्टेशनों पर बिजली लगाई गई है ।

(ख) १९६१–६२ में ३७ स्टेशनों पर बिजली लगाने का विचार है ।

उत्तर रेलवे पर क्वार्टर

†२३४५. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६०–६१ तथा १९६१–६२ में रेलवे कर्मचारियों के लिये उत्तर रेलवे पर कितने क्वार्टर बनाये गये थे ; और

(ख) तीसरी पंच वर्षीय योजना अवधि में कितने क्वार्टर बनाने का प्रस्ताव है ?

†**रेलवे उपमन्त्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क)

(१) १९६०–६१ में १०३६ ।

(२) १९६१–६२ में ३३६ ।

(ख) तीसरी पंच वर्षीय योजना में लगभग १०,००० क्वार्टरों के निर्माण की आशा है ।

देश में बाढ़ का प्रभाव

†२३४६. **श्री मुहम्मद इलियास** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के अनेक भागों में अप्रत्याशित बाढ़ के कारण अगली फसलों पर क्या असर पड़ेगा ; और

(ख) क्या हाल की बाढ़ के कारण अनाज के दाम पर कोई असर पड़ेगा ?

†**कृषि उपमन्त्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) अनाज के उत्पादन पर बाढ़ का क्या असर पड़ेगा यह अभी नहीं बताया जा सकता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) अभी तक बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में मल्यों में कोई खास वृद्धि नहीं हुई है और जो भी वृद्धि हुई है वह गैर मौसमी बातों के कारण हुई है। भविष्य में मूल्यों के उतार चढ़ाव के बारे में बताना कठिन है ।

रेलवे हाई स्कूल दानापुर

†२३४७. **श्री आसर :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बॉयज़ रेलवे हाई स्कूल, दानापुर (बिहार) में कई अनियमितताओं के बारे में मंत्री महोदय को कोई ज्ञापन पेश किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) जी, नहीं। लेकिन रेलवे बोर्ड के नाम एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ।

(ख) यह कार्यवाही के लिए पूर्व रेलवे के पास भेज दिया गया है ।

फेरो-मैंगनीज उद्योग के लिए बिजली

†२३४८. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फेडरेशन ऑफ़ इंडियन चेम्बर्स ऑफ़ कॉमर्स एण्ड इन्डस्ट्री ने यह मांग की है कि निर्यात संवर्धन उपाय के तौर पर बिजली सामान्यतः उद्योगों को और खासकर मैंगनीज़ उद्योग को सस्ती दरों पर दी जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इस मांग पर सरकार ने क्या निश्चय किया है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमन्त्री (श्री हाथी)** : (क) ज्ञात हुआ है कि जहां तक फेरो-मैंगनीज उद्योग का संबंध है, निर्यात संवर्धन मंत्रणा परिषद् की पिछली बैठक में इस आशय का सुझाव प्राप्त हुआ था ।

(ख) निर्यात संवर्धन के दृष्टिकोण से कितनी मदद आवश्यक होगी इसका अंदाज लगाने के लिए फेरो-मैंगनीज उत्पादकों से प्रार्थना की गयी है कि वे उत्पादन लागत संबंधी आंकड़े पेश करें ताकि अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों के मुकाबले में समस्या का विश्लेषण किया जा सके ।

राजस्थान में डेरी फार्म

२३४९. **श्री प० ला० बारूपाल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान में डेरी फार्म को सरकार कोई प्रोत्साहन नहीं दे रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि उपमन्त्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा): (क) और (ख). केन्द्रीय सरकार तीसरी पंचवर्षीय योजना में राजस्थान सरकार को निम्न योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये वित्तीय सहायता देगी :—

(१) अस्थिर-वासी ढोर प्रजनकों का पुर्ननिवास ।

(२) ढ़ोर प्रजनन-एवं-दूध उत्पादन केन्द्रों के रूप में गौशालाओं का विकास ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(३) ढोरों के दूध और बोझ उठाने के गुणों के विकास के लिए पशुग्राम योजना ।

(४) खाद्य और चारा विकास योजना ।

(५) राठी नसल के विकास के लिए योजना ।

(६) मिश्रित खेती योजना ; और

(७) गांवों के उत्पादित दूध के लिए आश्वासित और लाभकारी बाजार उपलब्ध करने के लिए दूध योजनायें और ग्रामीण क्रीमरियां । ऊपर लिखित संख्या नं० (१) से (४) तक की योजनाओं और एक दुग्ध योजना के लिए दूसरी पंचवर्षीय योजना में भी केन्द्र द्वारा वित्तीय सहायता दी गई थी ।

बीकानेर डिवीजन में रेल के फाटक

२३५०. श्री प० ला० बारूपाल : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि बीकानेर डिवीजन के ग्रामीण क्षेत्रों में रेल के फाटक बन्द कर दिए गए हैं ?

रेलवे उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : जी नहीं । लेकिन बीकानेर डिवीजन में मवेशियों के लिए कुछ 'डी' श्रेणी के फाटक हैं । राजस्थान सरकार ने उत्तर रेल प्रशासन से पूछे बिना इन फाटकों के पहुंच-मार्गों को सुधार दिया है ताकि गाड़ी आदि वाहन इन से गुज़र सकें । यहां यह उल्लेखनीय है कि 'डी' श्रेणी के फाटक सिर्फ़ मवेशियों और पैदल चलने वालों के लिए होते हैं । रेल प्रशासन ने मजबूर हो कर सुरक्षा की दृष्टि से इन फाटकों पर डंडे लगवा दिये हैं ताकि वहां से गाड़ी आदि वाहन न गुज़र सकें ।

राज्य सरकार से अनुरोध किया जा चुका है कि वह 'डी' श्रेणी के उन फाटकों का विवरण दें, जिन्हें वह गाड़ी आदि वाहनों के लिए नियमित समपार के रूप में बदलवाना चाहती है । वर्तमान नियमों के अनुसार इस तरह के फाटकों का दर्जा बढ़ाने का खर्च सड़क अधिकारियों को उठाना होगा । जैसे ही राजस्थान सरकार से कोई निश्चित सुझाव और इस बात की मंजूरी मिलेगी कि वह समपार का दर्जा बढ़ाने का खर्च उठाने को तैयार है, तो इस पर आगे कार्रवाई की जायेगी । इस सम्बन्ध में जल्दी निर्णय करने के लिए उत्तर रेल प्रशासन राजस्थान सरकार को बराबर लिखती रही है ।

गंगवाल बिजली घर

†**२३५१. श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंगवाल बिजली घर अगले वर्ष के आरंभ में अनिवार्यत: बंद कर देना पड़ेगा ;

(ख) यदि हां, तो उसे बंद किये जाने के क्या कारणहैं ; और

(ग) वह कब तक बन्द रहेगा ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमन्त्री (श्री हाथी)**: (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

किचनर रोड, नई दिल्ली में प्रसूति तथा बाल कल्याण केन्द्र

†**२३५२. श्री राम गरीब** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि किचनर रोड, नयी दिल्ली का प्रसूति तथा बाल कल्याण केन्द्र अब भी तंबू वाली जगह में है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या यह सच है कि २ अगस्त, १९६१ को वर्षा के कारण केन्द्र की जगह में पानी भर गया था और केन्द्र में उपयोग के लिए रखा गया सारा सामान बरबाद हो गया और अब लाभार्थियों के उपयोग के लिए उसे काम में नहीं लाया जा सकता ;

(ग) यदि हां, तो हानि का अनुमान कितना है ; और

(घ) क्या यह सच है कि कर्मचारी नर्सों के रहने के तंबू भी जमीन दोस्त हो गये और यदि हां, तो इन नर्सों को रहने के लिए क्या पक्की व्यवस्था करने का विचार है ?

†**स्वास्थ्य मन्त्री (श्री करमरकर)** : (क) जी, हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) करीब ५० रुपये ।

(घ) नर्सों के तंबू हवा और भारी वर्षा के कारण नष्ट हो गये थे । वर्तमान स्थान के निकट ही प्रसूति तथा बाल कल्याण केन्द्र के लिए एक स्थायी इमारत बनाने का निश्चय किया गया है ।

रेवाड़ी स्टेशन पर ठेकेदारों द्वारा स्टाल का किराये पर दिया जाना

†२३५३. **श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेवाड़ी स्टेशन पर अधिकतर ठेकेदारों ने अपने अपने स्टाल और गाड़ियां किराये पर दे दी हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है या की जाने वाली है ?

†**रेलवे उपमन्त्री (श्री शाहनवाज खा)** : (क) और (ख). उत्तर रेलवे इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है और आवश्यक कार्यवाही करेगी जिसमें वह ठेके खत्म कर दिये जायेंगे जिनके बारे में किराये पर उठाने का मामला साबित हो गया हो ।

अगरतल्ला में रक्त बैंक

†२३५४. **श्री दशरथ देव** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में अगरतल्ला वी० एम० अस्पताल (त्रिपुरा) मे एक बैंक शाखा चालू करने की कोई योजना सरकार के पास है ;

(ख) यदि हां, तो काम कब चालू होगा ; और

(ग) कितना रक्त अगरतल्ला वी० एम० अस्पताल में उपयोग के लिए हर साल आयात किया जाता है और वह आजकल साधारणतया कहां से आयात किया जाता है ?

†**स्वास्थ्य मन्त्री (श्री करमरकर)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) आजकल प्रशासन शायद ही कभी कभी कलकत्ते से रक्त प्राप्त करता है । कभी कभी तो रोगियों के संबंधी ही अपने निजी खर्च से रक्त लाते हैं ।

फिर भी इस बात की कोशिश हो रही है कि रक्त देने वालों की संख्या बढ़ायी जाये । जब उनकी काफी बड़ी सूची उपलब्ध हो जायेगी तब कलकत्ता रक्त बैंक से मांगने की कोई आवश्यकता नहीं होगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अखिल भारतीय कृषि सेवा

†२३५५. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नालागढ़ समिति रिपोर्ट की सिफारिश के मुताबिक अखिल भारतीय कृषि सेवा कायम करने के लिए कोई कार्यवाही की गयी है ; और

(ख) कृषि सेवाओं का दर्जा बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**कृषि मन्त्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) प्रस्ताव पर विचार हो रहा है ।

(ख) एक अखिल भारतीय कृषि सेवा बनाने की सिफारिश के अलावा, देश में कृषि सेवाओं का दर्जा बढ़ाने के लिए कृषि प्रशासन समिति ने दो और सिफारशें की हैं जो इस प्रकार हैं :—

(१) राज्य कृषि विभागों के कर्मचारियों के वेतनक्रम बढ़ाये जायें ताकि वे अन्य विभागों में विद्यमान वेतन क्रमों के बराबर हो जायें और शिल्पिक व्यक्तियों को आकर्षित किया जा सके ।

(२) राज्य कृषि विभाग को एक बड़े विभाग के रूप मे मान्यता दी जाये ।

उपयुक्त सिफारिश (१) के सम्बन्ध में राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे वेतनक्रम बढ़ाने के विशिष्ट प्रस्ताव भेजें । अनेक सिफारिशों में से एक सिफारिश यह भी है जिसे कार्यान्वित करने में भारत सरकार ने १९६०–६१ और १९६१–६२ में अतिरिक्त लागत का आधा आधा हिस्सा बांट कर राज्य सरकारों को मदद देने का निश्चय किया है । पंजाब सरकार ने राज्य कृषि विभाग में कुछ श्रेणियों के पदों के कर्मचारियों के वेतनक्रम पहले ही बढ़ा दिये हैं । मद्रास और असम जैसे कुछ दूसरे राज्य स्थानीय वेतन आयोगकी सिफारिशों के आधार पर कृषि तथा दूसरे विभागों के वेतनक्रम बढ़ाने पर विचार कर रहे है और दूसरी राज्य सरकारों से प्रस्ताव अभी प्राप्त नहीं हुए हैं ।

सिफारिश (२) के सम्बन्ध में प्राय : सभी राज्य सरकारों ने सूचित किया है कि कृषि विभाग को एक बड़े विभाग के रूप में समझा जाता है ।

रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवाओं में अनुसूचित जातियां और अनुसूचित आदिम जातियां

†२३५६. **श्री शंकर देव** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, १९५५ से अप्रल, १९६१ तक रेलवे बोर्ड की सचिवालय सेवाओं में प्रत्येक श्रेणी में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये कितने आरक्षित स्थान रिक्त हुए और उन स्थानों पर कितने ऐसे उम्मीदवार भरती किये गये और स्थायी बनाये गये;

(ख) क्या यह सच है कि उपर्युक्त सेवाओं में अपनी बारी से बाहर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों को स्थायी करने के लिये गृह-कार्य मंत्रालय द्वारा जारी किय गये आदेशों की रेलवे मंत्रालय ने उपेक्षा की है ?

†**रेलवे उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जानकारी संलग्न विवरण में दी हुई है । [देखिय परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ४२ ।]

(ख) और (ग). जी, नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

भारी वर्षा के कारण दिल्ली की कुछ बस्तियों में पानी का भर जाना

†**श्री बलराज मधोक** (नई दिल्ली) : नियम १९७ के अन्तर्गत मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और यह प्रार्थना करता हूं कि वह उस के संबंध में एक वक्तव्य दें ।

"२ अगस्त, १९६१ को भारी वर्षा के कारण चाणक्यपुरी और दिल्ली की अन्य बस्तियों के मकानों में पानी का भर जाना"

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : २ अगस्त, १९६१ को भारी वर्षा के कारण निम्नलिखित क्षेत्रों में पानी भर गया ।

(१) मालचा मार्ग के निकट चाणक्यपुरी (डिप्लोमैटिक एन्क्लेव)

(२) मकान सं० ६० से १३० तक जोरबाग नर्सरी में ।

(३) अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था की आवास बस्ती, महरौली के पश्चिम तथा पूर्व दोनों ओर

(४) विनय नगर जी० आई० ब्लाक

इसके अतिरिक्त विनय नगर में राजस्थानी बस्ती और रीडिंग रोड के अन्त में हरिजन बस्ती की निचली झोपड़ियों में भी पानी भर गया ।

इस संबंध में मैं यह बताना चाहता हूं कि चाणक्यपुरी में लिंक रोड के निर्माण के कारण पानी नहीं भरा। यह मार्ग नवम्बर, १९६० से जनवरी, १९६१ तक निर्मित हुआ। यातायात परामर्शदात्री समिति की सिफारिशों के अनुसार इस मार्ग में निर्माण के समय दो पुलियां बना दी गयीं थीं । रिज और सरदार पटल रोड का प्राकृतिक ढ़ाल चाणक्यपुरी की ओर है और इस क्षेत्र का सारा पानी सरदार पटेल रोड से होकर लिंक रोड के दोनों ओर बनी पुलियों से हो कर जाता है । वस्तुतः सारा पानी एक घंटे से भी कम समय में निकल गया था । इस स्थिति में और सुधार करने के लिये नई दिल्ली म्युनिसिपल कमेटी नालियों को हटा देना चाहती है तथा लिंक रोड में सतह के पानी की निकासी की अतिरिक्त व्यवस्था भी कर रही है ।

अन्य बस्तियों की स्थिति इस प्रकार है :—

(२) जोर बाग नर्सरी में पानी भर जाना—इस का कारण यह था कि आग बुझाने के स्टेशन की सीमा दीवार जो कि एक नाली के पास थी, नाली में मिट्टी भर जाने के कारण गिर पड़ी, इस भाग को चौड़ा करने का प्रयत्न किया जा रहा है जिससे कि पानी का आसानी से निकास हो सके ।

(३) अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था की आवास बस्ती—इस बस्ती और ग्रीन पार्क के बीच में एक ढ़लाव है तथापि सी० पी० डब्ल्यू० डी० के द्वारा एक आठ फीट की बरसाती नाली बना दी गई है । ऐसा प्रतीत होता है कि नाली का मुंह बन्द हो गया इस से पानी अहाते की दीवारों को तोड़ कर बस्ती में घुस गया और महरौली रोड की ओर बहने लगा । यह अनुभव किया गया है कि यह नाली ग्रीन पार्क और हौज खास के एक भाग के बरसाती पानी का निकास करने के लिये पर्याप्त नहीं है अतः सरकार इस ओर ध्यान दे रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(४) विनय नगर में पानी भरना :—रिंग रोड के बगल में मुख्य नाली के निर्माण के कारण पानी की निकासी का मुख्य मार्ग बन्द हो जाने के कारण ऐसा हुआ । काकानगर के कुछ क्वार्टरों में भी यही स्थिति हुई क्योंकि मुख्यनाले के निर्माण के लिये नालियों को बन्द करवा देना पड़ा । अब यह रुकावट हटा दी गई है ।

यह उल्लेखनीय है कि यद्यपि २-८-६१ को भारी वर्षा के कारण कुछ क्षेत्रों में पानी भर गया था, तथापि कुछ ही घंटों के बाद सारे क्षेत्र का पानी बह गया था । यह सब (१) रेड्डी समिति द्वारा सुझाय गये अन्तसंबंध की व्यवस्था के कारण और (२) मुख्य नालियों को खुला रखने की व्यवस्था के कारण हुआ । १९५८ में नियुक्त रेड्डी समिति और इसी प्रयोजन के लिये नियुक्त अन्य समितियों न जो सिफारिशें की हैं उनका सारांश यह है कि

> "अप्रत्याशित वर्षा के लिये उपबन्ध करना कई कारणों से सरल नहीं है । वर्षा की अधिकतम मात्राके अनुसार अपनी नाली व्यवस्था को न बनाने में हम निसंदेह कुछ खतरा मोल लेते हैं तथापि सभी स्थानों में इन्हीं स्वीकृत सिद्धान्तों पर काम किया जाता है ।"

सभा का कार्य

†**श्री खुशवक्त राय** (खेरी): मैं अपने स्थगन प्रस्ताव की ओर माननीय मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं और उन से अनुरोध करता हूं कि वे इस विषय में एक वक्तव्य देवें ।

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम): उत्तर प्रदेश की पहिली बाढ़ों के सम्बन्ध में सभा पटल पर एक वक्तव्य रख दिया गया है । हाल की बाढ़ों के सम्बन्ध में आज या कल जब भी आप चाहें मैं एक वक्तव्य देने को तैयार हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय**: स्थगन प्रस्ताव को ध्यान दिलाना प्रस्ताव के रूप में स्वीकार किया जायगा मंत्री महोदय उत्तर प्रदेश की स्थिति के संबंध में कल अपना वक्तव्य दे सकते हैं ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

भेषज अधिनियम के अधीन नियम

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : मैं भेषज अधिनियम, १९४० की धारा ३३ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(१) दिनांक २० मई, १९६१ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० ११२४ में प्रकाशित भेषज (दूसरा संशोधन) नियम, १९६१ ।

(२) दिनांक २४ जून, १९६१ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० १४४९ में प्रकाशित भेषज (तीसरा संशोधन) नियम, १९६१ ।

(३) दिनांक ८ जुलाई, १९६१ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० १५८८ में प्रकाशित भेषज (चौथा संशोधन) नियम, १९६१ ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ३१४३/६१]

---

†मूल अंग्रेजी में

अत्यावश्यकीय पण्य विधेयक के अधीन आदेश

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)**: मैं अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उप-धारा (६) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :

(१) दिनांक १४ अगस्त, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १०४२ में प्रकाशित चावल (मध्य प्रदेश) मूल्य नियंत्रण आदेश, १९६१ ।

(२) दिनांक १७ अगस्त, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १०४५ में प्रकाशित चावल (मध्य प्रदेश) मूल्य नियंत्रण (संशोधन) आदेश, १९६१ ।

(३) दिनांक १७ अगस्त, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १०४६ में प्रकाशित चावल (पंजाब) दूसरा मूल्य नियंत्रण (नवां संशोधन) आदेश, १९६१ ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०३१५५/६१]

इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन द्वारा वायुयान में राष्ट्रपति के डाक्टरों को स्थान न दिये जाने के बारे में वक्तव्य

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : मैं ने माननीय सदस्यों को इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन द्वारा पटना से दिल्ली आने वाले अपने विमान में राष्ट्रपति के निजी चिकित्सकों डा० टी० एन० बनर्जी और डा० रघुनाथ शरन को स्थान न दिये जाने के बारे में ११ अगस्त को एक वक्तव्य दिया था, जैसा कि ११ तारीख के रोज मैं ने आश्वासन दिया था मैं ने इस संबंध में अग्रेतर जांच की कि किन परिस्थितियों में इन दोनों डाक्टरों को दिल्ली आने के लिये एक विमान में स्थान नहीं मिल सका ।

इस बात का ब्यौरा बताने के पूर्व यदि मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इस घटना से सम्बन्धित कुछ बातों की ओर आकर्षित करूंगा जिससे उनको यह बातें समझने में काफी सहूलियत हो जायेगी । हम सब जानते हैं कि राष्ट्रपति १९ जुलाई के ८।। बजे से बीमार हुए । उनके स्वास्थ्य के सम्बन्ध में सबसे पहिला बुलेटिन २० तारीख को १।। बजे जारी किया गया । डा० शरन के साथ २० तारीख को राष्ट्रपति भवन से सम्पर्क स्थापित किया गया । तथा यह कहा गया कि वे डा० बनर्जी के साथ तत्काल दिल्ली पहुंच जायें । डा० शरन ने इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के कार्यालय पटना के साथ १० बजे प्रातः सम्पर्क स्थापित किया । वस्तुतः डा० शरन को छोड़ कर पटना में किसी को भी राष्ट्रपति की बीमारी की गम्भीरता का पता नहीं था । जनता को २० तारीख को काफी समय पश्चात् ही राष्ट्रपति की गम्भीर अवस्था का पता चल सका । इसलिये उस समय जब कि उन्होंने पटना कार्यालय से दो टिकटों के लिये सम्पर्क स्थापित किया और कहा कि वे राष्ट्रपति की बीमारी के सिलसिले में दिल्ली जाना चाहते हैं, उस समय यातायात सहकारी, डा० शरन द्वारा किसी संकेत के अभाव में, उनकी यात्रा के तात्कालिक महत्व को नहीं समझ सका । मैं यह पृष्ठ-भूमि इस कारण बतलाना चाहता हूं कि जिससे वे इस आरोप की निष्पक्ष जांच कर सकें कि इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन ने इस मामले में कोई उत्साह नहीं दिखलाया ।

---

†मूल अंग्रेजी में

जिस समय डा० शरन ने कार्यालय के साथ सम्पर्क स्थापित किया उस समय पटना से दिल्ली के लिये केवल एक ही स्थान रिक्त था। एक अन्य सीट को उपलब्ध करने का एक मात्र साधन यही था कि या तो बनारस स्टेशन के साथ सम्पर्क स्थापित किया जाये या किसी यात्री से रुकने की प्रार्थना की जाये या कुछ सामान विमान से उतारा जाये। तथापि ऐसा करने में कुछ समय लगता है। अतः यातायात सहकारी को यात्रा की अविलम्बनीयता ज्ञात न होने के कारण उन्होंने सीट खाली करने या किसी यात्री को उतरने को कहने अथवा अपने अधिकारी से सम्पर्क स्थापित करने का कोई प्रयत्न नहीं किया क्योंकि ऐसा कार्य केवल विशेष स्थिति में ही किया जा सकता था। डा० शरन ने सीट न मिलने पर गाड़ी से ही जाना उचित समझा। इन बातों की पृष्ठ भूमि में मैंने कहा था कि किसी यात्री से उतरने को नहीं कहा गया।

अग्रेतर, जानकारी से यह बात ज्ञात हुई कि यदि कोई ऐसी व्यवस्था होती जिससे कि ये स्टेशन एक दूसरे को विमान के आने के पहिले निश्चित समय में सम्पर्क स्थापित कर सकते तो अधिक संतोषजनक विधि से अंतिम मिनट में अनुरोध करने पर भी स्थान मिलना संभव था। यह एक प्रक्रिया सम्बन्धी मामले हैं जिसके सम्बन्ध में मैंने कारपोरेशन से यह अनुरोध किया है कि वे इस संबंध में आवश्यक संशोधन करें।

तृतीय पंचवर्षीय योजना के बारे में प्रस्ताव--जारी

†**अध्यक्ष महोदय** : सभा २१ अगस्त, १९६१ को श्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किये गये निम्नलिखित प्रस्ताव पर अग्रेतर विचार करेगी :

"कि तृतीय पंचवर्षीय योजना पर, जो ७ अगस्त, १९६१ को सभा पटल पर रखी गई थी, विचार किया जाये।"

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** (केन्द्रपाडा) : मैं मंत्री महोदय के उत्तर देने के पूर्व दो बातें पूछना चाहता हूं।

पहिला, क्या राज्यों को नई योजनायें आरम्भ करने तथा विदेशों से स्वतन्त्र रूप से वार्ता करने का अधिकार दिया गया है ?

दूसरे क्या उड़ीसा के राज्य पाल ने अपने उदघाटन भाषण में यह कहा है कि वे तीसरी योजना में शामिल की गई योजनाओं से अधिक योजनाओं को क्रियान्वित कर सकेंगे, क्या उन्होंने इस सम्बन्ध में योजना आयोग से बातचीत कर ली है ?

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** (पाली) : मैं पिछले तीन दिनों से सभा में बैठा हुआ हूं मुझे यह आश्वासन देने के बावजूद भी कि मुझे बोलने का समय मिलेगा मुझे कोई अवसर नहीं दिया गया है, तब भला सरकार किस प्रकार यह समझती है कि समस्त देश की स्वीकृति इस योजना के पीछे है। जब कि उन्हें अपनी भावना व्यक्त करने का अवसर ही नहीं दिया जाता है।

†**अध्यक्ष महोदय** : सभा में ५०० से भी अधिक सदस्य हैं अतः सभी सदस्यों को समय देना असम्भव है। तथापि मैंने उन्हें समय देने का आश्वासन दिया था तथापि ऐसा संभव नहीं हो सका। तथापि माननीय सदस्य योजना पर इससे पूर्व भी यहां तथा कई समितियां में भी बोलने का अवसर पा चुके हैं। तथा इसके पश्चात् भी उन्हें अपने विचार व्यक्त करने का अवसर मिलता रहेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री (श्री नन्दा)**: मैं प्रधान मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर हुई चर्चा का उत्तर देता हूं। मेरे सम्मुख माननीय सदस्यों द्वारा रखे गये विचार तथा सुझाव हैं। मैं इस महान कार्य की कटिलता और अठिनता से भी अभिभूत हूं तथापि इसके साथ-साथ तीसरी योजना जिस रूप में हमारे भविष्य की महत्वकांक्षाओं को प्रकट करती है उसे देख कर मुझे रोमांच हो जाता है।

तीसरी योजना में लगभग प्रत्येक क्षेत्र में उत्पादन की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। तीसरी योजना में हमारी अर्थव्यवस्था में बुनियादी परिवर्तन किया जायेगा तथा उसके द्वारा आत्मनिर्भर अर्थ व्यवस्था की नींव रखना संभव होगा।

माननीय सदस्यों ने अपनी चर्चा के दौरान कई बातों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है। तथापि मैं उनमें से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों पर जिनका योजना से गहरा सम्बन्ध है उत्तर दूंगा। मैं इस बात को स्वीकार करते हुये कि योजना में जो भी लक्ष्य रखे गये हैं वे उनसे सभी सहमत हैं इस बात को बताने का प्रयत्न करूंगा कि उन उद्देश्यों तथा लक्ष्यों की यथाशीघ्र प्राप्ति किस प्रकार की जा सकती है।

मेरा निवेदन है कि योजना में जो दृष्टिकोण रखा गया है वह सर्वोत्तम है और इसके अतिरिक्त कोई अन्य मार्ग को ग्रहण करने से हमारी प्रगति में विलम्ब ही होगा। यद्यपि हमने कई दिशाओं में प्रगति की है तथापि हमें यह स्वीकार करना होगा कि उसके इच्छित परिणाम प्राप्त नहीं हुए।

निसंदेह कुछ त्रुटियां हुईं। कुछ त्रुटियां योजना बनाने के स्तर पर हुईं और कुछ उन्हें क्रियान्वित करने में। कभी स्थितियां भी हमारे वश से बाहर हो गईं। योजना के मसविदे को प्रस्तुत करने से अब तक लगभग दो बातों में हमें सफलता मिली है अब योजना को कोई बहुत बड़ी या छोटी नहीं कहता है। तथा आर्थिक सामाजिक लक्ष्यों के सम्बन्ध में भी सभा तथा बाहर भी लगभग सहमति हो गई है। स्वतंत्र पार्टी भी योजना की निम्नलिखित बातों से सहमत है। जीवन स्तर में वृद्धि हो, देश की अर्थव्यवस्था का तत्काल विकास हो, अधिक समानता हो, आर्थिक शक्ति का केन्द्रीकरण न हो, तथा विदेशों पर अधिक निर्भर न रखा जाये। मेरे विचार से यही सब बातें तीसरी योजना में शामिल हैं।

आचार्य कृपालानी ने योजना की क्रियान्विति पर अधिक जोर दिया। उनका हमसे कोई बुनियादी मतभेद नहीं था।

मैं इस बात का प्रयत्न करूंगा कि योजना के सम्बन्ध में जो मतभेद हैं उनको दूर किया जाये। श्री अशोक मेहता ने कहा है कि हम एक नये युग के द्वार पर खड़े हुये भी हिचकिचा रहे हैं। मैं यह बता देना चाहता हूं कि हमें योजना पर पूर्ण विश्वास है। निसंदेह हमने ठोकरें खाई हैं तथापि हमने अपने अनुभवों से लाभ उठाने का पूरा प्रयत्न किया है। हमने इस बात का पूरा प्रयत्न किया है कि तीसरी योजना में रखी गई परियोजनाओं और कार्यों को भली भांति पूरा किया जा सके।

मैं क्रियान्विति के सम्बन्ध में एक बात स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं। मैं यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि राज्य देश की अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण करने उसे सुदृढ़ बनाने का पूरा प्रयत्न कर रहा है। अतः यदि कोई असफलता होती है तो यह हमारा दायित्व है।

एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें जनता को योजना के प्रति आकर्षित करना है। उन्हें अपने कर्तव्यों और दायित्वों के प्रति जागरूक करना है।

---

†मूल अंग्रेजी में

कई माननीय सदस्यों ने इस ओर ध्यान दिलाया है कि अधिक सौहार्द पूर्ण बातावरण की सृष्टि की जानी चाहिये। यह लोगों के रवैये का प्रश्न है। निसंदेह योजना की सफलता के लिये अधिक अच्छे वातावरण का निर्माण किया जाना चाहिये।

मुझे पूरा विश्वास है कि केवल इस योजना में ही नहीं अपितु अन्य योजनाओं में भी हमें पूरी सफलता मिलेगी इसका कारण केवल यह है कि हमारे देश में जनशक्ति और कच्चेमाल की कमी नहीं है। हमारी जनता में बुद्धि और क्षमता है तथा उपयुक्त अवसर मिलने पर वह विश्व के किसी भी देश के युवकों से टक्कर ले सकते हैं।

योजना की सफलता का एक आश्वासन यह है कि हम ने प्रशिक्षण का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम बनाया है। हम एक औद्योगिक आधार बना रहे हैं, जिस से हम धीरे धीरे उन औजारों को बना सकेंगे जिन की लोगों को आवश्यकता है।

योजनाओं के कार्यान्वय में पिछले कुछ वर्षों में कुछ त्रुटियां हमारी नज़र में आई हैं। जैसा कि कुछ सदस्यों ने कहा है। व्यय के अनुमान बढ़ गये हैं; काम नियत समय पर समाप्त नहीं किये गये, रुकावटों के कारण क्षमता का पूरा उपयोग नहीं किया गया।

सरकार ने पिछल दो तीन वर्षों में प्रत्येक ऐसी कमी की ओर निकटतम ध्यान दिया है जो योजना को कार्यान्विति क दौरान में सामने आई क्योंकि सरकार अनुभव करती है कि जहां तक योजना को सफलता का सम्बन्ध है यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण है।

कार्यान्विति के तीन या चार मुख्य पहलू है, जिनका सम्बन्ध सामान्यतया प्रशासन से है। पहला पहलू परिवहन और बिजली सम्बन्धी सुविधाओं का विकास है। दूसरा प्रशिक्षण कार्यक्रम है। तीसरी योजना में इनका पर्याप्त प्रबन्ध किया गया है। फिर विभिन्न क्षेत्रों में क्षमता का पूरा उपयोग न होने का प्रश्न है। एक और पहलू जो कम महत्वपूर्ण नहीं हैं यह है कि ग्रामीण अर्थ व्यवस्था के लिए आयोजन ग्राम और खंड स्तर पर किया जाये। हमने कुछ परिवर्तन किये हैं, जिससे यह पहले से अधिक प्राभावोत्पादक सिद्ध होंगे।

बड़ी परियोजनाओं में प्रबन्धक संवर्ग और अग्रिम आयोजन बहुत महत्वपूर्ण हैं। इस प्रयोजन के लिए कुछ कदम उठाये गये हैं। प्रत्येक मंत्रालय में प्रविधिक आयोजन विभाग स्थापित किये जायेंगे। वित्त मंत्रालय में व्यय अनुमानों का उचित परीक्षण किया जायगा, अग्रिम आयोजन किया जायेगा और व्यय के ठीक-ठीक अनुमान लगाये जायेंगे। विभिन्न परियोजनाओं में प्रबन्धकों को व्यय कम करने उत्पादन शक्ति बढ़ाने और माप दंडों तथा काम का निरीक्षण करने में सहायता करने के लिए विशेष संस्थाएं कायम की जायेंगी।

इन बड़े–बड़े संयन्त्रों और उपक्रमों को कैस चलाया जायगा? स्वायत्तता, शक्तियों का प्रत्यायोजन और विकेन्द्रीकरण के प्रश्न भी महत्वपूर्ण हैं। कार्यान्वय का एक महत्वपूर्ण यह भी है कि जहां अच्छा काम न हुआ हो वहां उचित कार्यवाही की जाये। वार्षिक पुनर्विलोकन के अतिरिक्त, जिसका कि प्रबन्ध किया जा रहा है, इन परियोजनाओं से कार्य का निरन्तर जायजा लिया जायगा।

इसके बाद क्रम और उचित चुनाव का प्रश्न आता है। स्थानीय योजनाओं के बारे में.....

†**आचार्य कृपालानी** (सीतामढ़ी): इन सब बातों का उल्लेख दूसरी पंचवर्षीय योजना की चर्चा के दौरान में किया गया था।

श्री नन्दा : निस्संदेह उस समय भी हमें कार्यान्वय के महत्व का अनुभव था, किन्तु कुछ विशिष्ट मामले उस अवस्था पर स्पष्ट नहीं थे। अग्रिम आयोजन के बारे में हमें अधिक ज्ञान नहीं था। दो योजनाओं के दौरान दस वर्षों में हमारे ज्ञान के साथ हमारी क्षमता भी बढ़ी है।

अब मैं एक महत्वपूर्ण प्रश्न--अर्थव्यवस्था की प्रगति की ओर आता हूं। किन्तु ऐसा करन से पहले मैं आचार्य कृपालानी की इस बात का जवाब देना चाहूंगा कि यदि योजना में निर्धारित लक्ष्यों में हेरफर हो जाय, तो वह योजना बेकार हो जाती है मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि आयोजन एक निरन्तर प्रक्रिया है। हम समय के साथ अपने तरीकों में सुधार करते जाते हैं। हम पहली या दूसरी अवस्था पर १०० प्रतिशत सफलता संभवतः न मिले किन्तु हम जितना कर सकत हैं, कर सकते है और लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं।

इतने बड़े देश में जिस में ४३ करोड़ लोग हैं, मिश्रित अर्थ व्यवस्था है और गैर सरकारी क्षेत्र उसका बड़ा भाग है हम कोई कसी हुई योजना नहीं अपना सकते। पूर्ण रूप से नियमित अर्थ व्यवस्था में भी आप यह नहीं कह सकते कि पांच साल बाद क्या होगा क्योंकि स्थिति सदा बदलती रहती है। किन्तु सामान्य स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए।

इस बार आप ने ठोस आयोजन और वित्तीय आयोजन का सिद्धांत देखा होगा। पिछले बजटों से आप ने देखा होगा कि वित्तीय स्थिति सुधर रही है। किन्तु मुख्य बात यह थी कि हमारे संसाधन तो अधिक होंगी किन्तु तैयार परियोजनाएं कम होंगी। इसलिए यह निर्णय किया गया था कि प्रारंभिक कार्य अनेक दिशाओं में शरू किया जाये ताकि उचित समय पर हम इन परियोजनाओं को चालू कर सकें।

अब सब लोग यह शिकायत कर रहेहैं कि भारत में विकास की रफ़्तार बहुत कम है। कहा जाता है कि हम अपनी योजनाओं की सफलता का दावा करते हैं; किन्तु अविकसित देशों की सूची में भी भारत का नम्बर, तीन चार देशों को छोड़कर, सब से नीचे है। माननीय सदस्यों को ध्यान में रखना चाहिए कि विकास की रफ़्तार मुख्यतया विनियोग की दर पर निर्भर करती है। जमेका में विनियोग की दर २१ प्रतिशत है। इस्राइल में २६ प्रतिशत। भारत में इस समय यह ८ प्रतिशत है ? अब आप इस दर से कितने आर्थिक विकास की आशा कर सकते हैं। इस के अतिरिक्त एक बात यह भी है कि संसाधनों का आगमन ८ प्रतिशत का १ प्रतिशत है। उन्हें इतनी अधिक विदेशी सहायता मिलती है। जिस से विनियोग बढ़ता है।

कहा गया है कि चूंकि विनियोग की दर इतनी कम है, इसलिए हमारी आर्थिक नीति गलत होगी और इसे बदलना चाहिए।

वित्तीय संसाधन करारोपण ऋणों, छोटी बचतों या अधिक विदेशी सहायता द्वारा प्राप्त की जा सकती है। विदेशी सहायता और करों के सवाल को लीजिये। यह नहीं कहा जा सकता कि करों का भार इन वर्षों में अत्यधिक रहा है। यदि हम विकास की रफतार और तेज करना चाहते हैं, विनि-

---

†मूल अंग्रेज़ी में

योग-उत्पादन अनुपात और बढ़ जायेगा। इसका अर्थ है अधिक संसाधन लगाना, ताकि पंद्रह वर्षीय दृष्टिकोण बनाया जा सके और प्रति व्यक्ति आय दुगुनी की जा सके। विकास की प्रगति के बारे में श्री अशोक मेहता ने इराक़ और कुछ अन्य देशों का उदाहरण दिया है। उन्होंने कहा था कि यह मुख्यतया इराक के तेल के कारण है। एक देश की स्थिति दूसरे देश से बहुत भिन्न होती है। हम मूल उद्योगों को विकसित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। वे पूंजी प्रमुख उद्योग हैं। कुछ देश उपभोक्ता उद्योग अधिक पसन्द करते हैं। हमारे विचार में यह सही रास्ता नहीं हैं।

अब मैं एक और पहलू लेता हूं और वह है योजना का तरीका। कूछ सदस्यों ने कहा है कि जिस तरीके से योजना चलाई जा रही है, उसका परिणाम मुद्रास्फीति, दुःख, बेरोजगारी, विदेशों पर निर्भरता सरकारी क्षेत्र का एकाधिपत्य आदि ही होगा और उन्होंने जो हल बताया है वह भी बहुत सरल है। वह यह है (१) भारी उद्योग नहीं होने चाहिए, (२) सरकारी क्षेत्र नहीं होना चाहिए, (३) विदेशी सहायता नहीं लेनी चाहिए और (४) अर्थ व्यवस्था पर कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए। मैं इन सुझावों के बारे में केवल इतना कह सकता हूं कि विश्व के प्रसिद्ध अर्थ-शास्त्रियों में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो ऐसे सुझाव देगा। मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि ब्रिटेन और अमेरिका जैसे उन्नत देशों में भी आयोजन की ओर प्रवृत्ति बढ़ रही है। अमेरिका ने दक्षिण अमेरिका के उन देशों से जिन्हें उसने सहयता दी है कहा है कि वे अपना विकास आयोजन द्वारा करें। मेरे माननीय मित्रों को आपत्ति भारी उद्योगों पर है।

†**श्री मी० रू० मसानी** (रांची-पूर्व) : भारी उद्योग को अत्यधिक महत्व देने पर आपत्ति है।

श्री नन्दा : इन चीजों को नापा नहीं जा सकता। केवल राष्ट्र की आर्थिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखना पड़ता है। इसलिए बड़े-बड़े संयन्त्र स्थापित करना, जिन के उत्पादन का हम प्रयोग नहीं कर सकते बुद्धिमत्ता नहीं होगी। जहां तक हमारा संबंध है, मेरे विचार में हमें कोई ऐसा भय नहीं है। हमें तो अभी आत्मनिर्भरता प्राप्त नहीं हुई और हम उन्हें पैदा करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री मी० रू० मसानी : विश्व में आर्थिक सहयोग होना चाहिए।

श्री नन्दा : श्री मसानी को किस ने कहा है कि इस योजना से जिस से १५ वर्षों में अर्थ व्यवस्था आत्मनिर्भर हो जायेगी, अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग अपवर्जित है। मेरे विचार में उत्पादन तथा सेवाओं के विषय में सहयोग पन्द्रह वर्षों में और भी बढ़ जायेगा।

†**श्री मी० रू० मसानी** : मशीनों के आयात के बारे में क्या स्थिति है?

†**श्री नन्दा** : हम सदा मशीनों का आयात नहीं करते रहेंगे। हम अपनी पूंजीगत वस्तुएं और मशीनी-निर्माण क्षमता बनाना चाहते हैं, जिस से मशीनें बनाई जायेंगी और फिर ये उपभोक्ता की वस्तुएं बनायेंगी। इस का विकल्प क्या है? हम पूंजीगत वस्तुएं एक दिन में तो नहीं बना सकते। इसमें समय लगता है? उपभोक्ता वस्तुएं बनाने के दो तरीके हैं। पहला यह कि ये मशीन से नहीं हाथ से बनाई जायें। बढ़ती हुई जन संख्या को देखते हुए इस से क्या होगा—भुखमरी और गरीबी बढ़ेगी। दूसरा तरीका मशीनों से बनाने का है, किन्तु मशीनें बनाने की आवश्यकता नहीं। इन्हें आयात किया जा सकता है। कब तक आयात करते रहेंगे?

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री नन्दा]

विदेशों पर निर्भरता दूर करने का केवल यही तरीका है कि १० या १५ सालों में हम अपने पांव पर खड़े हों, नहीं तो हमें उपभोक्ता वस्तुएं बनाने के लिए मशीनें आयात करनी पड़ेंगी।

फिर यह भी कहा गया है कि तीसरी योजना सोवियत नमूने की है। हम स्वतंत्र दल के नमूने को भी जानते हैं, जिस के अनुसार हमें सदा के लिये विदेशों पर निर्भर रहना पड़ेगा। उन्हें सरकारी क्षेत्र पर भी आपत्ति है। उन की राय में सरकारी क्षेत्र एकाधिकार स्थापित करता है।

श्री मी० रू० मसानी : क्या जीवन बीमा निगम और राज्य व्यापार निगम एकाधिकार नहीं हैं ?

श्री नन्दा : सारे राष्ट्र का एकाधिकार एकाधिकार नहीं रहेगा। एकाधिकार तो केवल एक विभाग का हो सकता है।

सरकारी क्षेत्र में समय के साथ प्रबन्ध को विकेन्द्रित स्वायत्त एककों के हाथ में देना संभव होगा। गैर-सरकारी क्षेत्र में यह संभव नहीं है।

कहा गया है कि राज्य पूंजीवाद और बड़े गैर-सरकारी उपक्रम में गठजोड़ है। मैं कह सकता हूं कि देश में ऐसा कुछ नहीं हो रहा। सरकार का कर्तव्य यह है कि देश शीघ्र विकसित हो। सामाजिक न्याय और सुरक्षा हो। हम जानते हैं कि देशी उद्योगों को संरक्षण चाहिए इस तरह की कार्यवाही या नियन्त्रण हस्तक्षेप नहीं होता।

†**आचार्य कृपालानी** : सरकार और अन्य लोग बराबर हैं।

†**श्री नन्दा** : क्या माननीय सदस्य यह समझते हैं कि यदि सरकार का हाथ इस में न होता, तो क्या लोगों को इस में भाग लेने का अवसर मिल सकता। यह सब अवसर बड़े बड़े उद्योगपतियों को प्राप्त होते। अब लाइसेंस आदि द्वारा ये अवसर छोटे लोगों तक पहुंचाए तो जाते हैं।

इसमें सन्देह नहीं है कि गैर सरकारी क्षेत्र ने भी हमारी योजनाओं के अधीन काफी प्रगति की है। यदि इस अवधि में सरकारी क्षेत्र का विकास नहीं हुआ होता तो गैर-सरकारी क्षेत्र इससे आधी प्रगति भी नहीं कर सकता था। उन्हें कई आधारभूत सुविधायें दी गयी हैं जिसका वे लाभ उठाते हैं।

अतः हमारा दृष्टिकोण सैद्धांतिक नहीं है। वस्तुतः बिना सरकारी क्षेत्र के विकास के यह सब विकास संभव नहीं था। विशेषतः जब कि हमारी बचत की दर बहुत कम है। यदि सरकार ने अन्य मार्गों का अवलम्बन नहीं किया होता, विदेशी सहायता नहीं ली होती, तो यह विकास संभव नहीं हो सकता था।

कुछ लोग किसी प्रकार के नियंत्रण और विनियम नहीं चाहते हैं। तथापि संकट काल में सभी जगह यह नीति बरती जाती है। हम भी यहां गरीबी और बेकारी के विरुद्ध कर रहे हैं। हमारे पास संसाधनों की कमी है, अतः अविलम्बनीय आवश्यकताओं और देश के लिये आवश्यक वस्तुओं के सम्बन्ध में हमें पूर्ववर्तिता निश्चय करनी होगी। जब तक छोटे और मध्यम पैमाने के कारखानों के लिये पर्याप्त सीमेंट नहीं है जब तक आप किस प्रकार

---

†मूल अंग्रेजी में

बड़ी बड़ी इमारतों को बनाने के लिये सीमेंट और लौहा दे सकते हैं। निसन्देह कुछ काला बाजार हो सकता है तथा यदि किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं रहेगा तो यह सारा सामान काले बाजार में चला जायेगा। हमें चाहिये कि हम इन कदाचारों को दूर करने का प्रयास करें।

माननीय सदस्य ने यह कहा है कि समाजवादी ढांचे की स्थापना के लिये आप क्या कर रहे हैं? निसन्देह हम स्वीकार करते हैं कि इस दिशा में हमारी प्रगति संतोषजनक नहीं हुई है। इसका कारण भी वही था जो मैं आपको बता चुका हूं। विकास के आरम्भिक चरणों में यदि आप अपने सिद्धांतों पर अत्यधिक दृढ़ रहेंगे तो इससे प्रगति में बाधा पहुंचेगी। इससे विशेषत: गरीबों को कोई लाभ नहीं होगा। समाजवादी व्यवस्था का सब से महत्वपुर्ण तत्व भी यही है कि उत्पादन की अधिकता हो। उसके विभाजन का प्रश्न तभी उत्पन्न होता है जब हमारे पास किसी वस्तु की बहुतायत हो। मैं इस बात की कल्पना नहीं कर सकता कि हम इस उद्देश्य की आशा में बैठे रहें और इस दौरान विषमताओं को दूर करने और जनता के गरीब वर्ग के जीवन स्तर को बढ़ाने के लिये कुछ भी न करें। इसकी उपेक्षा करने से वांछनीय प्रगति नहीं हो सकती है। इससे हमारे मार्ग में रुकावट आ जायेगी। हम इस और भी भरसक प्रयत्न कर रहे हैं।

तथ्य यह है कि आर्थिक स्थिति स्थिर हो जाने पर, औद्योगिकरण की बुनियादें मजबूत हो जाने पर तथा प्रशासन का उचित विकास हो जाने पर हम इस ओर अपेक्षाकृत तेजी से विकास कर सकते हैं, तथापि जब तक ऐसा न हो तब तक इस ओर अधिक तेजी से बढ़ने पर जटिलतायें पैदा हो जायेंगी।

समाजवादी ढांचे के समाज के निर्माण में भी मैं आप को यह बताना चाहता हूं कि किन विशेष दिशाओं में प्रगति की जा रही है। इस प्रश्न के दो पहलू हैं एक पहलू यह है कि हम निम्नतम धरातल पर पड़े हुए व्यक्ति को उठाना चाहते हैं। अत: समाजवादी ढांचे के समाज की ओर हमारा पहिला कदम इस दिशा की ओर होना चाहिये। अर्थात् देश के प्रत्येक व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकतायें पुरी की जायें, मेरे विचार से ऐसा करने पर हम समाजवादी ढांचे के समाज की स्थापना करने में समर्थ होंगे।

कृषि श्रमिकों और औद्योगिक श्रमिकों के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा गया था। निसन्देह वह पीढ़ित हैं। निसन्देह द्वितीय कृषि श्रम जांच समिति की जांच से यह प्रगट हुआ है कि उसकी दशा में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ है। इसका कारण यह भी है कि आबादी बढ़ती जा रही है और भूमि पर भार बढ़ता जा रहा है। अत: हम केवल औद्योगिकरण के द्वारा ही उनकी सहायता कर सकते हैं। वस्तुत: ग्रामीण जनता के हितों का विरोधी नहीं है केवल इसी के द्वारा हम इस आधिक्य श्रम को खपा सचते हैं। तथापि यह औद्योगिकरण गांवों में होना चाहिये। अत: गांवों में कृषि उद्योगों का आधार बनाया जाये। समाजवादी अर्थव्यवस्था का यह दूसरा अंग है। अर्थात् गांव और नगरों के विकास और विभिन्न क्षेत्रों के विकास में संतुलन होना चाहिये। इस चर्चा में क्षेत्रीय विषमता के प्रश्न पर बहुत कुछ कहा गया है। गांव की संख्या में अबादी की वृद्धि होने के कारण उनके श्रम का मूल्य कम नहीं हो रहा है। मध्यम वर्ग का भी यही मामला है। शिक्षित व्यक्तियों के उत्पादन में वृद्धि होती जा रही है जिसका फल यह हो रहा है कि उनकी सेवाओं का मूल्य कम होता जा रहा है। इस समस्या का हल केवल आर्थिक विकास से ही संभव है।

[श्री नन्दा]

योजना के अध्ययन से यह प्रगट होगा कि विभिन्न क्षेत्रों में बहुत विकास कार्य हो रहा है। जितना कार्य हमने पिछले दस वर्षों में किया है उतना हम केवल पांच वर्षों में करने का प्रयत्न कर रहे हैं। विभिन्न प्रकार के व्यवसायों, इंजीनियरों, डाक्टरों और कृषि सेवाओं के क्षेत्र में प्रशिक्षण की सुविधायें विस्तृत की जा रही हैं। उनकी समस्याओं का कोई अन्य हल नहीं हो सकता है। जहां तक कृषि क्षेत्र का प्रश्न है देश में बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य चल रहा है अतः उनको वहां रोजगार का काम मिल सकता है।

आर्थिक शक्ति के केन्द्रीकरण को रोकने के लिये भी कई प्रयत्न किये गये हैं। इस दिशा में कई प्रयत्न किये गये हैं तथापि मुख्य प्रयत्न यह है कि सरकारी क्षेत्र का विकास किया जा रहा है। सरकारी क्षेत्र की सापेक्षिक और पूर्णरूप से वृद्धि हो इससे आर्थिक शक्ति के विकेन्द्रीकरण में सहायता मिलेगी। इसके अतिरिक्त हमें जनसाधारण के लिये अधिक रोजगार के साधन प्रस्तुत करने होंगे। वास्तविक गैर सरकारी क्षेत्र यह है। कुछ थोड़ी बड़ी बड़ी फर्मों को वास्तविक अर्थों में गैर सरकारी क्षेत्र नहीं कहा जा सकता है। हम छोटे छोटे उपक्रमियों विशेषतः छोटे पैमाने के क्षेत्रों की वृद्धि करने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हम सहकारी क्षेत्र के विकास का प्रयत्न कर रहे हैं। इन दिशाओं में प्रगति होने से आर्थिक शक्ति के केन्द्रीकरण के विरुद्ध हमें सहायता मिलेगी। इन लोगों की सहायता के लिये हम कई बातें कर रहे हैं। कई वित्तीय संस्थायें औद्योगिक बतिस्यां और रियायतें इत्यादि इनकी सहायता के लिये खुली हुई हैं। लायसेंस देने की नीति में भी उनके हक में परिवर्तन किया गया है और समवाय व्यवस्था पर और कड़ी निगरानी रखी जा रही है। ग्रामीण विद्युतीकरण में भी पर्याप्त प्रगति हुई है। हम केवल इसे ही पर्याप्त नहीं समझते हैं अपितु आवश्यकता होने पर इस दिशा में और भी कुछ करना चाहते हैं।

देश की स्थिति को देखते हुए हमने भूमि सम्बन्धी काफी सुधार किये हैं। हमारा तात्कालिक उद्देश्य यह है कि लगान कम हो और आसामियों को सुरक्षा प्राप्त हो। हम किसान को भूस्वामी बनाना चाहते हैं। यद्यपि अधिकांश राज्यों में इस सम्बन्ध में विधान पारित हो गये हैं तथापि व्यावहारिक रूप से बहुत कम कार्यवाही हुई है। इस नीति पर अधिक प्रभावशाली रूप से अमल करने की आवश्यकता है।

माननीय सदस्यों ने आय की विषमताओं को घटाने के सम्बन्ध में नीति के सम्बन्ध में विवरण योजना के मसविदे में पढ़ ही लिया होगा। यह कहना बहुत कठिन है कि कल से किसी के पास न्यूनतम आय की तीस गुनी अधिक आय न रहे। इसमें हमने अपना दृष्टिकोण संतोषजनक तरीके से व्यक्त किया है। कर जांच आयोग में यह उल्लेख किया है कि उच्चतम और निम्नतम आय के बीच केवल ३० गुने अन्तर से अधिक नहीं होना चाहिये। निसन्देह हमें यथासंभव इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये प्रयत्न करना चाहिये। उन साधनों को यहां बता सकना संभव नहीं है। हमें गरीब जनता को सुधारों और सामाजिक सेवाओं के रूप में सहायता देनी चाहिये तीसरी योजना में समाज सेवाओं के अधीन होने वाले व्यय में पर्याप्त वृद्धि कर दी गयी है।

मैंने समाजवादी ढांचे के सम्बन्ध में कुछ बातें बतायीं जिसके सम्बन्ध में हमें किसी प्रकार का संकोच नहीं होना चाहिये। मेरे विचार से हमारे देश के लिये यह उपयुक्त है। यह उचित नहीं कि मुट्ठी भर लोग बहुत से लोगों पर शासन करें। उनकी रचनात्मक शक्ति का उपयोग करने का प्रयत्न किया जा रहा है, तथा उन्हें ही यह समस्त व्यवस्था करनी होगी

क्योंकि वस्तुतः यह सम्पत्ति उनकी ही है । इस बात पर हमें सावधानी से विचार करना है कि लोक संस्थाओं यथा पंचायतों और सहकारिताओं को अधिकाधिक शक्तियां किस प्रकार दी जायें । इस समय मैं इस विषय पर विस्तार से चर्चा नहीं कर सकता हूं ।

अब मैं क्षेत्रीय भेदभाव की ओर आता हूं । यह बात प्रत्येक माननीय सदस्य के दिल में है और ऐसा प्रतीत होता है जैसे सभी माननीय सदस्य ही पिछड़े हुए क्षेत्रों के प्रतिनिधि हैं । यह बात ठीक भी है, नगरों को छोड़ दें तो लगभग सभी पिछड़े क्षेत्रों का ही प्रतिनिधित्व करते हैं । इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन यह है कि प्रादेशिक अथवा क्षेत्रीय असमानताओं की ओर आवश्यक ध्यान देने के लिए अपेक्षित कार्यवाही करने के लिए एक अभिकरण की स्थापना कर दी गयी है । वैसे तो हम प्रत्येक पिछड़े क्षेत्र के विकास के लिए सभी सम्भव कार्यवाही कर रहे हैं परन्तु इस दिशा में अधिक ध्यान का आकृष्ट होना राज्यों के स्थानीय साधनों पर भी निर्भर करता है । यहां संसाधन, जनसंख्या अन्य बातें ऐसी है कि विकास कार्य में तुरन्त कुछ वसूली हो सकती है तो उसे प्राथमिकता दी जाती है । क्योंकि प्रत्येक कार्य की सीमायें तो होती ही हैं । आखिर केन्द्र के पास जो कुछ भी साधन हैं वे सब राज्यों से ही तो प्राप्त होते हैं । केवल करों से ही बल्कि सरकारी उपक्रमों तथा अन्य ढगों से भी काफी कुछ प्राप्त होता है ।

इस मामले में हमने राज्यों को तीन भागों में विभक्त कर दिया है । 'क' भाग में बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल, 'ख' भाग में महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, मद्रास, मैसूर और पंजाब, भाग 'ग' में आसाम, केरल, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, यह भाग इस दृष्टि से बनाये गये है कि तुलनात्मक दृष्टि से कहां विकास के अवसर अधिक है और कहा कम । जो कुछ हम कर रहे हैं उससे यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि पिछड़े हुए क्षेत्रों के विकास के लिए हर सम्भव उपाय किये जा रहे हैं । यह ठीक है कि काफी कुछ नहीं हो पाया, फिर भी हर बात की सीमा तो होती ही है । जैसे हम शक्ति प्राप्त करते रहेंगे वैसे-वैसे इस दिशा में हम और आगे बढ़ते रहेंगे । सब प्रकार के विकास आंकड़े हमारे पास और सारे कार्य बड़े ठोस आधारों पर किये गये हैं । इन आंकड़ों के अनुसार भाग 'क' दूसरी योजना के अन्तर्गत ७३·२ था अब यह ५५ प्रतिशत हो गया है । भाग 'ख' २३·४ था अब यह २९ प्रतिशत है । भाग 'ग' ३.४ प्रतिशत था अब १५·६ हैं । गैर सरकारी क्षेत्र में ७३ प्रतिशत हो गया है जबकि दूसरी योजना के अन्तर्गत यह ८६·९ प्रतिशत था । भाग 'ख' और 'ग' का भी यह क्रमशः १२ और १·१ से १८ और १९ हो गया है । जिस-जिस राज्य को जितना विकास अपेक्षित है उसी आधार से उपरोक्त वर्गीकरण किया गया है । इस दिशा में यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि कई बार यह भी देखने में आया है कि राज्य सामूहिक तौर पर तो ठीक ही होता है परन्तु राज्य के भीतर कई क्षेत्र पिछड़े हुए होते हैं । तो उसके हम राज्य सरकार का ध्यान आकृष्ट करते रहेंगे, क्योंकि हम राज्य से कम का यूनिट तो बनायेंगे ही नहीं, न यह सम्भव ही है । राज्य सरकारों को ऐसे क्षेत्रों के लिए योजना प्रस्तुत करने के लिए कहा जायेगा और इसके लिए सम्भव प्रयत्न किये जायेंगे ।

बेकारी और मुद्रास्फीति का प्रश्न केवल स्वतन्त्र पार्टी की चिन्ता का कारण नहीं, हमारा ध्यान भी उस ओर है । सामान्यतया सभी का ध्यान उस ओर जाता है । गत पांच

[श्री नन्दा]

वर्षों में मूल्यों की वृद्धि हुई है इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। इस दिशा में बड़ा ही सचेत रहना है और सावधानी से काम लेना है। मेरा मत है कि इस वृद्धि के दो कारण सम्भव हैं। एक तो यह कि दूसरी योजना में घाटे की अर्थ-व्यवस्था सन्तुलित नहीं थी। अतः इस बार तीसरी योजना में इसे इतना सीमित रखा गया है ताकि मुद्रास्फीति न हो। वह इस प्रकार कि उत्पादन बढ़ा है। राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि हुई है। करेंसी और कर्जे की आवश्यकतायें भी हैं। परन्तु हम इसमें बहुत आगे नहीं जांये और रुपया ही न बनाते चलें जांय। ऐसा न हो कि चारों ओर कठिनाइयां ही कठिनाइयां आती चली जांय। मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि बजट से अप्रत्यक्ष कर ठीक नहीं होते परन्तु हमने तो ऐसा नहीं किया। इस बार तो बचत के सभी सम्भव ढंग अपनायें गये है। मैंने जांच की है। अप्रत्यक्ष करों से तो कीमतों का चढ़ाव लगभग आधे प्रतिशत से अधिक नहीं हुआ है। प्रत्यक्ष कर भी कई बार काफी कड़े सिद्ध होते हैं। मेरा मत तो यह है कि इस दिशा में सब से महत्वपूर्ण समस्या कर अपवंचन की है। इसमें कुछ प्रशासन का और कुछ सद्भावना का प्रश्न है। मैं कहूंगा कि इस दिशा में लोगों को अपना दायित्व पूरा करना चाहिये।

इस दिशा में मेरा यह भी निवेदन है कि कीमतों का झुकाव नीचे को लाने के लिये हम निर्यात की भी व्यवस्था कर रहे हैं। हमें निर्यात तो करना ही है चाहे उसमें कुछ घाटा ही क्यों न हो, क्योंकि आखिर विदेशी विनिमय का भी तो प्रश्न हमारे सामने है। सारी समस्या उत्पादन से हल होगी। यह नहीं हो सकता कि हम ऐसी मदों में विनियोजन करते जांय जहां से वसूली बिल्कुल ही न हो। यह ठीक है कि हमें संयंत्रों की देखभाल और चालन के लिये विदेशी सहायता प्राप्त होती है। परन्तु हमें अपनी अर्थ व्यवस्था का ध्यान तो रखना ही है। कृषि उत्पादन में अब कुछ वृद्धि हुई। गेहूं और चावल का उत्पादन देश में बढ़ना चाहिए। इसमें श्रमिकों का भी लाभ है और अन्य वर्गों का भी इसी में भला है यदि हम इसमें सफल नहीं होते तो अपने निर्धारित लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

श्री मी० रु० मसानी ने कहा है कि हम ऐसे विधान बनाकर, जो श्रमिकों को हड़ताल करने से रोकते हैं उन्हें कमजोर बना रहे हैं। मैं उन्हें यह बताना चाहता हूं कि यदि ये विधान श्रमिकों की भलाई के लिये न होते तो यह व्यवस्था कायम न रहती। जब मैंने कार्य भार संभाला तो सभी वर्गों के लोगों से निवेदन किया कि यदि आप न्याय निर्णयन से सहमत नहीं है तो आप मुझे बता दें ताकि मैं इस विधान व्यवस्था को समाप्त ही कर दूं। लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ। यह बात ठीक है कि कोई भी हड़ताल तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक कि वह बृहद् रूप से न हो और बृहद् हड़ताल की अनुमति दी नहीं जा सकती। न्याय निर्णयन के लिये मालिक नहीं बल्कि प्रायः कर्मचारी ही आया करते हैं। हमारे पास कुछ अधिकार है और हम उन अधिकारों का उपयोग न्याय पाने के लिये करते हैं। दूसरी योजना में हम अविकास कार्यों पर होने वाले व्यय का तथा उनकी देखभाल के व्यय का अनुमान नहीं लगा सके। लेकिन इस योजना में हमने अनुमान लगा लिया है।

हसन से मंगलौर तथा बंगलौर से सैलम तक की रेलवे लाइनों के बारे में भ्रान्ति है। इन दोनों लाइनों के निर्माण की व्यवस्था इस योजना में कर दी गई है हसन मंगलौर लाइन बन्दरगाह को मिलाती है।

जहां तक बेरोजगारी का सवाल है सभी नये व्यक्तियों के लिये पूर्ण उपबंध करना तो संभव नहीं है किन्तु सभी को किसी न किसी स्तर पर रोजगार देने का प्रयत्न किया जायेगा। १७० लाख में से १४० लाख व्यक्तियों को नियमित रोजगार दिया जायेगा फिर भी ३० लाख व्यक्ति रह जाते हैं। ग्रामीणों के रोजगार के लिये भी १५० करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। ग्रामीणों को विभिन्न प्रकार के रोजगार दिये जायेंगे। गांवों में भूमिसंरक्षण, छोटी-छोटी सिंचाई योजनाएं तथा इसी प्रकार की अन्य बहुत सी छोटी छोटी बातें की जा सकती हैं। और इनके आधार पर लोगों को काम मिल सकता है।

राजनैतिक एकता का प्रश्न उठाया गया है। यदि इस योजना को सफल बनाना है तो यह योजना सबकी योजना होगी। शासक दल को इस बात का दावा नहीं करना चाहिये कि यह योजना उसकी अपनी है। यदि अन्य दलों का इसे सहयोग मिलता है तो शासक दल भी इसके बारे में दावा कर सकता है।

देश में सामाजिक तनाव का भी प्रश्न उठाया गया है। जहां तक इस योजना का सवाल है इसकी सफलता में सभी का हाथ है लेकिन बुराई केवल शासक दल को ही दी जाती है। अच्छी बात तो यह है कि सभी मिलकर इस योजना को सफल बनाने का प्रयत्न करें। और इसके लिये यह जरूरी है कि देश में सामाजिक एकता हो और इस योजना को सफल बनाने में राजनीति का प्रश्न नहीं उठाना चाहिये।

आशा है कि जनता का सहयोग हमें इस योजना में मिलेगा एवं लोग इसे समझने का प्रयत्न करेंगे। एवं भावना तथा क्रियान्वयन दोनों ही दृष्टि से लोग इस योजना को समझने का प्रयत्न करेंगे।

श्री नरसिंहन का प्रस्ताव स्वीकार किया जाये।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब श्री रंगा के संशोधन को मतदान के लिये रखना आवश्यक है। क्या वे इसके बारे में विभाजन भी चाहते हैं?

†**श्री रंगा** : जी हां।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह समय विभाजन के लिये ठीक नहीं है क्योंकि बहुत से सदस्य खाना खाने गये हैं। यह प्रश्न मैं ४½ बजे लूंगा सभी दल विभाजन के समय मतदान के लिये अपने अपने सदस्यों को एकत्रित कर लें।

आय कर विधेयक

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा श्री मोरारजी देसाई के, १८ अगस्त, १९६१ के निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे चर्चा करेगी :—

> "कि आयकर और अधिकर सम्बंधी विधि को समेकित और संशोधित करने वाले विधेयक पर, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार किया जाये।"

†**श्री नौशीर भरूचा** (पूर्व खान देश) : मैं ने पिछली बार कहा था कि आयकर विधेयक को हम कुल मिला कर स्वीकार करते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उस में त्रुटियां नहीं हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री नौशीर भरुचा]

अब जीवन इतना पेचीदा हो गया है कि इस प्रकार का विधान स्वाभाविक रूप से पेचीदा ही हो सकता है ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

मेरी समझ में नहीं आता कि खण्ड ११ के अन्तर्गत शैक्षणिक न्यासों को कर से विमुक्त नहीं किया गया है। यदि उनकी बचत उनकी वार्षिक आय के २५ प्रतिशत भाग से अधिक हो तो उस पर कर लगाया जायेगा। लेकिन शिक्षा को बढावा देने के नाम पर सरकार ने विश्वविद्यालयों और शिक्षा संस्थाओं को कर से विमुक्त कर दिया है। यह परस्पर विरोधी व्यवस्थायें हैं।

इसी प्रकार खण्ड १० के उपखण्ड (२३) के अन्तर्गत जहां क्रिकेट और टेनिस, इत्यादि खेलों को प्रोत्साहन देने वाली संस्थाओं को आयकर से विमुक्ति दी गई, है, लेकिन गरीब जनता के आवास की व्यवस्था करने वाले न्यासों पर आय कर की व्यवस्था है। इसका क्या औचित्य है ?

सरकारी और निजी कर्मचारियों में पहले विभेद था। लेकिन अब उसे दूर किया कर दिया गया है । लेकिन १५ महीनों के वेतन को ही विमुक्ति क्यों दी गई है ? इस पर ऐसी कोई सीमा नहीं लगानी चाहिये क्योंकि उपदान तो पूरे जीवन की बचत होती है।

सब से अधिक विवादग्रस्त खण्ड ११, १२ और १३ हैं। प्रवर समिति ने इन में कछ संशोधन किये हैं, परन्तु वे संतोषप्रद नहीं हैं। खण्ड ११ में व्यवस्था है कि न्यासों की बचत यदि उनकी आय के २५ प्रतिशत भाग से अधिक हो तो उस पर आय कर लगाया जायेगा। अधिनियम के प्रारम्भ से पहले बने न्यासों को ही विमुक्ति दी गई है।

१ अप्रैल, १९५२ से पहले, बने, अन्तर्राष्ट्रीय कल्याण को बढ़ावा देने वाले न्यासों को विमुक्ति दी गई है । उसी सीमा तक जिस तक उनकी निधियां भारत से बाहरके देशों के लिये प्रयुक्त होंगी।

लेकिन प्रवर समिति ने उस में यह संशोधन कर दिया है कि यदि न्यास आयकर विभाग को पहले से बता दें कि वे किसी विशिष्ट पूर्व-कार्य के लिये निधि संचित कर रहे हैं। तो उस पर आय-कर नहीं लगाया जायेगा। इसकी अवधि दस वर्ष रखी गई है। इस से दीर्घकालीन योजनाओं वाले न्यासों पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ेगा।

मान लीजिये कोई व्यक्ति अपनी भूमि किसी न्यास को दान देना है कि वह चन्दा कर के उस पर ग़रीबों के लिये कोई इमारत बनवा दे। उसे इतना चन्दा करने में दस से अधिक वर्ष लग सकते हैं। तब उस पर आयकर लगने लगेगा। इसलिये दस वर्ष की अवधि रखना इसका कोई हल नहीं है ।

और, न्यास की इमारतों तथा आस्तियों के लिये अवक्षयण निधि तो संचित करनी ही पड़ेगी। उसे बचत की राशि से अलग रखना चाहिये। पूरी व्यवस्था पर पुनर्विचार किया जाना चाहिये। इसी-लिये मैं ने संशोधन रखा है कि १०,००० रुपये के स्थान पर २०,००० रुपये तक की सीमा रखी जाये । और अवधि १० से बढ़ाकर १२ वर्ष कर दी जाये इस से कुछ तो राहत होगी।

इस खण्ड से दीर्घकालीन योजनाओं वाले न्यासों पर एक और बुरा प्रभाव यह पड़ेगा कि उन में फिजूलखर्ची की भावना बढ़ेगी।

सरकार को पूर्त संस्थाओं पर इस प्रकार के कर नहीं लादने चाहिये। क्या सरकार को यह भय है कि न्यास कर्त्ता लोग संचित राशि का प्रयोग न कर के उसे तिजोरी में बन्द रखेंगे। इस व्यवस्था का अर्थ तो यह होता है कि सरकार प्रत्येक न्यास को संदेह की दृष्टि से देखती है।

खण्ड १२ ऐच्छिक आधार पर दिये गये चन्दों पर लगने वाले आयकर के सम्बन्ध में है। इसमें भी एक विचित्र विरोधाभास है। व्यक्तियों द्वारा किया गया ऐच्छिक अंशदान तो आय नहीं है, लेकिन यदि कोई न्यास किसी दूसरे न्यास की सहायता के लिये राशि दे, तो उसे आय माना जायेगा। न्यास आपस में सहयोग नहीं कर पायेंगे। उन में सहकारिता की भावना नहीं बढ़ेगी। सरकार को इसका औचित्य सिद्ध करना चाहिये।

खण्ड १३ का सम्बन्ध कुछ विशेष प्रकार के न्यासों से है। मूल अधिनियम में व्यवस्था थी कि 'धार्मिक समुदायों के लिये बने न्यासों को विमुक्ति नहीं दी जायेगी। अब उस में 'जाति' और 'मूलवंश' और जोड़े जा रहे हैं। मूलवंश शब्द जोड़ने का मंशा मेरी समझ में नहीं आया। मूलवंश के कल्याण का उद्देश्य बनाने वाले न्यासों को तो साम्प्रदायिक नहीं कहा जा सकता। ऐसे न्यासों को विमुक्ति न देना अनुचित है। इन सब का प्रभाव तो यह होगा कि लोग पूर्व संस्थाओं को दान देने की बात सोचना बन्द कर देंगे। आखिर विशिष्ट समुदायों और धर्मों के लोगों के लिये बनी पूर्त संस्था भी तो अपने पूर्त-कार्यों द्वारा सरकार का काफी बोझ कम कर देती हैं।

मेरी समझ में नहीं आता कि धार्मिक पूर्व संस्थाओं को, जैसे मंदिर के संधारण के न्यास को, बिलकुल सभी धर्मों के लोगों के लिये लाभदायक कैसे बनाया जा सकता है। ऐसे नयासों के लिये भी गुंजाइश छोड़ी जानी चाहिये।

खण्ड १३ में व्यवस्था है कि ऐसे न्यासों को विमुक्त नहीं किया जायेगा। यदि दानकर्ता किसी न्यास को एक इमारत का कुछ भाग दान में देता है, उसका एक भाग अपने गरीब सम्बंधियों के लिये रख लेता है। तो सारी इमारत की आय पर कर लगेगा। यदि कोई व्यक्ति धर्मार्थ मेडीकल कालेज बनवाता है और उस में न्यासकर्ताओं द्वारा नामजद एक दो विद्यार्थियों के लिये स्थान सुरक्षित करने की व्यवस्था करता है, तो उसे भी आयकर से विमुक्ति नहीं मिलेगी। विचित्र सी बात है।

न्यासों की पूंजीगत आस्तियों के लिये रखी जाने वाली अवक्षयण निधि को विमुक्ति दी जानी चाहिये।

इसमें पहली अप्रैल, १९६१ के पहले बने केवल उन न्यासों को विमुक्ति दी गई है जिनकी जीवन अवधि कम से कम छः वर्ष की हो। इसका औचित्य समझ में नहीं आया।

इसी तरह खण्ड ८८(५)(३) की यह व्यवस्था भी परस्पर विरोध लिये हुए है कि केवल उसी दान को विमुक्ति दी जायगी जो ऐसी संस्था को दान दे जो किसी धर्म, जाति या समुदाय के लाभ के लिये न हो। खण्ड ११ के सिलसिले में, मैं इसके तर्क दे चुका हूं।

श्री मसानी और श्री मुरारका ने निजी सीमित समवायों के निदेशकों की आय-कर की देयता की ओर ध्यान आकर्षित किया है। इसके पक्ष, और विपक्ष में बड़े बड़े तर्क मौजूद हैं।

इसे भूतलक्षी प्रभाव से लागू करने की बात है। इसका प्रभाव केवल उन निदेशकों पर पड़ेगा जिन्होंने प्रबन्ध में कोई गड़बड़ी की हो। दूसरी ओर श्री मसानी ने कहा है कि यदि समवाय के आय-कर के लिये निदेशक को उत्तरदायी बनाया जाता है, तो बिक्री कर के लिये राज्य सरकारों को उत्तरदायी क्यों नहीं बनाया जाता? इस प्रकार निदेशकों के सिर पर एक तलवार सी लटकाये रहना तो अच्छा नहीं।

मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। प्रवर समिति ने इस में काफी सुधार किये हैं। यदि मेरी बताई हुई इन त्रुटियों को दूर कर दिया जाये, तो यह अधिक उपयोगी सिद्ध होगा।

†**श्री रामसिंह भाई वर्मा** (निमाड़) : उपाध्यक्ष महोदय, यह एक बड़ा महत्वपूर्ण बिल है और मैं मानता हूं कि सिलेक्ट कमेटी ने काफ़ी परिश्रम और बुद्धि इनकम टैक्स और सुपर-टैक्स (अधिकर) सम्बन्धी कानून का एकीकरण करने में और अधिक सरल बनाने में लगाई है। इसलिये पहले मैं अपनी तरफ से सिलेक्ट कमेटी को उसकी मेहनत के लिये मुबारकबाद देना चाहता हूं।

इस कानून में इनकम टैक्स या सुपर-टैक्स कोई खास बढ़ा दिया गया है, ऐसी बात नहीं है। इस बिल में प्रोसीड्यर (प्रक्रिया) को आसान बनाने का प्रयत्न किया गया है और इनकम-टैक्स तथा सुपर-टैक्स कहां लगेंगे , उन को वसूल करने का तरीका क्या होगा और इस संबंध में अधिकारियों के अधिकार क्या होंगे, यह बताया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप के द्वारा माननीय सदस्यों और खासकर फिनांस डिपार्टमेंट के सामने यह निवेदन करना चाहता हूं कि केवल एक किताब बना देना और किताब में अमुक धारायें और प्रतिबन्ध डाल देना ही काफी नहीं है । इस कानून पर अमल कराने का प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। जो छट दी गई है, उस का नाजायज फ़ायदा उठा कर अपनी व्यक्तिगत आय को बढ़ा लेना और गवर्नमेंट के टैक्स से बच जाना बहुत आसान हो गया है। जब कम्पनीज अमेंडमेंट बिल आया था और फिनांस डिपार्टमेंट और कामर्स एंड इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री की डिमांडज पर डिस्कशन (चर्चा) के अवसर पर मैं इस विषय में काफी कहता हूं। लेकिन सच बात तो यह है कि नगारों के सामने शहनाई की आवाज सुनाई नहीं देती है।

एक माननीय सदस्य : तूती की ।

श्री रामसिंह भाई वर्मा : क्लाज १० में डेली एलाउंस की छूट दी गई है, जो कि किसी पार्लियामेंट के या विधान सभा के मेम्बर को मिले। अगर किसी कम्पनी का डायरेक्टर पार्लियामेंट या विधान सभा का सदस्य है और इस हैसियत से किसी कमेटी की मीटिंग में जाता है, तो उस को जो डेली एलाइउंस मिलेगा , उस को छट दी गई है । पार्लियामेंट के सदस्य को ४०० रुपया मासिक की सैलरी मिलती है और उस के ऊपर इनकम टैक्स लगता है। सब पार्लियामेंट या विधान सभा के सदस्य नहीं, कुछ चुने हुये सदस्य जब उन मीटिंग्ज में हिस्सा लेते हैं और डेली एलाउंस प्राप्त करते हैं , तो उनकी इनकम सैलेरी से अधिक हो जाती है। मैं समझता हूं कि इस बारे में कोई मर्यादा निश्चित की जानी चाहिये । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह एक विचारणीय सवाल है और गवर्नमेंट को इस बारे में सोचना चाहिए कि पार्लियामेंट या विधान सभा के सदस्यों को मीटिंग्ज़ में जाने से जो डली एलाउन्स मिलता है, अगर वह रकम महीने में सेलैरी की पचास परसेंट होगी, तो इनकम टैक्स की छट होगी, लेकिन अगर वह सेलैरी के बराबर या उससे अधिक हो जाती है, तो उस पर छूट क्यों हो ।

दूसरे एलाउन्सेज़ के बारे में कम्पनीज़ के डायरेक्टर्ज़ पर टैक्स लगाया गया है, लेकिन मैं आपके द्वारा माननीय उपमन्त्री जी को बताना चाहता हूं कि मेरे ध्यान में ऐसे मामले आये हैं, जिनमें इस व्यवस्था का नाजायज़ फायदा उठाया गया है। हम अक्सर देखते हैं कि एक व्यक्ति दस बारह कम्पनियों के चेयरमैन हैं और दस बारह कम्पनियों का डायरेटर है। इस तरह से वह बीस बाइस कम्पनियों का डायरेक्टर और चेयरमैन हो जाता है। यह चेयरमैन के अधिकार की बात है कि किस किस तारीख पर, किस किस स्थान पर वह बोर्ड आफ़ डायरेक्टर्ज़ की मीटिंग अरेंज करे । ऐसे मौके पर एक ही टाइम पर चार छः कम्पनियों की मीटिंग्ज़ वह अरेंज करता है। अधिकांश कम्पनियां ऐसी हैं, जो उन लोगों को १०० रुपये डेली एलाउन्स के और १०० रुपये बोर्ड आफ डायरेक्टर्ज़ की मीटिंग में शरीक

होने के देती हैं और इसके अलावा आने जाने, एयर और रेल का फ़ेयर, उन को मिलता है। ऐसा होता है कि जो मीटिंग बोर्ड आफ डायरेक्टर्ज़ की होती है वह एक घंटे में या डेढ़ घंटे में खत्म हो जाती है और इस तरह से वे आसानी से एक एक दिन में तीन तीन और चार चार मीटिंगों में शरीक हो सकते हैं और होते हैं। वे जाते भी एयर से हैं और आते भी एयर से है। वे खर्च तो एक ही बार करते हैं आने जाने का लेकिन जितनी भी कम्पनियों की मीटिंग्ज़ को व वहां एटेंड करते हैं, उन सभी कम्पनियों से आने जाने का एयर फेयर वसूल कर लेते हैं। इस तरह से आप देखें कि उनकी इनकम कितनी अधिक हो जाती है। एक व्यक्ति बीस बीस कम्पनियों का डायरेक्टर और चेयरमैन है और एक दिन में तीन तीन या चार चार या छः छः कम्पनियों की मीटिंगों को एरेंज करता है और सभी से आने जाने का एयर फेयर और डेली एलाउन्स वगैरह ले लेता है और जब वह ऐसा कर लेता है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसकी आमदनी कितनी गुना हो जाती है। आप देखिये कि कोई आदमी अगर दिल्ली में रहता है और बम्बई में मीटिंगों को एटेंड करने के लिये जाता है और चार या छः मीटिंग्ज़ वहां एटेंड करता है बोर्ड आफ डायरेक्टर्ज़ की और य सभी मीटिंगें अलग अलग कम्पनियों के बोर्ड आफ डायरेक्टर्ज़ की होती हैं तो वह कितना एयर फेयर सभी कम्पनियों से वसूल करता है जबकि वह खर्च एयर फेयर के तौर पर एक ही बार करता है। मैं चाहता हूं कि डिपार्टमेंट मुझे बताये कि इस तरह की चीजों पर उसने कोई चैक लगाया है या नहीं या इस तरह की चीज़ें उसके ध्यान में आती हैं या नहीं आती हैं। यह एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है और मैं चाहता हूं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस ओर ध्यान दे।

श्री अ० मु० तारिक (जम्मू तथा काश्मीर) : आनरेबल मैम्बर साहब ने अभी जो बात बतलाई है वह मैं समझता हूं कि यह इखलाक के खिलाफ ही नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ा कानूनी जुर्म भी है। उन्हें चाहिये कि वे ऐसे वाकात गवर्नमेंट के नोटिस में लायें। एक जगह पर वह जाता है और वहां पर कई मीटिंग्ज़ एटेंड करता है और सभी से एयर फेयर (किराया) वसूल कर लेता है, यह एक ऐसा मामला है जिसे कि गवर्नमेंट के नोटिस में उन्हें लाना चाहिये।

श्री रामसिंह भाई वर्मा : इससे भी ज्यादा भयंकर मामले हैं और बार बार डिपार्टमेंट के सामने आए हैं.....

उपाध्यक्ष महोदय : आज के बाद आप तारिक साहब के पास भेज दीजिये न।

श्री रामसिंह भाई वर्मा : अब मैं टैक्स पर आता हूं। यह कहा गया है कि अमुक आमदनी से ज्यादा जिसकी आमदनी होती है, उस पर इनकम टैक्स और सुपर टैक्स लगता है। इसमें जो चोरियां होती है, उनकी तरफ अब मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। इसके लिये कोई अलग डिपार्टमेंट नहीं बनने वाला है। लेकिन इन चोरियों को रोका जाना चाहिये। इन चोरियों को पकड़ना मेरा धंधा नहीं है, लेकिन अगर डिपार्टमेंट मेरी मदद चाहता है तो मैं चौबीसों घंटे उसकी मदद करने के लिये तैयार हूं। नक्कार खाने में तूती की आवाज़ कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन इस ओर आपका विशेष ध्यान जाना चाहिये।

अब प्रिवी पर्स पर जो छूट दी गई है, उसके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं। यह भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। जिनके पास इतनी दौलत है, इतन धन है और जो गरीबों की कमाई का जमा किया हुआ है और जिनसे लेकर आज जो धनवान बना गए हैं उनको इनकम टैक्स और सुपर-टैक्स में छट दी जाए यह मेरे जैसे गरीब आदमी की समझ में नहीं आता है। प्रिवी पर्स पर इनकम टैक्स और सुपर-टैक्स से छूट नहीं मिलनी चाहिये बल्कि मैं कहना चाहता हूं जितना ज्यादा से ज्यादा टैक्स आप उस पर लगा सकें, लगायें।

डा० मा० श्री० अणे (नागपुर) : मैं माननीय सदस्य से एक क्लेरिफिकेशन चाहता हूं इनकी स्टेट्स को हमने ले लिया और उनको लेते वक्त हमने एक एग्रीमेंट किया था । अब क्या माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि इस एग्रीमेंट को तोड़ करके हमें यह चीज़ करनी चाहिये ।

श्री रामसिंह भाई वर्मा: एग्रीमेंट को तोड़ने का सवाल नहीं है। आपने आज तक कितने ही एग्रीमेंट किए हैं और उनमें से कितने ही बदले हैं । इस एग्रीमेंट को भी बदला जा सकता है । विदेशों से हम धन उधार लेते है और उस पर ब्याज भी दे रहे हैं और यह सब हम डिवेलेपमेंट के नाम पर कर रहे हैं, तो देश के डिवेलेपमेंट के लिये देश में जिनके पास धन है, काफी दौलत है और जिस पर टैक्स नहीं लगता है और जिन्होंने इस दौलत को गरीबों की कमाई से इकट्ठा किया है, उनसे इस दौलत पर टैक्स क्यों न वसूल किये जायें ।

अब मैं क्लाज़ ४० (सी) के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । बहुत सी कम्पनियों के अन्दर डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर और उनके रिश्तेदार हैं और वे खर्च करते हैं और उन खर्चों को एक्सेंपेंडीचर में डाल देते हैं। इस क्लाज़ में यह कहा गया है कि जो ऐसे खर्चे होते हैं उन्हें अगर इनकम टैक्स आफिसर अत्यधिक समझें तो उन खर्चों को उनकी व्यक्तिगत आय में गिन सकते हैं और उन पर इनकम टैक्स और सुपर टैक्स वसूल कर सकते हैं। इस चीज़ का वे लोग नाजायज़ फायदा उठा रहे हैं और इस क्लाज़ का भी वे नाजायज़ फायदा उठायेंगे । एक मैनेजिंग डायरेक्टर है या डायरेक्टर है, उसने अगर अपना परमानेंट एड्रेस राजस्थान लिखा रखा है लेकिन अगर उसका कारखाना बम्बई में है और वह बम्बई में कम्पनी के बंगले में रहता है, अपने बाल बच्चों को उसमें रखता है, कम्पनी की मोटर यूज़ करता है, कम्पनी का ही वह खरीदा हुआ बंगला है, उसमें बाग़ के अन्दर माली है और सब कुछ है, रसोई है और उसको गैस्ट हाउस का नाम दे दिया गया है तो भी जब यह कहा जाता है कि यह कम्पनी के काम के लिये है तो यह कहां तक मुनासिब बात है और किस तरह से इसको जायज़ एक्सपेंडीचर समझा जा सकता है । मैं समझ सकता हूं अगर कोई आदमी दिल्ली से बम्बई या बम्बई से दिल्ली जाता है कम्पनी के काम के सिलसिले में या किसी खास काम से और फिर उस बंगले में रहता है तो इसको जायज़ एक्सपेंडीचर मान लिया जाए । लेकिन आपको यह भी देखना चाहिये कि कैसा वह काम था और उसको कितने टाइम में पूरा किया जा सकता था । ऐसे लोग भी हैं जो हिन्दुस्तान से विदेशों को जाते हैं, सारा खर्चा करते हैं और वे कह देते हैं कि कम्पनी की मशीनरी देखने के लिये गये थे, उद्योग को वहां देखने गए थे, प्राडक्टिविटी वहां की जो है, उसको देखने के लिये गये थे और इस सारे खर्चे को कम्पनी के खर्चे में डाल देते हैं । इस तरह के जो इनकम-टैक्स से बचने के मामले हैं, उनको मैं विभाग के सामने लाना चाहता हूं और चाहता हूं कि वह इनको देखे । इस तरह के जितने भी खर्चे होते हैं वे सारे एक्सपेंडीचर में डाल दिये जाते हैं और अपनी व्यक्तिगत आय में से नहीं किये जाते हैं । आप उनको ५०,००० कमीशन दें या प्राफिट होने पर १० परसेंट दें, यह सवाल आज यहां पर नहीं है, उनके सामने तो सवाल यह रहता है कि मैनेजमेंट हमारे हाथ में कैसे रहे और नाजायज़ तरीके से हम कितना पैदा कर सकते हैं । इस वास्ते यह बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है और इस तरफ आपका ध्यान जाना चाहिये । इस धारा में जो अधिकार इनकम-टैक्स आफिसर को दिये गये हैं कि अगर वह इस तरह के एक्सपेंडीचर को अत्यधिक समझें तो उसको एक्सपेंडीचर में से निकाल दे, ठीक नहीं है और इस सारी की सारी क्लाज़ को इसमें से अलग कर दिया जाए ।

अब मैं क्लाज़ १० के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । इसमें ग्रेचुटी तथा बोनस को टैक्स फ्री किया गया है । इसका मैं हृदय से स्वागत करता हूं । दरअसल में यह एक्सपेंडीचर में आना चाहिये । यूनियन्ज़ कम्पनियों के साथ कोई एग्रीमेंट करती हैं कि इतने बरस तक श्रमिक काम करेंगे तो उसके बाद जब श्रमिक काम छोड़ कर जायेंगे तो उनको इस दर से ग्रेचुटी दी जाएगी । दूसरे अगर कोई

कम्पनी कुछ बरसों के अन्दर प्राग्रेस करती है, प्राफिट करती है, उसे इतना बोनस देना चाहिये, यह भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। इस सब का हृदय से स्वागत करते हुए भी मैं कहना चाहता हूं कि मेरी समझ में नहीं आया है कि ग्रेचुअटी देने की बात को पन्द्रह साल तक ही क्यों सीमित कर दिया गया है। अगर किसी ने कम्पनी के साथ यह एग्रीमेंट कर रखा है कि बीस साल की सर्विस के बाद या पच्चीस साल की सर्विस के बाद वह नौकरी छोड़ कर जाता है तो उसे बीस साल की या पच्चीस साल की ग्रेचुअटी मिलेगी तो फिर आप यह प्रतिबन्ध क्यों लगा देते हैं कि पन्द्रह साल से ज्यादा की सर्विस भी अगर हो जाए तो भी पन्द्रह साल में जो ग्रेचुअटी बनती है, वही उसको मिलेगी। बम्बई की इण्डस्ट्रियल कोर्ट ने एक जजमेंट दिया ग्रेचुअटी के बारे में और कह दिया कि पन्द्रह साल की सर्विस पर ही दी जाय तो इसी को अगर आप मानते हैं तो यह ठीक नहीं है। वहां पर जब दोनों पार्टीज़ के बीच विवाद उठ खड़ा हुआ और केस उसके सामने गया, उसको रेफर हुआ तो उसने सुलह सफाई कराने के लिये एक को कह दिया इधर जाओ और दूसरे को कह दिया उधर जाओ और पन्द्रह साल उस केस में कर दिया। इसको भी कानूनी रूप देना चाहिये। ग्रेचुअटी के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि यह ठीक है कि आम तौर से सब के लिये उसके एक ही रूल्स हैं। सब को इसी आधार पर दी जाती है कि उस पर कोई टैक्स न लगे। लेकिन उसके साथ ही एक छूट दी गई है टैक्स में कि एक्सपेंडीचर में लीगल चार्जेज भी शामिल हैं। इस सेक्शन के सिलसिले में कम्पनी की बैलेन्स शीट्स को भी फाइनेन्स डिपार्टमेंट को देखने की जरूरत है। कई कम्पनियों की बैलेंस शीट्स को देखने की जरूरत है कि उनके लीगल चार्जेज की रकम क्या है। मैं मानता हूं कि लीगल चार्जेज पर टैक्स नहीं होना चाहिये, लेकिन उसकी मर्यादा क्या है? छोटी छोटी कम्पनियां साल के अन्दर लाखों रुपये का नुकसान करती हैं और ६०,०००, ७०,००० और ८०,००० रु० लीगल चार्जेज का देती हैं। आखिर कौनसी आफत उन पर आ गई है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ मैनेजिंग डायरेक्टर्स, डाइरेक्टर्स किन्हीं जजों के भाई भतीजे होते हैं या कोई कोई वकील उन के भाई भतीजे होते हैं, जिन की तरफ से यह धंधा बना लिया गया है। ये कभी भी कम्पनी का केस लेकर कोर्ट नहीं जाते हैं। मैं ऐसे ऐसे वकीलों के दाखिले बतला सकता हूं जिनकी यह हालत है लेकिन किसी को २०० किसी को २५०, किसी को ३००, किसी को ४०० और ५०० रु० मासिक मिल रहे हैं, और वह भी आज से नहीं, दस दस सालों से बंधे हुए हैं। यह कम्पनियों पर अतिरिक्त बोझा.....

पंडित ज्वा० प्र० ज्योतिषी (सागर) : मजदूरों को पैसा नहीं देना पड़ेगा।

श्री रामसिंह भाई वर्मा : मजदूरों की बात छोड़िये, हम उन को समझा लेंगे। मजदूरों के पैसे के बारे में यह हालत नहीं है, वे अब अपने अधिकारों को समझने लगे हैं। लेकिन जिन के पास पहनने के लिये लंगोटी नहीं है, उन से वह पैसा वसूल किया जाता है जिस में से कि ३००, ४०० रु० रु० मासिक कम्पनियों से लीगल चार्जेज के रूप में मिल रहा है। इस लिये मेरा निवेदन है कि इस में तरमीम होनी चाहिये कि लीगल चार्जेज किस हद्द तक होंगे। अथारिटीज को यह अधिकार दिया जाना चाहिये कि वे एग्जामिन करें कि कौन सा केस किस तरह का है और अगर सही मानों में लीगल चार्जेज देने पड़ते हैं तो भी इनकम टैक्स से कैसे छूट मिल सकती है। इनकम टैक्स तो कम से कम देना चाहिये। छूट इस लिये दी गई है कि मजदूरों को पैसा न देना पड़े। अगर डिप्रिसिएशन निकाला है, डिप्रिसिएशन रिबेट निकाला हुआ है, और अगर किसी तरह से उसे न निकाला जा सके तो कम से कम इनकम टैक्स से छूट निकलने की कोशिश की जाती है। मैं जानता हूं कि अमुक अमुक कम्पनियों ने ऐसे वकील रक्खे हुए हैं जो कम्पनियों का काम नहीं करते हैं, लेकिन सिर्फ लड़ाई झगड़ा कराने का काम करते हैं। यह खर्च कम्पनियों से क्यों लिया जाता है? लड़ाई झगड़ा इस तरह से करवाते हैं कि मान लीजिये उन्होंने एक चैम्बर्स आफ कामर्स बना लिया, और कोई भी कानून

[श्री रामसिंह भाई वर्मा]

लेजिस्लेटिव असेम्बली में आता है जिस में कि मजदूरों को कोई चीज दी जाती है तो वे इस तरह की पब्लिक ओपीनियन बनाने की कोशिश करते हैं कि अगर वह बिल कानून का रूप धारण कर लेगा तो सत्यानाश हो जायेगा, सारे कारखाने बन्द हो जायेंगे । इतना ही नहीं वे यह भी कोशिश करते हैं कि उस बिल के लिये राष्ट्रपति की स्वीकृति न मिले या होम मिनिस्ट्री उस पर ध्यान न दे । यही उन का धन्धा होता है । क्या दरअसल यह उस कम्पनी का काम है ? बिल्कुल नहीं । अब मैं आप से निवेदन करूं कि बीड़ी मजदूरों का सवाल आता है । मध्य प्रदेश में एक कानून बनाया गया कि बीड़ी मजदूरों की मिनमम वेज यह होनी चाहिये । जब उन्होंने यह देखा कि यह कानून बनेगा और पैसा पीछे से देना होगा तो उन्होंने अधिकारियों से और राष्ट्रपति से मुलाकात की जिसमें वह कानून न बन पाये और उन को पहले का पैसा मजदूरों को न देना पड़े । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आखिर बीड़ी मजदूरों से टेक्स्टाइल मिल वालों का क्या लेना देना ? इस तरह से कारखानों का सारा पैसा खर्च हो रहा है । इसलिये लीगल चार्जेज के सम्बन्ध में बहुत ध्यान देने की जरूरत है । मेरे पास बैलेन्स शीट्स हैं । मैं इस में लिखा बतला सकता हूं कि छोटे कारखाने में लीगल चार्जेज आते हैं ७०,००० रु० । आखिर यह किस बात के हैं ? वे प्राफिट भी नहीं करते हैं इतना ।

पंडित ज्वा० प्र० ज्योतिषी : चुनाव का खर्च भी कम्पनी के खाते में शामिल होता है ।

श्री रामसिंह भाई वर्मा : मैं यहां चुनाव की बात नहीं कर रहा हूं । मैं तो दस साल की बात कर रहा हूं । यह कोई आप के सागर का मामला थोड़े ही है ।

इस के बाद मैं आता हूं लिक्विडेशन के मामले पर । कम्पनी पर जो टैक्स बाकी है उस की जवाबदेही कानून के अनुसार डाइरेक्टर्स पर डाली गई है। मैं समझता हूं कि इस कानून के द्वारा अगर कोई सब से बड़ा काम किया गया है तो यह किया गया है । इस में अगर कोई नई चीज जोड़ी गई है तो वह यह है । पहले तो ऐसा होता था कि अगर कोई भी कम्पनी लिक्विडेशन में जाती थी तो खुद डाइरेक्टर्स यह चाहते थे, मैनेजिंग डाइरेक्टर्स चाहते थे कि लिक्विडेशन जल्दी हो जाय और इसके लिये वे नये नये तरीके सोचा करते हैं क्यों कि उन को लीगल चार्जेज की छट मिलती है । अब सरकारी टैक्स लिक्विडेशन के बाद मांगा जायगा । ठीक है । कम्पनी ऐक्ट के अनुसार पहले जो भी चार्जेज होंगे उन को बैंक पहले अदा करेगा । अब डाइरेक्टरों के सामने यह विचार होगा कि अगर उन्होंने कारखाना बन्द किया और लिक्विडेशन हुआ तो पहले टैक्स चुकाया जाये, अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो यह उन की व्यक्तिगत जायदाद से वसूल किया जायेगा ।

लेकिन इस के साथ ही मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि गवर्नमेंट ने तो अपने टैक्स की रकम वसूल कर ली, पर उसमें में काम करने वाले जो श्रमिक हैं उन को इस कानून से क्या लाभ होगा ? मैनेजमेंट पर उन को आज विश्वास नहीं रहा है । आज मजदूरों को विश्वास नहीं है कि जो काम करते हैं वे लोग, उस का पैसा भी समय पर मिलेगा या नहीं। ऐसी कितनी ही कम्पनियों हैं जिन में लोग तीन तीन सालों से काम कर रहे हैं लेकिन पैसा थोड़ा पा रहे हैं । उन पर **पेमेंट आफ वेजेज एक्ट** लागू नहीं होता है । वे बहुत से काम करा लेते हैं और पैसा नहीं देते हैं । लेकिन आज जो कानून बनाया गया है उस के अनुसार जहां पर ५० मजदूर काम करते हैं या इस से अधिक काम करते हैं उन पर पेमेन्ट आफ वेजेज ऐक्ट लागू होगा । अगर कारखाने लिक्विडेशन पर जावेंगे तो सरकार अपना टैक्स डाइरेक्टर्स से वसूल कर लेगी । लेकिन मैं मानता हूं कि सब से पहले चार्जेज जो मजदूर कारखाने में काम करते हैं उन के सम्बन्ध में होना चाहिये । जो आदमी कारखाने में काम कर रहे हैं वहां पर कि ढाई या तीन सौ मजदूर काम करते हैं, वहां पर महीना खत्म

होने के बाद दस दिन के अन्दर सारा वेतन चुका देना चाहिये । कुछ कम्पनियां ऐसी हैं जो कि इल्लीगल हैं लेकिन कारखाना लिक्विडेशन में चला गया जाता है । तब इस की जिम्मेदारी गवर्नमेंट क्यों नहीं लेती कि गवर्नमेंट के टैक्स के साथ साथ मजदूरों की ग्रैचुइटी, बोनस और रिट्रेंचमेंट बोनस की रकम जो बाकी है, वह जिन लोगों ने ईमानदारी से उस कारखाने में काम किया है उन को चुकाई जाय ? इस बिल के अन्दर यह गुंजाइश भी है कि अगर कारखाना लिक्विडेशन में जाय तो टैक्स की वसूली के साथ साथ मजदूरों का वेतन, उन की मेहनत की जो भी रकम बकाया पड़ी हो, वह भी डाइरेक्टर्स से वसूल की जाय ।

इस से अधिक मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं । मैं इस बिल का स्वागत करता हूं ।

श्री राम कृष्ण गुप्त (महेन्द्रगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, सेलेक्ट कमेटी ने जो रिपोर्ट पेश की है इस बिल के बारे में, उस के लिये मैं चन्द सुझाव हाउस के सामने रखना चाहता हूं क्योंकि मैं समझता हूं कि उन बातों पर विचार करना बहुत जरूरी है ।

यह ठीक है कि एक कम्प्रीहेंसिव इनकमटैक्स बिल बनाने की जरूरत थी और वह आज तैयार हो कर हाउस के सामने पेश किया गया है । मैं चाहता हूं कि इस बिल के पास होने से पहले चन्द जरूरी बातें रखूं ताकि उन पर भी विचार हो जाए ।

सबसे पहले मैं हाउस का ध्यान इस बिल के क्लाज २ सब-क्लाज ४४ की तरफ दिलाना चाहता हूं जिसके अन्दर टैक्स रिकवरी आफिसर को डिफाइन किया गया है । जिन भाइयों ने डाइरेक्ट टैक्सेशन एन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट पढ़ी है उनको मालूम होगा और इनकम टैक्स एन्क्वायरी कमीशन की तरफ से जो रिपोर्टें पेश होती हैं उनमें यह जिक्र किया गया है कि जो यह एरियर की बहुत ज्यादा रकम बढ़ती जा रही है उसका मुख्य कारण यह है कि टैक्स रिकवरी करने वाले आफिसर ज्यादातर स्टेट के होते हैं । उसकी तमाम जिम्मेदारी कलक्टर, या डिप्टी कमिश्नर या तहसीलदार पर डाली जाती है । ये आफिसर स्टेट रेवेन्यू की वसूली की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं और इनकम टैक्स की रिकवरी के लिए उतनी कोशिश नहीं करते । ज्वाइंट कमेटी को चाहिए था कि इस बात पर विचार करती । इस बिल में जो टैक्स रिकवरी आफिसर की डेफीनीशन की गयी है उसमें यह तमाम ताकत कलक्टर और स्टेट आफिसर्स को दी गयी है । मैं चाहता हूं कि इस तारीफ को बदला जाए और टैक्स रिकवरी के लिए इनकम टैक्स का मुहकमा और आफिसरों की तरह इन को भी डाइरेक्ट मुकर्रर करे ताकि टैक्स की रिकवरी में देरी न हो और एरियर्स की जो रकम है वह कम हो ।

दूसरी बात जो मैं हाउस के सामने रखना चाहता हूं वह चैरिटेबिल ट्रस्ट्स की इनकम के बारे में है । इस बिल के क्लाजेज ११, १२ और १३ इस मामले को डील करते हैं । इसके बारे में एक छोटा सा सुझाव हाउस के सामने रखना चाहता हूं । जो ट्रस्ट इस बिल के लागू होने से पहले के बने हुए हैं उनको कुछ एग्जेम्पशन दिए गए हैं । उन पर नए रेस्ट्रिक्शन्स नहीं लगाए गए हैं । मैं समझता हूं कि यह गलत है । जो ट्रस्ट पहले के बने हुए हैं उनमें भी कई ऐसे हैं जिनका इन्तिजाम अच्छा नहीं है और जिनकी रकम मिसयूज़ की जाती है । इसलिए मेरी तजवीज है कि जो नई पाबन्दियां हैं वे उन पर भी लागू की जाएं ।

इसके बाद मेरी तीसरी तजवीज डिसक्लोजर आफ इनफारमेशन (सूचना) के बारे में है । यह मामला भी कई दफा हाउस के सामने आया है । इस बिल के अन्दर सेक्शन १३७ इस बात से डील करता है । मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि जो पुराने ऐक्ट के अन्दर डिसक्लोजर पर पाबन्दी थी उसको इसमें भी रखा गया है । यह ठीक है कि क्लाज १३८ के द्वारा इसके बारे में इनफारमेशन हासिल की जा सकती है । मैं समझता हूं कि इसका सबसे बेहतरीन तरीका यह था

[श्री राम कृष्ण गुप्त]

कि इस क्लाज को बिल्कुल डिलीट किया जाता। जो आम कानून बनाए जाते हैं उनके अन्दर जब इनफारमेशन मालूम करने के लिए या डिसक्लोज करने के लिए कोई पाबन्दी नहीं है तो इनकम टैक्स बिल में ऐसी पाबन्दी क्यों रखी जाए।

जैसा कि आपको याद है, हमारा जो पुराना कानून था वह उस जमाने के मुताबिक बना हुआ था। जो उस वक्त का रेजीम था वह इस बात को नहीं चाहता था कि जिनसे टैक्सेज़ वसूल किए जाते हैं, जिनकी तरफ एरियर्स हैं, उनके नाम पब्लिक के सामने आएं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप इनकम टैक्स के एरियर्स को रोकना चाहते हैं, अगर आप टैक्स इवेजन को रोकना चाहते हैं, तो इसका सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि इस बिल के अन्दर जो यह क्लाज १३७ है उसको बिल्कुल डिलीट कर दिया जाए, और इस किस्म की कोई पाबन्दी आफिसर्स पर या गवर्नमेंट पर नहीं होनी चाहिए कि इसके बारे में जो इनफारमेशन मालूम करना चाहें उसे मालूम न कर सकें।

यह ठीक है कि क्लाज १३८ के जरिए जो कोई चाहे मालूम कर सकता है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस बात की किसको जरूरत पड़ी है, कौन इन तमाम डिटेल्स के अन्दर जाने की कोशिश करेगा। इसका तो सबसे बेहतरीन तरीका यह था कि यह जो सेक्शन था पुराने ऐक्ट में ५७ इसको इस नए बिल के जरिए डिलीट कर दिया जाता।

इसके बाद मैं हाउस का ध्यान क्लाज १४२ की तरफ दिलाना चाहता हूं। क्लाज १४२ के अन्दर यह कहा गया है कि असेसमेंट के मुताल्लिक इनकमटैक्स आफिसर एन्क्वायरी कर सकता है, लेकिन इसके बारे में उसको जितनी पावर्स देनी चाहिए थीं वे नहीं दी गयीं। जो सालाना इनकमटैक्स इन-वेस्टीगेशन कमीशन रिपोर्ट करता है उसमें भी बार बार इस बात का जिक्र किया गया है कि इनकम-टैक्स आफिसर्स की पावर्स बहुत लिमिटेड हैं। वह बैंकों के हिसाब किताब को मालूम नहीं कर सकते। मैं चाहता था कि इस नए बिल के जरिए उन तमाम आफिसर्स को यह तमाम ताकत दी जातीं। क्योंकि कमीशन की रिपोर्ट में यह साफ तौर पर कहा गया है कि हिन्दुस्तान के अन्दर जो टैक्सों की चोरी होती है उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि बड़े बड़े बैंक उन्हीं लोगों के हाथ में हैं जो कि टैक्स को इवेड करते हैं। वे फिक्टीशस नामों से उन बैंकों में अपनी रकम जमा करते हैं। लेकिन आपके आफिसर्स को कोई पावर नहीं है कि उन बैंकों का हिसाब किताब चैक कर सकें। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस क्लाज को अमेंड किया जाए और यह तमाम ताकत उनको दी जाए ताकि वह इनकमटैक्स मालूम करने के लिए बड़े बड़े लोगों की सही इनकम का अन्दाजा लगाने के लिए, बैंकों से जो भी इनफारमेशन लेना चाहें, उनके एकाउंट को जिस तरीके से भी चैक करना चाहें कर सकें। । अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो जिस मकसद से यह बिल पेश किया गया है वह पूरा नहीं होगा। मैं समझता हूं कि इस बिल को लाने का जहां हमारा मकसद पुराने ऐक्ट को सिम्पिल करना है, वहां इस बिल को लाने का सब से बड़ा मकसद यह भी है कि टैक्स इवेजन को रोका जाए और एरियर्स की वसूली की जाए।

आपको शायद याद होगा कि एरियर्स की रकम कितनी बढ़ती जा रही है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप सही तौर पर इनकम मालूम करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बैंकों के मामले में भी ध्यान देना पड़ेगा, और आफिसर्स को यह अख्तियारात देने पड़ेंगे कि वह इसके मुताल्लिक पूरी जांच कर सकें, तहकीकात कर सकें और सही इनकम का अन्दाजा लगा सकें।

इसके बाद मैं यह भी हाउस के सामने रखना चाहता हूं, जैसा मैंने पहले कहा, कि हमारा सबसे बड़ा मकसद यह है कि एरियर्स कम हों, उनकी वसूली हो, और जो ज्यादा पुराने हैं उनको ज्यादा से ज्यादा वसूल किया जाए।

इसके मुताल्लिक जो पेनाल्टी मुकर्रर की गयी है वह मैं समझता हूं कि बहुत कम है, और फिर दूसरी बात सबसे ज्यादा दुःख की यह है कि उसको बहुत कम यूज़ किया गया है। इस सिलसिले में मैं हाउस के सामने फैक्ट्स और फिगर्स भी रखना चाहता हूं। सन् १९५८–५९ में २७१ करोड़ ६० लाख तमाम एरियर्स की रकम थी और जिस रकम के ऊपर पेनाल्टी लगायी गयी उसकी तादाद सिर्फ १ करोड़ ८१ लाख है। इससे आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि पेनाल्टी के क्लाज को कितना कम यूज़ किया गया है। इस तरीके से जो टैक्सेज़ का एरियर है या जो टैक्सों का इवेजन है उसको रोका नहीं जा सकता।

इसके साथ साथ मैं हाउस का ध्यान क्लाज २७०, २७१, २७२ और २७३ की तरफ भी दिलाना चाहता हूं। इन क्लाजेज़ को देखने से पता चलेगा कि अगर कोई आदमी इनकम टैक्स को इवेड करे तो आप उससे ज्यादा से ज्यादा डेढ़ गुना वसूल कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि यह बहुत कम है। अमरीका के अन्दर जो कि आज एक कैपीटलिस्ट मुल्क कहा जाता है, दस और बारह से लेकर बीस गुना बतौर पेनाल्टी के वसूल किया जाता है जो इनकमटैक्स की एरियर हो उसका। आप ने जो सिर्फ डेढ़ गुने की पाबन्दी लगायी है वह मैं समझता हूं बहुत कम है। ऐसा करने से इनकम टैक्स का इवेजन रुक नहीं सकता। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस क्लाज़ २७३ को भी अमेंड किया जाए, और कम से कम दस गुनी पेनाल्टी जरूर रखी जाए।

इसके साथ साथ जो सजाएं दी जाएं वे कड़ी सजाएं दी जाएं ताकि टैक्सेज़ की चोरी कम हो।

ये चन्द तजवीजें मैंने हाउस के सामने इसलिए रखी हैं कि जो एरियर्स की रकम है वह वसूल की जाए और उसके साथ साथ आयन्दा टैक्स इवेजन कम हो। आप समझते हैं कि टैक्स आज के जमाने का एक बहुत अहम मसला बन गया है। थर्ड फ़ाइव-यीअर प्लान में भी इस बात का ज़िक्र किया गया है कि नये टैक्स लगाये जायेंगे। मैं समझता हूं कि अगर हम एरियर्ज़ को वसूल करने में कामयाब हो जायें––एरियर्ज़ के अलावा बहुत से ऐसे केसिज हैं, जो ट्रेस नहीं हो सकते, अगर हम उनका पता लगाने में कामयाब हो जायें, तो शायद हमें नये टैक्स लगाने की बहुत कम जरूरत पड़े। इसलिए इस तरफ़ सब से ज्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है।

आखिर में मैं हाउस का ध्यान क्लाज़ २९७ की तरफ़ दिलाना चाहता हूं, जो कि रिपील्ज़ एण्ड सेविंग्ज़ को डील करती है। उसमें ऐसी कोई सब-क्लाज़ नहीं है, जिसके ज़रिये पुराने एरियर्ज़ पर इन्ट्रेस्ट लगाया जा सके। मैं समझता हूं कि यह भी बहुत ज़रूरी है। अगर गवर्नमेंट उन एरियर्ज़ की रकम को वसूल करना चाहती है, जो कि अब ३०० करोड़ रुपये के करीब हो गई है, तो उसको इस बिल में ऐसी क्लाज़ ज़रूर दाखिल करनी पड़ेगी, ताकि पिछले एरियर्ज़ की रकम पर भी इन्ट्रेस्ट लग सके। वह रकम इस तरह से आसानी से वसूल हो सकती है।

जो चन्द तजवीजें मैंने रखी हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि उन पर विचार किया जायेगा और गवर्नमेंट की तरफ़ से उन बातों को स्वीकार किया जायेगा, ताकि टैक्सेज़ की चोरी कम हो और एरियर्ज़ की रकम आसानी से और जल्दी से वसूल की जा सके।

†**श्री अमजद अली** (धुवरी) : हम इस विधेयक के सम्बन्ध में प्रवर समिति द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदन पर विचार कर रहे हैं। इस विधेयक की एक सबसे अच्छी बात यह है कि इसे सभी दलों का समर्थन प्राप्त है।

वित्त मंत्री ने इसके बारे में घोषणा की थी कि इसकी व्यवस्थायें काफी लचीली रखी जायेंगी। विधेयक पारित होने के समय तक इसमें रद्दोबदल किये जा सकेंगे। वैसे लचीलापन रखना बड़ी

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अमजद अली]

अच्छी चीज़ है, लेकिन उससे कुछ गड़बड़ी भी हुई है। उदाहरण के तौर पर, मूल विधेयक के खण्ड ११ की व्याख्या में व्यवस्था थी कि सम्पत्ति की परिभाषा में व्यवसाय सम्मिलित नहीं होगा। बाद में प्रवर समिति ने उनमें व्यावसायिक उपक्रमों को सम्मिलित करने की व्यवस्था की। फिर उसके बाद सरकार ने इसमें एक और व्यवस्था जोड़ी खण्ड ११ के उपखण्ड (४) के रूप में कि न्यासगत सम्पत्ति में व्यावसायिक उपक्रम सम्मिलित माना जायेगा और यदि कोई उसके विरुद्ध दावा करे तो आयकर अधिकारी उस उपक्रम की आय निर्धारित कर सकेगा और यदि वह निर्धारित आय उपक्रम के लेखों में दिखाई गई आय से अधिक हो, तो उस अतिरिक्त आय पर करारोपण किया जायेगा। इससे आयकर अधिकारी को बड़ी व्यापक शक्ति मिल जायेगी। वह पूर्त न्यासों के व्यावसायिक उपक्रमों के लेखों की जांच कर सकेगा। इसलिए मेरा अनुरोध है कि सरकार इस नये संशोधन पर आग्रह न करें।

विधि आयोग ने कनाडा और आस्ट्रेलिया जैसे देशों की आयकर विधियों का अध्ययन करने के बाद यही सिफारिश की थी कि देश के कर-ढांचे को सरल बनाया जाये। प्रवर समिति के सामने साक्ष्य देने वाले साक्षियों ने भी इसी आवश्यकता पर ज़ोर दिया है। कर-ढांचे का सरलीकरण आयकर विभाग और निर्धारियों--दोनों के हित में रहेगा। आज हमारे देश का कर-ढांचा इतना पेचीदा सा है कि 'टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी' जैसे बड़े सामवाय को, उसके प्रमुख वकीलों के बावजूद, इसकी व्याख्या करने में कठिनाई महसूस होती है।

इसका एक महत्वपूर्ण खण्ड है ; खण्ड ८८(५)(३)। उसकी मूल व्यवस्था के अनुसार उसी पूर्त संस्था को मिले हुए दान को विमुक्ति दी जा सकती है जिसकी निधियां किसी धार्मिक समुदाय विशेष के हित के लिये न हों। अब उसमें यह संशोधन किया जा रहा है कि निधियां किसी नस्ल, धार्मिक समुदाय या जाति विशेष के हित के लिये न हों। इससे आयकर विभाग को और विमुक्ति चाहने वाले निर्धारियों को भी बड़ी कठिनाई पड़ेगी।

इन शब्दों की व्याख्या करना बड़ा कठिन होगा। मैंने कई प्रकार के कोष देखे, मुझे 'नस्ल' शब्द का बिलकुल स्पष्ट अर्थ कहीं भी नहीं मिल पाया। भारत में ही विभिन्न समुदाय हैं, पर कौन किस नस्ल का है, यह कहना कठिन है।

'जाति' शब्द के बारे में भी यही सही है।

इसलिये अच्छा यही रहेगा कि 'धार्मिक समुदाय विशेष' शब्द ही रखे जायें।

निधियों के आमद-खर्च का ठीक-ठीक हिसाब रखा जाये--यही पर्याप्त होगा।

पूर्त संस्थायें समाज-कल्याण सम्बन्धी कई काम चलाती हैं। उनका नाम जो भी हो, यदि उनसे जनता के किसी भी भाग को लाभ पहुंचता है, तो उस पर आपत्ति नहीं करनी चाहिये। श्री मसानी ने इसकी काफी अच्छी, विशाद व्याख्या की है। यदि कोई व्यक्ति किसी जाति विशेष को भी दान देना चाहे, तो उसे रोका नहीं जाना चाहिये। इसलिये 'नस्ल या जाति' विशेष शब्द हटा दिये जाने चाहियें।

वित्त मंत्री ने खण्ड ६ की व्याख्या करते समय बताया था कि भारत में बहुत थोड़े समय के लिये व्यक्तियों को निवासी न मान लिया जाये, इसकी संभावना दूर करने के लिये 'निवासी' की परिभाषा अधिक उदार बना दी गई है।

इस सम्बन्ध में त्यागी समिति ने अपने प्रतिवेदन में कहा था कि यदि ऐसे व्यक्तियों की आय को व्यावसायिक लाभ मान लिया जाये तो उन पर कर लगाने में आसानी पड़ेगी।

खण्ड २५२ के उपखण्ड (१) में व्यवस्था की गयी है कि केन्द्रीय सरकार एक अपीलीय न्यायाधिकरण गठित करेगी और उसके सदस्यों का चुनाव, उपखण्ड (३) के अनुसार, इस काम का दस वर्ष का अनुभव रखने वाले लोगों में से किया जायेगा। मैं चाहता हूं कि चुनाव के लिये विभागीय लोगों की योग्यता पर भी विचार किया जाये।

कुल मिलाकर, मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं।

†**श्री हेडा** (निज़ामाबाद) : प्रवर समिति ने इस विधेयक का रूप काफी संवार दिया है।

फिर भी, मैं तीन-चार खण्डों के बारे में कुछ कहूंगा। खण्ड २ बड़ा महत्वपूर्ण है। खण्ड २(२२) में 'लाभांश' की परिभाषा में प्रवर समिति ने काफी सुधार कर दिया है। लेकिन विषय इतना जटिल है कि कोई भी परिभाषा पूर्ण नहीं हो सकती।

उपखण्ड (ङ) के अनुसार अंशधारियों को दिये जाने वाले अग्रिम धन, या ऋण या किसी भी अन्य अदायगी को 'लाभांश' की परिभाषा में सम्मिलित कर दिया गया है। इसमें कुछ अति कर दी गई है। यदि वर्ष के अन्दर अन्दर, विशेषकर लाभांश-वितरण से पहले पेशगी या अस्थायी ऋणों की अदायगी कर दी जाये, तो उनको लाभांश में सम्मिलित नहीं करना चाहिये।

और यदि पेशगी धन या ऋण किसी फर्म, संस्था या अविभाजित हिन्दू परिवार को दिया गया हो, तो उसे किसी अंशधारी को की गई अदायगी नहीं माना जा सकता। उसे लाभांश से काटना अनुचित होगा। इसकी शब्दावली में और भी खामियां हैं। आशा है सरकार इस खण्ड पर पुनर्विचार करेगी।

खण्ड २ के उपखण्ड (१५) में 'सम्पत्ति' शब्द को सीमित करने का प्रयास किया जा रहा है। इस संशोधन का प्रभाव यह होगा कि किसी भी व्यवसाय को, जो लाभ के लिये चलाया जाता हो, किसी भी उस पूर्त न्यास के अन्तर्गत नहीं रखा जा सकता जिसका एक पूर्त प्रयोजन ग़रीबों की सहायता करना हो। यह अनुचित होगा। यदि किसी व्यक्ति का एक ही व्यवसाय हो और वह उसे ग़रीबों की सहायता में लगाना चाहे, तो नहीं लगा सकेगा।

खण्ड ५४ में 'नयी सम्पत्ति' शब्द अस्पष्ट है। किसी की आवश्यकता यदि पुरानी सम्पत्ति खरीदने से पूरी होती हो, तो उसे इस खण्ड के लाभ से वंचित तो नहीं किया जाना चाहिये। इस खण्ड में उपयुक्त संशोधन किया जाना चाहिये।

फिर खण्ड २७१ के अनुसार कोई भी वह व्यक्ति किसी निर्धार्य का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकेगा, जिस पर ग़लत लेखा दाखिल करने के लिये जुर्माना किया जा चुका हो। और यदि वह व्यक्ति वकील हो, तो ? क्या वह अपने मामले की पैरवी नहीं कर सकता ? यह भी हो सकता है कि निर्धार्य के लिये खड़े होने वाले वकील के बारे में आयकर अधिकारी ग़लत ही कह दे कि उसने अपनी आय का लेखा ग़लत दिया था और जुर्माना हो चुका है—तब तो तुरन्त आदेश दे दिया जायेगा और वह वकील अपने मुवक्किल की पैरवी नहीं कर सकेगा। इस तरह तो कुछ वकीलों को ऐसे मुकदमे लड़ने के अयोग्य कर दिया जायेगा। प्रवर समिति के इस सुझाव पर पुनर्विचार किया जाना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री हेंडा]

इन सुझावों के साथ, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और प्रवर समिति को इसके लिये बधाई देता हूं ।

†**डा० सुशीला नायर** (झांसी) : माननीय वित्त मंत्री को मैं बधाई देती हूं कि उन्होंने इस विधेयक में बड़े अच्छे संशोधनों का प्रस्ताव रखा है । सबसे महत्वपूर्ण संशोधन पूर्त-न्यासों के नियंत्रण के लिये है । अब पूर्त-न्यासों को अनिवार्य रूप से अपनी वार्षिक आय का ७५ प्रतिशत भाग पूर्त-कार्यों पर व्यय करना पड़ेगा । वे २५ प्रतिशत भाग संचित कर सकेंगे । अब वे पूर्त-न्यास बनाकर आयकर से बच नहीं सकेंगे । लेकिन इसमें काफी गुंजायश रखी गई है । यदि वे किसी खास पूर्त-कार्य के लिये अपनी पूरी आय संचित रखना चाहें, तो दस वर्ष तक संचित रख सकेंगे ।

यह व्यवस्था भी बड़ी अच्छी है कि पूर्त-कार्यों के लिये व्यय होने वाली आय पर कोई आयकर नहीं लगेगा ।

अब लोगों में एक यह प्रवृत्ति पैदा हो गई है कि समाज-सेवा का सारा दायित्व राष्ट्रीय सरकार पर है । प्रवृत्ति बुरी नहीं है, पर सरकार के संसाधन सीमित हैं । इसलिये जनता को भी आगे बढ़ना चाहिये ।

कई ऐसे क्षेत्र हैं, जिनमें जनता सामाजिक सेवाओं का संगठन ज्यादा अच्छी तरह से कर सकती है । न्यासों द्वारा व्यवसाय से प्राप्त आय को कर से विमुक्ति दी गई है । कोई भी व्यक्ति अपनी आय का साढ़े सात प्रतिशत से अधिक पूर्त-कार्यों पर खर्च नहीं कर सकेगा ।

मेरा मत है कि ऐसी सीमा निर्धारित नहीं की जानी चाहिये । यदि कोई व्यक्ति अपनी आय का साढ़े सात प्रतिशत से अधिक भाग पूर्त-कार्यों के लिये देना चाहे तो उसकी छूट दी जानी चाहिये और उसे आयकर से विमुक्ति दी जानी चाहिये । पूर्त-कार्यों की परिभाषा नये खण्ड में दी ही गई है कि पूर्त-कार्य किसी समुदाय या धर्म या समुदाय तक सीमित नहीं होना चाहिये । मैं मानती हूं कि इससे थोड़ी सी कर-अपवंचना बढ़ सकती है, लेकिन उसकी पूर्ति समाज-सेवा के कार्यों में वृद्धि होने से पूरी हो जायेगी ।

एक और अच्छी व्यवस्था यह की गई है कि कुछ पेशों में पति और पत्नी की आय, कराधान के लिये, अलग-अलग लेखी जायेगी । इससे महिलाओं और पुरुषों को समानता का दर्जा मिलेगा । मैं माननीय वित्त मंत्री को बधाई देती हूं ।

†**श्री दामानी** (जालौर) : प्रवर समिति ने इस विधेयक के सम्बन्ध में बड़ी उपयुक्त सिफारिशें की हैं । इसकी भाषा भी सरल बना दी गई है ।

[**डा० सुशीला नायर** पीठासीन हुईं]

मेरा एक सुझाव है कि छोटे-छोटे न्यासों, जिनकी वार्षिक आय १०,००० रुपये है, को जो सुविधायें दी जानी हैं, वे १५,००० रुपये तक की आय वाले न्यासों को दी जायें । इसमें कुछ अधिक ढिलाई करनी चाहिये । आखिर विभिन्न समुदाय भी तो देश की जनता के भाग हैं । उन पर व्यय होने वाली राशि को कर से विमुक्ति देने के प्रश्न पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिये ।

खण्ड ३३ और ३४ में भी सुधार की गुंजाइश है । इसमें यह व्यवस्था भी होनी चाहिये यदि कोई व्यक्ति या अविभक्त हिन्दू परिवार अपनी आय को उद्योग में लगाये तो उसे विकास सम्बन्धी छूट का

---

†मूल अंग्रेजी में

लाभ मिल जायेगा। ऐसी व्यवस्था न होने से लोगों को उद्योगों की ओर आने की प्रेरणा नहीं मिलेगी।

खण्ड १०४ का सम्बन्ध ऐसे समवायों से है जिनमें साधारण जनता को अधिक रुचि नहीं है। उनको अपनी आय का एक निर्धारित भाग लाभांश के रूप में वितरित करना चाहिये। लेकिन इस कारण वे अपने उद्योग के विस्तार पर अधिक राशि खर्च नहीं कर पाते। इसलिये नये समवायों के लिये इसमें कुछ अधिक गुंजाइश रखी जानी चाहिये।

खण्ड ७९ की व्यवस्था में ऐसा संशोधन किया जाना चाहिये कि सही प्रकार के समवायों के लिये कठिनाई पैदा न हो।

खण्ड ७३ में सट्टे से होने वाले हानि को अन्य प्रकार की हानि से अलग रखा जाना चाहिये। सूती कपड़ा उद्योग और इस्पात को पृथक रखना चाहिये।

निजी समवायों के समापन पर निदेशकों पर कर-अदायगी का दायित्व रखने से होगा यह कि ईमानदार आदमी समवायों के बोर्ड में आने से हिचकेंगे। दायित्व पूरे समवाय या विभाग का रहना चाहिये।

खण्ड १४९ के अन्तर्गत निर्धारित आय कर के प्रश्न पर पुनर्विचार करने की अवधि ८ वर्ष रहनी चाहिये ——१६ वर्ष नहीं। १६ वर्ष तक लेखे रखना बड़ा कठिन होगा।

निर्धारण करने में शीघ्रता होनी चाहिये। १०,००० रुपये तक का निर्धारण एक वर्ष और इससे अधिक का तीन वर्ष में पूरा हो जाना चाहिये।

सबसे बड़ी जरूरत कर ढ़ांचे को सरल बनाने की है। वह इतना सरल होना चाहिये कि साधारण लोग भी उसे आसानी से समझ सकें।

†**श्री फ्रैंक एन्थनी** (नाम-निर्देशित-आंग्ल भारतीय) : प्रवर समिति ने इसमें कुछ ऐसी व्यवस्थायें भी कर दी हैं, जिन पर बाद में काफी विरोध उठ खड़ा होगा। मैं खण्ड ११ से १३ और खण्ड ८८ के सम्बन्ध में कह रहा हूं।

खण्ड १३ में जो संशोधन किया जा रहा है उसके अनुसार अब यदि कोई न्यास किसी एक समुदाय या जाति विशेष के लाभ के लिये चलाया जाता हो, तो उसे कर-विमुक्ति नहीं मिल सकेगी। इससे सही किस्म के कुछ न्यासों के लिये बड़ी कठिनाई हो जायेगी।

खण्ड १३ के संशोधन से उन सभी भावी पूर्त न्यासों को हानि पहुंचेगी जो किसी समुदाय विशेष के लिये बनाये जायेंगे, चाहे उनका उद्देश्य कितना ही भला क्यों न हो। यह ज्यादती है।अभी सभा के सभी सदस्यों को इसके उपलक्षणों की जानकारी नहीं है। मैंने एक दो माननीय सदस्यों से बातें की हैं।

देश में कई ऐसे पूर्त निकाय हैं जो शिक्षा पर काफी बड़ी राशि खर्च करते हैं। पश्चिमी बंगाल की एक पूर्त-संस्था प्रतिवर्ष २० लाख रुपये खर्च करती है। उस से पश्चिमी बंगाल सरकार का भार कम होता है। अब उस पर इतना अधिक आयकर लग जायेगा कि उसे अपना काम ही बंद कर देना पड़ेगा। और दूसरी ओर, सरकार निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की दुहाई देती है। पूर्त-न्यासों द्वारा दी जाने वाली शिक्षा को खत्म करने तथा अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा लाने में सरकार को सौ वर्ष लग जायेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री फ्रेंक एन्थनी]

न्यासकर्ताओं का कहना है कि केवल २५ प्रतिशत आय के संचय की व्यवस्था बड़ी अपर्याप्त होगी। दस वर्ष की अवधि के लिये छूट की व्यवस्था भी पर्याप्त नहीं है।

मेरा ख्याल है कि सरकार आवश्यकता से अधिक सावधानी बरत रही है।

खण्ड ८८ पूर्त-कार्यों को मिलने वाले दानों के सम्बन्ध में है। सरकार ने इस पर अच्छी तरह विचार नहीं किया है।

संविधान के अनुच्छेद ३० के अनुसार, आप भाषाई या धार्मिक अल्पसंख्यकों के हितों के लिये दिये जाने वाले दानों पर ऐसा प्रतिबन्ध नहीं लगा सकते। संविधान ने उनको अपनी शिक्षा संस्थायें चलाने का अधिकार दिया है। यह उनका मूलभूत अधिकार है।

उसी अनुच्छेद के दूसरे भाग में कहा गया है कि सरकार इन साम्प्रदायिक संस्थाओं के विरुद्ध विभेद नहीं करेगी। इसे करने से पहिले, सरकार को अनुच्छेद ३० हटा देना चाहिये। उसके अनुसार तो सरकार को ऐसी संस्थाओं की सहायता करनी चाहिये।

आप बहु संख्यक और अल्प संख्यक समुदायों को एक ही स्तर पर नहीं रख सकते। लेकिन अब व्यवस्था की जा रही है कि उनको आयकर अदा करना चाहिये। यदि किसी ने इसके विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में मामला पहुंचाया, तो इस व्यवस्था को रद्द कर दिया जायेगा।

१९५० के बाद, संविधान के प्रवर्तन के बाद, आप नहीं कह सकते कि अल्प संख्यक समुदाय को अपनी साम्प्रदायिक संस्थायें चलाने का अधिकार नहीं है।

राजनीतिक प्रयोजनों के लिये दिये जाने वाले दानों का मैंने विरोध किया था, क्यों कि उनसे भ्रष्टाचार फैलता है। बड़े-बड़े समवाय तो राज नीतिक दलों को चन्दे दे सकते हैं और उन पर कोई कर नहीं लगेगा, लेकिन विचित्र सी बात है कि अल्प संख्यक समुदाय की धार्मिक संस्थाओं को दिये जाने वाले दानों पर आयकर लगाया जायेगा। उसे विमुक्ति क्यों नहीं दी जाती? अल्प संख्यकों को अपने विकास के लिये कुछ समय तो देना चाहिये। मेरे समुदाय के बच्चे तो निजी पूर्त-संस्थाओं द्वारा ही शिक्षित हो रहे हैं। उन पर ही इसका सबसे बुरा प्रभाव पड़ेगा, क्यों कि सरकार कहीं भी अंग्रेजी के माध्यम से स्कूल नहीं चलाती। अंग्रेजी माध्यम के स्कूल चलाने का हमें अधिकार है। उच्चतम न्यायालय ने भी दो बार हमारे इस अधिकार पर अपनी मुहर लगा दी है।

१९३७ से १९५७ तक शिक्षा सम्बन्धी अनुदानों में ७०० प्रतिशत वृद्धि हुई है, लेकिन उस वृद्धि की एक पाई भी आंग्ल-भारतीय बच्चों के लाभ पर खर्च नहीं हुई। इसीलिये कि अल्प संख्यक समुदाय के रहन-सहन की दशा से बहु संख्यक समुदाय के लोग नितान्त अपरिचित हैं।

†**श्री च० क० भट्टाचार्य** (पश्चिमी दीनाजपुर) : यह कथन गलत है कि अनुच्छेद ३० के अन्तर्गत आंग्ल भारतीयों को अपनी विशेष संस्थायें स्थापित करने का अधिकार है।

आंग्ल भारतीय तो धार्मिक अल्प संख्यक हैं ही नहीं। धार्मिक अल्पसंख्यक तो ईसाई हैं, आंग्ल भारतीय नहीं। और ईसाई लोग अंग्रेजी माध्यम वाले स्कूलों के लिये विशेष सुविधायें नहीं मांग सकते क्योंकि बहुत से ईसाई कई भारतीय भाषायें पढ़ रहे हैं। क्या श्री एन्थनी अपने आंग्ल-भारतीय स्कूलों में बंगला-भाषी ईसाइयों को जगह देंगे? वह अनुच्छेद ३० की गलत व्यवख्या कर रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सभापति महोदय** : माननीय सदस्य श्री एन्थनी के बाद अपनी बात कहें।

†**श्री फ्रेंक एन्थनी** : अनुच्छेद ३० मेरे समुदाय पर लागू होता है। मेरा समुदाय भाषा नहीं, धर्म पर आधारित है।

वर्तमान धार्मिक न्यासों को ही क्यों, भावी न्यासों को भी विमुक्ति क्यों नहीं दी जाती ? अभी खण्ड १३ के अन्तर्गत केवल मौजूदा न्यासों को विमुक्ति दी गई है। भावी न्यासों को मिलने वाले दानों को भी विमुक्ति दिलाने के लिये माननीय उपमंत्री को अपना प्रभाव डालना चाहिये।

धर्म निरपेक्ष राज्य का आदर्श ठीक है, लेकिन धर्म-निरपेक्षता अधार्मिकता तो नहीं बननी चाहिये। जब तक मानव समाज रहेगा, मानव की भिन्न-भिन्न निष्ठायें बनी रहेंगी। हम न उनकी उपेक्षा कर सकते हैं और न उनको नष्ट कर सकते हैं।

आशा है कि मेरे इन सुझावों पर विचार किया जायगा।

[**श्री हेडा** पीठासीन हुए]

†**चौ० रणवीर सिंह** (रोहतक) : सभानेत्री जी, मैं सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट का स्वागत करता हूं, और मैं समझता हूं कि मेरे पूर्व वक्ता एन्थनी साहब ने जितनी बातें कहीं और जो आपत्ति की उसी के कारण मैं इसका स्वागत करता हूं।

मैं समझता हूं कि जहां इस कानून को सादा बनाने की कोशिश की गयी है वहां जिन पर टैक्स लगाया जाता है उनको किसी कदर एतवारी आदमी मानने की तरफ भी एक कदम आगे बढ़ाया गया है। और इसमें जो ११ से १३ तक क्लासेज़ (खण्ड) हैं वे सब से अच्छे हैं।

हम ने जब इस देश का संविधान बनाया था उस वक्त हमारी कोशिश थी कि इस देश के अन्दर जो मतमतान्तर या कास्टीज्म या धर्म के नाम पर झगड़े होते हैं वे खत्म हों। और हिन्दुस्तान का वासी अपने आप को भारतीय समझना सीखे। मेरे पूर्व-वक्ता ने बहुत सी बातें कहीं। उन्होंने कहा कि कुछ विशेष प्रकार की संस्थाओं को काम करने से रोकने का प्रयत्न किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि उनको रोकने का इरादा नहीं है, किसी भी संस्था को तोड़ने का इरादा नहीं है। इस बिल में सिर्फ टैक्स का सवाल है। वह कह सकते थे कि टैक्स न लगाया जाये, लेकिन इस में रोकने की कौन सी बात आई, यह बात मेरी समझ में नहीं आई। अगर अंग्रेजी मीडियम की बात है, तो वह भी हमारी भाषाओं में से एक भाषा है, लेकिन अंग्रेजी मीडियम का स्कूल सिर्फ एक जाति के लिये क्यों हो, सब के लिये क्यों न हो, इस बात का उनके पास क्या जवाब है ? वह ज़रा हिन्दुस्तान के पिछले इतिहास को देखें कि ज़ात-पात और धर्म के झगड़ों में कई लाख भाइयों को कुर्बानी देनी पड़ी। क्या एन्थनी साहब यह चाहते हैं कि यह देश फिर वैसी मुश्किलात में से गुजरे ? हो सकता है कि उनकी बातों से मेरे दिल में इस लिये क्षोभ हुआ और मुझे ख्याल आया कि मैं भी अपने ख्यालात इस बारे में इस हाउस के सामने रखूं। मैं पंजाब से आता हूं। हम ने देखा है कि मद्रास के मन्दिरों में यह कायदा है कि उनको चलाने के लिये और उनका हिसाब-किताब रखने के लिये एक आई० ए० एस० आफ़िसर है।

अभी कल परसों ज़िक्र हुआ कि श्री अशोक मेहता ने कहा कि उनको मास्टर तारासिंह यह वायदा देने के लिये तैयार हैं कि वह अकाली पार्टी को तोड़ देंगे। मैं उन से कहना चाहता हूं कि यह बात . . . .

एक माननीय सदस्य : इसका इनकम टैक्स से क्या ताल्लुक है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

चौ० रणवीर सिंह : यह रिलिजस एंड चैरिटेबल ट्रस्ट्स के तहत आता है।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

शायद मेरे दोस्त यह समझते हैं कि पंजाब के जो वासी हैं, उनके ऊपर इनकम टैक्स का कानून लागू नहीं होता। अगर उनक यह कहना है, तो शायद मुझे कुछ कहने की आवश्यकता न हो, लेकिन मैं जानता हूं कि इनकम टैक्स का कानून एक-एक पंजाबी के ऊपर लागू है, चाहे वह हिन्दू है या सिख है या किसी दूसरे मज़हब का मानने वाला है।

तृतीय पंचवर्षीय योजना के बारे में प्रस्ताव--जारी

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा तृतीय पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में प्रधान मंत्री द्वारा रखे गय प्रस्ताव पर आग चर्चा जारी रखगी।

मैं श्री रंगा का स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या २ मतदान के लिये रखता हूं।

अध्यक्ष महोदय द्वारा स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या २ मतदान के लिये रखा गया। सभा में मत-विभाजन हुआ--पक्ष में १०; विपक्ष में १३२। संशोधन अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ३, ४ और ५ मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब मैं श्री नरसिंहन् का संशोधन संख्या १ मतदान के लिये रखता हूं : प्रश्न यह है :

"कि मूल प्रस्ताव के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाये, अर्थात् :--

"कि यह सभा तृतीय पंचवर्षीय योजना पर, जो ७ अगस्त, १९६१ को सभा पटल पर रखी गयी थी, विचार करने के बाद योजना में निहित उद्देश्यों, प्राथमिकताओं और कार्यक्रमों के विषय में अपना सामान्य अनुमोदन और स्वीकृति अभिव्यक्त करती है और राज्यों, संग राज्य-क्षेत्रों तथा भारत की जनता से इसे राष्ट्र की योजना के रूप में अपनाने और दृढ़ निश्चय के साथ कार्यान्वित करने तथा इसके लक्ष्य प्राप्त करने का अनुरोध करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री करांजिया द्वारा भेजा गया तार

†**अध्यक्ष महोदय** : जैसा कि मैंने २१ अगस्त, १९६१ को सभा को सूचित किया था, श्री आर० के० करांजिया के नाम रजिस्टर्ड डाक से एक समन भजा गया था। उसकी तीन प्रतियां महाराष्ट्र सरकार के मुख्य सचिव को भी भेजी गई थीं।

कल उसके उत्तर में, मुझे श्री करांजिया का यह तार मिला है जिसमें समन मिलना स्वीकार किया गया है और पन्द्रह दिन का समय बढ़ाने का अनुरोध किया गया है।

महाराष्ट्र सरकार के मुख्य सचिव ने भी मुझे सूचित किया है कि श्री आर० के० करांजिया को समन दे दिया गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री करांजिया ने तार में उल्लेख किया है कि उन्होंने एक पत्र भी भेजा है । उसके आने तक हम रुकेंगे ।

कार्य मंत्रणा समिति

छियासठवां प्रतिवेदन

†**श्री राने** (बुलडाना) : मैं कार्य मंत्रणा समिति का छियासठवां प्रतिवेदन उपस्थित करता हूं ।

कच्चे पटसन की कमी के बारे में चर्चा

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा वाणिज्य मंत्री द्वारा १६ अगस्त, १९६१ को सभा-पटल पर रखे गये कच्चे जूट से सम्बन्धित वक्तव्य पर चर्चा करेगी ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** (कलकत्ता—दक्षिण-पश्चिम) : माननीय वाणिज्य मंत्री ने १६ अगस्त को अविलम्बनीय महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाने की सूचना के सम्बन्ध में एक वक्तव्य सभा- टल पर रखा था । कच्चे जूट की कमी के कारण कुछ मिलें बन्द हो गई हैं । यह पूरे जूट उद्योग के लिये संकट का कारण बन गया है ।

हमने अखबारों में पढ़ा है कि इस सिलसिले में भारतीय जूट मिल संस्था और केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन नई दिल्ली में होने जा रहा है । वह कच्चे जूट का न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने के प्रश्न पर विचार करेगा । माननीय मंत्री को सभा को बताना चाहिये कि वह क्या प्रस्ताव वहां रखने जा रही है ।

एक समाचार यह भी है कि भारतीय जूट मिल्स संस्था ने अपनी सदस्य मिलों के नाम एक परिपत्र जारी किया है वे उत्पादन पर लगाये गये प्रतिबन्धों को वापस ले लें ।

यह एक अच्छा लक्षण है । आशा है कि केन्द्रीय सरकार और मिल-मालिक दोनों मिल-कर इस समस्या का कोई स्थायी हल निकालेंगे ।

मैंने इस चर्चा को इसलिये आवश्यक समझा है कि इस वक्तव्य में कुछ ऐसी बातें भी हैं जो सही नहीं हैं ।

वक्तव्य में कहा गया है कि भारतीय जूट मिल्स संस्था के साथ उसके १८ प्रतिशत करघों को बन्द करने के प्रस्ताव पर चर्चा की गई थी; पश्चिमी बंगाल सरकार को वह मान्य नहीं था । सच तो यह है कि केन्द्रीय सरकार ने भी उसका अनुमोदन नहीं किया था ।

यह ग़लती शायद भूल से रह गई है ।

मुझे मालूम है कि कल तक तीन मिलें पूरी तौर से बन्द हुई थीं कच्चे जट की कमी के कारण । कम से कम उनका कहना तो यही है । कई मिलों ने अपनी एक-एक पाली बन्द कर दी है । अभी तक कम से कम १०,००० करघे बन्द कर दिये गये हैं । उसके फलस्वरूप २५,००० से ३०,००० तक मजदूर बेरोजगार हो गये है । तीन मिलों के गेटों पर मजदूर भूख-हड़ताल कर रहे हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

इस वक्तव्य में मजदूरों को होने वाले कष्ट को कम करके दिखाने की कोशिश की गई है। अभी तो भारतीय जूट मिल्स संस्था प्रतिबन्ध वापस लेने को तैयार हो गई हैं, लेकिन आगे क्या करेगी, इसकी क्या गारंटी है? सरकार ने संस्था की हर बात को मान कर मजदूरों के साथ अन्याय किया है।

जूट व्यापार के लिय पिछले तीन महीने बड़ी मद्दी के रहे विदेशी व्यापारियों ने कोई खरीद नहीं की। इसलिये इस जूट बाजार में काफ़ी मद्दी आ गई। यह सभी अच्छी तरह जानते हैं कि जूट-बाजार में काफ़ी सट्टेबाज़ी होती है। खरीद न करके विदेशी व्यापारी जूट का मूल्य गिराना चाहते थे। उनका दूसरा उद्देश्य आगामी जूट की फसल के मूल्य को भी प्रभावित करना था। कहा जाता है कि इस वर्ष जूट की फसल बहुत अच्छी हुई है। मिल संघ ने जो रवैया अपनाया है वह पहली बार का नहीं है बल्कि इससे पहले भी वह कई बार अपना चुके हैं। उनके अपने बिचौलिये हैं जिनको काफ़ी लाभ होता है। वे चाहते हैं कि जूट उत्पादकों से सस्ते से सस्ते दाम पर जूट ले सकें। जूट बोने के मौसम से पहले कच्चे पटसन का न्यूनतम मूल्य निर्धारित कर देना चाहिये था; उससे उत्पादकों को समुचित दाम मिलना सुनिश्चित हो सकता था। मिलों को बन्द करने में मिल संघ का एक उद्देश्य मजूरी बोर्ड के निर्णयों को प्रभावित करना है। वे कृत्रिम उपायों द्वारा यह सिद्ध करना चाहते हैं कि चूंकि मिलों को जूट नहीं मिलती है अतः वे इन मिलों को पूरी तरह न चला कर सीमित रूप से चला रहे हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या सचमुच जूट की कमी है। यह सभी जानते हैं कि कई एक जूट मिलें सट्टे, संचयन तथा अन्य संदिग्ध प्रकार की बातें करती रहती हैं। कच्चे जूट की कोई कमी नहीं है। अधिक लाभ कमाने के विचार से बनावटी जूट तैयार किया जा चुका है। इन बड़ी बड़ी मिलों ने कुछ मिलों को इस बात के लिये मजबूर कर दिया कि वे अपना कारोबार बंद कर दें। सरकार वे कारण बताये कि उन्होंने पाकिस्तान से १००,००० पटसन की गांठों का आयात की अनुज्ञप्ति क्यों दी थी। तथा उस सामान को खरीदने वाली मिलों की संख्या क्या है?

आजकल बाज़ार में जूट काफ़ी मात्रा में आ रही है लेकिन मिलें खरीदती नहीं हैं। जूट का मूल्य गिर रहा है और गिर गया है। जूट का मूल्य ६२ रुपये प्रति गांठ से कम होकर ३१ और ३२ रुपय प्रति गांठ रह गया है।

जूट की मिले जूट की कमी के कारण ही बन्द हो गई हैं यह बस कहने भर की बात है। यह बात कि इस कमी को चाल द्वारा पैदा किया गया है, कलकत्ता के पटसन व्यापारी संघ के वक्तव्य से सिद्ध हो चुकी है।

मैं चाहता हूं कि सरकार पहले इस बात का आश्वासन दे कि जूट के उत्पादन में आगे कोई रुकावट न आयेगी। यदि आगामी दस वर्षों तक यही स्थिति रही तो यह निश्चय है कि जूट व्यापार बिल्कुल ठप्प हो जायेगा। इस बाजार में सट्टेबाजी होती है और विदेशियों के लिये यह संभव नहीं कि वे इस बाजार में आकर क्रय विक्रय कर सके। परिणाम यह होता है कि कुल मिले मनमाना लाभ कमा रही हैं। सरकार जूट का न्यूनतम मूल्य भी निर्धारित करे। यह न्यूनतम मूल्य कम से कम इतना हो जिससे कि किसानों का फसल उगाने के लिये उत्साह बना रहे। वर्ना उन का उत्साह समाप्त हो जायेगा और जूट का उत्पादन निरन्तर कम होता जायेगा। मूल्य निश्चित हो जाने के पश्चात् यह भी आवश्यक है कि उसे सख्ती के साथ क्रियान्वित भी किया जाये। मेरा एक सुझाव यह भी है कि इस जूट व्यापार में राज्य सरकार अधिक हस्तक्षेप करे। और सरकार राज्य व्यापार निगम के माध्यम से पटसन के निर्यात व्यापार में अधिक सक्रियता दिखाये। एवं जूट व्यापार को गैर-सरकारी लोगों के हाथ में ही बिल्कुल न छोड़ दे। ऐसा करने से यह व्यापार अधिक स्थायी बन

सकेगा । इस सारे उद्योग का राष्ट्रीयकरण भी करना चाहिये । मेरे राज्य की सारी अर्थव्यवस्था इसी उद्योग पर निर्भर करती है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : माननीय मंत्री महोदय के वक्तव्य से स्पष्ट है कि मिलों का सामूहिक रूप से बन्द होना पश्चिमी बंगाल एवं भारत सरकार दोनों की सहमति से है । यह निर्णय इसलिये किया गया कि जूट की कमी थी । कानपुर की मिलें 'सामूहिक' बन्दी के कारण बन्द हो गईं हालांकि उन के पास कच्चा पटसन काफी था । मैं सरकार से यह मालूम करना चाहता हूं कि यह निर्णय करने से पूर्व क्या उत्तर प्रदेश सरकार से परामर्श लिया गया था । उत्तर प्रदेश में जूट की तीन मिले हैं । मेरी जानकारी यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार से परामर्श नहीं लिया गया था । मिलों के बन्द होने के कारण १,८५,००० कार्यकर्ताओं पर जिन में ७२,००० बदली कार्यकर्ता भी शामिल हैं, प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है । बदली कार्यकर्ताओं को किसी बन्द करने सम्बन्धी क्षतिपूर्ति का अधिकार नहीं है । सरकार उन उपायों के बारे में बताये जो उस ने ऐसे कार्यकर्ताओं की दशा को सुधारने के लिये किये हैं ।

मेरा निवेदन है कि सरकार यह बताये कि उस ने इस संकट को दूर करने के लिये क्या उपाय किये तथा क्या हर वर्ष की घटना है अथवा इसी वर्ष हुई थी । अथवा यह सब कुछ मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को रद्द करने के लिये थी । हम जानते हैं कि मजरी बोर्ड इन कर्मचारियों के वेतन को बढ़ाने के बारे में विचार कर रहा है । क्या सरकार ने इस बात को सुनिश्चित करने के लिये क्या वास्तव में पटसन की कोई कमी थी, कोई जांच कराई थी । यह खेद की बात है कि उत्तर प्रदेश की पटसन मिलों ने मजूरी बोर्ड के पंचाट को कार्यान्वित नहीं किया था । सरकार को कच्चे पटसन का न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने के लिये शीघ्र कदम उठाने चाहियें । सरकार यह बताये कि इस स्थिति का सामना करने के लिये क्या कदम उठाने जा रही है ।

†**श्री फ० गो० सेन** (पूर्निया) : सभापति महोदय, जहां तक जूट की समस्या का सम्बन्ध है, हम लोग बचपन से ही देखते आ रहे हैं कि इस की खरीद और बिक्री उन लोगों के हाथों में है, जोकि आई० जे० एम० ए० के नाम से चलते हैं । आज जूट के खेतिहर किस तरीके से और किस कद्र इन लोगों के द्वारा ठगे जाते हैं, यह एक बड़ी डबल कहानी है । कुछ दिन पहले हम लोगों ने यह भी देखा कि इन लोगों में आपस की फूट हुई और जूट को कारनर किया गया, जिस की वजह से जूट का भाव बढ़ गया । जूट का भाव बढ़ने की कोई और वजह नहीं है ।

पटवा एक कैश क्राप है और हमारे किसान भाइयों का बिना रुपये के काम नहीं चलता है । हम तो यह देखते हैं कि पटवा बोने के टाइम पर ही वे रुपया ले लेते हैं, जिस का परिणाम यह होता है कि उन को मनमाने ढंग से पटवा बेचना पड़ता है । यह देख कर बहुत दुख होता है । जहां तक लेबर का सवाल है, जूट मिल में लेबर को ज्यादा पैसा मिलता है । मैं समझता हूं कि उस अनुपात से किसानों को पैसा नहीं मिलता है और उस को देखने वाला कोई नहीं होता है । जब जूट मंडी में पहुंचता है, तो उस की देख-भाल करने वाले ढेरों हो जाते हैं ।

अगर किसान पटवा ले कर मंडी में पहुंच गया और उस को कह दिया गया कि हम नहीं लेंगे, तो फिर वह पटवा ले कर खड़ा रहता है । यह दुर्दशा है उन किसानों की, जो पटवा ले जाते हैं । जब सारे बाजार में पटवा गाड़ियों में लदा हुआ होता है, तो वे लोग देरी करते हैं, कहते हैं कि ले या न लें, तार आया है, यह कारण है, वह कारण है । सब गाड़ियां घूम रही हैं और सब किसान खुशामद करते हैं कि हमारा पटवा ले लीजिये, हमारा पटवा ले लीजिये । बेचारा किसान बीस

†मूल अंग्रेजी में

[श्री फ० गो० सेन]

मील दूर से पटवा लाद कर मंडी में लाया है। वह फिर उस को बीस मील दूर घर को कैसे ले जाये? उस को कहा जाता है, "तुम्हारा पटवा इस भाव पर तो नहीं ले सकते हैं, पच्चीस रुपये है, अगर बीस रुपये में दे दो, तो ले लें।" यह हालत है वहां की और कोई देखने वाला नहीं है।

अभी स्पीकर महोदय ने को-आपरेटिव्ज के बारे में कहा। हमारे यहां को-आपरेटिव्ज जारी हैं। मैं ने खुद पटवा उस में रखा है, लेकिन को-आपरेटिव जारी होने के बाद से मिडलमैन ने दो रुपया भाव बढ़ा दिया, ताकि को-आपरेटिव को अनसक्सेसफुल बना दिया जाये और वह ठीक तरह से फ़ंक्शन न कर सके। जहां तक उन से हो सकता था, उन्हों ने को-आपरेटिव को पटवा ले जाने से रोका। अगर इस के बावजूद भी को-आपरेटिव ने पटवा खरीदा, तो उस से जूट मिल्ज एसोसियेशन पटवा नहीं लेती। वह अपने मिडलमैन के जरिये लेती है, क्योंकि वे उस के अपने आदमी हैं, ताकि वह मिल का परचेजिंग रेट ज्यादा दिखा सके और कह सके कि हम को पटवा पच्चीस रुपये के भाव पर मिला है। वहां से १७, १८ या २० रुपये तक खरीद हुआ और पांच रुपये मिडलमैन को, जोकि उस का निर्धारित आदमी होता है, मिल गया। इस तरीके से सारे पटवा के कारोबार में लूट-खसूट का ही सवाल है और भगवान् की मरजी से अगर उन लोगों की आपस में कुछ फूट हुई, कुछ कारन-रिंग हुआ या माल कम हुआ तो पचास साठ रुपये का भाव उन को मिल जाता है, वर्ना उन को कौन पूछता है——उन को दस बीस रुपये का भाव ही मिलता है। हम लोग यहां पर शिकायत करते रहते हैं कि पटवा क्यों नहीं खरीदा जाता है, उस का बफ़र-स्टाक क्यों नहीं रखा जाता है, मिल वालों ने स्टाक क्यों नहीं खरीदा।

जहां तक शार्टेज का सवाल है, हम लोग मिडलमैन के टच में तो आते हैं, हो सकता है कि जट मिल्ज एसोसियेशन के टच में न आये। लेकिन वे लोग तो कहते हैं कि सोलह आने पटवा है। यह बराबर हम सुनते हैं। फिर शार्टेज क्या हो जाता है, क्या नहीं होता है, यह पता नहीं चलता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह इतनी तादाद का सवाल है, इसलिये इस तरफ सरकार को अधिक ध्यान देना चाहिये। इस से हमारा देश कितना फ़ारेन एक्सचेंज अर्न करता है। हम देखते हैं कि पाकिस्तान अपना मार्केट बनाये चला जा रहा है। इन लोगों ने जो पालिसी अख्तियार की है, उस की वजह से बाहर वाले कोई आर्डर भी प्लेस नहीं करते हैं, क्योंकि उन को इन लोगों का कोई ठिकाना नहीं मिलता है कि किस समय ये क्या कर देंगे।

इस अवस्था में यह आवश्यक है कि इस सारी समस्या को ग्रोअर्ज़ की नजर से देखा जाय। अगर इस रा मैटीरियल की इस देश को और गवर्नमेंट को जरूरत है, अगर वह इस इंडस्ट्री को जिन्दा रखना चाहती है, तो उस को ग्रोअर्ज़ के हितों का ध्यान रखना पड़ेगा। उस को इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि ग्रोअर्ज़ को कितनी मुशक्कत और तक्लीफ़ बर्दाश्त करनी पड़ती है। जब रा जूट मंडी में आ जाती है, तो फटका बाजी चलती है। फटकाबाज़ी तो हमेशा चलती है——जब पटवा खेत में होता है, तो भी फटकाबाज़ी चलती है। ये लोग कहते हैं कि पटवा तो बिक गया। अभी वह कटा नहीं, रैटिंग नहीं हुआ, तैयार नहीं हुआ, लेकिन कहा जाता है कि पटवा विका हुआ है। आप समझ सकते हैं कि इस तरह से ग्रोअर्ज़ को कैसे मुनाफ़ा हो सकता है।

फ्लोर प्राइस को फ़िक्स करने की बात कही जाती है। उस में भी दिक्कत है। हम समझते हैं कि अगर ऐसा कर भी दिया गया, तो हमें इस में शक है कि ग्रोअर्ज़ को उतना पैसा मिलेगा या नहीं। हम समझते हैं कि जूट के मामले में सरकार को अपने परचेजिंग एजेन्ट रखने चाहियें, चाहे को-आपरेटिव के जरिये से, चाहे किसी और तरह से। उस को गोदाम बना कर उन में बफर स्टाक

रखना चाहिये । आज-कल वह कभी बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है । जैसाकि शूगर के बारे में किया गया है, पटवा का स्टाक हम को रखना चाहिये, ताकि मिल सारा साल चलें । हम ने यह भी नहीं देखा कि जिस वक्त काफ़ी पटवा हो, तो मिल का उत्पादन कुछ बढ़ गया हो । सीजन के टाइम में कुछ बढ़ा है ।

हम लोग चाहते हैं कि कल्टीवेटर्ज को काफी पैसा मिलना चाहिये । आज सब सामान के दाम बढ़ गये हैं । अगर उन को पैसा नहीं मिलेगा, तो वह आखिर खेती कैसे करेंगे ? इस कैश क्राप की वजह से उस का सारे का सारा खर्चा, कुल आमदनी इस पर निर्भर करती है । आज सब चीजों, कपड़े लत्ते आदि का दाम बढ़ गया है । जैसाकि श्री इन्द्रजीत गुप्त ने कहा है, पटवा का कास्ट प्राइस बढ़ गया है, क्योंकि लेबर का दाम बढ़ गया है, एग्रीकल्चरल लेबर बहुत कम मिलता है । लोग अब मिलों में जाने लगे हैं । डेवेलपमेंट का काम बढ़ गया है और बहुत से लोग मिल-मज़दूर हो कर चले गये हैं । खेती बहुत सफ़र कर रही है । खेतिहर मज़दूर अब ज्यादा पैसा मांगते हैं । इसलिये नैटरुली कल्टीवेटर का सेफ़गार्ड, संरक्षण होना चाहिये ।

†**श्री प्रभातकार** (हुगली) : यह कहा जा रहा है कि जूट मिलें राज्य सरकार के गन्तर्गत नहीं आतीं और वे जो चाहती हैं वे केन्द्रीय सरकार से करा लेती हैं । कच्चे पटसन का कोई अभाव नहीं है और सामूहिक रूप से मिलों को बन्द करने का कोई कारण नहीं है । जूट मिल्ज एसोसियेशन का इरादा अधिक लाभ कमाने के लिये निर्यात के दामों का बढ़ाने का है और वह चाहता है कि मजदूरों को उचित मजदूरी न दी जाये और कच्चे पटसन के मूल्य कम हो जायें । पटसन से हमें पर्याप्त विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है और इस प्रश्न के बारे में कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिये । सरकार को पटसन के बड़े स्टाक अपने हाथ में ले लेने चाहियें और उस का न्यूनतम मूल्य भी निर्धारित करना चाहिये । सरकार को बाजार से कच्चा पटसन खरीदना चाहिये और निर्यात बढ़ाने के लिये कार्यवाही करनी चाहियें । आशा है कि सरकार ने स्थिति को अच्छी तरह समझ लिया है और ऐसा प्रयत्न करेगी कि भविष्य में ऐसी कोई स्थिति नहीं आयेगी ।

†**श्री अ० च० गुह** (बारसाट) : सरकार के सामने यह समस्या कई बार आई है और यह कहा गया है कि इस का न्यूनतम मूल्य निर्धारित कर दिया जाये । मेरा विचार है कि सरकार ने इस समस्या को समझने का प्रयत्न नहीं किया है और इसी कारण हमारे सामने पटसन के बारे में यह समस्या आई है । हमारी कमज़ोर नीति के परिणामस्वरूप अन्य देशों में, जिन में पाकिस्तान शामिल है, जूट मिलें स्थापित हो चुकी हैं और अब पटसन के उत्पादन में हमारा एकाधिकार नहीं रह गया है । सरकार ने पटसन के उद्योग के बारे में अपने सारे अधिकार भारतीय जूट मिल संघ को दे दिये हैं । इस संघ द्वारा अपनाई गई नीति के कारण पटसन के उत्पादक आर्थिक दृष्टि से तबाह हो गये हैं । सरकार को कच्चे पटसन के मूल्यों को घटाने से रोकने के लिये तुरन्त कदम उठाने चाहियें । पटसन उत्पादक अधिक दिनों तक प्रतीक्षा नहीं कर सकते ; इस के लिये मूल्य स्थिर किये जाने चाहियें । राज्य व्यापार निगम या अन्य सरकारी विभाग को गांवों के बाजारों से भांडागार निगम या सहकारी समितियों के ज़रिये कच्चा पटसन खरीदने के लिये कहा जाये । बिचौलियों को पटसन न खरीदने दिया जाये । पटसन से बनी हुई वस्तुओं का निर्यात राज्य व्यापार निगम अपने हाथ में ले ले । कच्चे पटसन का न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया जाये उत्पादकों को अपनी पैदावार का उचित दाम मिल सके ।

†**श्री ति० बि० भाईति** (घाटल) : यह संकट मिलों द्वारा उत्पन्न किय गया है । भारतीय जूट मिल संघ इस के लिये उत्तरदायी है । इस संकट से पटसन उत्पादकों की सब से अधिक हानि हुई है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ति० बि० माईति]

मेरा विचार है कि जब तक केन्द्रीय सरकार और राज्यों की सरकारों द्वारा पर्याप्त कदम न उठाये जाय इस उद्योग के लिये अपना अस्तित्व बनाये रखना कठिन होगा ।

मेरा सुझाव है कि केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों के परामर्श से इस का न्यूनतम मूल्य निर्धारित करे । यदि जूट मिलें इस दाम पर माल न खरीदें तो सरकार स्वयं इस माल का उत्पादन करे ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब यह चर्चा कल जारी रहेगी ।

इस के पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, २५ अगस्त, १९६१/३ भाद्र, १८८३ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

———

†मूल अंग्रेजी में

गुरुवार, २४ अगस्त, १९६१

२ भाद्र, १८८३ (शक)

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		२२५९–८१
तारांकित प्रश्न संख्या		
८९४	ढिलवां के रेलवे डिपो में अग्निकांड	२२५९–६३
८९७	कलकत्ता बन्दरगाह	२२६३–६४
८९८	संबलपुर–टिटलागढ़ लाइन	२२६४–६५
८९९	प्रिन्टोग्राम तार सेवा	२२६५–६६
९०१	स्वामी दयानन्द सरस्वती के डाक टिकट	२२६६–६७
९०४	इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन द्वारा विमान चालकों की भर्ती	२२६७–६९
९०५	श्री के० रामाराव की मृत्यु के बारे में जांच	२२६९–७२
९०७	खाद्य उत्पादन	२२७२–७३
९१०	वंशधारा परियोजना	२२७३–७४
९१२	जल संभरण योजना के लिए पाइप	२२७४–७६
९१४	रेलवे मालभाड़ा दरों में कमी	२२७६–७७
९१६	केरल के लिए डाक सर्किल	२२७७
९१८	रेलवे में वर्ग १ के पदाधिकारियों की नियुक्ति	२२७८–७९
९२१	सिलिकेनाइट अयस्क के लिये पत्तन प्रभार	२२७९–८०
९२३	दिल्ली में बिजली की सप्लाई	२२८०
९००	रेलों को कोयले की सप्लाई	२२८०–८१
प्रश्नों के लिखित उत्तर		२२८१–२३४९
तारांकित प्रश्न संख्या		
८९५	मद्रास हवाई अड्डा	२२८१
८९६	भारतीयों द्वारा केलोरीज का उपभोग	२२८२
९०२	नमक का लाना लेजाना	२२८२
९०३	बड़ौदा हाउस में आग	२२८२

1185 (Ai) LSD—9

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

तारांकित
प्रश्न संख्या

९०६ दिल्ली के विकास क्षेत्र . . २२८३
९०८ दक्षिण भारत में बाढ़ . . . २२८३
९०९ कोयले की ढुलाई के लिए जाहाजों की कमी . २२८३–८४
९११ विदेशी जहाजमालिकों को भाड़े का भुगतान . २२८४
९१३ शरबती जल विद्युत परियोजना . . २२८४
९१५ सिंचाई के लिए दामोदर घाटी निगम का पानी . . २२८४–८५
९१७ दिल्ली में सड़क दुर्घटनायें . . . २२८५
९१९ इंजन की कीमत . . . २२८५–८६
९२० नदी में चलने वाली बड़ी नावों को लाइसेंस देना . . २२८६
९२२ दिल्ली में बिजली सप्लाई २२८६

अतारांकित
प्रश्न संख्या

२२०१ 'कालेज आफ कैटरिंग' . . . २२८७
२२०२ उत्तर प्रदेश में सहकारी चीनी मिलें . . २२८७
२२०३ राष्ट्रीय उष्णदेशीय ऋतु विज्ञान संस्था . २२८७
२२०४ 'फिश प्लेटों' का हटाया जाना . . २२८८
२२०५ दामोदर घाटी निगम अधिनियम २२८८
२२०६ चतुर्थ श्रेणी के रेलवे कर्मचारियों के प्रमाप पदनाम और कर्तव्य सूचियां २२८८–८९
२२०७ अन्तर्देशीय जलपरिवहन के लिए केन्द्रीय प्रविधिक सहायता बोर्ड २२८९
२२०८ आयुर्वेदिक औषधि संहिता २२८९
२२०९ हस्तिनापुर में चीनी का कारखाना . २२८९
२२१० उत्तर प्रदेश में सहकारी समितियां. २२९०
२२११ पंजाब में सिंचाई के नलकूप २२९०
२२१२ बगमार और डोंगरगांव के बीच रेल दुर्घटना २२९०
२२१३ देश के वन संसाधन . . . २२९१
२२१४ पश्चिम यमुना नहर की शाखाओं के लिएं भाखड़ा बांध से पानी २२९१
२२१५ महाराष्ट्र में स्वचालित टेलीफोन . २२९२
२२१६ महाराष्ट्र को आवण्टित उर्वरक . २२९२
२२१७ खाद्य उत्पादन २२९३

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--क्रमशः

अतारांकित प्रश्न संख्या		
२२१८	महाराष्ट्र को सिंचाई के नलकूपों के लिये सहायता	२२९३
२२१९	माईथान बांध	२२९४
२२२०	आसाम का नाहरकटिया तापीय विद्युत् केन्द्र	२२९४
२२२१	पिछली खरीफ की फसल में पैदा किये खाद्यान्न	२२९४–९५
२२२२	कांगड़ा के लिए जलसंभरण योजनायें	२२९५
२२२३	लुधियाना जिले में पैकेज प्रोग्राम	२२९५–९६
२२२४	खाद्य तथा कृषि संगठन में भारतीय राष्ट्रजन	२२९६
२२२५	करनाल में राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्था	१२९६–९७
२२२६	उत्तर रेलवे में रिजर्वेशन क्लर्क	२२९७
२२२७	उत्तर रेलवे में नैमित्तिक श्रमिक	२२९७
२२२८	जम्मू तथा काश्मीर में होमियोपैथिक एवं आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणालियां	२२९८
२२२९	दिल्ली में मध्यम सिंचाई परियोजनायें	२२९८
२२३०	रेलवे क्वार्टर	२२९८–९९
२२३१	घी का भाव	२२९९
२२३२	दिल्ली दुग्ध वितरण योजना	२२९९
२२३३	कृषि योजनायें	२२९९–२३००
२२३४	दिल्ली में परिवार नियोजन केन्द्र	२३००
२२३५	सान्ता क्रुज हवाई अड्डा	२३००–०१
२२३६	कोयम्बटूर में फाइलेरिया	२३०१
२२३७	पंजाब में अनाज का स्टाक	२३०१
२२३८	कृषि मंत्री की विदेशी यात्रा	२३०१–०२
२२३९	मथुरा स्टेशन पर एक घायल युवती	२३०२
२२४०	पटना में गंगा नदी पर पुल	२३०२
२२४१	मधु मक्खी पालन	२३०३
२२४२	दिल्ली में स्वास्थ्य संग्रहालय	२३०३
२२४३	रेलवे कर्मशालाओं के प्रबन्ध में श्रमिकों द्वारा भाग लिया जाना	२३०३
२२४४	बीमाशुदा पार्सल का गुम होना	२३०३–०४
२२४५	मत्स्य ग्रहण समवाय	२३०४

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
२२४६	मध्य प्रदेश के लिये डाक-तार सर्कल	२३०४
२२४७	फसल बीमा योजना	२३०५
२२४८	केन्द्रीय जल संभरण तथा सफाई योजना	२३०५
२२४९	कोढ़	२३०५
२२५०	दिल्ली ग्लाइडिंग क्लब	२३०५–०६
२२५१	पंचायती राज चुनाव	२३०६
२२५२	रेलवे के नये निर्माण कार्यों की ज्यादा लागत	२३०६–०७
२२५३	इंजन डिब्बे आदि	२३०७
२२५४	कलकत्ता में हैजा अनुसंधान केन्द्र	२३०७–०८
२२५५	खाद्यन्न के मूल्य	२३०८
२२५६	बमरा और गारपोस स्टेशनों पर ऊपरी पुल	२३०८
२२५७	स्टेशनों पर बिजली लगाना	२३०८
२२५८	खोह-खड्ड वाली भूमि को कृषि योग्य बनाना	२३०९
२२५९	लोदी कालोनी और सेवानगर के बीच पुल	२३०९
२२६०	उत्तर प्रदेश में चीनी की मिलें	२३०९
२२६१	गेहूं के भावों में कमी	२३१०
२२६२	दक्षिण पूर्व रेलवे पर गाड़ियों का लेट चलना	२३१०
२२६३	राष्ट्रीय चेचक उन्मूलन कार्यक्रम	२३१०
२२६४	बाल पक्षाघात निरोधक रूसी वैक्सीन का प्रभाव	२३११
२२६५	मृदा-विज्ञान संबंधी अखिल भारतीय संस्था	२३११
२२६६	लखनऊ और कानपुर के बीच विद्युत् चालित गाड़ियां	२३११–१२
२२६७	दिल्ली का आयोजित विकास	२३१२
२२६८	कुमाऊं प्रदेश के लिये विमान सेवा	२३१२
२२६९	निफाड़ स्टेशन	२३१२
२२७०	आंध्र प्रदेश में चावल	२३१३
२२७१	गाड़ी का पटरी से उतर जाना	२३१३
२२७२	संयुक्त सिन्धु आयोग	२३१३–१४
२२७३	बीज परिष्करण और सफाई	२३१४

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
२२७४	कटिहार और बरौनी जंक्शन पर भारिक	२३१४–१५
२२७५	त्रिपुरा में ट्रैक्टर	२३१५
२२७६	त्रिपुरा में खाद्यानों का उत्पादन	२३१६
२२७७	त्रिपुरा में बंजर भूमि	२३१७
२२७८	त्रिपुरा में धान का उत्पादन	२३१७
२२७९	मनीपुर कृषि विपणन सहकारी समिति	२३१७–१८
२२८०	लोकटाक झील के पानी में से पौदे हटाना	२३१८
२२८१	खाद्य उत्पादन	२३१८–१९
२२८२	अन्डल स्टेशन पर रेल की टक्कर	२३१९
२२८३	कलकत्ता बन्दरगाह कर्मचारी	२३१९–२०
२२८४	ग्राम्य ऋण स्थिति	२३२०
२२८५	दिल्ली में बिजली की सप्लाई में कटौती	२३२०–२१
२२८६	कानपुर को वैगनों का आवंटन	२३२१
२२८७	तीसरी योजना में मैडिकल कालिज	२३२२
२२८८	विदेशी तथा तटीय पौत	२३२२
२२८९	हिन्दी जानने वाले रेलवे कर्मचारी	२३२२–२३
२२९०	परोना स्टेशन पर डाका	२३२३
२२९१	दक्षिण रेलवे पर समाचारपत्र के पार्सल भेजा जाना	२३२३
२२९२	दिल्ली में वन विकास	२३२४
२२९३	रूरकेला में डाक तथा तार कर्मचारीयों के क्वार्टर	२३२४
२२९४	रेलवे टैक्नीकल प्रशिक्षण स्कूल	२३२४–२५
२२९५	कटिहार में रेल दुर्घटना	२३२५
२२९६	अमरीका से चावल और गेहूं	२३२५–२६
२२९७	अमरीका के किसान	२३२६
२२९८	यात्री सुविधायें	२३२६–२७
२२९९	केरल के फालतू खेतिहर परिवार	२३२७
२३००	डाक के लिफाफे	२३२७–२८
२३०१	उत्तर रेलवे पर सेवा-निवृत्त व्यक्तियों के दावे	२३२८
२३०२	भ्रष्टाचार के मामले	२३२८
२३०३	पंजाब में राष्ट्रीय जल संभरण तथा सफाई योजना	२३२८–२९

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
२३०४	फीरोजपुर के लिये जल निस्सारण योजना	२३२९
२३०५	चलते-फिरते पुस्तकालय . . .	२३२९
२३०६	दामोदर घाटी के मुख्यालय का अन्य स्थान पर ले जाया जाना .	२३३०–३१
२३०७	दिल्ली में खंड विकास समितियां	२३३१
२३०८	दिल्ली में खंड विकास पदाधिकारी	२३३१
२३०९	निरगुण्डी से खुर्दा रोड तक दोहरी लाइन	२३३२
२३१०	आदिवासी झूमियां . .	२३३२
२३११	सामुदायिक विकास आन्दोलन . . .	२३३२–३३
२३१२	रूपनारायण नदी पर पुल	२३३३
२३१३	परिवहन प्रमार के लिए आर्थिक सहायता. .	२३३३–३४
२३१४	भेड़ पालना . .	२३३४
२३१६	टेलीफोन कनेक्शन . .	२३३४
२३१७	उड़ीसां में सहकारी विकास . .	२३३४–३५
२३१८	उर्वरक प्रौद्योगिकी संस्था	२३३५
२३१९	गहरे समुद्र में मछली पकड़ने का केन्द्र . . .	२३३५–३६
२३२०	देश में बाढ़ . . .	२३३६
२३२१	उड़ीसा में क्षयरोंग . . .	२३३७
२३२२	महाराष्ट्र राज्य और तीसरी योजना . . .	२३३७
२३२३	बास्कर, चेरा क्षेत्र, त्रिपुरा	२३३७
२३२४	बास्करा चेरा क्षेत्र, त्रिपुरा . . .	२३३७–३८
२३२५	पश्चिम रेलवे में आम हड़ताल . . .	२३३८
२३२६	प्रोत्साहन लाभांश योजना	२३३८–३९
२३२७	उड़ीसा में राष्ट्रीय राजपथ और पुल . . .	२३३९
२३२८	कटक में टेलीफोन की मीटर प्रणाली . .	२३३९
२३२९	डाक तथा तार विभाग के विभिन्न केन्द्रों का उड़ीसा सर्किल में रखा जाना	२३४०
२३३०	राज्य सरकारों के साथ हिन्दी में पत्र-व्यवहार	२३४०
२३३१	गुवार का निर्यात	२३४०–४१
२३३२	अनाज की बरबादी	२३४१
२३३३	उत्तर प्रदेश में परियोजनाएं .	२३४१

विषय **पृष्ठ**

प्रश्नों के लिखितउत्तर–(क्रमश:)

अतारांकित
प्रश्न संख्या

२३३४ सरकारी कर्मचारियों की बस्तियों के पास श्मशान भूमि २३४१–४२
२३३५ ग्रामीण नेता शिविरों में प्रशिक्षण २३४२
२३३६ ग्रेन एलिवेटर का निर्माण . . २३४२
२३३७ तेल वाहक जहाज का डूब जाना . . २३४२
२३३८ वाराणसी में डीजल इंजन कारख़ाना स्थापित करना . २३४३
२३३९ चीनी के नये कारखाने . . . २३४३
२३४० ग्रामीण सहकारी संस्थायें तथा विपणन सहकारी संस्थायें २३४३–४४
२३४१ दूध की खपत . . २३४४
२३४२ ग्राम्य विद्युतीकरण . . . २३४४
२३४३ दक्षिण रेलवे पर स्वास्थ्य एकक . . . २३४४–४५
२३४४ उत्तर रेलवे के स्टेशनों पर बिजली लगाना . . २३४५
२३४५ उत्तर रेलवे पर क्वार्टर २३४५
२३४६ देश में बाढ़ का प्रभाव २३४५–४६
२३४७ रेलवे हाई स्कूल, दीनापुर २३४६
२३४८ फेरो मैंगनीज उद्योग के लिये बिजली २३४६
२३४९ राजस्थान में डेरी फार्म . २३४६–४७
२३५० बीकानेर डिवीजन में रेल के फाटक २३४७
२३५१ गंगवाल बिजली घर . . . २३४७
२३५२ किचनर रोड, नई दिल्ली में प्रसूति तथा बालकल्याण केन्द्र २३४७–४८
२३५३ रेवाड़ी स्टेशन पर ठेकेदारों द्वारा स्टाल का किराये पर दिया जाना . २३४८
२३५४ अगरताला में राज्य बैंक . २३४८
२३५५ अखिल भारतीय कृषि सेवा . . २३४९
२३५६ रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवाओं में अनुसूचित जातियां और अनुसूचित आदिम जातियां . २३४९

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . .

श्री बलराज मधोक ने २ अगस्त, १९६१ को भारी वर्षा के कारण चाणक्यपुरी और दिल्ली की अन्य बस्तियों में रहने के मकानों में पानी भर जाने की ओर स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान दिलाया।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) ने इस संबंध में एक वक्तव्य दिया।

विषय **पृष्ठ**

सभा पटल पर रखे गये पत्र २३५१-५१

(१) भेषज अधिनियम, १९४० की धारा ३३ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसुचनाओं की एक-एक प्रति :--

(एक) दिनांक २० मई, १९६१ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० ११२४ में प्रकाशित भेषज (दूसरा संशोधन) नियम, १९६१।

(दो) दिनांक २४ जून, १९६१ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० १४४९ में प्रकाशित भेषज (तीसरा संशोधन) नियम, १९६१।

(तीन) दिनांक ८ जुलाई, १९६१ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० १५८८ में प्रकाशित भेषज (चौथा संशोधन) नियम, १९६१।

(२) अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उप-धारा (६) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति : --

(एक) दिनांक १४ अगस्त, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १०४२ में प्रकाशित चावल (मध्य प्रदेश) मूल्य नियंत्रण आदेश, १९६१।

(दो) दिनांक १७ अगस्त, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १०४५ में प्रकाशित चावल (मध्य प्रदेश) मूल्य नियंत्रण (संशोधन) आदेश, १९६१।

(तीन) दिनांक १७ अगस्त, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १०४६ में प्रकाशित चावल (पंजाब) दूसरा मूल्य नियंत्रण (नवां संशोधन) आदेश, १९६१।

मंत्री द्वारा वक्तव्य २३५२-५३

परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन) ने २० जुलाई, १९६१ को इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन द्वारा पटना से दिल्ली आने वाले अपने विमान में राष्ट्रपति के निजी चिकित्सकों को स्थान न दिये जाने के बारे में एक वक्तव्य दिया।

तृतीय पंचवर्षीय योजना के बारे में प्रस्ताव २३५३-५६

तृतीय पंचवर्षीय योजना के बारे में प्रस्ताव पर चर्चा जारी रही। श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री (श्री नन्दा) ने वादविवाद का उत्तर दिया। श्री रंगा द्वारा रखे गये स्थापन प्रस्ताव पर मत विभाजन हुआ पक्ष में १०; विपक्ष में १३२ मत आये और प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। सर्व श्री नौशीर भरूचा और इन्द्रजीत गुप्त द्वारा रखे गये स्थानापन्न प्रस्ताव भी अस्वीकृत हुए श्री नंरसिंहन द्वारा रखा गया स्थानापन्न प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा चर्चा समाप्त हुई।

पृष्ठ

विधेयक विचाराधीन . . . . . २३६३—८०

१८—८-६१ को प्रस्तुत प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में आय कर विधेयक के विचार प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा जारी रही। चर्चा समाप्त नहीं हुई।

कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित . . . २३८१

छियासठवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया।

कच्चे पटसन की कमी के बारे में चर्चा . . . . २३८१—८६

श्री इन्द्रजीत गुप्त ने कच्चे पटसन की कमी के बारे में चर्चा आरम्भ की। चर्चा समाप्त नहीं हुई :

शुक्रवार २५ अगस्त, १९६१/३ भाद्र, १८८३ (शक) के लिये कार्यावलि .

आयकर विधेयक पर अग्रेतर चर्चा तथा पारित करना और गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों पर चर्चा।

GIPND—LS III—1185(Ai) LSD—30-9-61—125.